खण्ड–508, अंक–04
मंगलवार, 01 श्रावण, शक संवत् 1941
(23 जुलाई, 2019 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2019)

(खण्ड 508 में 07 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

# विषय सूची


| विषय | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|
| उपस्थित सदस्य | ..... | 3-6 |
| प्रश्नोत्तर | ..... | 7-132 |
| ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं नेता विरोधी दल के मध्य तीखी नोक-झोंक (जारी) | ..... | 132-134 |
| ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार एवं नेता विरोधी दल के मध्य तीखी नोक-झोंक | ..... | 134-137 |
| वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण | ..... | 137-138 |
| नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें | ..... | 138-140 |
| जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत ब्लाक भवनवापुर के ग्राम संग्रामपुर में कच्ची सड़क को पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 140 |
| जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत गजरौला कला नामक तहसील का गठन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 140 |
| जनपद मुजफ्फरनगर सहित समस्त उत्तर प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में हीमोफीलिया बीमारी के उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में फैक्टर व अन्य सुलभ चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 141 |
| जनपद बलरामपुर सदर के अन्तर्गत भडरिया तटबन्ध के निर्माण हेतु किसानों के भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 141 |
| जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौद के ग्राम शंकरपुर तथा विकास खण्ड महेबा में पेयजल हेतु पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 142 |
| जनपद आजमगढ़ के तहसील निजामाबाद के अन्तर्गत गीता पत्नी बेलभद्दर निवासी ग्राम डोंडोपुर को हुई मृत्यु का बीमा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 142 |
| लखनऊ स्थित जानकी विहार कालोनी, जानकीपुरम में 50 मीटर गली रोड नगर निगम द्वारा न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 142-143 |

| विषय | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|
| जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत खुर्जा नगर पालिका परिषद् का सीमा विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 143 |
| जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा ब्लाक के अन्तर्गत भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये गये सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 143 |
| बरेली शहर के दो क्षेत्र संजय नगर एवं मठलक्ष्मीपुर में व्याप्त जल निकासी समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 144 |
| जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलिया खेडी के ग्राम रसूलपुर पापडेकी से ग्राम खजूरी अकबरपुर तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 144 |
| जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में बरसाती नदियों के पानी से बाढ़ की स्थिति पैदा होने से बचाव हेतु नदियों में टक्करें स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 144-145 |
| जनपद अम्बेडकरनगर में एन0टी0पी0सी0 टाण्डा द्वारा ग्राम सलाहपुर रज्जौर, हुसैनपुर सूधाना आदि में की गई भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 145 |
| जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के अन्तर्गत पवारा नहर से सजई कला तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 146 |
| प्रदेश में सामयिक संग्रह अमीन व सामयिक संग्रह अनुसेवकों का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 146 |
| जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत बांसी-इटवा रोड में अकडाली नाला पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 147 |
| जनपद बस्ती के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए अवशेष धनराशि को जारी तथा परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 147-148 |
| जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में खडेसरी से लेकर डेरवां तक सरयू के किनारे बने बन्धे की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 148 |

| विषय | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|
| जनपद गोरखपुर में यू0आई0डी0एस0एम0टी0 के तहत अत्याधिक घटिया और फटी हुई पाइप डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 148-149 |
| उत्तर प्रदेश के स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी शिक्षक निर्वाचन नियमावली में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 149 |
| उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत लम्बित बिलों के भुगतान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ..... | 149-150 |
| औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं | ..... | 150-151 |
| उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 (दि0-05-02-2019 से 18-02-2019 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के 301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखी गयी) | | 151 |
| दिनांक, 15 अक्टूबर, 2016 को जनपद वाराणसी राजघाट पुल प्रकरण के सम्बन्ध में एकल सदस्यीय न्यायिक द्वारा तैयार किये गये जाँच प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) | ..... | 151 |
| दिनांक, 10 फरवरी 2013 (मौनी अमावस्या) को जनपद इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग इलाहाबाद द्वारा तैयार किये गये जाँच प्रतिवेदन | ..... | 152 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 37वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2016-2017 (सदन के पटल पर रखा गया) | ..... | 152 |
| उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति एवं (2017-18) का सप्तम प्रतिवेदन (खण्ड-2) (सदन के पटल पर रखा गया) | ..... | 152 |
| उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति एवं (2017-18) का अष्टम् प्रतिवेदन (खण्ड-3) (प्रस्तुत किया गया) | ..... | 152-153 |
| श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं) | ..... | 153 |
| श्री भूपेश चौबे, सदस्य विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गयीं) | ..... | 153-154 |
| श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं) | ..... | 154 |

| विषय | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|
| श्री रवि सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित दो याचिकाएं उनके अनुरोध पर स्थगित | ..... | 154 |
| श्री राजीव कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी) | ..... | 155 |
| श्री संजय गर्ग, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी) | ..... | 155 |
| श्रीमती बन्धना सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी) | ..... | 155 |
| श्रीमती रजनी तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी) | ..... | 155 |
| श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी) | ..... | 155 |
| श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी) | ..... | 156 |
| कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) | ..... | 156-157 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (पुरःस्थापित) | ..... | 157 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (पुरःस्थापित) | ..... | 158 |
| उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (पुरः स्थापित) | ..... | 158 |
| नियम-110 के अन्तर्गत चन्द्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को मुख्य मंत्री द्वारा बधाई प्रस्ताव (स्वीकृत) | ..... | 158-162 |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं | ..... | 162-179 |
| सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 (पारित) | ..... | 179-181 |
| नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें | ..... | 182-185 |
| नत्थियां | ..... | 186-249 |


---

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## सत्रहवीं विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डल लखऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

**मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2019**
**उपस्थित सदस्य-351**

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव,श्री — सम्भल
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
8. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
10. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
13. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
14. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
15. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
21. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
22. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
23. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
24. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
27. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
28. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
29. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
30. अवधेश सिंह, प्रो0 (डॉ0) — वाराणसी
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
32. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
33. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
34. असलम अली, श्री — हापुड़
35. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
37. आर0के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
38. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
39. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
40. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
41. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
42. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
43. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
44. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
45. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
46. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
47. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
48. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया

49. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
50. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
51. ओमकुमार, श्री बिजनौर
52. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
53. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
54. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
55. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
56. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
57. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
58. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
59. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
60. काली प्रसाद, श्री देवरिया
61. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
62. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
63. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
64. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
65. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
66. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
67. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
68. गंगा, श्री कुशीनगर
69. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
70. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
71. गौरी शंकर, श्री जालौन
72. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
73. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
74. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय , श्री चित्रकूट
75. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
76. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
77. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
78. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
79. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
80. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
81. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
82. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
83. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
84. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
85. जयमंगल, श्री महाराजगंज
86. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
87. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
88. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
89. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
90. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
91. डी0सी0 वर्मा, श्री बरेली
92. डेनजिल जे0 गोडिन, डॉ0 नाम-निर्देशित
93. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
94. तेज सिह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
95. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
96. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
97. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
98. दल बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
99. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
100. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
101. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
102. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
103. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
104. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
105. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
106. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
107. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
108. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
109. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
110. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया

111. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
112. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
113. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
114. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
115. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
116. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
117. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
118. नन्द किशोर गुर्जर, , श्री गाजियाबाद
119. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
120. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
121. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
122. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
123. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
124. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
125. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
126. नाहिद हसन, श्री शामली
127. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
128. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
129. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
130. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
131. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
132. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
133. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
134. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
135. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
136. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
137. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
138. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
139. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
140. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
141. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
142. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
143. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
144. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
145. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
146. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
147. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
148. प्रेम नारायण पाण्डेय , श्री गोण्डा
149. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
150. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
151. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
152. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
153. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
154. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
155. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
156. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
157. बावन सिंह, श्री गोण्डा
158. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
159. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
160. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
161. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
162. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
163. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
164. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
165. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
166. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
167. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
168. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
169. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
170. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
171. मनोज कुमार पाण्डेय , श्री रायबरेली

172. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
173. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
174. ममता शाक्य, श्री कासगंज
175. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
176. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
177. महबूब अली, श्री अमरोहा
178. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
179. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
180. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
181. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
182. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
183. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
184. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
185. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
186. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
187. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
188. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
189. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
190. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
191. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
192. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
193. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
194. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
195. योगेश धामा, श्री बागपत
196. योगेश वर्मा, श्री खीरी
197. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
198. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
199. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
200. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
201. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
202. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
203. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
204. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
205. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
206. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
207. रवि शर्मा, श्री झांसी
208. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
209. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
210. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
211. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
212. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
213. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
214. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
215. राज करन कबीर, श्री बांदा
216. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
217. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
218. राजबाला, श्रीमती रामपुर
219. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
220. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
221. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
222. राजीव सिंह ''परीछा'', श्री झांसी
223. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
224. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
225. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
226. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
227. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
228. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
229. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
230. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
231. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद

232. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
233. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
234. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
235. राम पाल वर्मा, श्री हरदोई
236. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
237. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
238. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
239. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
240. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
241. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
242. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
243. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
244. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
245. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
246. लाखन सिंह, श्री औरैया
247. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
248. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
249. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
250. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
251. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
252. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
253. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
254. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
255. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
256. विजय मिश्र, श्री भदोही
257. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
258. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
259. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
260. विनय शाक्य, श्री औरैया
261. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
262. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
263. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
264. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
265. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
266. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
267. वीरेन्द्र, श्री एटा
268. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
269. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
270. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
271. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
272. शशांक वर्मा, श्री खीरी
273. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
274. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
275. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
276. शीतला प्रसाद, ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
277. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
278. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
279. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
280. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
281. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
282. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
283. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
284. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
285. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
286. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
287. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
288. संगीता बलवन्त, डॉ0 गाजीपुर
289. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
290. संजय, श्री बुलन्दशहर
291. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
292. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
293. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
294. संजय यादव, श्री बलिया
295. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत

296. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
297. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
298. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
299. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
300. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
301. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
302. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
303. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
304. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
305. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
306. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
307. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
308. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
309. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
310. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
311. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
312. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
313. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
314. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
315. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
316. सुचि, श्रीमती बिजनौर
317. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
318. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
319. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
320. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
321. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
322. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
323. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
324. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
325. सुरेश कुमार, श्री शामली
326. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
327. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
328. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
329. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
330. सुरेश राही, श्री सीतापुर
331. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
332. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
333. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
334. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
335. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
336. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
337. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
338. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
339. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
340. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
341. सौरभ सिंह, श्री खीरी
342. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
343. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
344. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
345. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
346. हरीराम, श्री सोनभद्र
347. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
348. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
349. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
350. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
351. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

**नोट** :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 महेन्द्र सिंह), पंचायती राज एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

**श्री अध्यक्ष-**

कृपया स्थान ग्रहण करें। कल हम लोगों ने प्रयास किया था कि कुछ प्रश्न ज्यादा उत्तरित हो जायें तो आप सब के सहयोग से 09 प्रश्न हम लोग उत्तरित कर पाए थे। आज 21 प्रश्न हैं तो हम लोग फिर प्रयास करते हैं कि थोड़े ज्यादा हो जायें।

## [11:00 बजे] प्रश्नोत्तर

## नत्थी (क)

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### प्रदेश में खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदों के सम्बन्ध में

****1-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कितने पद (सीधी भर्ती) रिक्त है ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर पी0सी0एस0 2019 से भर्ती सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-**

वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारियों के सीधी भर्ती के कुल 274 पद रिक्त हैं तथा उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह ख उच्चतर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 3 पद रिक्त हैं।

खण्ड शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज को प्रेषित किया जा चुका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनाती स्थानान्तरण के माध्यम से भी की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

(बेसिक शिक्षा मंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल द्वारा लिखित उत्तर पढ़ा गया)

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 शर्मा जी, प्रश्न पूछें।

**श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

अध्यक्ष जी, यह प्रश्न वड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिये है कि शिक्षा के बिना सब सूना और आपके संरक्षण के लिये कि प्रज्ञा की धरोहर सबसे बड़ी वहां विराजमान है। उत्तर जो आता है, वह गोल-मोल करके हर विधान सभा में यही आता है, क्योंकि बेसिक शिक्षा प्रथम दृष्टया प्रवेश का द्वार होता है, उससे ज्ञान और साहित्य का सृजन खत्म हो रहा है। इस साहित्य के सृजन से महाराणा प्रताप की वीरता, मीरा की भक्ति, गांधी का अहिंसा का पाठ...

**श्री अध्यक्ष-**

आप बड़े वरिष्ठ हैं, आप प्रश्न कर लीजिये।

**श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

और अप्रवासी भारतीयों की ममता का बोध, उसमें बार-बार यही चीज आती है कि यह सब पद भर दिये जायेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो 274 रिक्तियां हैं, प्रदेश में यह कब से रिक्तियां चल रही हैं, उनको कब तक भर देंगे और जो बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बात है, उसको स्थानान्तरण के माध्यम से भरना, स्थानान्तरण का सीजन भी निकल गया, उसमें भी यह नहीं भरी गयीं।

**श्री अध्यक्ष-**

आप प्रश्न कर लीजिए।

**श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। यह पद कब तक भरेंगे। नम्बर-1 स्थानान्तरण सीजन भी निकल गया। नम्बर-2 तब भी नहीं भरी गयीं। यह प्रश्न मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि जिस इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार जो हो रहा है, जो एस0टी0एफ0 ने पकड़े, विभाग की कमजोरियों ने नहीं पकड़े तो आवश्यकता इसमें इस बात की है कि किसी भी तरह से इनकी शीघ्रता कब तक होगी और यह रिक्तियां कब से हैं और कब तक यह पद भरे जायेंगे ?

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय शर्मा जी जल्दी में चाहते हैं तो आप बता दीजिये कि क्या हो सकता है।

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

मान्यवर, दो सौ चौहत्तर पदों पर जो रिक्तियां हैं खण्ड शिक्षा अधिकारी की। मैंने यह बाताया कि 8 जुलाई, 2019 को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज को अधियाचन भेजा जा चुका है। अब उनके यहां से अधियाचन हो जायेगा ओर हम भी शीघ्रता कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यह पद भर जायं। दूसरा आपने जो कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों के जो तीन पद रिक्त हैं, उनको भी हम लोग अतिशीघ्र ही भरने वाले हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 शर्मा जी, आपको आश्वासन मिल गया।

**श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

मान्यवर, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि यथाशीघ्र का कोई मतलब होता भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो इनके हाथ में है और जो गवर्नमेन्ट के हाथ में है, उसे भरने में क्या दिक्कत है ?

**श्री अध्यक्ष-**

आप चाहते थे शीघ्र भरें और इन्होंने कहा कि अतिशीघ्र भरेंगे।

**श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

मान्यवर, मैंने तो सिर्फ इसलिये कहा है कि यह न तो किसी पक्ष का है न ही विपक्ष का है, यह निष्पक्षता का प्रश्न है। इसमें आप संरक्षण देंगे तो बहुत अच्छा होगा। कृपया निर्देशित कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

**श्री अध्यक्ष-**

आपने कहा कि शीघ्र भरें और उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र भरेंगे। हम कह देते हैं कि अतिशीघ्र आप भरिये।

# नत्थी (ख)

## तारांकित प्रश्न

**[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]**

**प्रदेश में बढ़ती पेयजल समस्या के सम्बन्ध के ट्यूबवेल स्थापित कराने विषयक जानकारी**

***1-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती पेयजल समस्या एवं भूमिगत जल की अशुद्वियों के कारण सरकार द्वारा मीठे तथा अच्छे जलस्रोत वाले स्थल पर ट्यूबवेल तथा ओवरहेड वाटर टैंक स्थापित कराकर पाइप्ड जलापूर्ति की कोई प्रदेश व्यापी कार्य योजना वर्तमान में लागू की गयी है ? यदि हां, तो इस कार्य योजना के तहत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में दिनांक 05-04-2019 तक कराये गये कार्यों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 महेन्द्र सिंह)-**

जी हां।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती पेयजल समस्या एवं भूमिगत जल की अशुद्धियों के कारण सरकार द्वारा मीठे तथा अच्छे जलस्रोत वाले स्थल पर ट्यूबवेल तथा ओवरहेड वाटर टैंक स्थापित कराकर पाइप्ड जलापूर्ति कराये जाने हेतु वर्ष 2017-18 में कुल 659 (संलग्नक-1)† तथा वर्ष 2018-19 (05 अप्रैल, 2019 तक) में कुल 623 (संलग्नक-2)† ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिये नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ संख्या 186-228 पर।

**सुश्री अदिति सिंह-**

मान्यवर, अभी हाल ही में एक नीति आयोग की रिपोर्ट निकली थी। एक बहुत ही डरा देने वाली रिपोर्ट कि वर्ष 2020 तक यानि अगले साल तक 21 महानदियों में ग्राउण्ड वॉटर नहीं बचेगा। वर्ष 2040 तक 40 से 50 प्रतिशत जो हमारे देश के लोग हैं वह ग्राउण्ड वॉटर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर हमारे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहां पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। वर्ष 2040 तक आधा लैण्ड सूखा हो जायेगा। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है और उसको मद्देनजर रखते हुये मैं मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि इस समय कन्टामिनेटेड लेवल ड्रिकिंग वॉटर जो कन्टामिनेटेड है उसमें कितना ट्रीट हो रहा है। क्या परसन्टेज है जो पानी कन्टामिनेटेड है जिसमें आर्सेनिक फ्लोराइड एक्सेट्रा बाकी सारी चीजें हैं और कितना हम ट्रीट कर पा रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी उसमें क्लियरली बता दिया गया है कि वर्ष 2040 तक ऑलमोस्ट सारा ग्राउण्ड वॉटर जो है वह डिक्रीज हो जायेगा तो पॉलिसी लेवल पर हम क्या एंटीवेंशन ले रहे हैं। सर्फेश वॉटर को सर्फेश लेवल वॉटर मतलब रिसाईकिल वॉटर को यूज करने के लिये, क्योंकि ग्राउण्ड वॉटर तो बचेगा ही नहीं तो व्हाट आर यू डूईंग क्या स्टेप ले रहे हैं, क्या ऐक्शन ले रहे हैं, ताकि हमारे पास लिटरिली पीने का पानी हो अगले कुछ सालों में।

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो कहा है कि पूरे भारत पर पानी का ऐसा संकट आ जायेगा। कम से कम मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरा उत्तर प्रदेश उससे बहुत अछूता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको नीति आयोग ने चिन्हित किया है जिसमें बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास पर्याप्त ग्राउण्ड वॉटर भी है और सर्फेश वॉटर भी है, लेकिन फिर भी जिन क्षेत्रों में कमी है उस काम को करने के लिये अभी भारत के प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र भाई मोदी ने सभी भारत के प्रधानों के लिये पत्र लिखा था। 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के 59 हजार 18 ग्राम पंचायतों में उस पर कार्यक्रम हुआ और मुझको बताते हुये खुशी हो रही है कि पिछले साल जल संचयन कैसे हो और जल संवर्धन कैसे हो ? इन दोनों दृष्टियों से मनरेगा से बीस हजार तालाब खुदवाये गये हैं।

मान्यवर, हमारे मा0 सिंचाई मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुये हैं। हम लोग बन्धा बनाते हैं, हम लोग तटबन्ध बनाते हैं, तालाब खुदवाते हैं, जल संचयन के लिये व्यवस्था करते हैं। इन्होंने जैसा शहरी क्षेत्रों की चर्चा की ओर मैं ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में विस्तार से अवगत कराना चाहता हूं कि आगे आने वाले दिनों में जितनी भी बिल्डिंग्स बनेंगी, वह चाहे सरकारी हों, चाहे गैर सरकारी हों तो वॉटर रिचार्जिंग सिस्टम के साथ ही बिल्डिंग्स को अनुमति दी जायेगी, यह सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिये भविष्य में आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका दूसरा प्रश्न भी बहुत इम्पॉर्टेन्ट था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तर

प्रदेश में कुल 113 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनको हम डार्क जोन, दोहित और अतिदोहित कहते हैं, जिसमें से 59 क्रिटिकल हैं और 45 सेमी क्रिटिकल हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के यह जो क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल जोन हैं, उसमें से आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त जितने भी क्षेत्र हैं तो आपने कहा कि उसमें से कितने में ट्रीटमेण्ट प्लान्ट लगा हुआ है , मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में 20 आर्सेनिक जिले हैं। इन 20 जिलों में कुल 1444 बस्तियां हैं जिसमें से 1358 शुद्ध पेयजल से आच्छादित हैं। मान्यवर, इसमें दो तरीके की व्यवस्था है। एक व्यवस्था यह है कि हम गहरे ट्यूबवेल लगाते हैं, उनकी बोरिंग गहरी करते हैं दूसरा हम लोग आर्सेनिक रिमूवल यूनिट लगा करके ट्यूबवेल और हैण्डपाइप लगाते हैं। उसके तहत हम लोगों ने 947 क्षेत्रों में ए0आर0यू0 युक्त व्यवस्था आर्सेनिक क्षेत्रों में की है। मान्यवर, तीसरा फ्लोराइड है, हमारे 53 जिले फ्लोराइड युक्त हैं जिनमें 2386 बस्तियां हैं। उसमें से 1773 पेयजल से आच्छादित हैं और 203 एफ0आर0यू0 से आच्छादित हैं। 613 बस्तियां ऐसी हैं जिनमें हम गहरे ट्यूबवेल के साथ पानी दे रहे हैं। इसलिये इन सभी क्षेत्रों में बाकायदा शुद्ध पेयजल देने की व्यवस्था की जा रही है और स्पेशली रायबरेली में भी उसकी बाकायदा व्यवस्था की गई है। रायबरेली में हमारी कुल 88 बस्तियां ऐसी हैं जो प्रभावित हैं लेकिन रायबरेली फ्लोराइड से प्रभावित है, आर्सेनिक से प्रभावित नहीं हैं। जहां कहीं भी कोई क्षेत्र आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित हैं वहां पर व्यवस्था की गई है। इसलिये दूषित जल कहीं पर नहीं आ रहा है।

**श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने पिछले दो वित्तीय वर्षों में मनरेगा के तहत पूरे प्रदेश में जितने को खुदवाने का काम किया है तो क्या वे उन तालाबों की सूची सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र के विधायकों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे ताकि वे यह देख सकें कि तालाब सिर्फ कागज पर हैं या वास्तव में उनकी कोई सच्चाई है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य ने आपसे सूची के बारे में पूछा है तो क्या आप सूची उपलब्ध करायेंगे ? मा0 सदस्य ने यह कहा है कि जहां-जहां मनरेगा से तालाबों की खुदाई हो रही है, उसकी सूची दे दी जाये।

**श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-**

मान्यवर, प्रदेश के जिन भी गांवों में पिछले दो वित्तीय वर्षों में मनरेगा से तालाबों की खुदाई हुई है, उसकी सूची सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्रों के विधायकों को उपलब्ध कराई जाये ताकि वे भी अपने स्तर से दिखवा लें क्योंकि हो सकता है कि सरकारी अधिकारियों की निगाहों से देखने में और मा0 विधायकों के देखने में कोई अन्तर है। इससे सच्चाई भी सामने आ सकेगी। मा0 अध्यक्ष जी, एक बात और है कि जिस तरह से मा0 सदस्यों को आपका निर्देश

था कि वे सीधा सवाल करें तो उसी तरह आपका निर्देश मा0 मंत्री जी को भी होना चाहिये कि यदि सीधा उत्तर आये तो बहुत अच्छा होगा।

**श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पेयजल की इस समस्या पर प्रश्न करूंगा। अभी पेयजल की समस्या का जिक्र किया गया और सरकार से प्रश्न था कि क्या प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती पेयजल समस्या एवं भूमिगत जल की अशुद्धियों के कारण सरकार द्वार मीठे और अच्छे जल स्रोत वाले स्थल पर ट्यूबवेल तथा ओवरहेड वॉटर टैंक स्थापित कराकर पाइप्ड जलापूर्ति की कोई प्रदेश व्यापी कार्य योजना वर्तमान में लागू की गई है तो उत्तर आया कि जी हां। साथ ही दो वर्षों की एक सूची दी गई उसमें लगभग 1300 स्थानों पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, प्रदेश में कुल 01 लाख 08 हजार गांव हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शेष गांवों में इस पाइप्ड पेयजल योजना का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 मंत्री जी, मा0 ललई जी ने अभी एक प्रश्न सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में पूछा था तो आप इसके लिये जिलाधिकारियों को कह सकते हैं। अब मा0 वर्मा जी के प्रश्न का उत्तर आना है।

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं एक मिनट का प्रश्न है माननीय ललई जी ने जो कहा है मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। मान्यवर, आपको और इस सदन को यह बाताना बहुत जरूरी है कि आज से पांच साल पहले, तीन साल पहले 14 करोड़ मेनडेट उत्तर प्रदेश में जनरेट होता था। परफॉरमेन्स के आधार पर भारत सरकार मेनडेट जनरेट करने की अनुमति देती थी। साढ़े तीन हजार करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि साढ़े सात हजार करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि साढ़े सात हजार करोड़ रुपये हो गया और 25 करोड़ मेनडेट जनरेट हो गया। दूसरी बात यह है कि इनको मैं पूरी सूची उपलब्ध करा दूंगा और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि पूरी सूची के साथ-साथ हर तालाब पर इनको एक महीने के अन्दर बड़ा बोर्ड लगा मिलेगा कि यह तालाब कितने तारीख को, कितने रुपये में खोदा गया और कितने का कार्य हुआ यह भी आपको तालाब पर मिलेगा और तालाब के सम्बन्ध में सूची भी आपको उपलब्ध हो जायेगी।

**श्री अध्यक्ष-**

यह तो बहुत अच्छा है आप अपने क्षेत्र वाले तालाब पर जाकर देख लेना।

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा उत्तर अभी पूरा हो जाये। अभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ सदस्य का प्रश्न बाकी रह गया है। मान्यवर, एक और सबमीशन करना चाहता हूं कि जो मनरेगा भ्रष्टाचार के केन्द्र में परिवर्तित हो गया था वह आज की तारीख में विकास के केन्द्र में परिवर्तित हो चुका है। अब सी0बी0आई0 जांच नहीं हो रही और अब भ्रष्टाचार बन्द हो चुका है। अब माननीय लालजी वर्मा का प्रश्न है उन्होंने पूछा कि इस तरीके से हम कब तक पाइप्ड पेयजल जलापूर्ति उपलब्ध करायेंगे। मान्यवर, इसमें मैं एक फीगर देना चाहता हूं और वह बहुत जरूरी है कि वर्ष 2012-13 में 41 पाइप्ड पेयजल परियोजनायें शुरू की गईं, वर्ष 2013-14 में 115 परियोजनायें शुरू की गई, वर्ष 2014-15 में 1013 परियोजनाएं शुरू की गई, 2015-16 में 330 परियोजनायें शुरू की गईं और सरकार जाने से पहले 86 शुरू की गई कुल 1585 परियोजनायें शुरू की गई और इनको पूरा करने की जो तारीख थी वह वर्ष 2015-16 थी। मान्यवर, एक भी परियोजना इसमें से ये लोग पूरी नहीं कर पाये और ये चले गये और इनके जाने के बाद सारी परियोजना को पूरा करने का काम इन दो वर्षों में भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। ये पाइप पेयजल की योजनाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, अब दूसरी बड़ी बात है जो लालजी वर्मा जी ने पूछा है कि पूरे भारत के लिये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर घर को नल से जल देने का काम करेंगे, दूसरी बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के बारे में जोकि मैं जानकारी के लिये बाताना चाहता हूं कि 24 जनवरी, 1950 को उत्तर प्रदेश बना था और तब से लेकर आज तक बुन्देलखण्ड के लोगों ने कहा कि आप हमको कुछ दीजिये चाहे न दीजिये लेकिन पीने के लिये पानी दे दीजिये लेकिन पीने का पानी कोई नहीं दे पाया। पहली बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 9000 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृत ही नहीं किया बल्कि मान्यवर, उसका शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री ने कर दिया है और सितम्बर महीने से काम शुरू होने जा रहा है। पूरे बुन्देलखण्ड के एक-एक गांव, एक-एक घर, एक-एक बस्ती तक नल से जल देने जा रहे हैं। मान्यवर, इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में नल से जल देने की व्यवस्था लागू हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, एक-एक गांव, एक-एक मजरे, एक-एक टोले तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। मान्यवर, इसके अन्दर अगर काला चिट्ठा खोला जायेगा तो इनको बहुत कष्ट होगा। हम लोगों ने जो परियोजनायें शुरू की उसे समय से पूरा किया। मान्यवर, अभी लालजी वर्मा जी ने पूछा था कि कब तक पूरा करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि 2021 तक पूरे बुन्देलखण्ड को सेचुरेट करूंगा उसके बाद विन्ध्य क्षेत्र और सोनभद्र तथा बाकी जितने क्षेत्र हैं उनको सेचुरेट करूंगा, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों पर काम करूंगा जे0ई0 और ए0ई0एस0 प्रभावित क्षेत्रों पर काम करूंगा और जितने गुणता प्रभावित क्षेत्र हैं, एक-एक करके उनको क्रमशः पूरा करने का काम करूंगा।

**ग्राम विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं नेता विरोधी दल के मध्य तीखी नोक-झोंक**

**नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

माननीय मंत्री जी, उत्तर कम और भाषण बहुत दिये और भाषण देने की इनकी आदत भी है। हाउस में असत्य नहीं बोला जा सकता। बुन्देलखण्ड आदि जनपदों में जितने भी पोखरे और झील थीं। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में सबकी खुदाई हो चुकी थी और इतना पानी भी गया था कि दो साल तक कोई पानी की कमी हुई नहीं और यह कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। हुआ ये कि इनकी रग दुखने लगी कि सी0बी0आई0 जांच नहीं हो रही है जब सी0बी0आई0 जांच यहां आयेंगे तब न होगी। सी0बी0आई0 जांच जब आप यहां से आ जायेंगे तब होगी और उसमें निश्चित आप जेल जायेंगे।

(सदन में सभी सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इतने वरिष्ठ सदस्य को मेरी चुनौती है।

**श्री अध्यक्ष-**

नहीं कोई चुनौती नहीं, यह न कहिये।

(व्यवधान)

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

इनको मेरी चुनौती है इस सदन के माध्यम से, अगर इनके अन्दर दम है और यह अपने आप को सम्मानित सदस्य कहते हैं तो यह आपके और हमारे साथ चलें।

**श्री अध्यक्ष-**

नहीं, यह मत कहिये।

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, अगर इनके अन्दर दम है और यह अपने आप को सदस्य कहते हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

आप अपनी बात कहिये।

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड के मऊ और बरगढ़ की योजना जिसको पूरा करना था, अगर इनकी हैसियत है तो चल कर वहां देख लें।

**श्री अध्यक्ष-**

महेन्द्र सिंह जी, आप बैठ जाइये।

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

इनके जमाने में बुन्देलखण्ड में ट्रेन से पानी मंगाना पड़ता था। अब ट्रेन से पानी नहीं मंगाना पड़ता है पानी अपने आप लोगों को मिलता है।

**श्री अध्यक्ष-**

महेन्द्र जी, आप एक मिनट बैठ जाइये।

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

नेता प्रतिपक्ष अगर आपकी औकात है तो हमारे साथ चलिये और मैं आपको चुनौती देता हूं और दिखाता हूं कि योगी जी की सरकार ने कितना काम किया है।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

अध्यक्ष जी, मैं उनकी औकात को चुनौती देता हूं कि कितनी उनकी औकात है। जो ट्रेन आयी थी उसमें कहीं पानी नहीं था, सूखी ट्रेन आयी थी। मैं भी इनकी औकात को चुनौती देना चाहता हूं और आपकी सी0बी0आई0 जांच होगी और आप जेल में रहेंगे।

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

आप जेल में जायेंगे। आपकी औकात नहीं है।

**श्री अध्यक्ष-**

इसमें कोई चुनौती की आवश्यकता नहीं है।

(इसी मध्य विपक्ष के अनेक सदस्य वेल मे आ गये और नारेबाजी करने लगे, प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जिसके कारण घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी)

आप लोग अपने-अपने आसन पर जायं। महेन्द्र सिंह जी, आप भी बैठिये।

(घोर व्यवधान के मध्य, वेल से)

**श्री अजय कुमार लल्लू-**

अध्यक्ष जी, यह ठीक नहीं है, यह मैदान नहीं है। यह वाद-प्रतिवाद की जगह है और इसकी मर्यादा को तोड़ा गया है। सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक सरकार माफी नहीं मांगेगी तब तक सदन नहीं चलेगा।

(वेल में उपस्थित सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष-**

अब आप लोग अपनी सीट पर चलिये।

(वेल में उपस्थित सदस्यों द्वारा नारेबाजी जारी रहने पर)

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 23 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 38 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 20 मिनट के लिये बढ़ा दिया है।)

(11 बजकर 58 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक बढ़ा दिया है।)

**प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों के सम्बन्ध में**

***02-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

जी हां।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (सेक) डाटा-2011 के आधार पर तैयार की स्थाई पात्रता सूची में 16.45 लाख लाभार्थी चिन्हित किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

**नत्थी (ग)**

**तारांकित प्रश्न**

**प्रदेश के आवास विहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में**

***1-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जिन ग्राम-सभाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के आवास विहीन लोगों से ग्राम-सभा संतृप्त हो चुकी है, उन ग्राम-सभाओं के आवास विहीन पात्र चिन्हित अन्य श्रेणी के लोगों को आवास दिलाये जाने हेतु आवासों की संख्या बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत प्रदेश की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवास विहीन परिवारों को आवासीय सुविधा से संतृप्त किया जा चुका है, उन ग्राम-पंचायतों में अन्य श्रेणी के चिन्हित आवास विहीन पात्र परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

---

नोट :-नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-01 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

**पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुये उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में**

***2-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पी0सी0एस0 एवं अन्य परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा हेतु पश्चिमी उ0प्र0 में एक परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-**

जी नहीं।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा पी0सी0एस0 एवं अन्य चयनों की मुख्य परीक्षा अपने परीक्षा भवनों में करायी जाती है एवं कार्मिक प्रबन्धन भी सुदृढ़ बना रहता है। आयोग के परीक्षा भवन मात्र प्रयागराज एवं लखनऊ में स्थित हैं।

**प्रदेश के समस्त आवास विहीन पात्रों को निश्चित अवधि तक आवास उपलब्ध कराने विषयक जानकारी**

***3-श्री मो0 फईम इरफान तथा श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2011 की सूची में शामिल होने से वर्तमान में वंचित पात्र आवासहीन व्यक्तियों को निश्चित समय अवधि में किसी आवास योजना का लाभ दिए जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना में लाभान्वित होने वाले पात्रों की जिलेवार संख्या क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

जी हाँ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कराने के पश्चात् ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त अंतिम रूप के पात्र व्यक्तियों की स्थायी पात्रता सूची बनाकर आवास से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है।

मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सर्वेक्षित पात्र परिवारों की जनपदवार संख्या संलग्न[†] है।

उपरोक्तानुसार।

***4-हाजी इरफान सोलंकी-**

[03 मंगलवार हेतु स्थगित]

---

[†]देखिये नत्थी 'ख' का उत्तर आगे पृष्ठ संख्या .....पर।

**प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को उनके मांग के अनुरूप मानदेय, भत्ता एवं अन्य सुविधाएं बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में**

***5-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को कितना मानदेय एवं अन्य सुविधाएं वर्तमान में अनुमन्य हैं ? क्या सरकार प्रदेश में मातृ-शिशु कल्याण योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं का मानदेय, भत्ता एवं अन्य सुविधाएं बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**बाल विकास एवं पुष्टाहार मन्त्री (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-**

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्रमशः रु0 4500.00, 3500.00 एवं रु0 2250.00 प्रतिमाह मानदेय, प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः रु0 1000.00, रु0 750.00 एवं रु0 500.00 अतिरिक्त मानदेय, इसके अतिरिक्त कामन एप्लीकेशन साफ्टवेयर के सतत् उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु रु0 500.00, रु0 500.00 एवं रु0 250.00 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। कतिपय निर्धारित शर्ते पूर्ण करने पर क्रमशः रु0 1500.00, रु0 1250.00 एवं रु0 750.00 प्रतिमाह परफार्मेंस लिंक्ड इन्सेन्टिव दिया जा रहा है।

जी नहीं, वर्तमान में मानदेय, भत्ता एवं अन्य सुविधायें बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में उद्योग एवं कारखानों द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिये उत्पादित कैप्टिव ऊर्जा के सम्बन्ध में**

***6-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के माध्यम से उद्योग एवं कारखानों द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए यानी कैप्टिव ऊर्जा उत्पादित की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार के उक्त ऊर्जा के लिये नेट मीटरिंग की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मन्त्री (श्री ब्रजेश पाठक)-**

जी हाँ।

सौर ऊर्जा के माध्यम से उद्योग एवं कारखानों द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट की स्थापना कराकर कैप्टिव ऊर्जा उत्पादित की जा रही है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निर्गत रूफटॉप सोलर पीवी रेग्यूलेशन के अनुसार नेट मीटरिंग योजना केवल घरेलू (एलएमवी 1) एवं कृषि (एलएमवी 5) उपभोक्ताओं के लिए ही अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के प्रत्येक थानों में सी0सी0टी0वी0 लगाने एवं जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु**

***7-श्री मनीष असीजा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक थाने में सी0सी0टी0वी0 लगाने एवं इनको जिला मुख्यालय एस0एस0पी0 आफिस/कमांड सेन्टर से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हाँ।

दिनांक 06-06-2019 को निर्गत कार्यादेश के क्रम में क्रय अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) के अनुसार 30 सप्ताह अर्थात् दिनांक 01-01-2020 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

***8-श्री सुखदेव राजभर-**

[बहुत ब्योरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

**प्रदेश में सोलर ऊर्जा संयंत्रों पर राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत सब्सिडी व्यवस्था कराने की मांग**

***9-श्री संजय गर्ग-**

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती ऊर्जा की मांग के दृष्टिगत और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सोलर ऊर्जा संयन्त्रों पर केन्द्र सरकार के अलावा क्या राज्य सरकार भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 प्रतिशत सब्सिडी की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री ब्रजेश पाठक-**

सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति, 2017 प्रख्यापित की गयी है।

केन्द्र सरकार द्वारा सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु सत्र 2018-19 तक 30 प्रतिशत का केन्द्रीय अनुदान अनुमन्य किया गया, इसके उपरान्त वर्ष 2019-20 में 03 कि0 वाट तक के लिए 40 प्रतिशत अनुदान एवं 03 कि0 वाट से अधिकतम 10 कि0 वाट तक, 20 प्रतिशत अनुदान प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अनुदान के अतिरिक्त घरेलू उपभोक्ताओं को रु0 15,000/- प्रति कि0 वाट अधिकतम रु0 30,000/-प्रति उपभोक्ता राज्यानुदान दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश के सभी विद्यालयों में एन0सी0ई0आर0टी0 की पुस्तकों को अनिवार्य रूप से लागू किये जाने विषयक जानकारी

***10-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मंहगी पाठ्य पुस्तकों से निजात दिलाने हेतु एन0सी0ई0आर0टी0 से मान्यता प्राप्त पुस्तकों को ही प्रदेश के सभी विद्यालयों के लिये अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में सरकार शामिल करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप मुख्य मंत्री (डॉ0 दिनेश शर्मा)-**

जी हाँ।

शैक्षिक सत्र 2018-19 से लागू।

प्रश्न ही नहीं उठता।

## प्रदेश में मार्च, 2017 से मार्च, 2019 तक निर्माण कराये गये गौशालाओं के निर्माण के संबंध में

***11-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 मार्च, 2017 से 31 मार्च, 2019 तक कुल कितने नये गौशालाओं का निर्माण जनपद स्तर पर किया गया है तथा कितने प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त निर्मित गौशालाओं में पशुओं की नियमानुसार कितनी क्षमता निर्धारित है तथा प्रत्येक पशु को कितने किलोग्राम चारे का प्रबन्धन किस रूप में किया जाता है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**पशुधन मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)-**

जी नहीं।

सरकार द्वारा गौशालाओं का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। अपितु मार्च, 2019 तक पशुधन विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में रु0 120 लाख की दर से प्रत्येक जनपद में एक-एक गौवंश वन्य विहार की स्थापना का कार्य गतिमान है तथा प्रदेश के शेष 68 जनपदों में रु0 120 लाख की दर से एक-एक वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र की स्थापना का कार्य गतिमान है।

01 अप्रैल 2019 के उपरान्त बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में एक-एक गोवंश वन्य विहार तथा प्रदेश के शेष 68 जनपदों में एक-एक वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है। प्रदेश के समस्त जनपरों के जिलाधिकारियों को रु0 120 लाख प्रति विहार/केन्द्र हेतु धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

प्रत्येक गोवंश वन्य विहार एवं वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र में 300 से 400 गोवंश संरक्षित किये जाने की क्षमता है। संरक्षित गोवंश के भरण-पौषण हेतु रु0 30/- प्रतिदिन प्रति पशु की दर से धनराशि की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर सहित अन्य शैक्षणिक पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा की विषयक जानकारी

***12-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में वर्तमान में प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर सहित अन्य शैक्षणिक पदों पर अन्य पिछड़े वर्गों का कोटा पूर्ण है ? यदि हां, तो इन शैक्षणिक पदों की कुल संख्या कितनी है, कितने पद भरे हैं और इन भरे पदों में अन्य पिछड़े वर्ग के कितने लोग कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 दिनेश शर्मा-**

जी नहीं।

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में कुल शैक्षणिक पदों की संख्या-2116 है। इनके सापेक्ष भरे पदों की संख्या-1162 है। भरे पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के 237 लोग कार्यरत हैं।

इनका विश्वविद्यालयवार विवरण संलग्न है।†

## प्रदेश के सभी राजकीय, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में गैस कनेक्शन देने हेतु

***13-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी राजकीय, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन हेतु स्कूलों में गैस कनेक्शन देने की योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जी हाँ।

प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुल 168768 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें से 155747 विद्यालयों में गैस कनेक्शन उपलब्ध हैं। 8252 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शासनादेश दिनांक 15-11-2010 द्वारा योजना से सम्बन्धित आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि की

---

† देखिये नत्थी 'ग' का उत्तर आगे पृष्ठ संख्या 232-234 पर।

व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जानी है। शेष 4769 विद्यालयों में गैस कनेक्शन क्रय किए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रदेश में किसान दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाने के सम्बन्ध में**

***14-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को देखते हुए किसान दुर्घटना बीमा की वर्तमान धनराशि पांच लाख रुपये को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों (खतौनी में दर्ज ऐसे खातेदार एवं सहखातेदार) तथा प्रदेश के निवासी जिनकी पारिवारिक आय रु0 75000/- प्रति वर्ष से कम है, चाहे वे किसी भी व्यवसाय/कार्य में लिप्त हों तथा योजना की अवधि में 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य हैं, ऐसे मुखिया/रोटी अर्जक दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांग होने की दशा में अधिकतम रुपये 5.00 लाख की धनराशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक एवं उनके परिवार के समस्त सदस्य दुर्घटना उपरान्त उपचार हेतु योजना के अन्तर्गत पात्र हैं।

उक्त धनराशि बढ़ाये जाने का प्रकरण विवाराधीन नहीं है।

**प्रदेश में कार्यरत आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों की पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में**

***15-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा पिछली बार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की पदोन्नति कब की गयी थी ? क्या सरकार उनकी पदोन्नति पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका के कुल 6643 पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में 3088 पद रिक्त हैं।

विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के कुल 188259 पद स्वीकृत हैं तथा पिछली बार वर्ष 2014 में आंगनबाड़ी कार्यकत्री से मुख्य सेविका के पद पर प्रोन्निति की कार्यवाही की गयी थी।

जी हाँ। प्रोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में 100 प्रतिशत शिक्षा दर प्राप्त करने के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

***16-श्री नफीस अहमद-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शत प्रतिशत शिक्षा दर प्राप्त करने के लिए 12वीं कक्षा तक के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

**डॉ0 दिनेश शर्मा-**

प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले कक्षा-1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है तथा कक्षा-9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं से शिक्षण शुल्क नहीं लिये जाने की व्यवस्था पूर्व से विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में गौवंश पशुओं को उ0प्र0 पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा गौशाला में डालने के संबंध में

***17-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज तथा श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गौवंश पशुओं को उ0प्र0 पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा गौशाला में रखने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गौवंश पशुओं को गौशाला में रखने का कार्य उ0प्र0 पुलिस द्वारा न कराकर प्रदेश की किसी जिम्मेदार संस्था से कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-**

जी हां।

उ0प्र0 गौशाला अधिनियम, 1964 के तहत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा संचालित पंजीकृत गौशालाओं में पुलिस प्रशासन के सुपुर्दगी में एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त निराश्रित/बेसहारा गोवंश रखे जाने का प्राविधान है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अपट्रान इण्डिया लिमिटेड से सेवानिवृत्ति प्राप्त कर्मचारियों के बकाया दिलाने के संबंध में

***18-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व प्राप्त संस्था अपट्रान इण्डिया लिमिटेड से विगत 18 वर्षों से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त लगभग

1350 कर्मचारियों के बकाया देयकों वेतन, पी0एफ0 आदि का भुगतान ''अपट्रान पुनर्वासन योजना'' के अन्तर्गत 31 मार्च, 2001 या उससे पूर्व किये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त वी0आर0एस0 प्राप्त कर्मचारियों को उनके समस्त बकाया देयकों की धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण है ? क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त देयकों का भुगतान कर्मचारियों को करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 दिनेश शर्मा-**

जी नहीं।

जी हां।

अपट्रान वी0आर0एस0 प्राप्त कर्मचारियों के बकाया देयकों का भुगतान कम्पनी में धनाभाव के कारण नहीं किया जा सका है। अपट्रान परिसमापन में है। अतः संबंधित कर्मियों द्वारा देयकों के भुगतान के लिये कार्यालय समापक के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जाना होगा। भुगतान न होने का कारण धनाभाव था, इसके विलम्ब के लिये कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है। कार्यालय समापक द्वारा कम्पनी के समापन की कार्यवाही प्रचलित है। अपेक्षित कार्यवाही कार्यालय समापक स्तर से ही की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश एवं जनपद मेरठ में हीमोफीलिया बीमारी के संबंध में**

***19-श्री धीरेन्द्र सिंह -**

क्या चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जनपदों में हिमोफीलिया बीमारी के इलाज की व्यवस्था की गई है ? क्या सरकार मेरठ मण्डल के जनपदों में भी इसके इलाज की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

**चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'')-**

हीमोफीलिया बीमारी के सुचारु उपचार हेतु प्रदेश के 26 जनपदों में हीमोफीलिया उपचार केन्द्र की स्थापना की गयी है।

मेरठ मण्डल के 03 जनपदों-गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं मेरठ में हीमोफीलिया उपचार केन्द्र पहले से ही स्थापित है। यहां हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों का प्रभावी रूप से समुचित उपचार किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

# अतारांकित प्रश्न

**प्रश्नकर्ता के पत्रांक-221/ए0डी0एस0/2018, दिनांक 30.11.2018 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में**

**1-श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक-221/ए0डी0एस0/2018, दिनांक 30.11.2018 जोकि जनपद लखनऊ में ठाकुरद्वारा (हनुमान मन्दिर) सी0पी0एच0 कालोनी रेलवे पावर हाऊस चौराहा आलमबाग में स्थित आराजी नं0 370 हनुमान मन्दिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने विषयक हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मैनपुरी में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कार्रवाई करने विषयक जानकारी**

**2-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक शिकायती पत्र दिनांक 09-08-2018 व 20-08-2018 के सम्बन्ध में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) आगरा मण्डल द्वारा पत्रांक लेखा/326/27/2003/04, दिनांक 03-08-2003 के अनुसार यथोचित कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र दिनांक 9/20-08-2018 के सम्बन्ध में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) आगरा मण्डल द्वारा पत्रांक लेखा/326/27/2003/04, दिनांक 03-08-2003 के द्वारा आख्या भेजना/कार्रवाई किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। सम्प्रति शिकायती-पत्र की तिथि एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) आगरा मण्डल के पत्र की तिथि गलत अंकित हो गयी।

उप शिक्षा निदेशक (सेवा-2) शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 30-08-2003 के माध्यम से मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) आगरा मण्डल की जांच आख्या अ0शा0प0-लेखा/326/27/2003/04, दिनांक 23-08-2003 के द्वारा शासन को दिनांक

02-09-2003 को उपलब्ध करायी गयी है। उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नवत् कार्रवाई की गयी :-

1-प्रकरण के अन्तर्ग्रस्त अन्य विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उनके नियुक्ति प्राधिकारी को कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया था।

2-बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित उप बेसिक शिक्षा अधिकारी व लिपिकों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु शिक्षा निदेशक बेसिक को निर्देशित कर दिया गया था।

3-प्रकरण के अन्तर्ग्रस्त श्री गुरूशरण सिंह निरंजन तत्कालीन जिला बेसिक अधिकारी मैनपुरी के विरुद्ध शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 20-09-2005 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित की गयी थी। जांचोपरान्त आरोपों के प्रमाणित नहीं होने की दशा में अनुशासनिक कार्रवाई शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 16-06-2006 द्वारा समाप्त कर दी गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आजमगढ़ के जिला पंचायत तहबाजारी की नीलामी वर्ष 2011-12 में अहरौला में प्राप्त टेन्डरों की अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में**

**3-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के जिला पंचायत आजमगढ़ तहबाजारी की नीलामी वर्ष 2011-12 में बाजार माहुल, विकास खण्ड अहरौला में प्राप्त टेन्डरों के अनियमितता की जांच वित्तीय परामर्शदाता के पत्रांक-मेमो, दिनांक 16-03-2011 द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत-आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच आख्या में दोषी पाये गये दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि जांच में दोषी पाये जाने के बाद भी कर्मचारी को निर्माण टेण्डर/भवन नक्शा पास का कार्य दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

**पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह)-**

जी हां।

तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता की जांच आख्या के आधार पर प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री प्रदीप सिंह, द्वितीय श्रेणी लिपिक को अध्यक्ष, जिला पंचायत, आजमगढ़ के आदेश के क्रम में दिनांक 30-04-2011 को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

अपचारी कार्मिक द्वारा आरोप-पत्र के दिये गये उत्तर एवं प्रकरण की जांचोपरान्त जांच अधिकारी द्वारा अपचारी कार्मिक को दोष मुक्त बताये जाने के फलस्वरूप श्री प्रदीप सिंह,

द्वितीय श्रेणी लिपिक को सेवा में बहाल करते हुए कार्यालय की आवश्यकतानुसार पूर्व पटल का कार्य दे दिया गया है।

उपरोक्तानुसार

**जनपद गाजीपुर में तालाबों/पोखरों व कुओं के पुनर्निर्माण व जल संचयन करने हेतु कोई कार्य योजना विषयक जानकारी**

**4-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तालाबों/पोखरों व कुओं में जल संचयन करने हेतु उनके पुनर्निर्माण में कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

जी हाँ।

मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद गाजीपुर के 16 विकास खण्डों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में 381 तालाबों/पोखरों की खुदाई/जीर्णोद्धार एवं 19 कुंओं का जीर्णोद्धार/मरम्मत कर जल संचयन की योजना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गाजीपुर में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अप्रैल, 2014 से मार्च, 2019 तक विभिन्न मदों में व्यय धन के सम्बन्ध में**

**5-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अप्रैल, 2014 से मार्च, 2019 तक किन-किन मदों में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई तथा किन-किन मदों में उक्त धनराशि व्यय कर कितने शौचालयों का निर्माण हुआ ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त जनपद में कतिपय ग्राम पंचायतों में शौचालय नहीं बने हैं, वहाँ पर एम0आई0एस0 फीडिंग करके ओ0डी0एफ0 घोषित कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जाँच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जनपद गाजीपुर में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु वर्ष 2014 से 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन से कुल धनराशि रु0 3727143355/- (रु0 तीन सौ बहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख तैंतालिस हजार तीन सौ पचपन मात्र) एवं ई0बी0आर0 से धनराशि रु0 841900000/-(रु0 चौरासी करोड़ उन्नीस लाख मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रु0 4569043355/- (रु0 चार सौ छप्पन करोड़ नब्बे लाख तैतालिस हजार तीन सौ पचपन मात्र) प्राप्त हुआ, जिससे जनपद के समस्त विकास खण्डों की समस्त ग्राम पंचायतों में अब तक बेसलाइन सर्वे-2012 के अन्तर्गत चयनित कुल-350894 एवं एल0ओ0बी0

के अन्तर्गत चयनित कुल-29859 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। शेष बेसलाइन से छूटे हुए पात्र लाभार्थियों (एल0ओ0बी0) के शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है।

जनपद में बेसलाईन सर्वे-2012 के पात्र लाभार्थियों हेतु शौचालय का निर्माण कराया गया है। अवशेष छूटे हुए लाभार्थी, जिनका शौचालय निर्माण नहीं हुआ है, का एल0ओ0बी0 के अन्तर्गत फीडिंग कराकर शौचालय निर्माण कराया जा रहा है। जनपद में सभी गांवों को बेसलाईन सर्वे-2012 के निर्धारित लक्ष्यानुसार ओ0डी0एफ0 घोषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जिलाधिकारी उ0प्र0 मुजफ्फरनगर बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में**

**6-श्री सूर्यभान सिंह-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा तत्कालीन बेसिक शिक्षाधिकारी के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों की जांच अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता गठित समिति की जांचोपरान्त समिति की ओर से परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर को प्रेषित जांच आख्या पत्रांक-1199 लेखाकार डी0 आर0 16-16, दिनांक 07-09-2016 को प्रेषित की है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जाँच आख्या कृत कार्रवाही को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हाँ।

प्राप्त जाँच आख्या के परीक्षणोपरान्त अनियमितताओं हेतु दोषी श्री कौस्तुभ कुमार सिंह तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर को शासन के आदेश दिनांक 11 मार्च, 2019 द्वारा निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है। श्री कौस्तुभ कुमार सिंह द्वारा उक्त निलम्बन आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में रिट याचिका दाखिल की गयी थी उक्त रिट याचिका में पारित निर्णय दिनांक 02-04-2019 द्वारा उन्हें निलम्बन के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त हो गया है। श्री कौस्तुभ कुमार सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक जाँच कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सुल्तानपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 04-09-18 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में**

**7-श्री सूर्यभान सिंह-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 आबकारी एवं प्रभारी मंत्री सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 04-09-18 के पत्र जिसमें जनपद सुल्तानपुर के बेसिक

शिक्षाधिकारी के विरुद्ध गम्भीर आरोपों सहित पत्रांक, 690/वी0आई0पी0/आ0म0/2018, दिनांक 04-09-2018 का पत्र अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को प्रेषित शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हाँ।

मा0 मंत्री आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग के पत्र दिनांक 04-09-2018 एवं तत्संलग्न श्री सूर्यभान सिंह, मा0 विधायक, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक 04-09-2018 द्वारा श्री कौस्तुभ कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर एवं जनपद सुल्तानपुर में की गयी गम्भीर अनियमितताओं की जाँच कराने एवं उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने की अपेक्षा की गयी थी।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि श्री कौस्तुभ कुमार सिंह तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध शिकायतों की जाँच के उपरान्त प्राप्त जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त अनियमितताओं हेतु दोषी श्री कौस्तुभ कुमार सिंह को शासन के आदेश दिनांक 11 मार्च, 2019 द्वारा निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है। श्री कौस्तुभ कुमार सिंह द्वारा उक्त निलम्बन आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में रिट याचिका दाखिल की गयी थी उक्त रिट याचिका में पारित निर्णय दिनांक 02-04-2019 द्वारा उन्हें निलम्बन के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त हो गया है। श्री कौस्तुभ कुमार सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक जांच कार्यवाही गतिमान है।

श्री कौस्तुभ कुमार सिंह, तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायतों की जाँच अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग से करायी गयी। तत्क्रम में प्रस्तुत जाँच आख्या दिनांक 10-09-2018 अपूर्ण पाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी, सुल्तानपुर से विस्तृत जाँच कराये जाने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या दिनांक 22-12-2018 सरसरी/सतही पाये जाने के कारण सम्यक् विचारोपरान्त शिकायतों की जाँच हेतु शासन के आदेश दिनांक 04-02-2019 द्वारा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ व अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ की दो सदस्यीय जाँच समिति गठित कर जाँच कराये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुपालन में जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम जाँच आख्या दिनांक 05-04-2019 के क्रम में श्री कौस्तुभ कुमार सिंह को शासन के आदेश दिनांक 25-06-2019 द्वारा निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित की गयी है तथा श्री कौस्तुभ कुमार सिंह के विरुद्ध ई0ओ0डब्लू0 जाँच की कार्रवाई एवं एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हरदोई के हूलासपुर में कोतवाली बेनीगंज में चौकी इन्चार्ज की तैनाती के सम्बन्ध में**

**8-श्री राजकुमार अग्रवाल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोतवाली बेनीगंज, जनपद हरदोई के हूलासपुर में चौकी का निर्माण कब हुआ तथा किसे चौकी इन्चार्ज तैनात किया गया था? क्या वर्तमान में उक्त चौकी पर कोई चौकी इन्चार्ज तैनात है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त चौकी पर चौकी इन्चार्ज की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र के हूलासपुर में स्थाई चौकी स्थापित नहीं है, हूलासपुर में पुलिस सहायता केन्द्र स्थापित है, जिस पर प्रत्येक दिन शिफ्टवार दो आरक्षियों की पिकेट लगायी जाती है। हूलासपुर में चौकी न होने के कारण वहां कोई उप निरीक्षक नियुक्त नहीं है।

**जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली में लेखपालों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में**

**9-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली में लम्बे अरसे से तैनात लेखपालों के स्थानान्तरण की कोई नीति सरकार ने बनायी है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हाँ।

स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आने वाले तहसील सिधौली, जनपद सीतापुर के लेखपालों का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सीतापुर की वि0स0 क्षेत्र सिधौली में आवारा पशुओं हेतु गौशाला निर्माण कराने के सम्बन्ध में**

**10-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सिधौली में आवारा विचरण कर रही गायों को रखने के लिए गौशाला बनाने की कोई योजना चल रही है ? यदि हाँ, तो उक्त को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-**

जी नहीं, किन्तु जनपद, सीतापुर में रु0 120-120 लाख प्रति केन्द्र की दर से दो वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने की योजना है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिलाधिकारी, सीतापुर को आवंटित रु0 120 लाख से वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित रु0 120 लाख से एक अन्य वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**11-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-**

[बुधवार के अता0 प्र0 सं0-177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद आगरा की तहसील किरावली में सितम्बर-अक्टूबर, 2018 के मध्य प्राकृतिक आपदा से हुये नुकसान का मेरे द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 20-11-2018 पर कार्रवाई हेतु**

**12-चौ0 उदयभान सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर-अक्टूबर, 2018 के मध्य प्राकृतिक आपदा-ओलावृष्टि से किसानों की हुई फसल बर्बादी का मुआवजा दिलाये जाने हेतु निवर्तमान उप जिलाधिकारी श्रीमती गरिमा सिंह किरावली द्वारा किन-किन मानकों के आधार पर मुआवजे का वितरण किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 20-11-2018 को आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

जनपद आगरा की तहसील किरावली में माह सितम्बर-अक्टूबर, 2018 में कोई ओलावृष्टि नहीं हुई थी अपितु दिनांक 11-04-2018 एवं 02-05-2018 को तेज आंधी/वर्षा/ओलावृष्टि हुई थी। उक्त आपदाओं से प्रभावित 78,416 कृषकों को राहत वितरण हेतु रु0 32,96,90,952/- की धनराशि स्वीकृत की गयी। तहसील किरावली में उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात श्री अजीत सिंह के कार्यकाल (11-04-2018 से 17-05-2018 तक) में कोई धनराशि वितरित नहीं हुई। श्रीमती विनीता सिंह, उप जिलाधिकारी के कार्यकाल (18-05-2018 से 24-06-2018 तक) में कुल 2623 कृषकों को रु0 1,66,50,666/- की धनराशि वितरित की गयी। इनके बाद उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात श्रीमती गरिमा सिंह के कार्यकाल (25-06-2018 से 25-02-2019 तक) में 54538 कृषकों को रु0 30,60,66,995/- की धनराशि वितरित की गयी। पीड़ित कृषकों को राहत का वितरण प्रति हेक्टेयर निर्धारित मानक रु0 13,500/- की दर से अधिकतम रु0 27,000/- व न्यूनतम रु0 1,000/-ट्रेजरी के माध्यम से सीधे कृषकों के खाते में नेफ्ट के द्वारा ई-पेमेंट किया गया। दिनांक 31-03-2019 तक 56118 कृषकों को रु0 31,27,46,665/- की धनराशि वितरित की गयी। अवशेष 3295 कृषकों के खाते बंद होने व खाता संख्या गलत अंकित होने के कारण वितरण न होने के फलस्वरूप रु0 57,93,737/- की धनराशि समर्पित कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद आगरा की तहसील किरावली में निर्माणाधीन कार्यालय के व्ययभार की धनराशि के संबंध में

**13-चौ0 उदयभान सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील किरावली के परिसर में उप जिलाधिकारी कार्यालय जो कुछ वर्ष पहले ही बना था और आवश्यकतानुसार ठीक व मजबूत था, को तोड़कर निवर्तमान उप जिलाधिकारी, किरावली द्वारा बड़ा व आलीशान कार्यालय का निर्माण कराया गया था ? यदि हाँ, तो निर्माणाधीन कार्यालय के व्ययभार की धनराशि किस मद से स्वीकृत की गयी तथा किन-किन तिथियों में धनराशि अवमुक्त की गयी ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद आगरा की तहसील किरावली परिसर स्थित उप जिलाधिकारी, किरावली कार्यालय 30 वर्ष पूर्व बना था जिसकी दीवालों पर सीलन आ रही थी एवं अधिकांश जगह से छत लिन्टर भी गिर गया था। उक्त कार्यालय अत्यन्त जर्जर अवस्था में था तथा आगन्तुकों एवं जनप्रतिनिधियों के आगमन पर पर्याप्त स्थान न होने के कारण विस्तारित कराया जाना आवश्यक था।

उक्त कार्य के लिए जिलाधिकारी, आगरा द्वारा राइफल क्लब से कुल धनराशि रु0 5,00,000-00 (रुपये पांच लाख) स्वीकृत किया गया। उक्त धनराशि से उप जिलाधिकारी कार्यालय की मरम्मत एवं विस्तारीकरण का कार्य कराया गया, जिस पर धनराशि रु0 4,27,851 का व्यय हुआ। उक्त धनराशि का दिनांकवार व्यय विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0-सं0 | दिनांक | फर्म का नाम | चेक संख्या | धनराशि (रु0 में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.01.2019 | मे0 रामबाबू जगन्नाथ प्रसाद हार्डवेयर किरावली | 862839 | 66,322.00 |
| 2 | 11.01.2019 | मे0 लक्ष्मन प्रसाद राकेश कुमार त्रिपाठी | 862640 | 37,252.00 |
| 3 | 11.01.2019 | प्रवेश कुमार हार्डवेयर किरावली | 862641 | 40,392.00 |
| 4 | 11.01.2019 | शानू फान आगरा | 862643 | 27,450.00 |
| 5 | 28.01.2019 | मु0 अयूब ठेकेदार | 862646 | 98,560.00 |
| 6 | 28.01.2019 | मु0 अयूब ठेकेदार | 862647 | 98,739.00 |
| 7 | 30.01.2019 | मु0 अयूब ठेकेदार | 862649 | 59,136.00 |
| | | | **योग-** | **4,27,851.00** |

## जनपद आगरा की तहसील किरावली में कृषि योग्य जमीन की पत्रावलियाँ स्वीकृत करने के संबंध में

**14-चौ0 उदयभान सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील किरावली के निवर्तमान उप जिलाधिकारी श्रीमती गरिमा सिंह के कालखण्ड में कृषि योग्य जमीन को कितनी संख्या में 143 की अनुज्ञा दिये जाने की पत्रावलियाँ स्वीकृत की गयी हैं ? क्या सरकार उक्त धारा-143 की अनुज्ञा करने का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद आगरा की तहसील किरावली की निवर्तमान उप जिलाधिकारी श्रीमती गरिमा सिंह के कालखण्ड में कृषि योग्य जमीन को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-80 के अन्तर्गत वर्ष 2018 में 15 तथा वर्ष 2019 में 13 अर्थात् कुल 28 प्रकरणों में अनुज्ञा दिये जाने की पत्रावलियाँ स्वीकृत की गयी हैं।

जी हाँ। सूची संलग्न है[†]।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद मैनपुरी के ग्राम सभा निटावली में वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में अवैध हुये पट्टों को निरस्त कराने विषयक जानकारी

**15-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा निटावली, विकास खण्ड बरनाहल, तहसील करहल, जिला मैनपुरी में वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 के दौरान तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा गलत तरीके से बिना औपचारिकता पूर्ण किये बड़े पैमाने पर पट्टों द्वारा भूमि आवंटित की गयी थी। क्षेत्रीय निवासियों की शिकायत पर जिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा जाँचोपरान्त जुलाई, 2013 में कुछ पट्टों को निरस्त कर दिया गया था ? यदि हाँ, कब तक शेष पट्टों के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

ग्राम सभा निटावली, विकास खण्ड बरनाहल, तहसील करहल में भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक दिनांक 23-09-2007 तथा दिनांक 19-09-2008 कृषि भूमि आवंटित की गयी। वर्ष 2009 में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा कोई कृषि आवंटन प्रस्तावित नहीं किया गया।

भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक दिनांक 23-09-2007 तथा दिनांक 19-09-2008 में हुए पट्टे निरस्त किये जाने विषयक कोई आदेश वर्ष 2013 में नहीं हुआ।

---

† देखिये नत्थी 'घ' का उत्तर आगे पृष्ठ संख्या 235-236 पर।

न्यायालय अपर कलेक्टर, मैनपुरी द्वारा वाद सं0-568 वर्ष 2012-13 कम्प्यूटरीकृत वाद सं0-डी 201314900411 सरकार बनाम नीरज कुमार आदि में दिनांक 28-09-2018 को आदेश पारित के द्वारा बैठक दिनांक 23-09-2007 में किये गये कुल 05 व्यक्तियों के पट्टे निरस्त किये जा चुके हैं।

उप जिलाधिकारी द्वारा जांचोपरान्त प्रेषित आख्या के आधार पर बैठक दिनांक 23-09-2007 तथा दिनांक 19-09-2008 में हुए आवंटन में अपात्र पाये गये आवंटियों के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पट्टा निरस्तीकरण के वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के के0जी0एम0यू0 और अन्य बड़े सरकारी व प्राइवेट मेडिकल कालेजों में माह मार्च 2017 से जुलाई, 2018 तक रैगिंग की घटनाओं के संबंध में**

**16-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में के0जी0एम0यू0 और अन्य बड़े सरकारी व प्राइवेट मेडिकल कालेजों में माह मार्च, 2017 से जुलाई, 2018 तक रैगिंग की कुल कितनी घटनायें पंजीकृत हुई हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त घटनाओं में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री आशुतोष टंडन "गोपाल जी"-**

प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में मार्च, 2017 से जुलाई, 2018 के मध्य रैगिंग संबंधी कोई भी घटना पंजीकृत नहीं हुई है।

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजो/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में मार्च, 2017 से जुलाई, 2018 के मध्य रैगिंग संबंधी 41 घटनायें पंजीकृत हुई हैं।

प्रधानाचार्य/कुल सचिव स्तर से कठोर कार्रवाई/आर्थिक दण्ड आदि की कार्रवाई की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापकों जिनके सम्बन्धी या स्वयं वे गम्भीर बीमारी एवं विकलांगता से पीड़ित है, उनके मनमाफिक जनपदों में तैनाती के संबंध में**

**17-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहायक अध्यापक जिनके सम्बन्धी या स्वयं वे गम्भीर बीमारी से पीड़ित अथवा विकलांग हैं, को विशेष परिस्थिति में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण नीति से मुक्त करते हुए मनमाफिक जनपदों में तैनात करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के संबंध में कोई नीति जारी नहीं की गयी है।

उक्तवत्।

## जनपद मथुरा के मांट वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा निर्मित सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के संबंध में

**18-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के मांट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा निर्मित क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त सड़कों को चिन्हित कर सरकार गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी हाँ।

जिला पंचायत, मथुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधान सभा क्षेत्र मांट के अन्तर्गत 06 सड़कों को गड्ढामुक्त कराये जाने हेतु दिनांक 16-02-2019 द्वारा निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद आगरा की तहसील किरावली के कालखण्ड में विभिन्न राजस्व गाँव में विभिन्न लोगों के स्वीकृत पट्टों के संबंध में

**19-चौ0 उदयभान सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के निवर्तमान उप जिलाधिकारी श्रीमती गरिमा सिंह के कालखण्ड में किन-किन राजस्व गाँव में किन-किन लोगों के पक्ष में पट्टे स्वीकृत किये गये और पट्टे स्वीकृत करने के मानक क्या हैं ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

तहसील किरावली की ग्राम पंचायत मई बुजुर्ग जिसमें ग्राम कादऊ, बारऊ एवं दादपुरा सम्मिलित है, तीनों ग्रामों में निवर्तमान उप जिलाधिकारी श्रीमती गरिमा सिंह द्वारा कृषि के 16 व्यक्तियों जिनके नाम क्रमशः (1) महावीर पुत्र राम प्रसाद व मीना पत्नी महावीर, (2) सलमान पुत्र सईदा व निशा पत्नी सलमान, (3) सन्नी पत्नी साबिर व फरजाना पत्नी सन्नी, (4) इन्तजार पुत्र साबिर व रेशमा पत्नी इन्तजार, (5) राकेश पुत्र होतम व बबिता पत्नी राकेश, (6) दीवान सिंह पुत्र फूल सिंह व सत्यवती पत्नी दीवान सिंह, (7) भोलू पुत्र सईदा व नूरबानो पत्नी भोलू, (8) कल्लू पुत्र शहदो व मुस्तरी पत्नी कल्लू, (9) धर्मेन्द्र पुत्र अर्जुन सिंह व शैलेश पत्नी धर्मेन्द्र, (10) सैदम्बर पुत्र आसीन व जफरो पत्नी सैदम्बर, (11) रामफूल पुत्र रामखिलाड़ी

व मुकेश पत्नी रामफूल, (12) पीतम पुत्र बदन सिंह व माया पत्नी पीतम, (13) राजेन्द्र सिंह पुत्र बिजेन्द्र सिंह व रबिया पत्नी राजेन्द्र सिंह, (14) राजवीर पुत्र सोरन सिंह व गिरजा पत्नी रामबीर, (15) पुद्दन पुत्र नद्दो व नहनी पत्नी पुद्दन, (16) अजीरूद्दीन पुत्र कल्लू व फरीन पत्नी अजीरूद्दीन तथा आवास हेतु 18 व्यक्तियों को पट्टे किये गये, जिनके नाम क्रमशः (1) धर्मवीर पुत्र राजवीर, (2) विनोद पुत्र भूप सिंह, (3) बॉबी पुत्र बाबूलाल, (4) गनेश पुत्र मोहन सिंह, (5) प्रकाश देवी पत्नी साहब सिंह, (6) नीरज देवी पत्नी लोकेन्द्र सिंह, (7) श्रीमती कमलादेवी पत्नी राजवीर सिंह, (8) श्रीमती सिया पत्नी धर्मपाल, (9) दयालबाबू पुत्र चिरंजी लाल, (10) इकबाल पुत्र फूला, (11) साकिर पुत्र वखुद्दीन, (12) वासदेवी पुत्र विजय सिंह, (13) संजय पुत्र हरी किशन, (14) गोपाल पुत्र नेकराम, (15) भुट्टो पुत्र सलीम उर्फ पंगा, (16) लट्टो पुत्र सलीम उर्फ पंगा, (17) मनीष पुत्र महेश, (18) सईद पुत्र वली मुहम्मद व रामदीन पत्नी सईद को किये गये हैं।

उक्त आवंटन के सम्बन्ध में सभी पक्षों एवं ग्राम पंचायत को न्यायालय उप जिलाधिकारी द्वारा नोटिस भेजे गए, लेकिन कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर भूमि प्रबन्धक समिति मई बुजुर्ग के प्रस्ताव दिनांक 28-04-2018 को निवर्तमान उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 30-06-2018 को स्वीकृति दी गई।

कृषि भूमि आवंटन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-126 व आवासीय भूमि आवंटन धारा-64 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में किया गया है।

कालान्तर में प्रस्तुत की गयी आपत्ति के क्रम में तत्कालीन उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 22-10-2018 द्वारा स्वीकृत किये गये आवंटन दिनांक 30-06-2018 को दिनांक 05-11-2018 तक स्थगित किया गया। स्थगनादेश का अंकन खतौनी/अभिलेख में किया जा चुका है। ऐसी दशा में आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुये आवंटियों को कब्जा नहीं दिलाया गया है तथा आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई हेतु न्यायालय उप जिलाधिकारी, किरावली में वाद दर्ज है।

## जनपद आगरा की तहसील किरावली के उप जिलाधिकारी कार्यालय के निकट पुराने नीम के पेड़ को कटवाने के संबंध में

**20-चौ0 उदयभान सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील किरावली के उप जिलाधिकारी कार्यालय को लम्बा चौड़ा व बड़ा बनाने के उद्देश्य से पुराने पेड़ को कटवाया गया है ? क्या उक्त पेड़ को कटवाये जाने की सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त की गयी है ? यदि हाँ, तो अनुज्ञा की छायाप्रति प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद आगरा के तहसील किरावली के उप जिलाधिकारी कार्यालय के पास वर्तमान में एक अशोक का पेड़ है। इसके अतिरिक्त और कोई पेड़ नहीं था। अतः पेड़ काटे जाने की बात असत्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद एटा तहसील जलेसर के ग्राम नगला गड़रिया में माह जून/जुलाई, 2018 में रास्ता नं0 1354 ग्राम प्रधान द्वारा न बनवाने एवं ग्राम प्रधान द्वारा छोड़े रास्ते को बनवाने के सम्बन्ध में**

**21-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा तहसील जलेसर के ग्राम नगला गड़रिया में माह जून/जुलाई 2018 मे रास्ता नं0 1354 ग्राम प्रधान द्वारा नहीं बनवाया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर ग्राम प्रधान द्वारा छोड़े गये उक्त रास्ते का निर्माण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जनपद एटा की तहसील जलेसर के ग्राम नगला गड़रिया में माह जून/जुलाई, 2018 में रास्ता नं0 1354 ग्राम प्रधान द्वारा बनवाया गया है। 30.5 मीटर रास्ता विवादित था, जिसे माह जनवरी, 2019 में बनवा दिया गया है।

**जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत पशु चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में**

**22-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील धौरहरा जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत कहाँ-कहाँ पशु चिकित्सालय हैं तथा उन पर चिकित्सकों के चिकित्सालयवार कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने-कितने चिकित्सक तैनात हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर भर्ती कर चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-**

जी नहीं।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा के स्थित पशु चिकित्सालय, चिकित्सालयवार पशु चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या एवं स्वीकृत पदों के सापेक्ष तैनात चिकित्सकों का विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0-सं0 | पशु चिकित्सालय का नाम | प0चि0अ0 के स्वीकृत पदों की संख्या | स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत प0चि0अ0 की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | धौरहरा | 01 | 01 |
| 2 | सरसवां | 01 | 01 |
| 3 | ईसानगर | 01 | 01 |
| 4 | रमियाबेहड | 01 | 01 |
| 5 | खमरिया | 01 | -- |

जी हां।

पशुपालन विभाग अन्तर्गत पशु चिकित्साधिकारी के पद पर तैनाती लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त प्रदत्त संस्तुति के आधार पर की जाती है। लोक सेवा आयोग से चयन होने के उपरान्त रिक्त पदों पर पशु चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 व 2016-17 और 2018 में बाढ़ से विस्थापित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में**

**23-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2018 तक बाढ़ में नदी में समा गये घरों तथा विस्थापित परिवारों के लिए घोषणा अनुरूप आवास मय जुर्माना सरकार कब तक उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा के अन्तर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2018-19 तक बाढ़ में नदी में समा गये घरों एवं परिवारों को इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण से कुल 15,953 परिवारों को लाभान्वित कराया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0 सं0 | वर्ष | योजना का नाम | कुल लाभान्वित परिवार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-16 | इन्दिरा आवास योजना | 4857 |
| 2 | 2016-17 | प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण | 4982 |
| 3 | 2017-18 | प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण | 3277 |
| 4 | 2018-19 | प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण | 2497 |
| 5 | 2018-19 | मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण | 340 |
| **योग** | | | **15953** |

प्रश्न नहीं उठता।

**24-वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-**

[01 बुधवार के अता0 प्र0 सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद शाहजहाँपुर के तहसील कलान के भूमि खातेदारों के दिये गये कब्जों का विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में**

**25-वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व अनुभाग-2 के अर्ध0 शा0प0सं0-197/एक-2-2018 दिनांक 30 नवम्बर, 2018 के अनुसार तहसील कलान शाहजहाँपुर के भूमि खातेदारों को 148 एकड़ भूमि का कब्जा दिलाया गया है ? क्या सरकार

बतायेगी कि उन खातेदारों के नाम, पिता का नाम, पता, ब्लाक क्या है तथा खातेदारों के कब्जा कराए गए भूमि की पैमाइश करा दी गयी है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

शासन के पत्र संख्या-197/एक-2-2018, दिनांक 30-11-2018 के अनुपालन में अवशेष पैमाइश कार्य पूर्ण कर 78.624 हे0 (लगभग 194) भूमि पर संबंधित खातेदारों को कब्जा दिलाया जा चुका है। सर्वश्री अनवर पुत्र अली मोहम्मद, बुद्धपाल पुत्र जन्डैल सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र मकरन्द सिंह व श्रीमती बब्ली पत्नी हिन्दपाल सिंह द्वारा कब्जा न मिलने की शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय शाहजहांपुर के पत्र संख्या-4488/आशु0लि0-जि0अधि0 शाह0/2019, दिनांक 02 जुलाई, 2019, द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी व राजस्व टीम के साथ पैमाइश कर सभी खातेदारों को पुनः मौके पर कब्जा दिला दिया गया है।

कब्जा दिलाये जाने वाले खातेदारों की सूची संलग्न† है। भूमि की पैमाइश करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में ग्राम प्रहरी व चौकीदारों की अधिवर्षता आयु निर्धारित करने की मांग**

**26-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के थानों में तैनात/कार्यरत अधिकांश ग्राम प्रहरी/चौकीदारों की आयु 65, 70 तथा 80 वर्षों तक हो गई है जिससे वे कार्य करने में असमर्थ होते जा रहे हैं तथा शासकीय कार्य भी बाधित होता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार अधिकांश चौकीदारों/ग्राम प्रहरियों की पूर्ण होती अधिवर्षता आयु को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस विभाग की ही भाँति नवीन नियमावली बनाकर 60 वर्ष अधिवर्षता आयु निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

ग्राम प्रहरी (ग्राम चौकीदार) सरकारी कर्मचारी न होकर एक मानदेय आधरित कर्मी है। इनकी नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। नियमित सरकारी कर्मचारी न होने के कारण इनकी अधिवर्षता आयु निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

---

† देखिये नत्थी 'ङ' का उत्तर आगे पृष्ठ संख्या 237-242 पर।

## जनपद जौनपुर के गोविन्द बल्लभ पन्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अवैध नियुक्ति को रद्द कराने एवं जाँच कराने के सम्बन्ध में

**27-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के गोविन्द बल्लभ पन्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगंज में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की प्रथम परिनियमावली के परिनियम, 24(4) के अनुरूप न होने के कारण अनियमित व असंवैधानिक है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जाँच कराकर उक्त नियुक्तियों को रद्द कर प्रबन्ध तन्त्र के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डा0 दिनेश शर्मा-**

(क) वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से सम्बद्ध गोविन्द बल्लभ पंत पी0जी0 कालेज, प्रतापगढ़ जौनपुर में डॉ0 विनोद कुमार उपाध्याय की नियुक्ति आशुलिपिक के पद पर वर्ष 1986 में तत्कालीन एवं तथाकथित प्रबन्धक श्री रूद्र पाल पाण्डेय द्वारा की गई थी। डॉ0 विनोद कुमार उपाध्याय की नियुक्ति तत्समय व्यवहरित गोरखपुर, विश्वविद्यालय, गोरखपुर की परिनियमावली में वर्णित परिनियमों के विपरीत था।

(ख) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उ0प्र0, प्रयागराज के पत्रांक-डिग्री अर्थ-1/614-16/2016-17, दिनांक 13-06-2016 द्वारा उक्त नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या-43235/2016, विनोद कुमार उपाध्याय बनाम उ0प्र0 राज्य व 06 अन्य योजित की गई, जिसमें दिनांक 26-09-2006 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित करते हुए शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र दिनांक 13-06-2016 के विरुद्ध स्थगनादेश पारित करते हुए याची को आशुलिपिक पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त स्थगन आदेश को वैकेट (Vacate) कराये जाने हेतु महाविद्यालय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है। डॉ0 विनोद कुमार उपाध्याय, आशुलिपिक का चयन जिस प्रबन्धतंत्र द्वारा वर्ष 1986 में किया गया था, वह प्रबन्धतंत्र वर्तमान में कार्यरत नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद लखनऊ के थाना पी0जी0आई0 में मु0अ0 संख्या-0072 वर्ष 2019 में दर्ज एफ0आई0आर0 के विषयक जानकारी

**28-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना पी0जी0आई0 में मु0अ0 संख्या-0072 वर्ष 2019 में दर्ज एफ0आई0आर0 में हजारों बच्चों से करोड़ों रुपये का गबन करने वाले नामजद अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

मु0अ0सं0-72/2019 धारा-420/406 भा0द0वि0 का अभियोग थाना पी0जी0आई0 पर दिनांक 22-01-2019 को वादी श्री पवन कुमार पुत्र राम सिंह, निवासी बहादुरपुर, थाना महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर के लिखित प्रतिवेदन पर विरुद्ध प्रतिवादी डायरेक्टर राजेन्द्र धर दुबे, निवासी-जलालाबाद, जनपद-बस्ती, 2-पवन भास्कर, 3-सुरेन्द्र पाण्डेय 4-आदित्य त्रिपाठी, 5-राकेश पाण्डेय पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना व संकलित किये गये साक्ष्यों के क्रम में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण के मोबाइल फोन नम्बर की सी0डी0आर0 प्राप्त की गयी। प्राप्त सी0डी0आर0 के विश्लेषण से अभियुक्तगण के मोबाइल नम्बर बन्द पाये गये हैं। अभियुक्त डायरेक्टर राजेन्द्र धर दुबे के पते पर थाना पैकोलिया जनपद-बस्ती के सहयोग से तसदीक कराया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गैर जनपद जाने की अनुमति विवेचक द्वारा प्राप्त की गयी है। शीघ्र गैर जनपद जाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी की जायेगी। अभियुक्त के गिरफ्तार न हो पाने की दशा में मा0 न्यायालय से धारा-82/83 द0प्र0सं0 की कार्यवाही कराते हुए विवेचना का शीघ्र निस्तारण कराया जायेगा

अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद लखनऊ के थाना महिला थाना में 1 जुलाई, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक दहेज उत्पीड़न में दर्ज मुकदमों के सम्बन्ध में

**29-श्री हाकिम लाल बिन्द-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के महिला थाना में 1 जुलाई, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक दहेज उत्पीड़न के कितने-कितने मुकदमें पंजीकृत हुए हैं व कुल पंजीकृत मुकदमों में से कितने में आरोप पत्र दाखिल किये जा चुके हैं और अभी कितने में आरोप-पत्र दाखिल किया जाना शेष है ? क्या सरकार उन शेष मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल करने में उत्तरदायित्व न निभाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

उक्त अवधि में दहेज उत्पीड़न के 184 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। 50 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। 103 अभियोगों में आरोप-पत्र दाखिल किये जा चुके हैं। शेष 31 अभियोगों में से 20 अभियोग दोनों पक्षों में मीडिएशन हेतु पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा 11 अभियोग विवेचनाधीन हैं।

शेष 11 अभियोगों में आरोप पत्र दाखिल करने में उत्तरदायित्व न निभाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच की कार्यवाही करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम काथा के मोहल्ला रमना में निर्माण कराये गये शौचालयों के सम्बन्ध में**

**30-श्री हाकिम लाल बिन्द-**

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018 में जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम कॉथा के मोहल्ला रमना में सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि से ग्राम पंचायत द्वारा छोटेलाल पुत्र जगन्नाथ आदि अन्य लाभार्थियों के शौचालयों का निर्माण दूसरे भूमिधरी श्रीमती फूलकली की निजी भूमि खाता संख्या 02325, खसरा संख्या- 2288, 2292 पर कराया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत के दोषी लोगों/कर्मचारियों से सरकारी धनराशि की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

ग्राम कॉथा के मोहल्ला रमना में भूमि खाता संख्या-02325 खसरा संख्या-2228, 2292 रकबा-0.0760 श्रीमती फूलकली पत्नी श्री फूलचन्द निवासी रानीखेड़ा, लखनऊ के नाम दिनांक 27-10-2007 को रजिस्टर्ड बैनामा की गई। उक्त गाटा संख्या-2288 के क्षेत्रफल लगभग 0.3160 हेक्टेयर 06 आवासीय मकान बैनामा से पूर्व बने हुए हैं, जिसमें स्व0 छोटे लाल पुत्र स्व0 जगन्नाथ के मकान भी हैं। उक्त मकानों में पृथक-पृथक शौचालय निर्मित हैं। संदर्भित प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा में मासिक कोर्ट स्थापित कराने के सम्बन्ध में**

**31-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा परिसर में मुंसिफ कोर्ट सरकार स्थापित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री ब्रजेश पाठक-**

मा0 उच्च न्यायालय से सम्यक् प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत वि0खं0 मियावेहड़ तथा वि0खं0 धौरहरा व वि0खं0 ईसानगर में ग्राम सभाओं में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर एवं खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराने के सम्बन्ध में**

**32-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड मियावेहड़, धौरहरा व ईसानगर में किस-किस ग्राम सभा के मजरों में

किस-किस के घर के पास इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर हुए तथा किस-किस ग्राम व मजरे में खराब हैण्डपम्प अभी चालू नहीं हैं ? क्या सरकार ग्राम सभावार खराब हैण्डपम्पों को चिन्हित कर ठीक करायगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड मियावेहड़ की ग्राम पंचायतों में रिबोर योग्य 789 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर योग्य थे, जिनमें से 512 रिबोर करा दिये गये हैं। शेष 277 के प्राक्कलन तैयार कराकर रिबोर कराने की कार्रवाई की जा रही है।

विकास खण्ड धौरहरा की ग्राम पंचायतों में 204 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर योग्य थे, जिनमें से 84 रिबोर हो गये हैं। शेष 120 के प्राक्कलन तैयार कराकर रिबोर कराने की कार्रवाई की जा रही है।

विकास खण्ड ईसानगर की ग्राम पंचायतों में कुल 390 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर योग्य थे, जिनमें से 263 रिबोर हो गये हैं। शेष 127 के प्राक्कलन तैयार कराकर रिबोर कराने की तैयारी की जा रही है।

जी हाँ। तीन माह में करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डीह के अन्तर्गत प्रा0 विद्यालय गोविन्दपुर, पूरे गोसाई के निर्माण प्रभारी श्री बृजेन्द्र शरण के कार्यों के लिए प्रेषित पत्र संख्या 20/ल0सि0/जाँच/2017-18, दिनांक 20-4-2017 पर कार्रवाई हेतु**

**33-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डीह के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुर, पूरे गोसाई, प्रा0वि0 सराय मानिक के अतिरिक्त कक्षा/कक्षों के निर्माण में की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच त्रिस्तरीय समिति गठित कर जिलाधिकारी, रायबरेली ने कार्यालय पत्रांक सं0-35-36, दिनांक 14-4-2017 द्वारा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई रायबरेली द्वारा कराई गयी तथा जाँचोपरान्त सहायक अभियंता लघु सिंचाई ने पत्र संख्या-20/ल0सि0/जाँच/2017-18, दिनांक 20-4-2017 जिलाधिकारी रायबरेली को प्रेषित कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जाँच में पाए गये दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जी हां।

सहायक अभियंता लघु सिंचाई रायबरेली द्वारा जिलाधिकारी, रायबरेली को अपने पत्र दिनांक 20-04-2017 द्वारा अपूर्ण निर्माण कार्य की मूल्यांकित धनराशि रु0 69887/- का कार्य

न किए जाने की आख्या दी गयी थी। सहायक अभियंता लघु सिंचाई रायबरेली की आख्या पर जिलाधिकारी रायबरेली के संदर्भ सं0-1008/एसटी-डीएम, दिनांक 21-04-2017 के अनुपालन में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली द्वारा निर्माण प्रभारी श्री बृजेन्द्र शरण के विरुद्ध कार्यालय के पत्रांक वसूली/867-75/17-18, दिनांक 22-04-2017 पत्र सं0-321, दिनांक 18-1-2019 तथा पत्र सं0-5481-83/2018-19, दिनांक 13-2-2019 द्वारा रु0 69887/- की वसूली हेतु आदेश निर्गत किया गया है।

जनपद स्तर पर वसूली की कार्रवाई गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा में नवीन परती, बंजर जमीन खाली करा कर गरीबों को आवंटन के सम्बन्ध में**

**34-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत किस-किस ग्राम सभा की कितनी-कितनी नवीन परती, बंजर तथा ग्राम सभा की भूमि है ? क्या सरकार उक्त भूमि पात्र गरीबों को आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

तहसील धौरहरा जनपद खीरी के 210 ग्रामों की ग्राम अकठी सीलिंग 6 किता रकबा 3.412, अचरौरा नवीन परती 19 किता रकबा 4.960, अदलीसपुर नवीन परती 83 किता रकबा 11.564, ग्राम अभयपुर नवीन परती 24 किता रकबा 3.865, अरनीखाना ढकिया 01 किता रकबा 0.214, अल्लीपुर नवीन परती 15 किता रकबा 0.760 हे0, ईश्वरवारा नवीन परती 09 किता रकबा 0.651 हे0, ईसानगर नवीन परती 65 किता 5.106, ईसापुर नवीन परती 4 किता रकबा 0.676 हे0, उदयपुर नवीन परती 5 किता रकबा 0.206 हे0, ऊंचगांव नवीन परती 36 किता रकबा 3.895, ऐरा नवीन परती 27 किता रकबा 6.139 हे0, ओझापुरवा नवीन परती 82 किता रकबा 26.911 हे0, कफारा नवीन परती 76 किता रकबा 12.175 हे0, कबीपुर नवीन परती 12 किता रकबा 5.863 हे0, कमना नवीन परती 20 किता रकबा 1.178 हे0, करिमापुर नवीन परती 25 किता रकबा 10.283 हे0, करौंहा नवीन परती 17 किता रकबा 3.868 हे0, कलुआपुर सीलिंग 16 किता रकबा 3.759 हे0, नवीन परती 49 किता रकबा 9.036 हे0, कबिरहा सीलिग 2 किता रकबा 0.409 हे0, नवीन परती 46 किता रकबा 4.434 हे0, कुम्हेना सीलिंग 3 किता रकबा 0.211 हे0, नवीन परती 62 किता रकबा 7.543 हे0, कैरातीपुरवा सीलिंग 5 किता रकबा 0.457 हे0, नवीन परती 72 किता रकबा 20.137 हे0, कोडरीरूप नवीन परती 26 किता रकबा 11.316, कोनिया नवीन परती 12 किता रकबा 1.952 हे0, खगियापुर नवीन परती 19 किता रकबा 2.086 हे0, खडवामीतमऊ नवीन परती 45 किता रकबा 3.304 हे0, खनवापुर नवीन परती 12 किता

रकबा 0.691 हे0, खमरिया कला नवीन परती 9 किता रकबा 0.722 खमरिया पंडित नवीन परती 24 किता रकबा 3.216 हे0, बंजर 02 किता रकबा 0.299 हे0, गनापुर नवीन परती 2 किता रकबा 0.215 हे0, गनेशपुर नवीन परती 39 किता रकबा 2.092 हे0, बंजर 16 किता रकबा 1.346 हे0, सीलिंग 4 किता रकबा 0.841 हे0, गु0ता0 अमेठी नवीन परती 97 किता रकबा 32.839 हे0, जिसमें 118 लोगों के पट्टे किये जा चुके हैं, अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि 5 किता रकबा 0.918 जिसमें 19 पात्र व्यक्तियों के पट्टे किये गये गुरघुट्टा बुजुर्ग नवीन परती 49 किता रकबा 7.579 हे0, बंजर 28 किता रकबा 1.343 जिसमें 07 पात्र व्यक्तियों के पट्टे किये गये गुरघुट्टा खुर्द नवीन परती 9 किता रकबा 1.278 हे0, गृ0ता0 ऐरा नवीन 21 किता रकबा 1.365 बंजर 3 किता रकबा 0.433 गोपालापुर नवीन परती 26 किता रकबा 2.509 हे0, सीलिंग 4 किता रकबा 0.606, गोरखपुर नवीन परती 2 किता रकबा 0.408 बंजर 2 किता रकबा 1.207, गौरा बंजर 6 किता रकबा 0.190 हे0, गंगान नवीन परती 11 किता रकबा 0.992 हे0, बंजर 6 किता रकबा 0.323, गंगोलिया नवीन परती 23 किता रकबा 27.672, चकदहा बंजर 13 किता रकबा 28.950, चकनाथपुर नवीन परती 3 किता रकबा 2.337, बंजर 1 किता रकबा 0.105, चकलाखीपुर नवीन परती 12 किता रकबा 1.256, हे0, चन्दपुरा नवीन परती 20 किता रकबा 1.184, चन्दौली सीलिंग 58 किता रकबा 11.858, चन्द्रासा कलां नवीन परती 25 किता रकबा 2.994, बंजर 3 किता रकबा 0.129, सीलिंग 3 किता रकबा 0.821 जिसमें 23 पात्र व्यक्तियों के पट्टे किये गये, चन्द्रासा खुर्द नवीन परती 18 किता रकबा 1.675, जिसमें 14 पात्र व्यक्तियों के पट्टे किये गये चपकहा बंजर 5 किता रकबा 0.340 सीलिंग 1 किता रकबा 0.081, चहमलपुर नवीन परती 09 किता रकबा 2.893, सीलिंग 3 किता रकबा 0.934, चहलार नवीन परती 33 किता रकबा 2.714, चहलुआ बंजर 2 किता रकबा 0.060, सीलिंग 21 किता रकबा 9.990, हे0 जगदीशपुर नवीन परती 14 किता रकबा 0.934 बंजर 4 किता रकबा 0.097, जंगल नं0 3 नवीन परती 22 किता रकबा 34.329, जिसमें 77 पात्र व्यक्तियों के पट्टे किये गये, सीलिंग 2 किता रकबा 2.648, जिसमें 09 पात्र व्यक्तियों के पट्टे किये गये, जटपुरवा नवीन परती 141 किता रकबा 19.145, बंजर 18 किता रकबा 1.510, जमदरी बंजर 8 किता रकबा 0.890, नवीन परती 12 किता रकबा 1.274, जम्हौरा बंजर 11 किता रकबा 1.456, चन्दौली नवीन परती 5 किता रकबा 2.274, जसवन्तनगर नवीन परती 21 किता रकबा 4.055, जंगल मटेरा नवीन परती 145 किता रकबा 73.372, जिसमें 273 पात्र व्यक्तियों के पट्टे किये गये, जंगलवाली नवीन परती 28 किता रकबा 2.213, बंजर 13 किता रकबा 2.489, जंगल सुजानपुर नवीन परती 13 किता रकबा 4.412, सीलिंग 46 किता रकबा 15.295, हुसैनपुर नवीन परती 54 किता रकबा 5.890, सीलिंग 13 किता रकबा 2.018, हसनापुर नवीन परती 59 किता रकबा 11.921, बंजर 16 किता रकबा 3.847, सीलिंग 19 किता रकबा 2.591, हरसिंहपुर नवीन परती 39 किता रकबा 4.656, सीलिंग 10 किता रकबा 5.523, सोहरिया नवीन परती

37 किता रकबा 3.660, बंजर 13 किता रकबा 2.239, सेमरी नवीन परती 149 किता रकबा 24.901, बंजर 78 किता रकबा 6.053, सीलिंग 2 किता रकबा 0.717, सुरजनपुर नवीन परती 10 किता रकबा 0.780, हे0 सुजावलपुर नवीन परती 10 किता रकबा 0.692, सुजई कुण्डा बंजर 3 किता रकबा 0.126, सिंगावर नवीन परती 43 किता रकबा 4.433, सिसैया कलां नवीन परती 69 किता रकबा 10.796, सीलिंग 5 किता रकबा 1.539, सरैंया कलां नवीन परती 40 किता रकबा 2.825, सीलिंग 2 किता रकबा 0.894, टहारा नवीन परती 24 किता रकबा 5.009, सीलिंग 8 किता रकबा 0.781, टेलीकुण्डा 20 किता रकबा 0.455, डाबर नवीन परती 18 किता रकबा 1.919, सीलिंग 4 किता रकबा 0.631, डिहुआ कलां नवीन परती 53 किता रकबा 7.019, बंजर 53 किता रकबा 9.178, सीलिंग 2 किता रकबा 3.051, डुण्डकी नवीन परती 61 किता रकबा 3.191, बंजर 3 किता रकबा 0.131, दिलावलपुर नवीन परती 14 किता रकबा 1.447, सीलिंग 1 किता रकबा 0.263, दुर्गापुर पडरी बंजर 54 किता रकबा 8.141, सीलिंग 49 किता रकबा 8.921, दुलही द्वितीय नवीन परती 99 किता रकबा 16.989, बंजर 33 किता रकबा 2.166, दुल्हामऊ नवीन परती 6 किता रकबा 0.539, सीलिंग 4 किता रकबा 0.429, देवमनिया नवीन परती 13 किता रकबा 6.399, सीलिंग 15 किता रकबा 3.608, देवीपुरवा नवीन परती 61 किता रकबा 4.551, बंजर 22 किता रकबा 0.621, धुन्धाकलां नवीन परती 58 किता रकबा 3.808, बंजर 2 किता रकबा 0.020, सीलिंग 2 किता रकबा 0.247, घूसाखुर्द नवीन परती 6 किता रकबा 0.935, सीलिंग 1 किता रकबा 2.169, धौरहरा नवीन परती 45 किता रकबा 8.135, बंजर 13 किता रकबा 0.509, सीलिंग 36 किता रकबा 11.855, नकहिया नवीन परती 10 किता रकबा 0.640, नयागांव नवीन परती 31 किता रकबा 2.9785, बंजर 18 किता 1.376, सीलिंग 2 किता रकबा 0.133, नरुपुर सीलिंग 3 किता रकबा 10.932, नारीबेहड नवीन परती 17 किता रकबा 2.396, बंजर 12 किता रकबा 0.893, नैनापुर नवीन परती 31 किता रकबा 4.226, सीलिंग 1 किता रकबा 0.101, नौबस्ता नवीन परती 31 किता रकबा 3.355, नौव्वापुर सानी बंजर 6 किता रकबा 0.721, सरसवां नवीन परती 16 किता रकबा 1.598, बंजर 4 किता रकबा 0.076, सरपतहा नवीन परती 14 किता रकबा 2.422, सरगडा नवीन परती 10 किता रकबा 1.019, बंजर 3 किता रकबा 0.141, सीलिंग 4 किता रकबा 3.686, समरदाहरी 23 किता रकबा 2.167, बंजर 6 किता रकबा 0.523, समरदाबदाल बंजर 11 किता रकबा 2.604, सीलिंग 2 किता रकबा 1.760, सण्डौरा खुर्द नवीन परती 19 किता रकबा 1.123, बंजर 8 किता रकबा 0.431, सधुवापुर नवीन परती 44 किता रकबा 5.497, बंजर 13 किता रकबा 0.676, सीलिंग 4 किता रकबा 0.279, शेरपुर नवीन परती 35 किता रकबा 1.540, शेखूपुर बंजर 10 किता रकबा 0.926, सीलिंग 4 किता रकबा 0.984, शेखपुर नवीन परती 19 किता रकबा 1.874, बंजर 26 किता रकबा 3.372, शाहपुर नवीन परती 12 किता रकबा 1.973, बंजर 4 किता रकबा 0.134, विरसिंहपुर नवीन परती 50 किता रकबा 4.366, बंजर 30 किता

रकबा 3.068, वाली नवीन परती 32 किता रकबा 4.185, बंजर 21 किता रकबा 4.765, लौकाही मल्लापुर नवीन परती 10 किता रकबा 1.157, बंजर 2 किता रकबा 0.052, सीलिंग 7 किता रकबा 2.156, लोधोनी नवीन परती 23 किता रकबा 2.431, सीलिंग 2 किता रकबा 1.013, लौकाही ईसानगर नवीन परती 57 किता रकबा 3.523, बंजर 15 किता रकबा 1.529, सीलिंग 4 किता रकबा 0.137, लालपुर नवीन परती 15 किता रकबा 1.716, बंजर 2 किता रकबा 0.060, लखाही नवीन परती 36 किता रकबा 7.239, बंजर 17 किता रकबा 1.791, सीलिंग 1 किता रकबा 0.191, लखपेडा नवीन परती 16 किता रकबा 0.520, लखनियापुर नवीन परती 18 किता रकबा 1.733, रंजीतनगर नवीन परती 7 किता रकबा 0.863, रेहुआ नवीन परती 14 किता रकबा 1.092, सीलिंग 1 किता रकबा 3.998, रुद्रपुर सालिम नवीन परती 20 किता रकबा 1.787, रायपुर मल्लापुर सीलिंग 10 किता रकबा 11.687, रायपुर ईसानगर नवीन परती 31 किता रकबा 3.306, सीलिंग 7 किता रकबा 0.129, रायपुर नवीन परती 22 किता रकबा 3.574, रामलोक बंजर 15 किता रकबा 2.264, रामनगर लहबडी नवीन परती 22 किता रकबा 4.219, बंजर 9 किता रकबा 5.074, रामनगर बगहा नवीन परती 46 किता रकबा 8.298, बंजर 46 किता रकबा 7.853, सीलिंग 4 किता रकबा 0.851, राजापुर पेमन नवीन परती 19 किता रकबा 5.527, सीलिंग 1 किता रकबा 0.475, रसूलपुर नवीन परती 36 किता रकबा 2.920, बंजर 1 किता रकबा 0.020, रमियाबेहड नवीन परती 55 किता रकबा 7.529, बंजर 15 किता रकबा 0.573, रमनगरा नवीन परती 2 किता रकबा 0.056, मूडी नवीन परती 27 किता रकबा 3.466, बंजर 17 किता रकबा 3.035, सीलिंग 4 किता रकबा 0.109, नवीन परती 11 किता रकबा 1.719, बंजर 1 किता रकबा 1.393, मुरौव्वा 7 किता रकबा 0.868, बंजर 13 किता रकबा 1.232, मुखलिसपुर 20 किता रकबा 1.870, बंजर 10 किता रकबा 0.595, मिलिक नवीन परती 96 किता रकबा 136.974, बंजर 6 किता रकबा 1.477, सीलिंग 14 किता रकबा 43.669, मिर्जापुर मल्लापुर नवीन परती 20 किता रकबा 2.866, बंजर 12 किता रकबा 0.306, सीलिंग 14 किता रकबा 1.636, मांझासुमाली नवीन परती 22 किता रकबा 2.881, महेवा नवीन परती 24 किता रकबा 2.156, महरिया बंजर 4 किता रकबा 0.287, महाराजनगर नवीन परती 55 किता रकबा 5.638, बंजर 19 किता रकबा 5.103, मुहम्दापुर नवीन परती 49 किता रकबा 7.557, बंजर 9 किता रकबा 0.536, मडवा नवीन परती 21 किता रकबा 1.800, सीलिंग 41 किता रकबा 17.958, मटेहनी नवीन परती 65 किता रकबा 6.506, बंजर 3 किता रकबा 0.207, मटेरा नवीन परती 38 किता रकबा 8.662, बंजर , किता 0.692 मटरिया नवीन परती 17 किता रकबा 0.982, भौव्वापुर खुर्द नवीन परती 10 किता रकबा 1.113, भेडहिया नवीन परती 31 किता रकबा 2.259, बंजर 17 किता रकबा 1.028, भूडा नवीन परती 3 किता रकबा 0.886, भुरजनिया नवीन परती 39 किता रकबा 4.214, सीलिंग 7 किता रकबा 1.473, भनवापुर बंजर 1 किता रकबा 0.202, भटपुरवा खुर्द नवीन परती 10 किता

रकबा 0.493, भटपुरवा कलां नवीन परती 30 किता रकबा 3.726, बंजर 5 किता रकबा 1.138, बेहटा नवीन परती 19 किता 1.017, बेल्लुआ बंजर 94 किता रकबा 19.136, सीलिंग 20 किता रकबा 3.099, बेलागढी नवीन परती 265 किता रकबा 246.269, सीलिंग 8 किता रकबा 3.279, बेलवामोती 20 किता रकबा 1.613, बेलवामोती बंजर 2 किता रकबा 0.263, बेतीसहदेव नवीन परती 27 किता रकबा 3.472, बंजर 18 किता रकबा 1.188, बिलौली नवीन परती 23 किता रकबा 1.050, बिन्जहा नवीन परती 7 किता रकबा 1.813 बिनौरा नवीन परती 28 किता रकबा 3.159, सीलिंग 2 किता रकबा 4.020, बाछेपारा नवीन परती 7 किता रकबा 0.737, बसहिया नवीन परती 12 किता रकबा 1.019, बसन्तापुर नवीन परती 12 किता रकबा 2.029, सीलिंग 2 किता रकबा 0.044, बसढिया नवीन परती 38 किता रकबा 4.856, बंजर 7 किता रकबा 0.405, बरारीनानकार नवीन परती 36 किता रकबा 2.738, बंजर 11 किता रकबा 0.824, बबुरी नवीन परती 41 किता रकबा 7.884, सीलिंग 4 किता रकबा 1.136, फूलपुर सीलिंग 2 किता रकबा 4.753, फिरोजाबाद नवीन परती 28 किता रकबा 2.941, फतेपुर नवीन परती 6 किता रकबा 0.434, फकीरेपुरवा सीलिंग 14 किता रकबा 25.254, पैकापुर नवीन परती 11 किता रकबा 2.832, पलिया नवीन परती 9 किता रकबा 0.136, बंजर 10 किता रकबा 0.736, सीलिंग 5 किता रकबा 0.303, परौरी नवीन परती 23 किता रकबा 4.206, बंजर 8 किता रकबा 0.582, परेवा नवीन परती 6 किता रकबा 0.543, परसा नवीन परती 69 किता रकबा 97.880, बंजर 2 किता रकबा 0.081, सीलिंग 4 किता रकबा 2.582, नौबस्ता नवीन परती 31 किता रकबा 3.355, नौव्वापुर सानी बंजर 6 किता रकबा 0.721 हे0।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**लखनऊ में विकास भवन में मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपयों के गबन की जाँच कराने हेतु**

**35-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 12-02-2019 के क्रम में स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव के पत्रांक 49/एम 5 दिनांक 13-02-2019 द्वारा आयुक्त, लखनऊ मण्डल के विकास भवन लखनऊ में मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपये के गबन की जांच कराने के निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त जांच प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है? यदि हां, तो जाँच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

**डा0 महेन्द्र सिंह-**

जी हां।

जी हां।

जांच में कोई भी दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के गवाह की हत्या के मद्देनजर दोषियों को दंडित करने और अन्य गवाहों की सुरक्षा संबंधी

**36-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे में मारे गये दो भाइयों की हत्या मामले के गवाह असबाब की दिनांक 11 मार्च 2019 को दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या किये जाने के मद्देनजर उक्त दंगे के अन्य गवाहों को सुरक्षा देने के प्रबंध करने व आरोपियों को दंडित कराने हेतु अन्य उपाय करने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से प्राप्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर की आख्यानुसार दिनांक 09-09-2013 को श्री वहाब उर्फ असबाब पुत्र श्री अख्तर निवासी ग्राम खेडी तगान, थाना मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा अपने भाई नवाब व शाहिद की गोली मार कर हत्या करने के सम्बन्ध में थाना रतनपुरी, जनपद मुजफ्फरनगर पर मुं0अ0सं0 198/13 धारा 302 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था, जिसका घटना स्थल थाना मन्सूरपुर क्षेत्रान्तर्गत पाये जाने के कारण उक्त अभियोग को थाना रतनपुरी से थाना मन्सूरपुर पर मुं0अ0सं0 472/13 धारा 147, 148, 149, 302, 34, 120बी भा0द0वि0 पर दर्ज हुआ।

उक्त अभियोग की विवेचना से पाया गया कि मृतक नवाब पुत्र श्री अख्तर व शाहिद पुत्र श्री अख्तर दूध खरीदने बेचने का काम करते थे, जिसके कारण उनका गाँव के लोगों के घरों में आना जाना था। नवाब बदचलन व चरित्रहीन किस्म का व्यक्ति था, जिसके गाँव के श्री कृष्णपाल की औरत के साथ अवैध सम्बन्ध थे। विवेचना के दौरान घटना के अनावरण से मृतक नवाब व शाहिद के दुराचारी होने की पुष्टि हुई है तथा अभियुक्तगणों के इकबाले जुर्म में वास्तविकता बताते हुये हत्या में प्रयुक्त तमंचा व बाल्टी बरामद करायी गई। तदोपरान्त प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगणों का चालान जरिये आरोप-पत्र संख्या 44/14 दिनांक 25-02-2014 व पूरक आरोप-पत्र संख्या 44ए/14 दिनांक 22-05-2014 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। स्पष्ट है कि उक्त घटना का वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से कोई सम्बन्ध नहीं है। अभियुक्तगणों को दंडित कराये जाने हेतु अभियोजन शाखा, मानिटरिंग सैल एवं सम्बन्धित थाना के माध्यम से प्रभावी पैरवी की जा रही है।

इस मुकदमें के वादी श्री वहाब उर्फ असबाब की दिनांक 11-03-2019 को थाना खतौली क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना खतौली पर मुं0अ0सं0 131/19 धारा-302 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना के दौरान

1-वासू उर्फ उत्तम उर्फ दीपक चौधरी पुत्र श्री राजकुमार 2-भोलू उर्फ अमरदीप पुत्र श्री रविन्द्र, 3-श्रीकान्त उर्फ बब्लू पुत्र श्री विक्रम, 4-सहदेव पुत्र श्री किरण सिंह, 5-मंजीत उर्फ टोनी पुत्र श्री सुशील मूंछ 6-मोन्टी पुत्र श्री रणवीर, 7-अजीत पुत्र श्री जगपाल प्रकाश में आये, जिनमें अभियुक्त वासू को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त भोलू, श्रीकान्त, अजीत, मंजीत, मोन्टी द्वारा विभिन्न तिथियों में मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त सहदेव के विरुद्ध 82/83 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-217/19 दिनांक 05-06-2019 को व पूरक आरोप-पत्र संख्या-217ए/19 दिनांक 26-06-2019 प्रेषित किया गया।

वादी (मृतक) असबाब उर्फ वहाब का साक्ष्य मा0 न्यायालय में दिनांक 18-10-2018 को अंकित कराया गया था। अभियोग के शेष साक्षियों की सुरक्षा हेतु उनके सम्बन्धित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं निरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई, जनपद मुजफ्फरनगर को गवाहान की सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए एवं पूर्ण सुरक्षा के साथ मा0 न्यायालय में गवाही कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में तहसीलदार द्वारा तहसील भवन की पुताई हेतु की गई अवैध वसूली की जाँच कराने के सम्बन्ध में**

**37-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद की तहसील-बिलारी में वर्तमान में तैनात तहसीलदार द्वारा तहसील भवन की पुताई के नाम पर पंचायत प्रतिनिधियों, राशन विक्रेताओं, व्यापारियों सहित अनगिनत व्यक्तियों से अवैध वसूली की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

स्वच्छ भारत मिशन के अभियान से प्रेरित होकर तहसील बिलारी में स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय उप जिलाधिकारी, बिलारी एवं तहसील बिलारी के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बिना किसी बाहरी सहायता के स्वःप्रेरणा से एवं स्वयं के प्रयास से अपने-अपने कक्षों की पुताई एवं साफ-सफाई करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**38-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

[ विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ]

**जनपद फिरोजाबाद में असेवित क्षेत्र की बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर, समर्सिबल आदि की व्यवस्था करने विषयक**

**39-श्री मनीष असीजा-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में असेवित क्षेत्र की बस्तियों में 42 प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण 100 से अधिक छात्र संख्या वाले 402 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सोलर सिस्टम/पैनल की स्थापना, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 व 2 पंजीकृत छात्र संख्या 22485, कक्षा 3,4 व 5 में पंजीकृत छात्र संख्या 31933 एवं कक्षा 6,7,8 में पंजीकृत छात्र संख्या 16492 के लिए फर्नीचर की व्यवस्था तथा नगरीय क्षेत्र के 35 विद्यालयों में समर्सिबेल स्थापना कराने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जनपद फिरोजाबाद में असेवित क्षेत्र की बस्तियों में 42 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के वार्षिक-कार्य योजना एवं बजट 2017-18 में स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।

वर्तमान में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सोलर सिस्टम/पैनल हेतु बजट व्यवस्था नहीं है।

विद्यालय में फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से कार्य कराया जा रहा है।

नगरीय क्षेत्र के 35 विद्यालय पेयजल सुविधायुक्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मथुरा में छुट्टा घूम रहे गौवंश के लिये गौशाला के निर्माण के सम्बन्ध में**

**40-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में छुट्टा घूम रहे गौवंश के लिए गौशाला बनाकर सरकार संचालित करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में भी गौशाला बनाकर संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-**

जी नहीं। अपितु जनपद मथुरा में दो बृहद गौ-संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में प्रति बृहद गौ-संरक्षण केन्द्र हेतु रु0 120-120

लाख जिलाधिकारी, मथुरा को आवंटित कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 16-07-2019 जनपद मथुरा में 48 अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल बनाकर उनमें 3673 गोवंश संरक्षित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र मांट में एक बृहद गौ-संरक्षण केन्द्र की स्थापना कर संचालित करने हेतु धनराशि रु0 120 लाख अवमुक्त की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**41-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

[01 बुधवार के अता0 प्र0 सं0-181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**प्रदेश में साइबर क्राइम की रोकथाम करने की विषयक जानकारी**

**42-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में साइबर क्राइम के द्वारा काफी संख्या में अपराध हो रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ने साइबर क्राइम की रोकथाम करने की कोई योजना बनायी है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

प्रदेश में आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर सेवाओं के प्रयोग एवं इनके उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप धोखाधड़ी, फ्रॉड, कूटरचना सम्बन्धी अनेक प्रकार के साइबर अपराध घटित हो रहे हैं।

जी हां।

प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु प्रत्येक जिले में क्राइम ब्रान्च स्थापित हैं, जिसके अर्न्तगत एक साइबर अपराध इकाई भी है।

साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु प्रदेश में 02 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन क्रमशः जनपद लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में स्थापित किये गये हैं। दोनों थानों के पर्यवेक्षण व नियंत्रण का कार्य स्पेशल टास्क फोर्स उ0प्र0 द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र (मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ एवं आगरा परिक्षेत्र) के जनपदों के साइबर अपराध की विवेचनाएं आगरा साइबर इकाई द्वारा तथा शेष (इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, चित्रकूट, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद एवं झांसी परिक्षेत्र) के जनपदों की विवेचना लखनऊ साइबर यूनिट द्वारा की जा रही थी, जो वर्तमान में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले जनपदों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य कर रही हैं।

प्रदेश के जनपद लखनऊ तथा गौतमबुद्धनगर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किये गये हैं। जनपद लखनऊ में स्थापित थाने के अधीन लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी एवं गोरखपुर जोन के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपद तथा जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थापित थाने के अधीन मेरठ, बरेली तथा आगरा जोन के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपद हैं।

प्रदेश में सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे-फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस आदि साइट्स के पेज/प्रोफाइल को ब्लॉक कराने एवं उनके दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से परिक्षेत्र मेरठ में सोशल मीडिया कमाण्ड एण्ड रिसर्च सेन्टर (एस0एम0सी0आर0सी0) की स्थापना की गयी है।

पुलिस कार्मिकों को साइबर क्राईम से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न बैंकों के खाताधारकों से जालसाजी द्वारा दूरभाष व इण्टरनेट के माध्यम से उनके एटीएम कार्ड का नम्बर व पिन कोड पूछकर धोखाधड़ी करके खातों से पैसा निकालने सम्बन्धी घटित घटनाओं के अनावरण हेतु समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

इस प्रकार से घटित अपराधों के रोकथाम के लिए अन्य प्रान्तों से भी समन्वय स्थापित कर घटनाओं के अनावरण किये जाने के प्रयास किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद प्रयागराज के वि0स0क्षे0 सोरांव के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में

**43-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में कितने प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण किया गया है तथा कितने प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय शेष हैं ? क्या सरकार शेष विद्यालयों में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत कुल 289 प्राथमिक विद्यालय तथा 115 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। उक्त सभी विद्यालयों में आन्तिरक विद्युतीकरण का कार्य हुआ है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में अग्नि से पीड़ित व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाने के विषयक जानकारी

**44-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अग्नि लगने से पीड़ित व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

प्रदेश में अग्नि आदि से मकान नष्ट/क्षतिग्रस्त हो जाने पर पीड़ितों को राज्य आपदा मोचक निधि से निम्न विवरण के अनुसार राहत सहायता दिये जाने का प्राविधान है :-

(क) पूर्णतया/अत्यधिक क्षतिग्रस्त/नष्ट मकान-

(1) पक्का/कच्चा मकान-रु0 95,100/- प्रति मकान, मैदानी क्षेत्रों में।

(2) पक्का/कच्चा मकान-रु0 1,01,900/- प्रति मकान, पहाड़ी क्षेत्रों में।

(ख) आंशिक क्षतिग्रस्त मकान-

(1) पक्का मकान-रु0 5,200/- प्रति मकान

(2) कच्चा मकान-रु0 3,200/- प्रति मकान

(ग) क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी-रु0 4,100/- प्रति झोपड़ी

(घ) मकान से सम्बद्ध पशुशाला-रु0 2,100/- प्रति पशुशाला

उक्त के अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02-02-2018 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-3.1 में यह व्यवस्था की गयी है कि योजनान्तर्गत पात्रता की दृष्टिकोण से प्राकृतिक आपदा के कारण बेघर हो जाने वाले ऐसे परिवार जो आवासीय सुविधा न होने के कारण छतविहीन एवं आश्रयविहीन हो जाते हैं, को आवासीय सुविधा का लाभ दिया जायेगा, किन्तु इस योजना में उन लाभार्थियों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिनके मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त एवं अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्हें राजस्व विभाग से आवंटित की जाने वाली धनराशि रु0 95,100/- की सहायता राशि प्राप्त हुई है।

उपरोक्तानुसार।

## प्रदेश के चौराहों पर लग रहे जाम से मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में

**45-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों के मुख्य चौराहों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 14-09-2017 तथा इसी क्रम में गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-1048/6-पु-2-2017-64 विविध/2017, दिनांक 03-10-2017 के अनुपालन में अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात निदेशालय के आदेश सं0-डीटी-855-2017, दिनांक 14-10-2017 द्वारा आदेश निर्गत कर जनपदों के मुख्य चौराहों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ट्रैफिक लाइट लगवाये जाने हेतु मुख्य चौराहों का चिन्हीकरण करने, अतिक्रमण हटाये जाने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करने, अन्यत्र शिफ्ट किये जाने वाले बिजली व अन्य पोलों का चिन्हीकरण करने, सुरक्षा सूचकांक व डिवाइडर लाइन लगवाये जाने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करने, सेन्ट्रल वर्ज की रिपेयरिंग किये जाने वाली सड़कों का चिन्हीकरण करने, पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक कांस्टेबिल/होम गार्ड/पीआरडी/एनसीसी के जवानों की तैनाती करने तथा ट्रैफिक के नियमों का एक समान रूप से कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश पारित किये गये हैं।

**जनपद प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव में ब्लाक मऊआइमा के ग्राम सभा जमुई सेखपुर सम्पर्क मार्ग से पिपरी गाँव तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में**

**46-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ब्लाक मऊआइमा के ग्राम सभा जमुई सेखपुर सम्पर्क मार्ग से पिपरी गांव तक दूरी 600 मीटर ब्लाक सोरांव के ग्राम धामापुर के निवासी राम प्रसाद के खेत से राम खिलावन के घर तक, ब्लाक मऊआइमा के कल्याणपुर सम्पर्क मार्ग देवरिया गांव से होते हुए रजवहा नहर तक, ब्लाक सोरांव के सोरांव-सिकन्दरा सम्पर्क मार्ग पर रमेश पटेल के घर से गौरे लाल चौहान के घर तक तथा ब्लाक बहरिया के मुबारकपुर से गौरे लाल चौहान के घर तक तथा ब्लाक बहरिया के मुबारकपुर सम्पर्क मार्ग लखनपुर चौराहे से चकिया धमौर रान तौला मैदान से पक्की सड़क तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्गों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी हां

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों के निर्माण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश शासन के पत्र सं0-2481/33-2-2019-27ए0क्यू0/2019, दिनांक 16-07-19 को अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, प्रयागराज को दे दिए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ स्थित गीतापुरी खरगापुर, गोमती नगर के बिहारी लाल काम्पलैक्स से एन0सी0 पाण्डेय के घर से होते हुए भिसारी राम के घर तक रोड के निर्माण कराने के सम्बन्ध में**

**47-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित गीतापुरी खरगापुर, गोमती नगर के बिहारी लाल काम्पलैक्स से एन0सी0 पाण्डेय व ए0के0 शुक्ला के घर से होते हुए भिसारी राम के घर तक रोड न होने से ग्रामवासियों को आवाजाही में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह)-**

प्रश्नगत कार्य मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत त्वरित आर्थिक विकास योजना में 7/1 गीतापुरी श्री ए0के0 शुक्ला के मकान से श्री बिहारी लाल के मकान तक 250 मीटर लम्बाई में डामरीकरण का कार्य स्वीकृत है। उक्त कार्य का अनुबन्ध संख्या-48/ई0ई0/2019-20, दिनांक 06-07-2019 मेसर्स विष्णु कान्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड बरेली के पक्ष में गठित किया गया है। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य प्रारम्भ कराये जाने की तिथि 06-07-2019 एवं कार्य पूर्ण कराये जाने की तिथि दिनांक 05-09-2019 निर्धारित है।

प्रश्नगत कार्य अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दिनांक 05-09-2019 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ स्थित गीतापुरी खरगापुर, गोमती नगर के बिहारी लाल काम्पलैक्स से एन0सी0 पाण्डेय के घर से होते हुए भिसारी राम के घर तक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु**

**48-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित गीतापुरी खरगापुर, गोमती नगर के बिहारी लाल काम्पलैक्स से एन0सी0 पाण्डेय व ए0के0 शुक्ला के घर से होते हुए भिसारी राम के घर तक प्रकाश (स्ट्रीट लाइट) की व्यवस्था न होने से लोगों को रात में आवाजाही में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर स्ट्रीट लाइट (सोलर) लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री ब्रजेश पाठक-**

पथ प्रकाश व्यवस्था कराना सम्बन्धित स्थानीय निकाय का उत्तरदायित्व है।

यूपीनेडा द्वारा मुख्य मंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित समग्र ग्रामों में तथा पं0 दीन दयाल योजनान्तर्गत विकास खण्ड स्तरीय चयनित ग्रामीण बाजारों में सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था सोलर लाइटों के माध्यम से शत-प्रतिशत वित्त पोषण से कराये जाने की योजना

संचालित है। शहरी क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना निःशुल्क कराये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है।

यूपीनेडा में वर्तमान वर्ष 2019-20 में ई-निविदा में सोलर स्ट्रीट लाइट हेतु प्रति संयत्र रु0 22485/- (संयत्र आपूर्ति, स्थापना, कमिशनिंग एवं 05 वर्ष की कम्प्रीहेन्सिव वारण्टी के साथ) दर अनुमोदित हुई है। मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा अपनी क्षेत्र विकास निधि से संयंत्र मूल्य की पूर्ण धनराशि यूपीनेडा को उपलब्ध कराये जाने पर प्रश्नगत स्थल पर प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य कराया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ स्थित गीतापुरी खरगापुर, गोमती नगर के बिहारी लाल काम्पलैक्स से एन0सी0 पाण्डेय के घर से होते हुए भिसारी राम के घर तक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु**

**49-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित गीतापुरी खरगापुर, गोमती नगर के बिहारी लाल काम्पलैक्स से एन0सी0 पाण्डेय व ए0के0 शुक्ला के घर से होते हुए भिसारी राम के घर तक प्रकाश (स्ट्रीट लाइट) की व्यवस्था न होने से लोगों को रात में आवाजाही में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी हां।

गीतापुरी खरगापुर, गोमती नगर के बिहारी लाल काम्पलैक्स से एन0सी0 पाण्डेय व ए0के0 शुक्ला के घर से होते हुए भिसारी राम के घर तक प्रकाश (स्ट्रीट लाइट) वर्तमान कार्य योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं है।

**जनपद सीतापुर में बेसिक शिक्षा द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण सत्र जून, 2018 में स्थानान्तरित शिक्षकों के वेतन दिलाने के सम्बन्धित**

**50-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण सत्र जून, 2018 में जनपद सीतापुर में स्थानान्तरित हुए लगभग 40 शिक्षकों का वेतन भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वेतन का बकाया भुगतान करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जी नहीं।

समस्त शिक्षकों का नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है।

जी नहीं।

समस्त शिक्षकों के नियमित वेतन का बकाया भुगतान किया जा चुका है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मऊ वि0ख0 फतहपुर मण्डाव के वी0डी0ओ0 द्वारा कराये गये कार्य की जाँच कराने के सम्बन्ध में**

**51-श्री पारस नाथ यादव-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ, वि0ख0 फतहपुर मण्डाव पर तैनात वर्तमान बी0डी0ओ0 के कार्यकाल में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण सड़क खड़न्जा आदि के फर्जी भुगतान किये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कराने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव पर तैनात ए0पी0ओ0 द्वारा कराये गये कार्य की जाँच कराने की विषयक जानकारी**

**52-श्री पारस नाथ यादव-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव पर तैनात ए0पी0ओ0 मनरेगा द्वारा वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में मिट्टी कार्य खड़न्जा कार्य, सी0सी0 कार्य, आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य में अनियमितितायें किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या इसकी जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

## जनपद जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में पशुओं हेतु दवा व टीके की उपलब्धता कराने के सम्बन्ध में

**53-श्री पारस नाथ यादव-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर, गाजीपुर तथा बलिया में पशुओं को दिए जाने वाले टीके व दवायें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध न होने से तरह-तरह के बीमारियों से जानवरों की मौतें विगत दो वर्षों से लगातार हो रही हैं ? यदि हां, तो इसकी जाँच कराकर दोषियों को दण्डित कर आवश्यक टीके व दवाओं की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

**श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-**

जी नहीं।

जनपद जौनपुर, गाजीपुर एवं बलिया में विगत दो वर्षों 2017-18 एवं 2018-19 में प्रचुर मात्रा में आवश्यक वैक्सीन एवं दवायें वर्ष भर उपलब्ध रही हैं। सघन टीकाकरण के कारण विगत दो वर्षों में किसी भी प्रकार के संक्रमण/बीमारी का प्रकोप परिलक्षित नहीं हुआ, और न ही संक्रामक रोग के कारण किसी पशु की मृत्यु हुई।

वर्तमान में भी प्रश्नगत जनपदों में वैक्सीन एवं दवायें समय-समय पर पशु चिकित्सालयों को उपलब्ध करायी जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद फैजाबाद के वि0स0क्षे0 रूदौली की ग्राम सभा परसऊँ में परती जमीन को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने के सम्बन्ध में

**54-श्री संजय गर्ग-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के ग्राम सभा परसऊँ में परती जमीन पर स्थानीय दबंगों का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के ग्राम सभा परसऊँ में राजस्व अभिलेखों में परती भूमि के नाम से कोई खाता अंकित नहीं है, बल्कि नवीन परती के नाम खाता अंकित है। नवीन परती की भूमि पर किसी दबंग का कोई कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आगरा के एस0एन0 मेडिकल कालेज के भवनों के नव निर्माण के सम्बन्ध में**

**55-श्री मनीष असीजा-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में मुख्य परिसर में स्थापित कई भवन काफी पुराने होने के कारण जीर्ण-शीर्ण हैं एवं कभी भी आकस्मिक दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मेडिकल कालेज में इमरजेंसी, ट्रामा सेन्टर, ओ0पी0डी0 भवन, टी0बी0 वार्ड, पार्किंग स्थल, प्रधानाचार्य कार्यालय, महिला एवं पुरुष छात्रावासों इत्यादि के प्रस्तावित नव निर्माण के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत 300 सीटेड महिला छात्रावास, इमरजेंसी एवं ओ0पी0डी0 (जी+5) एवं टी0बी0 वार्ड के निर्माण कार्य हेतु प्रधानाचार्य एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित विस्तृत प्रस्ताव पत्र दिनांक एस0पी0एस0/2018-2019/60, 24-26, दिनांक 25-07-2018 एवं एस0पी0एस0/2018-2019/10292, दिनांक 03-11-2018 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-**

जी हां।

जी हां।

प्रधानाचार्य एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के पत्र संख्या एस0पी0एस0/2018-2019/6024-26, दिनांक 25-07-2018 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में नई मांग (शिड्यूल ऑफ न्यू डिमाण्ड) के माध्यम से रु0 104.49 करोड़ का प्राविधान वृहद् निर्माण कार्य में मेडिकल कालेज, आगरा हेतु किये जाने का प्रस्ताव निदेशालय के पत्र संख्या-एमई0/बजट/ 2018/252, दिनांक 26-07-2018 द्वारा प्राप्त हुआ था, परन्तु बजट के अभाव में वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की जा सकी। प्रधानाचार्य एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के पत्र संख्या-एस0पी0एस0/2018-2019/10292-94, दिनांक 03-11-2018 द्वारा पुनः उन्हीं कार्यों हेतु रू0 104.49 लाख का प्राविधान निर्माण कार्य मद में कराये जाने हेतु निदेशालय को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में महानिदेशक के पत्र सं0-एमई0/बजट/2018/568, दिनांक 29-11-2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में नई मांग के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से रु0 41.79 करोड़ का प्राविधान वृहद् निर्माण कार्य में किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया था, परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट के अभाव में इसकी स्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आगरा के मेडिकल कालेज आगरा को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में**

**56-श्री मनीष असीजा-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज, आगरा बनवाने हेतु शासनादेश संख्या-781-बी-1239-45, दिनांक 20-02-1946 एवं 5200/बी, दिनांक 05-09-1046 के अनुसार 154.53 एकड़ अधिग्रहीत भूमि में से 32 एकड़ मानसिक चिकित्सालय, 11 एकड़ ई0एस0आई0 अस्पताल, 9 एकड़ एस0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र एवं 84 एकड़ केन्द्रीय कारागार को आवंटित करने के पश्चात् वर्ष 1986 में शेष 15.7 एकड़ अवशेष बची है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त 15.7 एकड़ भूमि में से मौके पर 10.69 एकड़ भूमि उपलब्ध है एवं शेष भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो अतिक्रमण मुक्त/चिन्हांकन कराने के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के द्वारा तहसीलदार, तहसील सदर को प्रेषित पत्र संख्या-एस0पी0एस0/2018-2019/5239-43, दिनांक 03-07-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान में उपरोक्तानुसार उपलब्ध 10.69 एकड़ भूमि पर प्रथम चरण में आवास टाईप-4 (52 आवास) एवं वी0 (06) बाउण्ड्रीवाल सब-स्टेशन, बोरिंग पम्प हाउस, सीवर लाइन, पार्किंग रोड ड्रेनेज आदि के निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित पत्र संख्या-एस0पी0एस0/2018-2019/6024-26 दिनांक 25-07-2018 एवं एस0पी0एम0/2018-2019/10292-94, दिनांक 03-11-2018 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई करी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-**

मेडिकल कालेज, आगरा के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-781-बी-1231-45, दिनांक 20-02-1946 एवं 5200/बी, दिनांक 05-09-1946 के अनुसार 154.53 एकड़ अधिग्रहीत भूमि में से 32 एकड़ मानसिक चिकित्सालय, 11 एकड़ ई0एस0आई0 अस्पताल, 9 एकड़ एस0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र एवं 84 एकड़ केन्द्रीय कारागार को आवंटित करने के पश्चात् वर्ष 1986 में शेष 18.53 एकड़ अवशेष बची है।

जी हां। कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या-3830/डीएलआरसी, दिनांक 27-06-2019 के द्वारा तहसील सदर, आगरा को राजस्व कर्मियों की टीम गठित कर भूमि की पैमाइश कर चिन्हित करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

जी हां।

प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा के पत्र संख्या-एस0पी0एस0/2018-2019/6024-26, दिनांक 25-07-2018 द्वारा कतिपय नवीन निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में नई मांग के माध्यम से रु0 104.49 करोड़ का प्राविधान वृहद् निर्माण कार्य मद

में कराये जाने हेतु प्रेषित प्रस्ताव महानिदेशालय के पत्र संख्या-एमई0/बजट/2018/252, दिनांक 26-07-2018 द्वारा शासन में प्राप्त हुआ, किन्तु तत्समय बजट के अभाव में स्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकी। प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा के पत्र संख्या-एस0पी0एस0/2018-2019/10292-94, दिनांक 03-11-2018 द्वारा कतिपय नवीन निर्माण कराये जाने हेतु रु0 104.49 लाख का प्राविधान वृहद् निर्माण कार्य मद में कराये जाने हेतु प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में महानिदेशक द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में नई मांग के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से रु0 41.79 करोड़ का प्राविधान वृहद् निर्माण कार्य में किये जाने का प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराया गया, किन्तु बजट के अभाव में इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

**एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में निर्माणाधीन पी0जी0 छात्रावास को पूर्ण कराने हेतु**

**57-श्री मनीष असीजा-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में निर्माणाधीन 250 सीटेड पी0जी0 छात्रावास को पूर्ण करने की मूल तिथि मार्च, 2019 निर्धारित थी ? यदि हां, तो पहले से ही विलम्ब से चल रहे इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए आगामी धनराशि की किस्त उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र संख्या-एस0पी0एस0/2017-2018/4143-45 दिनांक 16-07-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-**

प्रधानाचार्य तथा कार्यदायी संस्था के बीच हुये अनुबन्ध के अनुसार मूल तिथि दिनांक 01-04-2018 निर्धारित की गयी थी।

प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा के पत्र संख्या-एस0पी0एस0/2017-18/3633-36, दिनांक 23-04-2018 द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रेषित प्रस्ताव महानिदेशालय के पत्र संख्या-एमई0/बजट/2018-19/86, दिनांक 31-05-2018 के माध्यम से शासन में प्राप्त हुआ, परन्तु बजट के अभाव में धनराशि अवमुक्त नहीं की जा सकी। इसके उपरान्त पुनः प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-एस0पी0एस0/2017-18/4143-45, दिनांक 16-07-2018 महानिदेशालय को प्राप्त हुआ।

चूंकि प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा के पूर्व पत्र संख्या एस0पी0एस0/2017-18/3633-36, दिनांक 23-04-2018 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में तत्कालीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट के अभाव में धनराशि अवमुक्त नहीं की जा सकी थी। अतः

प्रकरण में पुनः प्रेषित प्रधानाचार्य के पत्र संख्या-एस0पी0एस0/2017-18/4143-45, दिनांक 16-07-2018 पर निदेशालय द्वारा किसी कार्रवाई का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में निर्माणाधीन ओल्ड गर्ल्स हास्टल को पूर्ण कराने हेतु**

**58-श्री मनीष असीजा-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में निर्माणाधीन ओल्ड गर्ल्स हास्टल को पूर्ण करने की मूल तिथि मार्च, 2019 निर्धारित थी ? यदि हां, तो पहले से ही विलम्ब से चल रही इस परियोजना को पूर्ण कराने हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र संख्या प्रस्तुत करते हुए धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा द्वारा महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-**

प्रधानाचार्य तथा कार्यदायी संस्था के बीच हुये अनुबन्ध के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने हेतु मूल तिथि दिनांक 11-05-2019 निर्धारित थी।

जी हां।

प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा के उक्त पत्र दिनांक 31-08-2018 के माध्यम से प्रेषित उपयोगिता प्रमाण-पत्र व धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या-4244/71-1-2018-जी-64/2018, दिनांक 12-10-2018 द्वारा रु0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आगरा में एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में मेडिकल गैस पाइप लाइन का उच्चीकरण कराने हेतु**

**59-श्री मनीष असीजा-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में निर्माणाधीन मेडिकल गैस पाइप लाइन का उच्चीकरण कार्य अपने निर्धारित समय से पूर्ण के लक्ष्य मई, 2017 से काफी विलम्बित चल रहा है ? यदि हां, तो एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा द्वारा थर्ड पार्टी रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए कार्य को पूर्ण कराने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, लखनऊ, को प्रेषित पत्र संख्या-एस0पी0एस0/2018-2019/5957-60, दिनांक 24-10-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-**

जी हां।

जी हां।

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में मेडिकल गैस पाइप लाइन का उच्चीकरण कार्य के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा के उक्त पत्र दिनांक 24-10-2018 द्वारा प्रेषित थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र महानिदेशालय के पत्र संख्या-एमई0/बजट/2018-19/653, दिनांक 07-01-2019 के द्वारा आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया गया, जिस पर शासकीय पत्र दिनांक 11-04-2019, दिनांक 16-05-2019 तथा दिनांक 06-06-2019 द्वारा विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों में कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको द्वारा कराये जा रहे समस्त कार्यों की थर्ड पार्टी आडिट/जाँच एवं उनमें इंगित कमियों को दूर किये जाने हेतु किये गये प्रयासों/सुधारों व अद्ययतन प्रगति के सम्बन्ध में तुलनात्मक चार्ट तैयार कर विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं, जिसके क्रम में महानिदेशालय के पत्र संख्या-एमई0/बजट/2019-20/23, दिनांक 11-04-2019, पत्र संख्या-एमई0/बजट/2019-20/86, दिनांक 23-05-2019 तथा पत्र संख्या-एमई0/बजट/2019-20/111, दिनांक 14-06-2019, प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, झाँसी, आगरा तथा प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 सिडको को उक्तानुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**60-श्रीमती सुषमा पटेल-**

[ विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ]

## प्रदेश में बिहार राज्य की तरह पंचायतों में ग्राम न्यायालय की स्थापना और अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कराने के सम्बन्ध में

**61-श्री मो0 फईम इरफान तथा हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भी बिहार राज्य की तरह ग्राम न्यायालय स्थापित कर ग्रामीणों को सुलभ सस्ता और पुलिस के दखल विहीन आसान न्याय उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक गांव में किसी निश्चित समयावधि तक अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण की योजना सरकार लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी हाँ।

न्याय विभाग की अधिसूचना दिनांक 23-05-2014 द्वारा 12 ग्राम न्यायालय, अधिसूचना दिनांक 24-11-2015 द्वारा 92 ग्राम न्यायालय एवं अधिसूचना दिनांक 09-05-2019 द्वारा 09 ग्राम न्यायालय की स्थापना हेतु निर्गत की जा चुकी है।

पंचायती राज विभाग के शासनादेश दिनांक 02-09-2014 में दी गयी व्यवस्थानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए योजनान्तर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि से यथासम्भव अधिकतम अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में राजस्व विभाग के मुकदमे शीघ्र निस्तारित करने तथा लेखपालों को सुविधाएं दिए जाने से सम्बन्धी

**62-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजस्व सम्बन्धी मुकदमों का समयवद्ध निस्तारण न करने वाले न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और वादकारियों को त्वरित न्याय दिलाने तथा लेखपालों को उनके कार्यों की आवश्यकता, प्राथमिकता एवं व्यवहारिकता के दृष्टिगत उन्हें लैपटॉप व स्मार्ट फोन दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हाँ।

राजस्व सम्बन्धी मुकदमों का समयवद्ध निस्तारण न करने वाले न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध समय-समय पर कार्रवाई की जाती रही है।

प्रदेश के समस्त कार्यरत राजस्व लेखपालों को ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत लैपटाप तथा प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के अन्तर्गत स्मार्ट फोन उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव में इण्टरमीडिएट (11 व 12 की कक्षाएं) विद्यालय निर्माण कराने के सम्बन्ध में

**63-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में राजकीय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहरी में कक्षा 9 व 10 की कक्षाएं संचालित हैं किन्तु उक्त विद्यालय में कक्षा 11 व 12 की कक्षाएं संचालित न होने के कारण छात्र-छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने हेतु दूर के विद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट तक करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 दिनेश शर्मा-**

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहरी सोरांव, प्रयागराज के निकट 0 से 05 कि0मी0 की परिधि में संचालित विद्यालय निम्नवत् हैं :-

01- राजकीय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहरी, प्रयागराज।

06-वित्तविहीन मान्यता प्राप्त-

(1) सीताराम पटेल इण्टर कालेज, गोहरी, सोरांव, प्रयागराज।

(2) सरदार पटेल इण्टर कालेज, पटेलनगर, गोहरी, प्रयागराज।

(3) बाल निकेतन इण्टर कालेज, फाफामऊ, प्रयागराज।

(4) शिवम इण्टर कालेज, लोहरा गोहरी, सोरांव, प्रयागराज।

(5) आर0पी0 सिंह स्मारक इण्टर कालेज, रंगपुरा, प्रयागराज।

(6) बाबा राम लखन दास इण्टर कालेज, पंडिला महादेव, प्रयागराज संचालित है, जिसमें बालक/बालिका दोनों अध्ययनरत् हैं।

## प्रदेश में सम्पूर्ण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित शौचालयों के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

**64-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित जर्जर शौचालयों का पुनर्निर्माण तथा उनकी देख-रेख की व्यवस्था कराने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

प्रदेश में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित जर्जर शौचालयों के पुनर्निर्माण तथा उनके देख-रेख की व्यवस्था है।

परिषदीय, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जर्जर शौचालयों का पुनर्निर्माण पंचायती राज विभाग के माध्यम से कराये जाने हेतु शासनादेश सं0-1810/68-5-2018, दिनांक 15-11-2018 द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को निर्देश दिए गए हैं। पंचायती राज विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायत में रखे गये सफाई कर्मी द्वारा विद्यालयों में साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा लखनपुर करन में नहर से जानकी प्रसाद के घर तक जर्जर आम रास्ते के मरम्मत कराने की विषयक जानकारी

**65-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा लखनपुर करन में नहर से जानकी प्रसाद के घर तक लगभग

500 मीटर आम रास्ता जर्जर है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त में इण्टरलॉकिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी हाँ।

जी नहीं।

ग्राम पंचायत लखनपुर करन का आकार एवं जनसंख्या कम है। ग्राम पंचायत लखनपुर करन में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 10.67 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2019-20 में अभी तक 14वां वित्त आयोग की कुल रु0 5.45 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। सन्दर्भित इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग रु0 25 लाख है। ग्राम पंचायत में उक्त कार्य को पूर्ण कराने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। अतः ग्राम पंचायत से उक्त कार्य नहीं कराया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा लखनपुर करन में पेयजल की समस्या से निजात पाने के लिए एक ओवरहेड टैंक की स्थापना कराने के सम्बन्ध में**

**66-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा लखनपुर करन तथा कमालपुर में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु उक्त ग्रामों में ओवरहैड टैंक की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा लखनपुर की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2,229 है तथा कमालपुर की कुल जनसंख्या 2,239 है। वर्तमान में लखनपुर करन में 34 एवं कमालपुर में 20 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। उक्त दोनों ग्राम निर्धारित मानक 150 की आबादी पर एक इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प के आधार पर पेयजल हेतु इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों से संतृप्त है। सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार जापानी इन्सेफ्लाइटिस/ एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम (जे0ई0/ए0ई0एस0), आर्सेनिक/फ्लोराइड तथा चयनित सांसद आदर्श ग्रामों में प्राथमिकता पर पाइप पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव की ग्राम-सभा लखनपुर करन तथा कमालपुर उक्त प्राथमिकता से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद आजमगढ़ के यू0पी0 पुलिस की डायल 100 सेवा द्वारा अवैध वसूली के सम्बन्ध में**

**67-श्री नफीस अहमद-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में यू0पी0 पुलिस की डायल 100 सेवा में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध वसूली, समझौते के नाम पर धन उगाही की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हाँ।

यू0पी0-100 मुख्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुरूप वर्ष 2019 में माह मई के अन्त तक डायल-100 सेवा में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा जनपद आजमगढ़ में अवैध वसूली से संबंधित 93 शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं समझौते के नाम पर धन उगाही से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

यू0पी0-100 में कार्यरत पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच एवं कार्रवाई के लिए संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है।

परियोजना के प्रारम्भ से माह मई, 2019 तक प्राप्त 93 शिकायतों में से 77 शिकायतों में जाँच की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है शेष 16 पर कार्रवाई प्रचलित है, जिसमें 02 जाँचें सही पाये जाने पर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद आजमगढ़ में जनवरी, 2018 से मार्च, 2019 तक हुए साइबर अपराध के सम्बन्ध में**

**68-श्री नफीस अहमद-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जनवरी, 2018 से मार्च, 2019 तक साइबर अपराध की कितनी घटनाएं घटित हुई हैं और कितने अपराधों की जाँच पूर्ण कर कितने अपराधी जेल भेजे गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि साइबर क्राइम से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद आजमगढ़ में दिनांक 01 जनवरी, 2018 से मार्च, 2019 तक कुल 106 साइबर अपराध की घटनाएं घटित हुई हैं और 90 अपराधों की जाँच पूर्ण कर 65 अपराधी जेल भेजे गये हैं।

अब तक प्रदेश के 100 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद शाहजहांपुर के वि0स0क्षे0 जैतीपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय जैतीपुर में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में

**69-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय जैतीपुर में वर्ष 2017-18 में विद्युतीकरण कराने हेतु शासन द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी ? क्या उक्त विद्यालय में विद्युतीकरण शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत करा दिया गया है ? यदि नहीं तो क्या सरकार उक्त हेतु दोषी के विरुद्ध कार्रवाई कर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जनपद शाहजहांपुर के 458 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सत्र 2017-18 में विद्युतीकरण एवं वायरिंग फिटिंग तथा उपकरणों की व्यवस्था हेतु निदेशालय द्वारा रु0 36343/- प्रति विद्यालय की दर से कुल रु0 1,73,71,954/-(रुपये एक करोड़ तिहत्तर लाख इकहत्तर हजार नौ सौ चौव्वन मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी थी, जिसमें से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा रु0 29388/- (रुपये उन्तीस हजार तीन सौ अट्ठासी मात्र) की धनराशि विकास खण्ड जैतीपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय जैतीपुर के विद्युतीकरण एवं वायरिंग फिटिंग तथा उपकरणों हेतु दी गयी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम कांथा के मोहल्ला रमना में सरकारी भूमि गाटा संख्या-2287 पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में

**70-श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम कांथा के मोहल्ला रमना में सरकारी भूमि गाटा संख्या-2287 पर सरकारी धनराशि से अवैध निर्माण करने वाले कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध रा0सं0 की धारा-67 के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त आवास निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी सरकारी धनराशि की वसूली करते हुए दोषियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-**

जी हां।

ग्राम कांथा परगना-असोहा, तहसील-पुरवा, जनपद-उन्नाव की गाटा संख्या-2287 क्षेत्रफल-3.8070 हे0 में से 0.063 हे0 पर रामशंकर पुत्र देशराज उर्फ देशा नि0 ग्राम के नाम अंकित है तथा 3.743 हे0 भूमि ऊसर खाते के नाम दर्ज है। उक्त ऊसर भूमि के क्षेत्रफल 0.003 हे0 पर अशोक कुमार पुत्र मंगल नि0 कांथा का कब्जा है, जिस पर अशोक कुमार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का निर्माण कराया जा रहा था जिस पर छत नहीं पड़ी है। उक्त भूमि/मकान पर उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार पुरवा वाद संख्या-टी 201810690200790 गांव सभा कांथा बनाम अशोक कुमार योजित किया गया है। उक्त वाद विचाराधीन है।

वाद विचाराधीन होने के कारण कार्रवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश के सार्वजनिक व धार्मिक भवनों की छत पर सोलर पैनल स्थापित करने के सम्बन्ध में**

**71-श्री मो0 फईम इरफान तथा हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक व धार्मिक भवनों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित कर सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री ब्रजेश पाठक-**

जी हां।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक व धार्मिक भवनों की छतों पर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना का कार्य उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के सभी विद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में**

**72-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किसी निश्चित अवधि तक शुद्ध पेयजल की सुविधा सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।

परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की सुविधा पंचायती राज विभाग के माध्यम से कराये जाने हेतु शासनादेश सं0-1810/68-5-2018, दिनांक 15-11-2018 द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को निर्देश दिए गए हैं। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधायें यथा- अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, बाउण्ड्रीवाल, गेट, शौचालय, पानी की व्यवस्था, टैंक सहित, सबमर्सिबल पम्प, इण्टरलॉकिंग टाइल्स एवं हैण्डवाश फैसिलिटी की सुविधायें पंचायती राज विभाग द्वारा यथासम्भव उपलब्ध करायी जानी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**73-श्री संजय गर्ग-**

[ 02 शुक्रवार के अता0 प्र0 स0-47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**जनपद प्रयागराज के ब्लाक करछना के अन्तर्गत ग्राम इसौटा में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में**

**74-श्री राजीव सिंह ''पारीक्षा''-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के ब्लाक करछना के अन्तर्गत ग्राम इसौटा में राजकीय इण्टर कालेज न होने के कारण वहां के छात्र/छात्राओं को इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के लिये ग्राम पंचायत से दूर जाना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम इसौटा में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 दिनेश शर्मा-**

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उक्तवत्।

ब्लाक करछना के अन्तर्गत ग्राम इसौटा के 10 कि0मी0 की परिधि में 04 अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कालेज एवं 09 अशासकीय मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज इस प्रकार कुल 13 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें सहशिक्षा (बालक/बालिका) दोनों अध्ययनरत् हैं।

**जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के ग्राम सभा अशरफपुर राजा साहब में चकबन्दी प्रक्रिया को समयबद्ध सीमा में पूर्ण कराने हेतु**

**75-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के ग्राम सभा अशरफपुर राजासाहब, तहसील महमूदाबाद में चकबन्दी प्रक्रिया की शुरुआत वर्ष 1968 में प्रारम्भ की गयी

थी ? यदि हां, तो क्या इस चकबन्दी के कार्य को पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार कोई समयबद्ध सीमा में चकबन्दी को पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं। ग्राम अशरफपुर राजासाहब, तहसील महमूदाबाद में धारा-4(2) के अन्तर्गत प्रथम चक्र की चकबन्दी प्रक्रिया का प्रख्यापन विज्ञप्ति संख्या-3598/जी0-162-ए/65, दिनांक 09-04-1990 द्वारा किया गया। जिसका गजट में प्रकाशन दिनांक 21-07-1990 को हुआ था।

धारा-4(2) के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन दिनांक 21-07-1990 द्वारा ग्राम अशरफपुर राजा साहब में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, परन्तु मा0 उच्च न्यायलय इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-868/2007 में पारित आदेश दिनांक 15-04-2008 द्वारा ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया को स्थगित का दिया गया है। उक्त रिट याचिका में पारित स्थगनादेश मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 03-11-2014 द्वारा निरस्त किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के वैकेट होने के पश्चात् ग्राम के कार्य को आगे बढ़ाते हुए चकदारों को उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत नव प्रदिष्ट चकों पर कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

जी हां। ग्राम अशरफपुर राजासाहब, तहसील महमूदाबाद में वित्तीय वर्ष 2019-20 की कार्य-योजना के अनुसार अन्तिम अभिलेख तैयार कराने के पश्चात् माह मार्च, 2020 तक उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-52(1) के अन्तर्गत चकबन्दी की कार्यवाहियां पूर्ण कर ली जायेंगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर को दिनांक 29-09-2018 को पत्र संख्या आई0जी0आर0एस0सं0-20015218024992 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में**

**76-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-**

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर दिनांक 29-09-2018 को प्रश्नकर्ता के पत्र जिसका आई0जी0आर0एस0सं0-20015218024992 जो नल रि-बोर से सम्बन्धित था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी हाँ।

आई0जी0आर0एस0सं0-20015218024992 के अनुपालन में राजस्व ग्राम बघौली की ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर कुवेरपुर, विकास खण्ड कलान में क्रमशः श्री लटूरी के घर के पास एवं श्री अमर पाल के घर के पास अधिष्ठापित दोनों नलों को माह सितम्बर, 2018 में ही रि-बोर करा दिया गया था, जो कि वर्तमान में चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव के ग्राम सोरांव में ओवरहेड टैंक की स्थापना कराने के सम्बन्ध में**

**77-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ग्राम सोरांव कस्बा में आबादी अधिक होने के कारण निवासियों को पेयजल की सप्लाई सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु कस्बा सोरांव में एक ओवर हेड टैंक की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा सोरांव की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या 9,384 है। वर्ष 1974-75 में सोरांव ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण किया गया था। उक्त योजना से सोरांव सहित कुल 27 ग्रामों को तत्समय आच्छादित किया गया था। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार योजना की अभिकल्पित आयु 30 वर्ष थी तथा वर्तमान में कार्यकाल पूर्ण कर चुकी है। जनसंख्या एवं आबाद क्षेत्र में विस्तार के कारण योजना में सम्मिलित ग्रामों को जलापूर्ति देने में सक्षम नहीं है तथा वर्तमान में 18 ग्रामों में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम सभा सोरांव के आंशिक भाग में 819 गृह संयोजना कार्यशील हैं एवं उनके माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम सोरांव में वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु 63 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प स्थापित हैं। इस प्रकार उक्त ग्रामसभा निर्धारित मानक के अनुरूप पेयजल से संतृप्त है।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश में सभी प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बन रहे मध्याह्न भोजन (मिड-डे-मील) में भारी अनियमितता के सम्बन्ध में**

**78-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बन रहे मध्याहन भोजन (मिड-डे-मील) में भारी अनियमितता की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मिड डे मील की मानक के अनुरूप गुणवत्ता की जाँच हेतु कोई कमेटी बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

1-मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत समय-समय पर जनपद एवं प्रदेश स्तर पर योजना के संचालन में अनियमितता से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त होने पर प्राप्त शिकायतों की प्रकृति के दृष्टिगत जांच करायी जाती है।

2-मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर टास्क फोर्स गठित है।

3-प्रदेश स्तर से योजना के संचालन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निर्देश निर्गत हैं।

अतः मिड-डे-मील के मानक की गुणवत्ता हेतु पृथक कमेटी बनाये जाने का औचित्य नहीं है।

**प्रदेश में समस्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक अनुसेवक तैनात कराने के सम्बन्ध में**

**79-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समस्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक अनुसेवक की तैनाती करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुसेवक की तैनाती के सम्बन्ध में सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**जनपद आजमगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019 में स्वेटर, जूते, मोजे वितरण के सम्बन्ध में**

**80-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को ठंड से बचाव के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 में स्वेटर, जूते, मोजे आदि वितरित नहीं किये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद आजमगढ़ व दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में स्वेटर, जूते, मोजे वितरित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जी नहीं।

शैक्षिक सत्र 2017-18, 2018-19, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को ठंड से बचाव के लिए स्वेटर, जूते, मोजे आदि वितरित किये गये हैं।

जनपद आजमगढ़ व दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में भी जूते, मोजे का वितरण किया गया है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकास व कूड़ा प्रबन्धन हेतु भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी**

**81-श्री मो0 फईम इरफान तथा हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक भूमि व तालाबों की अनुपलब्धता वाले ग्रामों में जल निकास/भण्डारण व कूड़ा प्रबन्धन हेतु भूमि अधिग्रहीत कर उक्त व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी नहीं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अगले महत्वपूर्ण घटक के रूप में ग्रामों को खुले में शौच मुक्त किए जाने के उपरान्त ओ0डी0एफ0 प्लस गतिविधि के रूप में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन किया जाना है।

**मिड-डे-मील रसोईयागण की समस्याएं हल किए जाने सम्बन्धी**

**82-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोईयागण को मिलने वाले रु0 1500 मासिक अल्प मानदेय को सरकार बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत बढ़ायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना में रसोइया मानदेय रु0 1000/- प्रतिमाह अनुमोदित है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में निर्धारित है।

अग्रेतर राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-391/अड़सठ-3-2019-143/2019 दिनांक 09 मार्च, 2019 के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग में मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत जनपदों में कार्यरत रसोइयों का मानदेय रु0 1000/-प्रतिमाह से रु0 500/- बढ़ाकर रु0 1500/- प्रतिमाह किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में रसोइयों को रु0 1500/- (केन्द्रांश रु0 600/- एवं राज्यांश रु0 900/-) का भुगतान किया जा रहा है। तद्नुसार मानदेय में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

**जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 जैतीपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में**

**83-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के विकास खण्ड जैतीपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितने उच्च प्राथमिक

विद्यालयों को विद्युतीकरण कराने हेतु सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई थी ? क्या सरकार बतायेगी कि जिन विद्यालयों को धनराशि उपलब्ध कराई गई थी उन विद्यालयों में निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जनपद शाहजहांपुर के वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 10 उच्च प्राथमिक तथा 20 प्राथमिक विद्यालय अर्थात् कुल 30 विद्यालयों हेतु धनराशि निदेशालय से अवमुक्त की गयी थी, जिसमें से विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय सिमरिया रायपुर, विकास खण्ड जैतीपुर का विद्युतीकरण कराया गया है।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सम्बन्ध में**

**84-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर कार्यालय के अन्तर्गत जनपद में कितने थाने तथा पुलिस चौकियां किस-किस स्थान पर स्थापित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 01-04-17 से 10-02-19 तक किन-किन थानों तथा चौकियों में किस-किस तिथि को क्या-क्या मरम्मत बिल्डिंग तथा पुताई आदि का कार्य कितनी धनराशि का कराया गया तथा उपरोक्त कार्यों को कराने में क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गयी ? क्या सरकार वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 19-06-2019 की सूचनानुसार जनपद शाहजहांपुर में 23 थाने एवं 42 अस्थाई चौकियों व अन्य बिन्दुओं से संबंधित विवरण संलग्न † है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद अलीगढ़ सीमा के अन्तर्गत आने वाले मथुरा सीमा से खैर मार्ग के पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में**

**85-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ सीमा के अन्तर्गत आने वाले मथुरा सीमा से खैर मार्ग (पचेहरा से फतेहगढ़ी सम्पर्क मार्ग) के

---

† देखिये नत्थी 'च' का उत्तर आगे पृष्ठ संख्या 143-247 पर।

पुनर्निर्माण/मरम्मत/चौड़ीकरण हेतु धनराशि रु0 67.87 लाख की वर्ष 2018-19 में स्वीकृति के बाद भी उक्त मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत/चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह'-**

नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-40/2018/1494/35-4-2018, दिनांक 18-12-2018 द्वारा पचेहरा से फतेहगढ़ी सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके क्रम में अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल-अलीगढ़ के कार्यालय के पत्र दिनांक 27-02-2019 द्वारा उक्त कार्य की निविदा स्वीकृति की गयी। उक्त कार्य में 02 कोट का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा लेपन स्तर का कार्य अभी शेष है जिसे वर्षा ऋतु के उपरान्त पूर्ण करा दिया जायेगा।

## लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित टैगोर पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में

**86-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के टैगोर पुस्तकालय में स्थायी पुस्तकालयाध्यक्ष न होने से शोध छात्रों को शोध कार्य में अन्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर स्थाई नियुक्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 दिनेश शर्मा-**

जी नहीं, विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जो शोध कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की टैगोर लाइब्रेरी के लिए शासनादेश दिनांक 26-07-1983 द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष सहित तीन अस्थायी पद सृजित किये गये थे। शासनादेश दिनांक 28-09-1987 द्वारा इन पदों का सततीकरण दिनांक 29-02-1988 तक किया गया था। पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियमित नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की गयी। पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के सततीकरण की कार्यवाही की जा रही है। सततीकरण के उपरान्त पद को भरे जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

## उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में

**87-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था तथा डकैती, साम्प्रदायिक दंगा, दिनदहाड़े हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती, बलात्कार, महिला उत्पीड़न,

छिनैती, चोरी आदि की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए कोई प्रभावी कार्य-योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है तथा कार्य योजना के अनुरूप अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

प्रदेश में घटित होने वाले अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। अपराधों की रोकथाम हेतु हत्या के प्रकरणों में विवाद एवं रंजिश को चिन्हित कर सम्बन्धित पक्षों को पाबन्द कर उन पर सतर्क दृष्टि रखते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध एन0एस0ए0, गैंगेस्टर एक्ट एवं गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की जाती है।

विगत 10 वर्षो में लूट, डकैती एवं अपहरण की घटनाओं में प्रकाश में आये अभियुक्तों की वर्तमान गतिविधियों की गहनता से जानकारी कर आवश्यकतानुसार सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। ऐसे अभियोगों का न्यायालय में विचारण के दौरान प्रभावी पैरवी करके अभियुक्तगण को सजा दिलाने की समुचित व्यवस्था की गयी है।

'वेब बेस्ड क्राइम मैपिंग सिस्टम' में 'हांट स्पॉट' चिन्हित कर सुनियोजित गश्त/पिकेट व चेकिंग कराकर इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की गयी है।

अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु ''यू0पी0-100'' परियोजना को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपदों में ''एण्टी रोमियों दल'' को गठित करते हुए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त ''वूमेन पावर लाइन-1090'' भी क्रियाशील है।

वर्तमान में महिलाओं के विरुद्ध घटनाओं के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के अधीन ''महिला सम्मान प्रकोष्ठ'' स्थापित है।

प्रदेश में सरकारी/निजी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु ''एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स'' का गठन किया गया है।

प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के भयमुक्त वातावरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने के संबंध में प्रदेश के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ''प्रथम सूचना रिपोर्ट काउन्टर'' खोले गये हैं।

प्रदेश में अपराध तथा अपराधियों पर जीरो टॉलरेन्स के सिद्धान्त पर कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

आम नागरिकों के मध्य सुरक्षा का माहौल स्थापित करने तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किये जाने हेतु भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय ऊँचाहार, रायबरेली में मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत श्री हरिओम सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में**

**88-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय कमोली, विकास खण्ड ऊँचाहार में मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत श्री हरिओम सहायक अध्यापक के पद पर की गई अनियमित नियुक्ति में दोष सिद्ध होने के उपरान्त सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद का पत्रांकः बे0शि0प0/17324/2016-17, दिनांक 03-03-2017 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जी हां।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र सं0-2420-24/2019-20, दिनांक 12-07-2019 द्वारा संबंधित पटल सहायक को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, वि0स0 का पत्र दिनांक 06-02-2019 पर संलग्नकों सहित पत्र संख्या 3369 रायबरेली जिलाधिकारी को दिये जाने के सम्बन्ध में**

**89-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 06-02-2019 संलग्नकों का सहित जोकि सहायक अध्यापिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेंद-रायबरेली के द्वारा प्राथमिक विद्यालय सैदनपुर, विकास खण्ड-राही, जनपद रायबरेली के विभागीय शासकीय अभिलेखों में हेरफेर, ओवर कटिंग व कूटरचित अभिलेख तैयार करने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी रायबरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जी हां।

प्रकरण में विधिक कार्रवाई हेतु क्षेत्राधिकारी नगर रायबरेली को पत्र संख्या-प0स्था0/15836/2018-19, दिनांक 01-02-2019 प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-फिरोजाबाद में निर्माणाधीन रसूलपुर थाना भवन को जारी की गयी धनराशि के विषयक जानकारी**

**90-श्री मनीष असीजा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद में निर्माणाधीन रसूलपुर थाना भवन के लिये जारी की गयी प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित द्वितीय किस्त हेतु

धनावंटन का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार थाना रसूलपुर के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु आवश्यक द्वितीय किस्त जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

**जिला जज न्यायालय फिरोजाबाद में तीसरी मंजिल में अदालतों के संचालन के सम्बन्ध में**

**91-श्री मनीष असीजा-**

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जज न्यायालय फिरोजाबाद में तीसरी मंजिल में अदालतों के संचालन के दौरान वृद्ध/दिव्यांग नागरिकों को सीढ़ियों के माध्यम से पहुँचने में परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समस्या हेतु उक्त परिसर में लिफ्ट लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री ब्रजेश पाठक-**

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रश्नकर्ता के द्वारा मा0 मुख्य मंत्री के प्रेषित संख्या क-6 नं0 247215, दिनांक 01-02-2019 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में**

**92-श्री मनीष असीजा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद में तहसील के अन्दर मौजा नैपई वर्ष 1425 फसली में साती रोड के किनारे वेशकीमती आवासीय उपयोग की भूमि का तहसीलदार सदर ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुये गुड्डी देवी पत्नी श्री सत्यप्रकाश, निवासी शेखपुर, हेमलता पत्नी श्री प्रदीप कुमार, निवासी-हिम्मतपुर एवं राजवीर सिंह पुत्र श्री बाबूराम आदि को नियम विरुद्ध कृषि उपयोग में आवंटित कर दिया गया है एवं इस प्रकरण में शिकायत होने पर इस घोटाले में पूरी तरह से संलिप्त तहसीलदार सदर द्वारा स्वयं इस प्रकरण की जांच करते हुये लेखपाल को निलम्बित कर दिया और खुद को दोष मुक्त कर दिया ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय/विजिलेंस जांच करवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्य मंत्री जी को प्रेषित पत्र संख्या क-6 नं0 247215, दिनांक

01-02-2019 एवं प्रमुख सचिव राजस्व को प्रेषित पत्र संख्या क-6 नं0 247216, दिनांक 01-02-2019 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

भूमि प्रबंधक समिति ग्राम नैपई जनपद फिरोजाबाद द्वारा पारित कृषि आवंटन प्रस्ताव दिनांक 04-10-2017 के आधार पर लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी, सदर, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 30-01-2018 को 06 व्यक्तियों को कृषि आवंटन स्वीकृत किया गया। स्वीकृत कुल 06 व्यक्तियों में से 03 आवंटी श्रीमती गुड्डी देवी, श्रीमती हेमलता तथा श्री राजवीर सिंह अपात्र पाए गए। उक्त आवंटियों की अपात्रता का विस्तृत उल्लेख करते हुए आवंटन स्वीकृति उपरान्त तहसीलदार, सदर, फिरोजाबाद/उप जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा कृषि आवंटन निरस्तीकरण की आख्या जिलाधिकारी फिरोजाबाद को प्रेषित की गयी। उपरोक्त अनियमित रूप से स्वीकृत पट्टेदारों के विरुद्ध वाद पट्टा निरस्तीकरण अन्तर्गत धारा-128 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006, न्यायालय अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), फिरोजाबाद के समक्ष लम्बित हैं। प्रकरण की जांच नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा की गयी। जांच में तहसीलदार सदर की कृषि आवंटन के प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध चल रहें प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को बेसिक शिक्षा के प्राइमरी विद्यालयों के समतुल्य सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में**

**93-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा (इण्टर कालेजों से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों) के अधीन चल रहे प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को बेसिक शिक्षा के प्राइमरी विद्यालय के समतुल्य सुविधा सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 दिनेश शर्मा-**

जी नहीं,

उक्तवत्।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 (यथा संशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सेवा सम्बन्धी लाभ दिये जाते हैं, जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक शिक्षकों को इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सेवा सम्बन्धी लाभ प्रदान किये जाते हैं।

**प्रदेश में सरकार द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन करने की योजना के सम्बन्ध में**

**94-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत्र मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन करने की क्या योजना है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री ब्रजेश पाठक-**

जी हां।

प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन करने की निम्नलिखित योजनायें हैं :-

(1) उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2017 दिसम्बर 2017 में प्रतिपादित की गयी है।

(2) जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम।

जी हाँ।

उक्त नीतियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

(1) सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10700 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की स्थापना लक्षित है, जिसमें से 6400 मेगावाट क्षमता यूटीलिटी स्केल ग्राउन्ड माउन्टेड सौर ऊर्जा उत्पादन प्लाण्ट की स्थापना से प्राप्त की जायेगी तथा 4300 मेगावाट क्षमता रूफटॉप सौर पावर परियोजाओं की स्थापना से प्राप्त की जायेगी।

(2) प्रदेश में जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से फरवरी, 2018 में नीति जारी की गयी है, जिसके अन्तर्गत बायो डीजल, बायो एथेनाल, मेथेनाल, बायोगैस, बायो सीएनजी, प्राड्यूसर गैस, बायो कोल की उत्पादन इकाइयों की स्थापना करायी जा रही है। इन उद्यमों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निवेश के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही 10 वर्षो तक एस-जीएसटी की प्रतिपूर्ति तथा भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव में थाना बहरिया में ग्राम सभा करनाईपुर में पुलिस चौकी की स्थापना कराने के सम्बन्ध में**

**95-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में थाना बहरिया के अन्तर्गत ग्राम सभा करनाईपुर थाना सोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा शिवगढ़ बाजार तथा थाना मऊआइमा के अन्तर्गत ग्राम ठादियानी व हरकपुर के मध्य में पुलिस चौकी की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में थाना बहरिया के अन्तर्गत ग्राम सभा करनाईपुर थाना सोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा शिवगढ़ बाजार तथा ग्राम मऊआइमा के अन्तर्गत ग्राम ठादियानी व हरकपुर के मध्य में पुलिस चौकी की स्थापना के सम्बन्ध में भूमि उपलब्धता सहित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज के माध्यम से शासन के विचारार्थ अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र फाफामऊ के ब्लाक कौड़िहार में गंगाघाट पर स्थित ब्रह्मकुमारी साधना कुंज में 10 सोलर लाइट की स्थापना कराने हेतु**

**96-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के ब्लाक कौड़िहार में गंगाघाट पर स्थित ब्रह्मकुमारी साधनाकुंज में विद्युत प्रकाश व्यवस्था न होने से निवासियों को काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ब्रह्मकुमारी साधना कुंज में 10 सोलर लाइट की स्थापना करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री ब्रजेश पाठक-**

विद्युत प्रकाश व्यवस्था सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा तथा सार्वजनिक स्थलों पर सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा करायी जाती है।

शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक प्रकाश की व्यवस्था हेतु प्रोजेक्ट मोड (राज्यानुदान) योजना में सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है। योजना में राज्यानुदान रु0 7100.00 प्रति संयंत्र के अलावा संयंत्र मूल्य की अवशेष धनराशि मा0 जनप्रतिनिधियों/ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायतों द्वारा अपनी क्षेत्र विकास निधि से अंशदान के रूप में वहन की जाती है।

मा0 जन-प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये प्रस्ताव एवं लाभार्थी संस्था अंशदान की धनराशि यूपीनेडा को प्राप्त होने पर ब्रह्मकुमारी साधनाकुंज में 10 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य कराया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव के ग्रा0 सोरांव के आस-पास बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराने विषयक**

**97-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ग्राम सोरांव कस्बा के आस-पास लगभग 10 किलोमीटर तक कोई भी बालिका इण्टर

कालेज न होने के कारण छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्राओं की शिक्षा हेतु सोरांव में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 दिनेश शर्मा-**

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उक्तवत्।

विधान सभा सोरांव के ग्राम सोरांव कस्बा के आस-पास लगभग 10 कि0मी0 में 02 सहायता प्राप्त-(1) मेवालाल अयोध्या प्रसाद इण्टर कालेज, सोरांव प्रयागराज (2) सोरांव इण्टर कालेज, सोरांव प्रयागराज तथा 09 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त- (1) आदर्श इण्टर कालेज, शास्त्रीनगर, सोरांव प्रयागराज (2) अजीत प्रताप इण्टर कालेज, शाहपुर, अटरामपुर, प्रयागराज (3) विद्यावती इण्टर कालेज, बलकरनपुर प्रयागराज (4) सीताराम इण्टर कालेज, गोहरी, प्रयागराज (5) सरदार पटेल इण्टर कालेज, पटेलनगर, गोहरी, प्रयागराज (6) राम सुचित पटेल इण्टर कालेज, भौजी तारा गोटरी, सोरांव प्रयागराज (7) ललिता सिंह बालिका इण्टर कालेज, सोरांव प्रयागराज (8) राम प्यारी बालिका इण्टर कालेज, हाजीगंज, सेवइत सोरांव प्रयागराज (9) होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल प्रसादपुर सोरांव, प्रयागराज संचालित हैं, जिसमें बालक/बालिका दोनों अध्ययनरत् हैं।

## जनपद आजमगढ़ के नव निर्मित तहसील मार्टिनगंज हेतु स्वीकृत धनराशि एवं ट्रेजरी तथा अन्य विभागों के निर्माण के सम्बन्ध में

**98-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ स्थित नवनिर्मित तहसील मार्टिनगंज हेतु कुल कितनी धनराशि की स्वीकृति की गयी तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कुल कितना निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत तहसील भवन के अतिरिक्त कुल और कितने कार्यालयों के भवनों का निर्माण कराया जाना था ? क्या सरकार को जानकारी है कि ट्रेजरी तथा अन्या विभागों के निर्माण का कार्य रुका है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार रुके हुए कार्यों को शुरू कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद आजमगढ़ की तहसील मार्टिनगंज के अनावासीय भवन के निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 02 फरवरी, 2016 द्वारा रु0 340.26 लाख स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु0 340.26 लाख अवमुक्त हुआ एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष भूतल पर फ्लोर फिनिशिंग कार्य तथा बाउन्ड्रीवाल का कार्य एवं प्रथम तल पर स्ट्रक्चरल कार्य प्रगति पर है।

तहसील मार्टिनगंज में भूतल, प्रथम तल, रैम्प, हवालात, बैरक, लिटिजेन्टशेड व कैन्टीन, साइकिल स्टैन्ड, ट्वायलेट ब्लाक, गैराज, पम्प हाउस का निर्माण कराया जाना है।

ट्रेजरी या अन्य किसी विभाग का निर्माण कार्य नहीं रूका है।

जनपद आजमगढ़ की तहसील मार्टिनगंज का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बस्ती के दक्षिणी छोर से मौजा-बनहीं चौहान एवं अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए मऊ-बलिया सरहत दक सड़क के अवैध कब्जे के सम्बन्धित**

**99-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की घोसी तहसील में मलेरीकोट-पहसा मार्ग पर स्थित ग्राम-लखनी अनुसूचित जाति बस्ती के दक्षिणी छोर से मौजा-बनहीं चौहान एवं अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए मऊ-बलिया सरहद तक जाने वाली सड़क की अभिलेखों में चौड़ाई कितनी है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग के दोनों तरफ किसानों द्वारा सड़क काटकर अपने खेतों में मिला लिय गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग की पक्की पैमाइश कराकर नक्शे एवं रकबे के अनुसार अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, घोसी से करायी गयी, जिसके अनुसार लखनीमुबारकपुर अनुसूचित जाति बस्ती के दक्षिण छोर से मलेरी को पहसा मार्ग से गाटा सं0-810 (सुरजन आदि) के खेत तक पिच रोड चकमार्ग गाटा सं0 1088 क्षेत्रफल 0.253 हे0 राजस्व रिकार्ड के अनुसार चौड़ाई 15 कड़ी है, मौके पर 25 कड़ी बना है। लखनीमुबारकपुर की गाटा सं0-810 (सुरजन आदि खेत) बस्ती बनही से सेहनद में आराजी नं0-38 (यशवंत आदि बस्ती बनही) तक पिच रोड लखनीमुबारकपुर चकमार्ग गाटा सं0-1237 रकबा 0.269 हे0 तथा सेहनद की चकमार्ग गाटा सं0-23 रकबा 0.040 हे0 संयुक्त रूप से बना है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार चौड़ाई 23 कड़ी है जबकि मौके पर 25 कड़ी है। लखनीमुबारकपुर में नहर में सेहनद की गाटा सं0-76 (राजू आदि) अनुसूचित जाति बस्ती तक चकमार्ग केवल लखनीमुबारकपुर की गाटा सं0-1237 पर बना है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार चौड़ाई 15 कड़ी है जबकि मौके पर 20 कड़ी है। ग्राम सेहनद की गाटा सं0-76 (राजू आदि) से जनपद बलिया सरहद तक लखनी मुबारकपुर चकमार्ग की गाटा सं0-237 तक सेहनद की चकमार्ग गाटा सं0-96 पर संयुक्त रूप से बना है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार 25 कड़ी चौड़ाई है मौके पर 25 कड़ी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद अमेठी के वि0स0 क्षेत्र तिलोई के ब्लाक सिंहपुर के ग्राम पुरे कैथन मजरे टेढ़ई में ग्राम समाज की खाली जमीन के सम्बन्ध में**

**100-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र तिलोई के ब्लाक सिंहपुर के ग्राम पुरे कैथन मजरे टेढ़ई में ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीन पर ग्रामवासियों की सुविधा को देखते हुये एक बारात घर का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी नहीं।

पंचायतीराज विभाग में बारात घर निर्माण से सम्बन्धित कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद अमेठी के वि0स0 क्षेत्र तिलोई के ब्लाक सिंहपुर के ग्राम पुरे कैथन मजरे टेढ़ई के अरहोवा भवानी हैदरगढ़ के मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में**

**101-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र तिलोई के ब्लाक सिंहपुर के ग्राम पुरे कैथन मजरे टेढ़ई के अरहोवा भवानी हैदरगढ़ मार्ग से कैलाश बिहारी श्रीवास्तव के घर तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर इण्टरलॉकिंग का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी हां।

प्रश्नगत सम्पर्क की कुल लम्बाई 250 मीटर है, जिस पर 160 मीटर मार्ग में इण्टरलॉकिंग कार्य तथा 30 मीटर में खड़ण्जा निर्माण का कार्य कराया गया है। 60 मीटर मार्ग ही कच्चा है। इण्टरलॉकिंग हेतु अवशेष मार्ग (खड़ण्जें मार्ग को सम्मिलित करते हुए) कुल-90 मीटर के सापेक्ष 40 मीटर कार्य को ग्राम पंचायत की कार्य-योजना वर्ष 2019-20 में सम्मिलित कर लिया गया है।

धनराशि प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कुशीनगर के वि0स0 क्षेत्र तमकुहीराज ग्राम माधोपुर खुर्द व ग्राम सभा को इन्दी गोसाई पट्टी में पंचायत भवन निर्माण एवं प्रश्नकर्ता द्वारा दिये पत्र संख्या-304 के सम्बन्ध में**

**102-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-तमकुहीराज में ग्राम पंचायत-माधोपुर खुर्द, ब्लाक सेवरही व ग्राम सभा-को इन्दी गोसाई

पट्टी, ब्लाक तमकुहीराज में पंचायत भवन बनाये जाने विषयक पंचायती राज मंत्री उ0प्र0 सरकार को प्रेषिक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-304/नेता का0वि0म0द0 दिनांक 16-11-2018 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कुशीनगर के ग्राम डुभा पोस्ट व तहसील-तमकुहीराज में फर्जी हस्ताक्षर से आवंटित पट्टे एवं संलिप्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में**

**103-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के ग्राम डुभा, पोस्ट व तहसील-तमकुहीराज में किये गये फर्जी हस्ताक्षर से आवंटित पट्टे की सघन जांच कराकर संलिप्त कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-307/नेता का0वि0म0 दल/2018 दिनांक 16-11-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**104-हाजी इरफान सोलंकी-**

[02 शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**प्रदेश में बारिश एवं बार-बार इस आगजनी लेटेस्ट मकानों या मृत पशुओं के बदले पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने के सम्बन्ध में**

**105-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़, बारिश एवं आगजनी आदि से मकान नष्ट हो जाने पर मकान बनाने हेतु पीड़ितों को सहायता देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

प्रदेश में बाढ़ एवं बारिश/अग्नि आदि से नष्ट हो जाने पर मकान बनाने हेतु पीड़ितों को राज्य आपदा मोचक निधि से निम्न विवरण के अनुसार धनराशि दिये जाने का प्राविधान है :-

(क) पूर्णतया/अत्यधिक क्षतिग्रस्त/नष्ट मकान-

(1) पक्का/कच्चा मकान-रु0 95,100/- प्रति मकान, मैदानी क्षेत्रों में।

(2) पक्का/कच्चा मकान-रु0 1,01,900/- प्रति मकान, पहाड़ी क्षेत्रों में।

(ख) आंशिक क्षतिग्रस्त मकान-

(1) पक्का मकान-रु0 5,200/- प्रति मकान

(2) कच्चा मकान-रु0 3,200/- प्रति मकान

(ग) क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी-रु0 4,100/- प्रति झोपड़ी

(घ) मकान से सम्बद्ध पशुशाला-रु0 2,100/- प्रति पशुशाला

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद झांसी के जिला पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन एवं दुकानों का किराया सरकारी कोष में जमा होने में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में

**106-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में जिला पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन में अनियमितता एवं दुकानों का किराया सरकारी कोष में जमा न करने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों को दण्डित कर दुकानदारों से किराया वसूली कर अनियमित आवंटन अनुबन्ध निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी हां।

प्रकरण में संबंधित ठेकेदार से अवशेष किराये की वसूली की जा रही है। समय से किराया वसूल न करने हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त जांच आख्या पर निर्णय होने के उपरान्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्नगत प्रकरण में मण्डलायुक्त झांसी द्वारा प्रेषित की गई जांच आख्या पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण वर्ष 2004 से 2007 के मध्य का है, जिसमें समय लगना संभावित है। अतः समय सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद झांसी के मोंठ नगर पंचायत के अन्तर्गत बस स्टैण्ड के पास दर्ज तालाब को अवैध कब्जे से मुक्त किये जाने हेतु दिये गये पत्र सं0 ख-6 नं0-395972 दिनांक 06-08-2018 पर कार्रवाई हेतु

**107-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के मोंठ नगर पंचायत के अन्तर्गत बस स्टैण्ड के पास आराजी भूमि सं0 662 रकबा 0.5750 हेक्टेयर में दर्ज तालाब को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-6 नं0 395972, दिनांक 6 अगस्त, 2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

नगर पंचायत मोंठ की खतौनी सन् 1424-1429 फ0 के खाता संख्या-642 के गाटा संख्या-662/0.575 हे0 तालाब श्रेणी-6(1) में दर्ज है। यह भू-खण्ड 1412-1417 फ0 खाता संख्या-509 पर सुनीत कुमार पुत्र गौरीशंकर, निवासी मोंठ के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज था, जिसको न्यायालय उप जिलाधिकारी, मोंठ ने निर्णीत वाद संख्या-3/2017-2008 अन्तर्गत धारा-33/39 भू-राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 31-10-2007 से खातेदार सुनीत कुमार पुत्र गौरीशंकर का नाम निरस्त कर तालाब के खाते में दर्ज किया गया। इस आदेश के विरुद्ध सुनीत कुमार द्वारा निगरानी वाद संख्या-9/2008 योजित किया गया जो 31-03-2008 को निरस्त कर दिया गया अर्थात् पूर्व आदेश दिनांक 31-10-2007 यथावत् रखा गया। इस आदेश के विरुद्ध पक्षकार सुनीत कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-सी-17598/2008 सुनीत कुमार बनाम यू0पी0 स्टेट व अन्य योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15-05-2014 द्वारा पक्षकार को सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद दायर करने के निर्देश दिये गये। इस निर्देश के पश्चात् पक्षकार सुनीत कुमार द्वारा न्यायालय उप जिलाधिकारी, मोंठ में अन्तर्गत धारा-229बी यू0पी0जेड0ए0एल0 आर0 ऐक्ट के अन्तर्गत वाद योजित किया गया। न्यायालय उप जिलाधिकारी, मोंठ ने अपने आदेश दिनांक 15.10.2018 द्वारा इस भू-खण्ड को पुनः पक्षकार सुनीत कुमार के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार एवं ग्राम सभा की ओर से पुर्नस्थापना प्रार्थना-पत्र दिनांक 06.02.2019 प्रस्तुत किया गया, जिसका वाद संख्या-आर0एस0टी0/02686/2019 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-टी 201906370202686, विचाराधीन है। प्रश्नगत भूमि मौके पर खाली है इसमें कोई निर्माण नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद झांसी के थाना-समथर के अन्तर्गत ग्राम छपार थाना मुख्यालय शाहजहांपुर एवं मोंठ से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में**

**108-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के थाना-समथर के अन्तर्गत ग्राम छपार थाना, मुख्यालय से लगभग 20-25 किमी0 दूर होने के कारण स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए उक्त ग्राम छपार को निकटतम थाना शाहजहांपुर अथवा मोंठ से सम्बद्ध करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

ग्राम छपार को निकटतम थाना शाहजहांपुर अथवा मोंठ से सम्बद्ध करने के संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज के माध्यम से शासन के विचारार्थ अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद सीतापुर के महमूदाबाद के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम सभाओं में पानी टंकियों के निर्माण एवं आपरेटरों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में**

**109-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम सभाओं में कुल कितनी पानी की टंकियां निर्मित हैं तथा उनमें जलापूर्ति व पानी की टंकी के संचालन हेतु ग्राम सभाओं द्वारा आपरेटरों की नियुक्ति कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त टंकियों का संचालन व आपरेटरों की समयबद्ध नियुक्ति सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में कुल 09 पानी की टंकियां निर्मित हैं। 09 स्थापित पानी की टंकी में से 03 पानी की टंकी उ0प्र0 जल निगम द्वारा अनुरक्षित की जा रही है तथा 06 पानी की टंकी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अनुरक्षित की जा रही हैं। वर्तमान में सभी पाइप पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति हो रही है।

उ0प्र0 जल निगम के माध्यम से संचालित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव खण्ड में तैनात फील्ड कर्मचारियों के माध्यम से किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को हस्तानान्तरित पेयजल योजनाओं का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतों द्वारा आवश्यकतानुसार नलकूप आपरेटरों की नियुक्ति संविदा पर की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गाजीपुर में मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित कराने के सम्बन्ध में**

**110-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में मेडिकल कालेज सरकार स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-**

जी हां।

जनपद-गाजीपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु शासनादेश दिनांक 14-11-2018 द्वारा रु0 220.4336 करोड़ की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रु0 50.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। निर्माण कार्य माह जनवरी, 2019 से प्रारम्भ है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**111-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

[02 सोमवार के अता0 प्र0 सं0- 63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**मेडिकल कालेज, झांसी में स्वास्थ्य सुविधायें बढ़ाये जाने विषयक पत्र सं0-क-6 नं0-252019, दिनांक 27 अगस्त, 2018 पर कार्रवाई हेतु**

**112-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज, झांसी में स्वास्थ्य सुविधायें बढ़ाये जाने एवं मरीजों को सुलभ स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-6 नं0-252019, दिनांक 27-08-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

**प्रदेश में अनावृष्टि व सूखे की स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा अल्पकालीन या दीर्घकालीन योजना में किए जाने वाले व्यय संबंधी**

**113-श्री मो0 फईम इरफान तथा हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनावृष्टि और सूखे की त्रासदी से निपटने हेतु सरकार ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो इस हेतु कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष

2018-19 में व्यय हुई और कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

राजस्व विभाग के पत्र सं0-72/1-11-2019-4(जी)/2018, दिनांक 07.05.2019 द्वारा वर्ष 2019 में सूखे का सामना करने हेतु दीर्घकालीन योजना बनाते हुए तथा तात्कालिक उपायों से राहत प्रदान करके सूखा का प्रभाव कम किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में सूखा मद में प्राविधानित धनराशि रु0 100 करोड़ के सापेक्ष रु0 99 करोड़ की धनराशि व्यय हुई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु सूखा मद में रु0 100 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में विधान मण्डल सदस्यों के प्रस्ताव पर अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में विकास कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में

**114-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधान मण्डल सदस्यों के प्रस्ताव पर ''अन्त्योदय योजना'' के अन्तर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में कितने ग्राम चयनित किए गए हैं तथा उक्त चयनित ग्रामों में किसी निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत विकास कार्य पूर्ण कराने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन अन्त्योदय योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में प्रदेश की 10783 ग्राम पंचायतों का चयन मा0 विधायकगण से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया गया है। वर्ष-2018-19 एवं 2019-20 में किसी भी ग्राम का चयन नहीं किया गया है।

योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार चयनित ग्रामों में निवास करने वाले ग्रामीण परिवारों की जीवन दशा में 1000 दिनों में सुधार लाना है।

योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में 39 विभागों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के माध्यम से विकास कार्य कराते हुए परिवारों की जीवन दशा में सुधार लाते हुए ग्रामीण स्वरूप को परिवर्तित करना है।

प्रश्न नहीं उठता।

## बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय के अग्निकांड व नियुक्तियों आदि की जांच के सम्बन्ध में

**115-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय में 10 मई, 2015 को हुए अग्निकांड, बिना नियमावली लिपिकों को दी गई प्रोन्नति व अपात्रों को टाइपिंग टेस्ट पास कराने आदि अनियमितताओं की जांच सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

दिनांक 10 मई, 2015 को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय के कक्ष संख्या-311 में अग्निकांड की जांच करायी जा चुकी है। विभिन्न शासनादेशों द्वारा लिपिक संवर्ग के पुनर्गठन के उपरान्त शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही लिपिक संवर्ग की पदोन्नति की गयी है। इसके अतिरिक्त किसी अपात्र कर्मचारी को टाइपिंग टेस्ट में लाभ नहीं प्रदान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में विगत 2 वर्षों में नदियों द्वारा बाढ़ से किए गए नुकसान के आंकलन व प्रतिपूर्ति से सम्बन्ध में

**116-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 2 वर्षों के दौरान प्रदेश में विभिन्न नदियों में आई बाढ़ से अधिकारिक रूप से कितनी जन-धन की हानि हुई ? सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में इस हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत और व्यय की गई है ? क्या सरकार उक्त अवधि में बाढ़ की मद में व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष प्राप्त लक्ष्य का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

प्रदेश में विगत 02 वर्षों के दौरान विभिन्न नदियों में आयी बाढ़ से निम्नवत् जन-धन की हानि हुई :-

| क्र0-सं0 | जनहानि/ धनहानि | वर्ष | |
|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 |
| 1 | जनहानि | 121 | 105 |
| 2 | धनहानि | 90 | 149 |
| 3 | क्षतिग्रस्त मकान | 57083 | 28063 |
| 4 | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों का मूल्य (करोड़ रु0 में) | 494.1 | 287.2 |
| | | | |

विगत 02 वर्षों में बाढ़ मद में निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत एवं व्यय की गयी :-

| मद | वर्ष (धनराशि करोड़ रु0 में) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017 | | 2018 | |
| बाढ़ | स्वीकृत | व्यय | स्वीकृत | व्यय |
| | 306.73 | 253.47 | 291.89 | 152.52 |

जी नहीं।

राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। आपदा मोचक निधि का उद्देश्य आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत/सहायता प्रदान किया जाता है।

**जनपद प्रयागराज के वि0स0क्षे0 दक्षिणी के ग्राम महेवा में खान-चौराहे से श्री राम खेलावन भारतीया के घर तक नाली निर्माण एवं सड़क निर्माण हेतु**

**117-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभ क्षेत्र दक्षिणी के ग्राम सभा महेवा में खान चौराहे से नूरजहां बालिका विद्यालय व आर0एन0टी0 महाविद्यालय होते हुए मदरमीना स्कूल होते हुए श्री राम खेलावन भारतीया के घर तक तथा महेवा टी0सी0आई0 से गांव के अन्दर भैरोबाबा मन्दिर तक नाली एवं सड़क निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त नाली व सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी नहीं।

ग्राम महेवा खान चौराहे से नूरजहां बालिका विद्यालय व आर0एन0टी0 महाविद्यालय होते हुए मदरमीना स्कूल से श्री राम खेलावन भारतीया के घर तक तथा महेवा टी0सी0आई0 गेट से गांव के अन्दर भैरव बाबा मन्दिर तक पक्की डामरीकृत रोड तथा नाली बनी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

## प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के उत्थान के लिये अनुदान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

**118-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में कितने संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान दिया गया है ? क्या यह सही है कि देववाणी संस्कृत के उत्थान एवं सम्मान संवर्धन हेतु कार्यरत प्रदेश के लगभग 250 संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनुदान से वंचित उक्त 250 संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को भी अनुदान उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 दिनेश शर्मा-**

संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान पर लिये जाने की नीति/प्राविधान नहीं है तथापि शासन द्वारा समय-समय पर विद्यालयों/महाविद्यालयों को शासनादेश द्वारा अनुदान पर लिया गया है।

कुल 971 संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान पर लिया गया है।

प्रदेश के सभी संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान देने की वर्तमान में कोई नीति प्रचलित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

## जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में राजकीय पालीटेक्निक संस्थान स्थापित करने के सम्बन्ध में

**119-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में राजकीय पालीटेक्निक संस्थान की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रयागराज में 03 राजकीय पालीटेक्निक तथा 02 अनुदानित पालीटेक्निक पूर्व से संचालित हैं। जनपद प्रयागराज के बारा में एक पालीटेक्निक निर्माणाधीन है तथा जनपद

प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ में एक पालीटेक्निक स्थापित किए जाने की मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में ग्राम उधोपुर, परगना नवाबगंज, तहसील सोरांव में पालीटेक्निक की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित की गई है। अतः विधान सभा क्षेत्र सोरांव में एक अन्य पालीटेक्निक स्थापित किए जाने का औचित्य नहीं है।

**जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत रैय्या पक्की सड़क से प्राथमिक विद्यालय से होते हुए रैय्या मनिकापुर पक्की सड़क तक सड़क के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में**

**120-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत रैय्या पक्की सड़क से प्राथमिक विद्यालय से होते हुए रैय्या मनिकापुरा पक्की सड़क तक मार्ग ऊबड़-खाबड़ हो जाने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी हां।

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित मार्ग के निर्माण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश शासन के पत्र सं0-2477/33-2-2019-22ए0क्यू0/2019, दिनांक 17-07-19 को अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, प्रयागराज को दे दिए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव के ग्राम सभा कासीपुर में ओम प्रकाश मिश्र के घर से उमेश मिश्रा के घर तक हुए जर्जर मार्ग के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में**

**121-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा कासीपुर में ओमप्रकाश मिश्रा के घर से विजय बहादुर पाल के घर से होते हुए देवी प्रसाद मिश्र के दरवाजे से होते हुए उमेश मिश्रा के घर तक 400 मी0 मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की इण्टरलॉकिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा कासीपुर में श्री ओम प्रकाश मिश्रा के घर से श्री विजय बहादुर पाल के घर से होते हुए श्री देवी प्रसाद मिश्र के दरवाजे से होते हुए श्री उमेश मिश्रा के घर तक 400 मी0 मार्ग क्षतिग्रस्त था, जिस पर इण्टरलॉकिंग लगवा कर मार्ग को ठीक करा दिया गया है।

**जनपद-प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा सोरांव कस्बा के आस-पास बालिका इण्टर कालेज स्थापित कराने के सम्बन्ध में**

**122-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा सोरांव कस्बा के आस-पास बालिका इण्टर कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार कस्बा सोरांव में एक बालिका इण्टर कालेज खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 दिनेश शर्मा-**

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उक्तवत्।

ग्राम सभा सोरांव कस्बा में ललिता देवी बालिका इण्टर कालेज सोरांव, प्रयागराज संचालित है।

**जनपद झांसी के गुरसराय/बामौर ब्लाक के ग्राम अस्ता, गड़वई, सिंगार, सुट्टा, धनौरा, जखैरा, परसुवां, हीरानगर, मारकुआ सिमरधा, गरौठा, बामौर आदि ग्रामों में पेयजल के स्तर को सुधारने के सम्बन्ध में**

**123-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में ब्लाक गुरसराय/बामौर के ग्राम अस्ता, गड़वई, सिंगार, सुट्टा, धनौरा, जखैरा, परसुवां, हीरानगर, मारकुआ, सिमरधा, गरौठा, बामौर, दखनेश्वर, कुरैठा, ककरबई, हैबतपुरा आदि में पेयजल स्तर को सुधारने हेतु तालाबों की खुदाई कराकर नहरों से जल भराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-5 नं0- 6100270, दिनांक 07 मई, 2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

जी हां।

जनपद झांसी के ब्लाक गुरसराय के ग्राम मारकुआ में 02, हैवतपुरा में 04 एवं सिमरधा में 05 तालाब हैं तथा इसी प्रकार विकास खण्ड बामौर के ग्राम परसुवा में 04, अस्ता में 05, हीरानगर में 03, गड़वई में 03, सिंगार में 10, सुट्टा में 07, धनौरा में 09, बामौर में

01, दखनेश्वर में 02, कुरैठा में 09, ककरवई में 04 व जखौरा में 06 तालाब हैं। वर्तमान में उक्त सभी तालाब अच्छी स्थिति में हैं। भौतिक परिस्थितियों के कारण उक्त तालाबों को भरने का स्रोत वर्षा जल व निजी ट्यूबवेल हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में वर्ष में हुई अतिवृष्टि एवं जलभराव से उरद, मूँग, मूँगफली, तिल, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान आदि खरीफ फसलों की 70-80 प्रतिशत नुकसान के मुआवजा दिलाने के विषय में

**124-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान वर्ष में हुई अतिवृष्टि एवं जलभराव से उरद, मूँग, मूँगफली, तिल, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, सोयाबीन आदि खरीफ फसलों की 70-80 प्रतिशत फसलों का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

प्रदेश में वर्तमान वर्ष में किसी भी प्रकार की अतिवृष्टि एवं जल भराव की स्थिति नहीं है और न ही किसी प्रकार की फसल की क्षति हुई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

## जनपद झांसी के प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-ख-6 नं0-252068, दिनांक 27 अक्टूबर, 2018 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

**125-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय मैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी में पैथोलाजी एवं साईटोलॉजी, टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी एवं सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 टेक्नोलॉजी एवं फिजियोथिरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थिरेपी आदि स्नातक कोर्स चालू कराये जाने एवं उनमें रिक्त पदों को भरने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-6 नं0-252068, दिनांक 27 अक्टूबर, 2018 प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-**

जी हां।

पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी में पैथोलाजी एवं साइटोलॉजी, टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी एवं सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 टेक्नोलॉजी एवं फिजियोथिरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थिरेपी आदि विशिष्टिताओं में आचार्य के 03, रीडर के 03, सीनियर लेक्चरर के 03 पदों का सृजन किया गया है, जिन पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराया जाना है। वर्तमान में रेजीडेण्ट के सृजित 06 पदों के सापेक्ष तैनात 05 रेजीडेण्ट तथा ट्यूटर के सृजित 04 पदों पर तैनात 04 नियमित ट्यूटर द्वारा शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद झांसी के वि0स0 क्षेत्र गरौठा के राजकीय महाविद्यालय में कृषि विषय की शिक्षा प्रारम्भ किये जाने हेतु दिये गये पत्र सं0 ख-6 नं0-375052 पर कार्रवाई हेतु**

**126-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय, समथर, जनपद झांसी में कृषि विषय की शिक्षा प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6 नं0-375052, दिनांक 29 मई, 2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 दिनेश शर्मा-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**127-श्री वीरेन्द्र यादव-**

[03 मंगलवार हेतु स्थगित]

**जिला-मुरादाबाद व सम्भल में विभक्त ब्लाक-बनियाखेड़ा व बिलारी का मनरेगा संबंधी कार्य अपने-अपने जिले से कराने के सम्बन्ध में**

**128-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-मुरादाबाद के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड-बनियाखेड़ा (आंशिक) से संबंधित 38 ग्राम पंचायतों का मनरेगा संबंधी कार्य जिला-मुरादाबाद के बजाए जिला-सम्भल से सम्पन्न होने तथा जिला-सम्भल के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड-बिलारी (आंशिक) से संबंधित 28 ग्राम पंचायतों का मनरेगा संबंधी कार्य जिला-सम्भल के बजाए जिला-मुरादाबाद से होने के कारण उक्त 66 ग्राम पंचायतों को आ रही भारी दिक्कत सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का निवारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

स्थानीय स्तर पर प्रश्नगत समस्या का समाधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## शिक्षा विभाग में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का निस्तारण निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत कराए जाने के सम्बन्ध में

**129-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधार तथा आधारिक संरचना विकास हेतु कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो कया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जी हां।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं की शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि के लिए शैक्षिक वर्ष 2018-19 में ''शिक्षा कायाकल्प-ग्रेडेड लर्निंग'' कार्यक्रम संचालित किया गया है। इसी प्रकार 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश के परिषद्रीय विद्यालयों में मुफ्त बांटने वाली वस्तुएं की गुणवत्ता सुधार कर शिक्ष सत्र से पूर्व उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में

**130-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुफ्त बांटने वाली किताबें, ड्रेस, स्वेटर, बस्ते, जूते व मोजे आदि का वितरण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सुनिश्चित किये जाने तथा उनकी गुणवत्ता व साइज की समस्या निस्तारण हेतु कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जूता-मोजा एवं पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति जनपदों में पूर्ण हो चुकी है। निःशुल्क यूनीफार्म के वितरण हेतु शासनादेश सं0-423/68-5-2017-2004/2013, दिनांक 07 जून, 2019 तथा बैग के लिये शासनादेश

सं0-1913/68-5-2018-2425/15, दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 के अनुपालन में क्रमशः ड्रेस तथा बैग के वितरण की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यपुस्तक, यूनीफार्म एवं बैग की गुणवत्ता, मानक/टेस्टिंग के प्राविधान सुनिश्चित किए गए हैं। स्वेटर का वितरण सितम्बर-अक्टूबर माह में किया जायेगा।

उक्तवत्।

प्रश्न ही नहीं उठता।

## प्रदेश के अनिवार्य शिक्षा कानून लागू होने के पश्चात् शिक्षा नियमावली में किए गए बदलाव के सम्बन्ध में

**131-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा कानून लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कानून के अन्तर्गत प्रदेश में कौन-कौन से कार्य किए गए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्रदेश में अध्यापकों की सेवानिवृत्ति से शिक्षण कार्य में व्यवधान रोकने हेतु समय पूर्व नियुक्ति हेतु अध्यापकों का कम्प्यूटरीकृत डाटा तैयार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जी हां।

निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के अन्तर्गत कराये गये प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं :-

मानक के अनुसार असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना।

विद्यालय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों एवं यूनीफार्म का वितरण।

गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का प्रवेश।

प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन।

100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती आउट आफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था।

उक्तवत्।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का विवरण मानव सम्पदा संसाधन प्रणाली के अन्तर्गत वेबसाइट पर भरे जाने की कार्यवाही की गयी है, जिसके अन्तर्गत अध्यापकों से संबंधित समस्त विवरण यथा नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि, कार्यरत विद्यालय, जनपद का नाम, स्थानान्तरण इत्यादि से संबंधित सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उक्तवत्।

## कुपोषण ग्रस्त बच्चों व महिलाओं के चिन्हीकरण उपरान्त उचित देखभाल द्वारा उनकी मृत्यु दर घटाने के सम्बन्ध में

**132-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा गोद लिए विकास खण्ड-जलालाबाद के अन्तर्गत ग्राम बदलेपुर्वा निवासी हरिराम शंखवार के पुत्र शिवशंकर (6 वर्ष) व पुत्री कंचन (18 माह) की क्रमशः दिनांक 2 व 3 अगस्त, 2018 को कुपोषण के कारण मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में कुपोषण ग्रस्त बच्चों व महिलाओं के सघन चिन्हीकरण उपरान्त उनकी उचित देखभाल हेतु कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जी नहीं। श्री शिवशंकर पुत्र श्री हरिराम की आयु 06 वर्ष से अधिक होने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत नहीं था। इस कारण वह विभाग का लाभार्थी नहीं था। सुश्री कंचन पुत्री श्री हरिराम की मृत्यु कुपोषण के कारण नहीं, अपितु डायरिया के कारण हुयी थी।

प्रदेश में कुपोषण ग्रस्त बच्चों व महिलाओं के चिन्हीकरण उपरान्त उनकी उचित देखभाल हेतु राज्य पोषण मिशन द्वारा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ''पोषण अभियान'' का संचालन किया जा रहा है।

कुपोषण मुक्त किये जाने हेतु महिलाओं एवं बच्चों का चिन्हीकरण कर उनका आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकरण कराते हुये टीकाकरण कराया जाता है। बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं को निरन्तर पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम स्वच्छता एवं पोषण दिवस, गोदभराई, अन्न प्राशन, बचपन दिवस, ममता दिवस व लाडली दिवस का समय-समय पर आयोजन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति व अनिवार्य प्रोन्नति सम्बन्धी

**133-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्ति करने, नए पद स्वीकृत करने तथा ग्राम विकास अधिकारियों

को 10 और 16 वर्ष के अन्तराल पर दो अनिवार्य प्रोन्नति देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त शत-प्रतिशत पदों पर नियुक्ति करने हेतु समस्त जनपदों से रिक्त होने वाले पदों की सूचना आयुक्त, कार्यालय के पत्र संख्या-1606/स्था0-2/2019, दिनांक 03.06.2019 द्वारा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। समस्त जनपदों से सूचना प्राप्त होने पर संकलित अधियाचन उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जायगा।

सामान्यतः नये पद स्वीकृत न करने के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 18.09.2018 में प्राविधानित व्यवस्था के दृष्टिगत ग्राम विकास अधिकारी के नये पदों के सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम विकास अधिकारियों की पदोन्नति सहायक विकास अधिकारी (उद्योग सेवा और व्यवसाय) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 1991 के अन्तर्गत की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सीतापुर के वि0ख0 पहला के अन्तर्गत निर्मित पुराने रपटा के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में**

**134-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला के अन्तर्गत ग्राम लक्ष्मनपुर के किनारे व ग्राम सरैया कादीपुर पावर हाउस के बगल में निर्मित पुराने रपटा जर्जर हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी हां।

जी हां।

सरैया कादीपुर पावर हाउस के बगल में क्षतिग्रस्त निर्मित रपटा पुल के मरम्मत का कार्य वर्ष 2019-20 की वार्षिक कार्य-योजना के क्रमांक-108 पर शामिल है। शासन द्वारा धनराशि भी उपलब्ध करा दी गयी है। 15 दिन के अन्दर उपरोक्त कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विद्यालयों में पंखे की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में**

**135-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत कक्षाओं में पंखों की

व्यवस्था हेतु सोलर तथा आर0ओ0 वाटर संयंत्र की स्थापना किये जाने की योजना है ? यदि हां, तो जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने विद्यालयों में उक्त सुविधाएं प्रदत्त करा दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जी नहीं।

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत कक्षाओं में पंखों की व्यवस्था हेतु सोलर तथा आर0ओ0 वाटर संयंत्र की स्थापना किये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

**आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्कूलों जैसी विभिन्न सुविधाएं दैनिक तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की समस्या दूर करने के सम्बन्ध में**

**136-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में पका-पकाया भोजन खिलाने के लिए दी जाने वाली धनराशि में बढ़ोत्तरी करने, बच्चों को मुफ्त ड्रेस दिये जाने तथा केन्द्रों की मरम्मत और पुताई हेतु प्रतिवर्ष धनराशि जारी करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जी हां। प्रदेश के 54 जनपदों में मिड-डे-मील योजना के साथ एवं 21 जनपदों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को हाट कुक्ड फूड दिये जाने की व्यवस्था है, इस हेतु रु0 8.00 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन अनुमन्य है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों को मुफ्त ड्रेस दिये जाने की विभाग की कोई योजना नहीं है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत एवं पुताई (अनुरक्षण) मद में रु0 3000.00 प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र की दर से धनराशि जारी करने की योजना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रदेश के अग्निशमन विभाग को आवश्यक सुविधाओं से आच्छादित करने के सम्बन्ध में**

**137-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अग्निशमन विभाग में आवश्यकता के मानकानुसार अग्निशमन केन्द्र, अग्निशमन कर्मी, अग्निशमन कर्मी आवास और अग्निशमन

वाहन कम हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार की उक्त को मानकानुसार पूरा करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

जी हां।

अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना एवं विस्तार के संबंध में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में ग्राम पंचायतों को उनके सशक्तिकरण हेतु विभिन्न मदों में कर लगाने व क्षतिपूर्ति वसूलने के अधिकार संबंधी

**138-श्री मो0 फईम इरफान तथा हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायतों को सशक्तिकरण हेतु अपने पंचायत क्षेत्र में गृह, जल, स्वच्छता व तहबाजरी आदि मदों में विभिन्न कर लगाकर आय बढ़ाने, पंचायत सम्पत्ति के नुकसान की क्षति वसूलने तथा विभिन्न उद्योगों से लाइसेंस फीस या रॉयल्टी लेने जैसे अधिकार पंचायती कानून में हैं ? यदि हां, तो वो व्यवस्था क्या है ? यदि नहीं, तो नियमावली में उक्त हेतु वांछित संशोधन करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथासंशोधित 1994) के अध्याय-4 में ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य तथा प्रशासन की धारा-15 से धारा-41 तक तथा नियम-222 से नियम-223 तक अपने पंचायत क्षेत्र में गृह, जल, स्वच्छता व तहबाजारी आदि मदों में विभिन्न कर लगाकर आय बढ़ाने, पंचायत सम्पत्ति के नुकसान की क्षति वसूलने तथा विभिन्न उद्योगों से लाइसेंस फीस या रॉयल्टी लेने जैसे अधिकार का समावेश उक्त धाराओं में तथा नियमों में समाहित है।

उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथासंशोधित 1994) के अध्याय-4 में ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य तथा प्रशासन की धारा-15 से धारा-41 तक तथा नियम-222 से नियम-223 तक वर्णित धाराओं तथा नियमों में समाहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

## प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने व उन्हें अनिवार्य प्रोन्नति देने के संबंधी

**139-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने, आवश्यकता अनुसार नए पद स्वीकृत करने तथा ग्राम विकास अधिकारियों को 10 और 16 वर्ष के अन्तराल पर दो अनिवार्य प्रोन्नति देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त शत-प्रतिशत पदों पर नियुक्ति करने हेतु समस्त जनपदों से रिक्त होने वाले पदों की सूचना आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या-1606/स्था0-2/2019, दिनांक 03.06.2019 द्वारा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। समस्त जनपदों से सूचना प्राप्त होने पर संकलित अधियाचन उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जायगा।

सामान्यतः नये पद स्वीकृत न करने के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 18.09.2018 में प्राविधानित व्यवस्था के दृष्टिगत ग्राम विकास अधिकारी के नये पदों के सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम विकास अधिकारियों की पदोन्नति सहायक विकास अधिकारी (उद्योग सेवा और व्यवसाय) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 1991 के अन्तर्गत की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश के जर्जर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चिन्हीकरण उपरान्त निश्चित समय सीमा में बनाए जाने के सम्बन्ध में

**140-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के चिन्हीकरण उपरान्त निश्चित समय-सीमा के भीतर उनकी जगह नए विद्यालय भवन बनाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

जी नहीं।

प्रदेश के परिषदीय, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर एवं निष्प्रोज्य भवनों को चिन्हित कर बच्चों के बैठने एवं पढ़ने की समुचित व्यवस्था कराते हुए नियमानुसार

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को दिये जा चुके हैं। नये विद्यालय भवन का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उक्तवत्।

## प्रदेश के महिला पुलिस कर्मियों को बच्चों के लालन-पालन में पेश आने वाली समस्याएं दूर करने के सम्बन्ध में

**141-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियों को प्रसव पूर्व तथा मां बनने के बाद एक उचित और निश्चित समय-सीमा तक उनकी ड्यूटी एवं बच्चे के लालन-पालन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने हेतु कोई समाधान योजना सरकार की है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्याा-जी-2-2017/दस-2008-2016/79, दिनांक 08-12-2008 द्वारा प्रदेश की महिलाओं को प्रसव पूर्व तथा मां बनने के बाद 180 दिवस का प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य की गयी है, जिसके अनुसार महिला पुलिस कर्मियों को अवकाश प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-जी-2-573/दस-2009-216/79, दिनांक 24-3-2009 द्वारा महिला कर्मियों को सम्पूर्ण सेवाकाल में सन्तान की उम्र 18 वर्ष होने की अवधि तक अधिकतम 02 वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) अनुमन्य कराने की व्यवस्था प्रसूति अवकाश के संबंध में लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए की गयी है, जिसका उपभोग महिला पुलिस कर्मियों द्वारा किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## जिला बिजनौर के गांव सादकपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक 9/10 दिसम्बर, 2018 की घटना में दण्डात्मक कार्रवाई के सम्बन्ध में

**142-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के गांव सादकपुर में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के 5 लोगों के मकानों के बाहर गांव छोड़ने की धमकी भरे पोस्टर लगा कर दिनांक 9/10 दिसम्बर, 2018 को क्षेत्र का माहौल खराब करने की

जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो उक्त घटना के दोषियों विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

दिनांक 09/10 दिसम्बर, 2018 को किसी शरारती तत्व द्वारा कम पठनीय हस्तलेख में कुछ पर्चे गांव सादकपुर निवासीगण मौ0 साबिर पुत्र श्री अब्दुल शहीद, मौ0 सलीम पुत्र बुन्दू, बाबू पुत्र अख्तर, नजर अली पुत्र यूसुफ आदि के विरुद्ध पर्चों में गाली-गलौज व अशोभनीय बातें लिखी हुई थीं परन्तु गांव छोड़ने सम्बन्धी धमकी का उल्लेख पर्चों में नहीं था। उपरोक्त प्रकरण में थाने पर की गयी शिकायत को दृष्टिगत रखते हुए गांव के कुछ शरारती युवकों को थाने पर बुलाकर तत्कालीन पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा पूछतांछ की गयी तथा उक्त ग्रामवासियों के समक्ष उनसे हस्तलेख लिखवा कर पर्चों से मिलान करवाया गया। हस्तलेख व पर्चों से मेल नहीं हुआ। इसके पश्चात् उक्त शिकयतकर्ता ग्रामवासियों द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र में कोई कार्रवाई न करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया। गांव में शान्ति व्यवस्था कायम है। प्रकरण के बाद गांव में कोई किसी तरह की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। गांव में दोनों समुदाय के व्यक्ति आपस में भाई चारे से रह रहे हैं तथा गांव में पुलिस द्वारा सतर्क निगरानी की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद झांसी के मेडिकल कालेज में प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि विभागों में संचालकों की नियुक्त एवं प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-ख-6 नं0-459002, दिनांक 27 अक्टूबर, 2018 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

**143-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज, झांसी में प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एवं नेफ्रोलॉजी आदि विभागों में सृजित पदों पर नियुक्ति किये जाने एवं उक्त विभागों में चिकित्सा सेवायें प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6 नं0-459002, दिनांक 27 अक्टूबर, 2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-**

जी हां।

मेडिकल कालेज, झांसी में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक की स्थापना की गयी है, जिसमें विभिन्न विभागों यथा प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एवं नेफ्रोलॉजी विभाग के संचालन हेतु

13 चिकित्सा शिक्षकों के पदों का सृजन किया गया है तथा उक्त सृजित पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयन कराये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-4877/ 71-1-18-जी-184/2011 टी0सी0, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 द्वारा लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया जा चुका है। नियमित चयन होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में संविदा के आधार पर यूरोलॉजी विभाग में 02, कार्डियोलॉजी विभाग में 01 कुल 03 सुपर स्पेशियलिटी डिग्रीधारक चिकित्सा शिक्षकों को तैनात किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 01, नेफ्रोलॉजी में 01, न्यूरोलॉजी में 01 एवं न्यूरो सर्जरी विभाग में 01 कुल 04 नियमित चिकित्सा शिक्षक भी कार्यरत हैं। अवशेष रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई करने हेतु प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झांसी द्वारा पुनः दिनांक 06.07.2019 के विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद झांसी के बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन एवं अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में**

**144-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन एवं अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में गठित वेतन समिति 2016 द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 दिनेश शर्मा-**

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन एवं अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा कोई संस्तुति नहीं दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद झांसी के अन्तर्गत कस्बा मोंठ, बघैरा व रक्सा में सरकारी भू-खण्डों पर काबिज अनाधिकृत लोगों से किराये की वसूली किये जाने हेतु**

**145-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के अन्तर्गत कस्बा मोंठ, बघैरा व रक्सा में जिला पंचायत झांसी के भूमि/भू-खण्ड पर निर्मित दुकानों का किराया सरकारी कोष में जमा न किये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो उक्त दुकानों पर काबिज अनाधिकृत लोगों से किराये की वसूली करते हुए दोषियों को सरकार दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी हां।

प्रकरण में संबंधित ठेकेदार से अवशेष किराये की वूसली की जा रही है। समय से किराया वसूल न करने हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त जांच आख्या पर निर्णय होने के उपरान्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्नगत प्रकरण में मण्डलायुक्त झांसी द्वारा प्रेषित की गई जांच आख्या पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण वर्ष 2004 से 2007 के मध्य का है, जिसमें समय लगना संभावित है। अतः समय सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल संकट के निदान हेतु सरकार पुराने तालाबों एवं जलाशयों की खुदाई कराकर जल संचय हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में**

**146-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल संकट के निदान हेतु सरकार पुराने तालाबों एवं जलाशयों की खुदाई कराकर जल संचय हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य करायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

जी हां।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्मित/जीर्णोद्धार कराये गये तालाबों की सूचना निम्नवत् है :-

(1) कुल चयनित तालाबों की संख्या/लक्ष्य-937

(2) पूर्ण तालाबों की संख्या-923

वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्मित/जीर्णोद्धार कराये गये तालाबों की सूचना निम्नवत् है :-

(1) कुल चयनित तालाबों की संख्या/लक्ष्य-433

(2) पूर्ण तालाबों की संख्या-40

(3) लक्ष्य के सापेक्ष निर्माणाधीन तालाबों की संख्या-393

अवशेष कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

## जनपद हमीरपुर के स्वामी ब्रह्मानन्द महाविद्यालय राठ को विश्वविद्यालय की मान्यता दिये जाने विषयक

**147-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वामी ब्रह्मानन्द महाविद्यालय, राठ, जिला हमीरपुर को विश्वविद्यालय की मान्यता सरकार प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 दिनेश शर्मा-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## जनपद लखनऊ के ग्राम हरचन्दपुर कनौरा, तहसील सदर के गाटा संख्या-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 व 10 के भूमि की खतौनी कम्प्यूटराइज्ड करने के सम्बन्ध में

**148-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्राम हरचन्दपुर कनौरा, तहसील सदर, लखनऊ के गाटा संख्या-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 व 10 जोकि एन0जेड0ए0 (नॉन जमींदारी एबोलिशन) के अन्तर्गत है, का रकबा कितना है तथा उक्त भूमि किस-किस काश्तकार के नाम कब से खसरा/खतौनी में दर्ज है ? क्या सरकार उक्त खतौनी को कम्प्यूटराइज्ड करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

ग्राम हरचन्दपुर कनौरा, परगना व जिला लखनऊ की नान0जेड0ए0 (जमींदारी क्षेत्र) की वर्तमान खतौनी 1426 फसली में गाटा संख्या-3 रकबा-9 बिस्वा, गाटा संख्या-4 रकबा-5 बिस्वा, महेश चन्द्र चौरसिया व किशन चन्द्र चौरसिया पुत्रगण रामचन्द्र चौरसिया निवासी-22 शेर वाली गली, अमीनाबाद, लखनऊ के नाम ''श्रेणी-5 (अ) बिना आगम के भूमि के अध्यासीन जबकि खसरे के स्तम्भ-5 में पहले से किसी व्यक्ति का नाम दर्ज न हो'' में वर्ष 1399 फसली के खतौनी में 15 वर्ष पूर्व से अंकित है।

गाटा संख्या-5 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा 11 बिस्वांशी भूमि श्रेणी-8 कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है।

गाटा संख्या-6 रकबा-3 बीघा 5 बिस्वा गाटा संख्या-7 रकबा 7 बिस्वा बिस्वांशी, गाटा संख्या-8 रकबा-1 बीघा 5 बिस्वा, गाटा संख्या-9 रकबा-5 बिस्वा 10 बिस्वांशी राजेन्द्र सिंह पुत्र राजपूत सिंह, निवासी ग्राम रायपुर दादखान, तहसील ढेरापुर, जनपद कानपुर के नाम वर्ष 1417 फसली से दर्ज है।

गाटा संख्या-10 रकबा-12 बिस्वा रवीन्द्र अग्रवाल पुत्र परमेश्वर दयाल अग्रवाल निवासी ग्राम के नाम वर्ष 1416 फसली से श्रेणी-5 (अ) में दर्ज है।

खतौनी को कम्प्यूटराइज्ड करने की प्रक्रिया विचाराधीन है

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रदेश के पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने तथा उनकी नियमित सफाई चेकिंग और प्रशिक्षण दिए जाने के सम्बन्धी**

**149-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सम्भल के थाना असमोली क्षेत्रान्तर्गत मुबारकपुर गांव के जंगल में 12 अक्टूबर, 2018 की रात में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में पिस्टल न चलने की घटना के मद्देनजर पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने तथा उनकी नियमित सफाई, चेकिंग व प्रशिक्षण आदि की नियमित व्यवस्था लागू करने की कोई येाजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

शस्त्रों की साफ-सफाई, प्रशिक्षण एवं रख-रखाव आदि के सम्बन्ध में पूर्व से कार्य योजना लागू है।

06 माह पर एक माह का गहन प्रशिक्षण जनपद के पुलिस लाइन में योग्य प्रशिक्षक द्वारा कराया जाता है वर्ष में एक बार सभी अधिकारियों/पुलिस कर्मियों से अभ्यास फायरिंग करायी जाती है। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने वाले पुलिस कर्मियों को ही ड्यूटी पर भेजा जाता है। अनुत्तीर्ण पुलिस कर्मियों को पुनः प्रशिक्षण कराया जाता है तथा आवंटित शस्त्र पुस्तिका में उल्लेख अंकित करते हुए प्रभारी द्वारा अवलोकित किया जाता है।

सप्ताह में एक दिन शस्त्र की साफ-सफाई आवंटित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कराया जाता है। माह में एक बार आरमोरर द्वारा शस्त्रों की साफ-सफाई तथा निरीक्षण किया जाता है। 6 माह में एक बार एस0आई0 आरमोरर द्वारा शस्त्रों की साफ-सफाई तथा निरीक्षण किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष में एक बार पुलिस उपाधीक्षक (ए0आई0ए0) द्वारा शस्त्रों का निरीक्षण किया जाता है, जो शस्त्र उपयुक्त होते हैं उन्हीं शस्त्रों को अधिकारी/पुलिस कर्मचारी को आवंटित किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त विषम परिस्थितियों से निपटने हेतु अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्र आदि भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। शस्त्रों के साफ-सफाई, रख-रखाव आदि के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय स्तर से दिनांक 09.12.1981 एवं 19.05.2009 को आदेश/निर्देश निर्गत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में भू-अभिलेख खतौनी की तर्ज पर खसरे को भी नवीन सुधारों व प्रावधानों के तहत ऑनलाइन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में**

**150-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू-अभिलेखों खतौनी की तरह खसरे को भी नवीन सुधारों और प्रावधानों के तहत किसी निश्चित अवधि में ऑनलाइन करने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

भू-अभिलेख खतौनी की तरह खसरे में भी संशोधन के लिये राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन की प्रक्रिया विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के आवारा पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाए जाने वाले पशु आश्रय स्थलों की प्रगति के सम्बन्ध में**

**151-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवारा पशुओं द्वारा शहरी क्षेत्रों में किया जाने वाला जान-माल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों का नुकसान रोकने तथा पशुओं की सुरक्षा के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में किन-किन स्थानों पर पशु आश्रय या पालन केन्द्र बनाए जाने का कार्य जारी है तथा कितने कार्य प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-**

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों में एक-एक गोवंश वन्य विहार स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी एक-एक गोवंश वन्य विहार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में प्रति गोवंश वन्य विहार हेतु रु0 120-120 लाख सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को आवंटित कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में शेष 68 जनपदों में एक-एक वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर है। तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी एक-एक वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में प्रति वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्र हेतु रु0 120-120 लाख सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को आवंटित कर दिया गया है।*

---

* देखिये नत्थी छ का उत्तर आगे पृष्ठ संख्या 246 पर।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रदेश की ग्राम पंचायतों अथवा राजस्व ग्रामों में कूड़ा प्रबंधन की योजना लागू किए जाने के सम्बन्ध में**

**152-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्राम पंचायत में राजस्व गांवों में कूड़ा प्रबंधन की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी हां।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अगले महत्वपूर्ण घटक के रूप में ग्रामों को खुले में शौच मुक्त किए जाने के उपरान्त ओ0डी0एफ0 प्लस गतिविधि के रूप में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन किया जाना है। योजना के अन्तर्गत अगले महत्वपूर्ण घटक के रूप में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग-निर्देशिका के अनुसार ग्राम पंचायत वार कार्य योजना बनाकर कूड़ा प्रबन्धन एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन की गतिविधियां की जानी हैं, जिसमें घर-घर से कूड़ा एकत्र कर कार्बनिक अपशिष्टों को पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग आदि हेतु फारवर्ड लिंकेज जैसे कार्य सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के सभी थानों में कम से कम एक महिला सब इन्सपेक्टर की तैनाती करने हेतु**

**153-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी थानों/कोतवाली में कम से कम एक महिला सब इन्सपेक्टर तैनात करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

महिला उप निरीक्षक की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा 20 प्रतिशत महिलाओं को भर्ती किये जाने हेतु प्राविधान किया गया है। वर्तमान में उपलब्धता के अनुसार महिला उप निरीक्षक की नियुक्ति थानों में की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-प्रयागराज के तहसील करछना के अन्तर्गत ब्लाक चाका के ग्राम सभा महेवा नई बस्ती में जल निकासी के सम्बन्ध में**

**154-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रयागराज की तहसील करछना के अन्तर्गत ब्लाक चाका के ग्राम सभा महेवा नई बस्ती में जल निकासी की व्यवस्था न

होने के कारण बस्ती में जल भराव बना रहता है जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जल निकासी हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी हां।

ग्राम पंचायत महेवा पूरब पट्टी में जल निकासी हेतु विकास खण्ड स्तर पर की गयी शिकायत के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात् मुख्य विकास अधिकारी द्वारा परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, निदेशक, कृषि संस्थान, नैनी, नगर आयुक्त, नगर निगम, अधि0अभि0, लोक निर्माण विभाग (प्रा0ख0), अधि0अभि0 नेशनल हाई-वे, उप जिलाधिकारी/तहसीलदार करछना एवं खण्ड विकास अधिकारी, चाका का टीम गठित करते हुए संयुक्त आख्या एवं प्राक्कलन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। तत्क्रम में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2014 को आख्या प्रेषित की गयी, जिसे जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। नाले का प्रोजेक्ट बड़ा होने के कारण नाले का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत स्तर से कराया जाना सम्भव नहीं है। जल निकासी की त्वरित व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत स्तर से सड़क काटकर पाइप डालकर पानी की निकासी करायी जा रही है। वर्तमान समय में जल भराव नहीं हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद-प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव में राजकीय महिला इण्टर कालेज स्थापित कराने के सम्बन्ध में

**155-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में राजकीय महिला इण्टर कालेज न होने के कारण छात्राओं को इण्टरमीडिएट शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ब्लाक सोरांव एवं बहरिया बाजार में एक राजकीय महिला इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 दिनेश शर्मा-**

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र सोरांव में 01 राजकीय, 14 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 45 अशासकीय वित्तविहीन मान्यता प्राप्त कुल 60 विद्यालय तथा ब्लाक बहरिया बाजार में

01 राजकीय, 05 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 18 अशासकीय वित्तविहीन मान्यता प्राप्त कुल 24 इण्टरमीडिएट कालेज संचालित हैं, जिनमें बालक/बालिका दोनों अध्ययनरत हैं।

**जनपद-प्रयागराज (इलाहाबाद) के वि0स0 क्षेत्र सोरांव के करनाईपुर सम्पर्क मार्ग से करनाईपुर खाद गोदाम तक इण्टरलॉकिंग कराने के सम्बन्ध में**

**156-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के करनाईपुर सम्पर्क मार्ग से करनाईपुर खाद गोदाम तक के मार्ग पर इण्टरलॉकिंग कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

ग्राम पंचायत करनाईपुर में करनाईपुर से खाद गोदाम तक सम्पर्क मार्ग पर अतिक्रमण होने के कारण निर्माण नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु संबंधित राजस्व विभाग से अनुरोध किया जा चुका है। अतिक्रमण हटाये जाने के उपरान्त यदि ग्राम पंचायत प्रस्ताव करती है, तो इण्टरलॉकिंग/खड़न्जा निर्माण कराया जायेगा।

**प्रदेश में प्रधानमंत्री एवं मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अपात्र व्यक्तियों को आवास आवंटन के सम्बन्ध में**

**157-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना/मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास आवंटन में पात्र व्यक्तियों के बजाय अपात्र व्यक्तियों को नियम विरुद्ध लाभान्वित किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची एवं आवासों की संख्या ऑनलाइन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

जी हां।

इस तरह के प्रकरण संज्ञान में आने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों, ग्राम प्रधानों तथा लाभार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी पात्रता सूची आवास साफ्टनेट पर उपलब्ध है तथा जिन लाभार्थियों को आवासीय सुविधा का लाभ दिया गया है, उनका विवरण भी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वेबसाइट आईएवाई.एनआईसी.इन पर आनलाइन उपलब्ध है।

मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत चिन्हित लाभार्थियों का जनपदवार विवरण विभागीय वेबसाइट रूरल साफ्टनेट.यूपी.एनआईसी. इन पर उपलब्ध है। उक्त विवरण में से चिन्हित लाभार्थी के पात्र पाये जाने की दशा में आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

## जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा की ग्राम पंचायत मिर्री कलाँ के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित कराने के सम्बन्ध में

**158-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा की ग्राम पंचायत मिर्री कलाँ के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित किये जाने विषयक श्री रोशन लाल वर्मा, स0वि0स0 का पत्र दिनांक 27 मार्च, 2018 जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र में उल्लिखित लाभार्थियों का नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (सेक)-2011 के आंकड़ों पर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित न होने के कारण उन्हें आवास का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

उपरोक्तानुसार।

## प्रदेश में प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा विभिन्न वस्तुओं के भ्रामक प्रचार को रोकने के सम्बन्ध में

**159-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यमों से गंजापन, मोटापा, मधुमेह आदि अनेक बीमारियों को कम अवधि में खत्म करने सम्बन्धी भ्रामक विज्ञापन रोकने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित निजी विज्ञापनों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाता है।

## जिला मुजफ्फरनगर के थाना जानसठ के गांव कव्वाल में हुए साम्प्रदायिक दंगे से संबंधित मुकदमें वापसी के सम्बन्ध में

**160-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कव्वाल, सानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर में वर्ष 2013 में साम्प्रदायिक दंगों और हत्याओं से जुड़े कुछ चनिंदा मुकदमों को वापस लेने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो इन मुकदमों की वापसी का कानूनी आधार क्या है ?

**श्री ब्रजेश पाठक-**

राज्य सरकार द्वारा अभियोग वापसी के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर बिना किसी भेदभाव के विचार किया जाता है। जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2013 में हुए दंगों से सम्बन्धित विभिन्न अभियोगों को वापस लिए जाने हेतु शासन में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-321 के प्राविधानों, विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर-19.35 से 19.37 में वर्णित व्यवस्था तथा समय-समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि निर्णयक सिद्धान्तों के आलोक में वाद वापसी की कार्रवाई की जाती है।

## प्रदेश में खुदकुशी करने वाले किसानों एवं मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की योजना बनाने के सम्बन्ध में

**161-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेती में हुए आकस्मिक नुकसान और कर्ज अदा न करने के चलते खुदकुशी करने वाले किसानों या मजदूरों के परिजनों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दिए जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र संख्या-32-7/2014 एन0डी0एम0-1, दिनांक 08-04-2015 की गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश में दैवीय आपदा से खेती में हुए 33 प्रतिशत नुकसान होने पर प्रति कृषक 02 हेक्टेयर तक आर्थिक सहायता दी जाती है परन्तु आकस्मिक नुकसान और कर्ज अदा न करने के चलते खुदकुशी करने वाले किसानों या मजदूरों के परिजनों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु कोई प्राविधान नहीं है।

## प्रदेश में विभागीय व राजनीतिक शोषण से तंग आकर पुलिस कर्मियों द्वारा समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले मामलों की जांच कराने के सम्बन्ध में

**162-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभागीय व रीजनीतिक शोषण से तंग पुलिस कर्मियों द्वारा समय पूर्व सेवानिवृत्त लेने की घटनाएं बढ़ने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार की ओर से सुधारात्मक उपाय करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

प्रदेश में विभागीय व राजनीतिक शोषण से तंग होकर पुलिस कर्मियों द्वारा समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने के मामले संज्ञान में नहीं आये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव के ब्लाक सोरांव, मऊआइमा, बहरिया व होलागढ़ में मृदा परीक्षण कराने के सम्बन्ध में

**163-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या परती भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ब्लाक सोरांव, मऊआइमा, बहरिया व होलागढ़ में काफी क्षेत्रफल में ऊसर भूमि अनुपयोगी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्लाकों में मृदा परीक्षण हेतु प्रयोगशाला स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**परती भूमि विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-**

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2019 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूंछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-163 का उत्तर।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 163-(क) क्या परती भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ब्लाक सोरांव, मऊआइमा, बहरिया व होलागढ़ में काफी क्षेत्रफल में ऊसर भूमि अनुपयोगी है ? | जी हां। |
| (ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्लाकों में मृदा परीक्षण हेतु प्रयोगशाला स्थापित करायेगी ? | जी नहीं। |
| (ग) यदि हां, तो कब तक ? | |
| (घ) यदि नहीं, तो क्यों ? | प्रश्न नहीं उठता।<br>विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है। |

## प्रदेश में गम्भीर रोग से ग्रसित रोगियों को मुख्य मंत्री राहत कोष से राहत उपलब्ध कराने की जानकारी विषयक

**164-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ रही कैंसर रोगियों की संख्या की सूचना/आख्या जिलों से समय पर न प्राप्त होने एवं कार्यालय में विलम्ब होने के कारण मुख्य मंत्री राहत कोष से रोगियों को समय पर सहायता नहीं मिल पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर कैंसर रोगियों की आख्या भेजने एवं मुख्य मंत्री राहत कोष से समय पर राहत उपलब्ध कराये जाने के विशेष दिशा-निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

आर्थिक रूप से कमजोर एवं गम्भीर रोगों से पीड़ित मरीजों के इलाज हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें यथा-आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राज्य आरोग्य निधि (मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष) आदि योजनायें संचालित हैं। राजकीय मेडिकल कालेजों में निर्धनों हेतु निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। गम्भीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए विधायक निधि से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का व्यापक उपयोग किया जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से गम्भीर बीमारी से पीड़ित निर्धन व्यक्तियों को चिकित्सा हेतु समयबद्ध रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा की ग्राम पंचायत मिर्री कला में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित हुये आवासों में हुई अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में

**165-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव, ब्लाक असोहा की ग्राम पंचायत-मिर्री कला के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत किन-किन लोगों को निःशुल्क आवास आवंटित किये गये तथा लाभार्थियों की पात्रता एवं आर्थिक स्तर क्या है ? क्या उक्त योजना के अन्तर्गत वंचित पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने हेतु श्री रोशन लाल वर्मा एवं श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्यगण, विधान सभा के पत्र वर्ष 2018 में विभिन्न माध्यमों से जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आवास आवंटन में अनियमितता के लिए दोषियों को दण्डित करते हुए पात्रों को आवास आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

जनपद उन्नाव, बलाक असोहा के ग्राम पंचायत मिर्री कला में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 35 लाभार्थियों को एवं मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 01 लाभार्थी को निःशुल्क आवास आवंटित किया गया है। (सूची संलग्न)†

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आधार पर तैयार की गयी स्थायी पात्रता सूची से तथा मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 02.02.2018 में प्रावधानित पात्रता के आधार पर आवास आवंटन की कार्यवाही की जाती है।

जी हां।

मा0 सदस्यगण के पत्रों में उल्लिखित ग्राम पंचायत में आवास आवंटन में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है। योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को ही आवास आवंटित किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**166-हाजी इरफान सोलंकी-**

[विधि सम्बन्धी/काल्पनिक प्रस्थापन विषय के कारण निरस्त]

## प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में निजी स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों की लूट रोकने हेतु कार्य योजना बनाने हेतु

**167-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए शिक्षादान व समाज सेवा के मकसद से खोले जाने वाले निजी स्कूलों को कारोबार या कमाई का जरिया बनने से रोकने हेतु निजी स्कूलों में दाखिला, कॉपी-किताब, ड्रेस, बैग, स्टेशनरी आदि के नाम होने वाली कमीशनखोरी से अभिभावकों को बचाने हेतु सरकार ने कोई प्रयास किए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का संक्षिप्त ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

प्रदेश सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पूरी तरह क्रियान्वित करने हेतु कटिबद्ध है। बेसिक शिक्षा में निजी स्कूलों को बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदेश में निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने वाले पूर्ववर्ती नियमों तथा प्रक्रियाओं की वर्ष 2018 में सम्यक्

† देखिये नत्थी 'झ' का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 248-249 पर।

समीक्षा की गई तथा शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018, दिनांक 11-01-2019 द्वारा मान्यता सम्बन्धी नवीन नियमों को प्रख्यापित किया गया।

उल्लेख करना है कि शुल्क विनियमन हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने संख्या-1891/79-वि-1-18-1(क)-10-18, दिनांक 12-09-2018 द्वारा उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोाषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 को प्रख्यापित किया गया, जो उत्तर प्रदेश में दिनांक 09-04-2018 से प्रवृत्त किया गया है।

अधिनियम की धारा-1(3) में सभी प्रकार के विद्यालय आच्छादित हैं, जिन पर उक्त प्राविधान लागू हैं।

अधिनियम की धारा-3 की उपधारा- 7, 8, 9, 10, व 11 के प्राविधान निम्नवत् हैं :-

धारा-8(1) में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति गठित की गयी है, जो उपर्युक्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु सक्षम है।

**जनपद-गाजीपुर के जंगीपुर वि0स0 क्षेत्र जंगीपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने की कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में**

**168-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र में तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-**

जी, नहीं।

प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु शासन द्वारा 'प्रस्पेक्टिव प्लान' का निर्धारण किया गया है। 'प्रस्पेक्टिव प्लान' के निर्धारण हेतु किये गये अध्ययन में प्रदेश के इंजीनियरिंग विधा के डिग्री स्तरीय निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष 62 प्रतिशत सीटें रिक्त पाये जाने के फलस्वरूप प्रदेश में नवीन इंजीनियरिंग संस्थानों की स्थापना न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

**जनपद देवरिया के स्वामीनाथ राजभर ग्राम खेमादेई थाना लार के हत्या के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को प्राप्त पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर का पत्र दिनांक 05-09-2018 पर कार्रवाई हेतु**

**169-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में दिनांक 07-08-2018 को हत्या में दर्ज मुकदमा अपराध सं0 0187/2018 थाना-लार, जनपद देवरिया में धारा परिवर्तन किये जाने विषयक श्री रमाशंकर राजभर पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 05-09-2018

उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड रानी की सराय के ग्राम सहिगड़ा में चकों के सीमांकन/कब्जा परिवर्तन हेतु आयुक्त, चकबन्दी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-1703/जी0एस0-4912018-19, दिनांक 20-04-2018 पर कार्रवाई हेतु**

**170-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, चकबन्दी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0-1703/जी0एस0-491/2018-19 दिनांक 20 मार्च, 2018 द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आजमगढ़ को ग्राम सहिगड़ा, विकास खण्ड रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ में चकों का सीमांकन/कब्जा परिवर्तन हेतु आदेश दिये गए थे ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में सीमांकन/कब्जा परिवर्तन करा दिया गया है ? यदि हां, तो किस दिनांक को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

आयुक्त, चकबन्दी, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1703/जी0एस0-491/2018-19 दिनांक 20 मार्च, 2018 द्वारा समस्त जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी/उप संचालक चकबन्दी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उत्तर प्रदेश को सीमांकन/कब्जा परिवर्तन हेतु उपलब्ध ग्रामों का विवरण उक्त पत्र में दिये गये प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। तत्क्रम में बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, आजमगढ़ द्वारा ग्राम सहिगड़ा का सीमांकन दिनांक 20.04.2018 तक पूर्ण करके दिनांक 05.07.2018 तक कब्जा परिवर्तन कराने की कार्य योजना प्रस्तावित की गई।

उक्त ग्राम में सीमांकन/कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की गयी है। ग्राम सहिगड़ा, जनपद आजमगढ़ में सीमांकन/कब्जा परिवर्तन का कार्य प्रारम्भ करने हेतु चकबन्दी समिति एवं ग्रामवासी कृषकों की बैठक दिनांक 20.04.2018 को की गयी। बैठक में चकबन्दी समिति तथा कृषकों द्वारा चक सीमांकन/कब्जा परिवर्तन का घोर विरोध करते हुए ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने की मांग की गयी। उक्त के अतिरिक्त ग्राम सहिगड़ा को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-4201/2018 रामचन्द्र यादव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक

30.05.2018 के अनुक्रम में याचीगण द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 28.12.2018 के आधार पर उक्त ग्राम को उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत निदेशालय की विज्ञप्ति दिनांक 06.02.2019 द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

## जनपद लखनऊ के वि0ख0 चिनहट के खरगापुर रामआसरे पुरवा में के0टी0डी0 स्कूल के सामने से कौशलपुर पुलिस चौकी तक मार्ग का निर्माण हेतु

**171-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के खरगापुर, रामआसरे पुरवा विकास खण्ड चिनहट में के0टी0डी0 स्कूल के सामने से कौशलपुरी पुलिस चौकी तथा श्री विनोद कुमार के मकान से साहू आटा चक्की तक का बघेल ट्रेडर्स से ऑर्किड्स स्कूल तक जाने वाला मार्ग जीर्ण-शीर्ण होने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिह-**

जी हां।

प्रश्नगत कार्य वर्तमान कार्य योजना वित्तीय वर्ष-2019-20 में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में घूम रहे आवारा पशुओं के रख-रखाव के लिए नव निर्माण भवन के निर्माण के सम्बन्ध में

**172-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को बर्बाद किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवारा पशुओं को रखने हेतु नव भवनों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-**

कतिपय सूचना प्रकाश में आई है।

जी हां, बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में रु0 120 लाख की दर से प्रत्येक जनपद में एक-एक गोवंश वन्य विहार की स्थापना का कार्य गतिमान है तथा प्रदेश के शेष 68 जनपदों में रु0 120 लाख की दर से एक-एक वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्र की स्थापना का कार्य गतिमान है।

उक्त के अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में एक-एक गोवंश वन्य विहार तथा प्रदेश के शेष 68 जनपदों में एक-एक वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है। प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को रु0 120 लाख प्रति विहार/केन्द्र हेतु धनराशि आवंटित की जा चुकी है। साथ ही प्रदेश में कुल 07 गौ सदनों यथा विछिया, बहराइच, रानीपुर, चित्रकूट, बरबर खीरी, धर्मपुर कटरी, फर्रुखाबाद, कुमरौआ पचलाना (कासगंज), मधुवलिया महराजगंज, सिमरा वीरान शाहजहांपुर में भी गोवंशीय पशुओं को संरक्षित किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव के ग्राम सभा चकिया धमौर बहरियाँ रामचन्द्र के घर से विनोद पटेल के घर तक इण्टरलॉकिंग कराने के सम्बन्ध में

**173-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ग्राम सभा चकिया धमौर बहरियाँ में रामचन्द्र के घर से विनोद पटेल के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य दूरी 300 मीटर तक सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह-**

जी नहीं।

उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं है। इस कार्य पर लगभग रु0 12.00 लाख की लागत का अनुमान है। ग्राम पंचायत को राज्य वित्त एवं 14वां वित्त आयोग की संस्तुति से एक वित्तीय वर्ष में लगभग रु0 20.00 लाख की प्राप्तियां हैं जिससे ग्राम पंचायत द्वारा आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य, छोटे-छोटे आन्तरिक सम्पर्क मार्ग, नाली निर्माण, हैण्डपम्प मरममत/रि-बोर आदि कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 की कार्य योजना में सम्मिलित किये गये हैं। चूंकि ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है इसलिए उक्त कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

## जनपद प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव में तिलई बाजार, मनी का पूरा चौराहा एवं किरांव चौराहे पर पशु चिकित्सालय के निर्माण विषयक जानकारी

**174-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में तिलई बाजार, मनी का पूरा चौराहा एवं किरांव चौराहे पर पशु चिकित्सालय का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नवीन पशु चिकित्सालय की स्थापना के लिए लाभान्वित होने वाले पशुओं की संख्या 15000 से अधिक एवं प्रस्तावित स्थान से 09 कि0मी0 के दायरे में कोई विभागीय संस्था पूर्व से स्थापित न हो, का मानक निर्धारित किया गया है।

तिलई बाजार में लाभान्वित होने वाले पशुओं की संख्या 8700 है, मनी का पूरा चौराहा से 04 कि0मी0 की दूरी पर राजकीय पशु चिकित्सालय, सोरांव स्थित है तथा किरांव चौराहा से मात्र 06 कि0मी0 दूरी पर राजकीय पशु चिकित्सालय, धोसड़ा एवं 07 कि0मी0 की दूरी पर राजकीय पशु सेवा केन्द्र, नसरतपुर स्थित है, इसलिए प्रस्तावित तीनों स्थानों पर विभागीय मानक पूर्ण न होने के कारण नवीन पशु चिकित्सालय स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

**स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान विवरण की पुस्तिका का प्रकाशन व उपलब्धता के सम्बन्ध में**

**175-श्री मो0 फईम इरफान-**

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 के प्रथम मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या-6 के उत्तर के क्रम में क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपदवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन कब हुआ है ? उक्त पुस्तकों की उपलब्धता प्रदेश के समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों, कालेजों एवं विद्यालयों में सरकार सुनिश्चित कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री ब्रजेश पाठक-**

भारत सरकार की एक योजना के अन्तर्गत सूचना विभाग द्वारा जनपदवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान संबंधी (उपलब्ध) पुस्तकों का प्रकाशन 1961 से 1972 के मध्य हुआ है।

सम्प्रति इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के समस्त थानों में स्थित मालखानों का सत्यापन किए जाने मे संबंध में**

**176-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुलिस थानों में स्थित मालखानों में जमा वस्तुओं का किसी निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत सत्यापन कराने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा-43 के अनुसार थानाध्यक्ष थाने पर रखे सभी सरकारी धन और मूल्यवान सम्पत्ति की सुरक्षा सहित लेखा-पुस्तिका के रख-रखाव के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसे सुनिश्चित रखने हेतु नित्य-प्रति मालखाने का निरीक्षण किये जाने का पुलिस पैरा-48 में वर्णन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में एंटी भू-माफिया कानून के अन्तर्गत चिन्हित दबंग के सम्बन्ध में**

**177-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एंटी भू-माफिया कानून के अन्तर्गत कुल कितने दबंग चिन्हित किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि झांसी जनपद के थाना मोठ व कोतवाली झांसी के अन्तर्गत उक्त कानून के अनुसार कार्रवाई में कौन-कौन से दबंगों को चिन्हित किया गया एवं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करते हुए जमीन मुक्त करायी गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

प्रदेश में एंटी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत दिनांक 15.07.2019 तक 4907 अतिक्रमणकर्ताओं में से 1579 को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें से 160 भू-माफिया जेल में निरुद्ध हैं 832 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत, 230 के विरुद्ध प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत, 03 के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, 67 के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत, 298 के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत तथा 2685 के विरुद्ध अन्य आपराधिक धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी है।

जनपद-झांसी के थाना मोंठ से कोई भू-माफिया चिन्हित नहीं है। थाना कोतवाली क्षेत्र से एक भू-माफिया नरेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैया लाल, निवासी-सूजे खां खिड़की थाना कोतवाली को चिन्हित किया गया, जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली झांसी पर मु0 अ0सं0-256/17, धारा-447 भादवि व 2/3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया एवं विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र संख्या-234/17 दिनांक 13.08.2017 को प्रेषित किया गया तथा उसके विरुद्ध 110 जी सी0आर0पी0सी0 व धारा-3 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गयी एवं नगर निगम की जमीन/मौजा झांसी खास आ0नं0-600/0.008 जमीन अवमुक्त कराई गयी।

उपरोक्तानुसार थाना कोतवाली में चिन्हित दबंग के विरुद्ध कृत कार्रवाई के विवरण का उल्लेख कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

**178-श्री मो0 फईम इरफान-**

[02 सोमवार के अता0 प्र0सं0-64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**प्रदेश की सड़कों के गड्ढों से हुई दुर्घटना में मौत पर परिजनों को मुआवजे के सम्बन्ध में**

**179-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सड़कों पर गड्ढ़ों के कारण होने वाली दुर्घटना जनित मौतों पर मृतकों के परिजनों तथा घायल पीड़ितों को मुआवजा देने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सड़कों पर गड्ढ़ों के कारण होने वाली दुर्घटना जनित मौतों पर मृतकों के परिजनों तथा घायल पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र संख्या-32-7/2014 एन0डी0एम0-1, दिनांक 08-04-2015 की गाइड लाइन में कोई प्राविधान नहीं है।

**प्रदेश में अनावश्यक जल दोहन रोकने व जल संरक्षण संबंधी**

**180-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू-गर्भ जल के संरक्षण हेतु सरकार की कोई प्रभावी योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

भू-गर्भ जल संरक्षण हेतु ''राज्य भू-जल संरक्षण मिशन'' योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 271 विकास खण्डों (217 अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल तथा 54 विकास खण्ड बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यन क्षेत्र) एवं 22 शहरों में क्षेत्रवार माइक्रो प्लानिंग के आधार पर भू-जल संसाधनों के समग्र अध्ययन एवं जल संचयन व प्रबन्धन के विविध उपायों को समेकित रूप से कन्वर्जेन्स के माध्यम से क्रियान्वित कर भू-जल स्तर/भण्डारण में सुधार किये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर की समस्या के निदान हेतु बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाने हैं, जिनमें चेकडैम का निर्माण, तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा-मेड़बन्धी, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचानाओं के कार्य सम्मिलित हैं।

राज्य भू-जल संरक्षण मिशन योजना वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ हुई है, जिसके अन्तर्गत कार्य योजना के अनुसार 05 वर्षों हेतु वर्षवार चयनित विकास खण्डों की संख्या निम्नानुसार है :-

| वर्ष | विकास खण्ड | नगरीय क्षेत्र |
|---|---|---|
| प्रथम | 25 | - |
| द्वितीय | 40 | 3 |
| तृतीय | 70 | 6 |
| चतुर्थ | 70 | 7 |
| पंचम | 66 | 6 |
| योग | 271 | 22 |

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में गोबर गैस संयंत्र पक्का कैटल शेड यूरिन टैंक एवं नाँद निर्माण के सम्बन्ध में**

**181-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गोबर गैस संयंत्र को प्रोत्साहित करने के लिये पक्का कैटल शेड, यूरिन टैंक एवं नाँद निर्माण करने हेतु मनरेगा के अन्तर्गत प्रावधान किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशिका 2013 के अध्याय-7 के पैरा-7.1.3 के बिन्दु XI में यूरिन टैंक एवं नाँद निर्माण किये जाने एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-19, दिनांक 03-01-2014 के बिन्दु-4 के प्रवर्ग-आ के उप बिन्दु-(V) में कैटल शेड (पशु आश्रय) का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के समस्त महानगरों में बीते 2 वर्षों में जाम की समस्या दूर करने के किए गए प्रयासों के ब्यौरे संबंधी**

**182-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में जाम की समस्या दूर करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार उक्त हेतु विगत 2 वर्षों में किए गए प्रयासों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 14-09-2017 तथा इसी क्रम में गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-1048/6-पु-2-2017-64 विविध/2017, दिनांक 03-10-2017 के अनुपालन में अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात निदेशालय के आदेश सं0-डीटी-855-2017, दिनांक 14-10-2017 द्वारा आदेश निर्गत कर जनपदों के मुख्य चौराहों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ट्रैफिक लाइट लगवाये जाने हेतु मुख्य चौराहों का चिन्हीकरण करने, अतिक्रमण हटाये जाने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करने, अन्यत्र शिफ्ट किये जाने वाले बिजली व अन्य पोलों का चिन्हीकरण करने, सुरक्षा सूचकांक व डिवाइडर लाइन लगवाये जाने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करने, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर आटोरिक्शा की पार्किंग हेतु स्थल का चिन्हीकरण करने, सेन्ट्रल वर्ज की रिपेयरिंग किये जाने वाली सड़कों को चिन्हीकरण करने, पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक कांस्टेबिल/होमगार्ड/पीआरडी/एनसीसी के जवानों की तैनाती करने तथा ट्रैफिक के नियमों का एक समान रूप से कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश पारित किये गये हैं।

सरकार द्वारा उक्त हेतु विगत दो वर्षों में यातायात पुलिस को तकनीकी रूप से सुसज्जित करते हुए जनमुखी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु यातायात पुलिस वेबवाइट व ट्रैफिक एप का निर्माण कराया गया है, जिसमें एलर्ट, एडवाइजरी एवं रिस्ट्रक्शन की सुविधा प्रदान किये जाने तथा जनमानस को वन-वे, हैवी ट्रैफिक, नो पार्किंग एवं डायवर्जन इत्यादि के संबंध में पूर्व से ही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उक्त से जाम एवं जनमानस को होने वाली यातायात संबंधी कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी। उक्त के अतिरिक्त ई-चालान एप एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिससे ई-चालान की कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 07-01-2019 से 09-07-2019 तक 57 जनपदों में कुल 11,25,690 वाहनों का चालान किया जा चुका है तथा दिनांक 30-06-2019 तक शमन शुल्क के रूप में रु0 9,88,42,422/ की धनराशि वसूल की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

## बिलारी विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध नदी, झील व बंजर आदि भूमि में पशु संरक्षण केन्द्र बनाने के संबंधी

**183-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र-30, बिलारी के जिला-मुरादाबाद/सम्भल से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं के झुंडों से फसलों की बर्बादी या कृषकों का नुकसान रोकने हेतु उन पशुओं को क्षेत्र में उपलब्ध नदी, झील व बंजर आदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि में संरक्षित क्षेत्र बनाकर वहां भेजने की कोई योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-**

सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है।

प्रख्यापित नीति के अन्तर्गत प्रदेश में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना एवं संचालन किया जा रहा है। अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के निराश्रित/बेसहारा गोवंश को संरक्षित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद झांसी के गरौठा वि0स0 क्षेत्र के चेक डैम की सही डिजाइनिंग कराने के सम्बन्ध में**

**184-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा में जल संचयन हेतु लखेरी नदी पर गलत डिजाइन से बने चेकडैम के अपस्ट्रीम में भारी मात्रा में सिल्ट जमा होने से जगह-जगह प्राकृतिक जलस्रोत बन्द हो गये हैं और नदी सूख रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार चेक डैम की सही डिजाइनिंग कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जनपद-झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में जल संचयन हेतु लखेरी नदी पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 में चेक डैम बनाया गया है, जिसकी डिजाइन सही है। चेकडैम के अपस्ट्रीम वर्षा के पश्चात् समय के साथ सिल्ट डिपाजिट होना स्वभाविक है। सिल्ट जमा होने से प्राकृतिक जलस्रोत बन्द नहीं होते हैं। जहां तक नदी के सूखने का प्रश्न है, वह विगत कई वर्षों में कम वर्षा एवं वर्षाकाल में कमी होने से नदी के जल स्तर में गिरावट आई है। पुनः रि-डिजाइन करने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में मानव अंगों की तस्करी के मामलों की जानकारी व दोषियों को दंडित करने के सम्बन्ध में**

**185-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 2 वर्षों में मानव अंगों की तस्करी के कितने मामले प्रकाश में आए हैं तथा कितने मामलों में दोषियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज कर दण्डात्मक कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन/रेलवे से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में विगत 02 वर्षों (वर्ष 2017 एवं 2018) में मानव अंगों की तस्करी का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**186-हाजी इरफान सोलंकी-**

[03 मंगलवार हेतु स्थगित]

**जनपद प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव के हैण्डपम्पों के जल स्तर के सम्बन्ध में**

**187-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोरांव विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रयागराज में कतिपय हैण्डपम्पों का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल के निदान हेतु गहरी रि-बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

जी नहीं।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण हैण्डपम्पों के सूखने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जनपद प्रयागराज में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

**ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं नेता विरोधी दल के मध्य तीखी नोंक-झोंक (क्रमागत)**

(समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के वेल में मौजूद रहने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपनी सीट पर चलें। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा कहना है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लिया जाये, उसके बाद आप कदाचित संतुष्ट हो जायें।

(समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के वेल में ही बैठ जाने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

आप अपनी सीट पर चलें, माननीय मंत्री जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी सुन लें, अब कृपया हमारा यह अनुरोध मान लीजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, एक मिनट बैठ जाइये। अभी जिसको ले करके हमारा सदन अव्यवस्थित हुआ। उसी विषय पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहेंगे और उसी विषय पर माननीय डॉ0 महेन्द्र जी भी कुछ कहेंगे।

(समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के वेल में ही बैठे रहने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

तो यहां से सुनना, क्या ठीक रहेगा ? माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कहिए, यह अपनी सीट पर चले जायें। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात कहें।

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रश्नकाल के दौरान ग्राम्य विकास के एक प्रश्न का उत्तर माननीय महेन्द्र जी दे रहे थे। उसी के सम्बन्ध में कुछ वार्तालाप इस प्रकार की हुई, कुछ हांट-टॉक इस प्रकार की हुई कि यह मौजूदा स्थिति बनी। मेरा कहना यह है कि हाउस में हम सब लोग अपनी-अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए यहां पर आते हैं। हम लोग हाउस में अपनी पार्टी के प्रति, अपनी नीतियों के प्रति निष्ठावान हैं। मानवता का हमारे लिए बड़ा संदेश, मानवता का हमारे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य जरूर पूरा होना चाहिए और वह हमारे आचरण और व्यवहार से परिलक्षित भी होना चाहिए। मान्यवर, जो कुछ भी हुआ, हम उसको दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि सभी माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित थे और उनके संबंध में जो कुछ भी गर्मा-गर्मी माननीय ग्राम्य विकास मंत्री, श्री महेन्द्र सिंह जी और आदरणीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी, जो इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत बार मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, मान्यवर, यह जो कुछ भी हुआ, उसे सुनकर भी दुःख लगता है। मैंने महेन्द्र सिंह जी से भी बात कही और वह भी इस बात के लिए दुःखी हैं कि जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। भावावेश में कोई बात अगर निकल गई होगी तो हम यह जरूर चाहेंगे कि माननीय महेन्द्र सिंह जी अपने मुंह से इस बात को कह देंगे। यह हम सब लोगों की मंशा है कि हाउस व्यवस्थित रूप से चले, इस बात को बिना आगे बढ़ाते हुए और इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम उस कार्यवाही को दोहरायें। जो कुछ भी हुआ है, सबके सामने हुआ है, इसलिए अपने-अपने मन में भी महसूस करना चाहिए कि हमारा क्या रोल है। जनता मेरी तरफ किस निगाहों से देखती है, मीडिया हमारे बारे में क्या सोचता है, तो हमें अपने बारे में भी इस बात के लिए आत्म-निरीक्षण करना चाहिए कि हमारा रोल क्या होना चाहिए और हमने क्या रोल किया ? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय महेन्द्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह भी अपनी बात सदन में कहें।

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय महेन्द्र जी।

**ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 महेन्द्र सिंह)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष का, सम्पूर्ण विपक्ष का और सम्पूर्ण सदन का हृदय से आदर करता हूं और जहां कहीं भी नेता प्रतिपक्ष हमें मिलते हैं तो मैं आपको पूरी तरीके से सम्मान देता हूं। आज सदन की कार्यवाही के समय जो कुछ भी यहां पर हुआ है, मुझे भी कुछ ऐसा लगा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था अगर कोई ऐसी बात निकली होगी जिससे आपकी भावनाओं को ठेस लगा होगा। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं स्वयं इससे दुःखी हुआ हूं।

**श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, हम लोग कई बार बैठे और विशेषकर दलीय नेताओं की बैठक में नेता सदन ने भी इस बात को बार-बार कहा कि हम लोग सदन में एक मर्यादित भाषा के आधार पर जो कुछ कहना हो उसे कहने का काम करें। मान्यवर, कई बार ऐसा होता है कि भावनावश बहुत सी बातें निकल जाती हैं लेकिन यदि बाद में सम्बन्धित सदस्य उस पर खेद व्यक्त कर देते हैं तो हम सब लोग उसको माफ कर देते हैं तो मेरा कम से कम यह सुझाव है आपके माध्यम से कि इसमें बड़प्पन होगा कि भावनात्मक आधार पर या जोश में जो भी बात निकली निश्चित रूप से संसदीय मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। हम यहां पर एक दूसरे की औकात देखने नहीं आये हैं। ऐसी स्थिति में जहां जो करना होता है, जब बाहर चुनाव होता है तो उसमें एक दूसरे से लड़ते हैं, लड़कर जीतते हैं, बहुत से लोग हारते हैं, जीत-हार संसदीय परम्परा की एक निश्चित सी प्रक्रिया है, इसमें किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया निश्चित रूप से मेरी राय में वह संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है और इस पर खेद व्यक्त करने में कोई उनकी प्रतिष्ठा नहीं घटेगी, ऐसा मेरा मानना है तो कम से कम उनको खेद व्यक्त करना चाहिए जिससे कि यह गतिरोध, अवरोध खत्म हो। मान्यवर, इतना शान्तिपूर्ण तरीके से सदन चल रहा था, हम सब लोग पहले दिन से ही सदन को पूरी तरह चलाने में प्रत्येक दशा से सहयोग कर रहे थे। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से इस बात पर उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष कोई नये व्यक्ति नहीं हैं, वर्ष 1977 से, जब बहुत से हमारे सदस्यों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब से माननीय नेता प्रतिपक्ष इस सदन के सदस्य रहे हैं। ऐसी स्थिति में माननीय नेता प्रतिपक्ष की औकात और हैसियत की बात करना मैं समझता हूं कि संसदीय परम्परा और संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ऐसे सीनियर सदस्य के सामने खेद व्यक्त करने में किसी तरह का उनका अपमान नहीं होगा इसलिए मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि कम से कम इस पर खेद जरूर व्यक्त करें।

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय वर्मा जी, दुःख और खेद दो बातें आ रही हैं। दुःख व्यक्त करने में व्यक्ति स्वयं को कष्ट देता है और खेद व्यक्त करने में दूसरे को प्रसन्न करता है, यही दर्शन की व्याख्या है।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, आपने बहुत अच्छा परिभाषित किया। आज प्रथम अनुपूरक भी आने वाला है, हम इस बहस को ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने दिल की भावना, अपने मन की भावना हाउस में सबके सामने व्यक्त कर दी। मान्यवर, आदमी दुःखी तभी होता है जब कहीं न कहीं उसके मन में पश्चात्ताप हो, तो वह पश्चात्ताप भी व्यक्त कर चुके हैं और दुःखी भी हैं। मान्यवर, वह अपने शब्द वापस ले लेंगे, हम उनसे कह देते हैं, अब इस विषय को समाप्त कराइये। जो भी हुआ उसको हम कोट नहीं करना चाहते, उनकी तरफ से जो बात हुई उसको हम खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए वह दुःख भी व्यक्त कर देंगे और शब्द भी वापस ले लेंगे। इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप उन शब्दों को कार्यवाही से भी निकलवा दें।

**श्री अध्यक्ष-**

जहां कहीं आपत्तिजनक शब्द होंगे, कार्यवाही से उनको निकलवा देंगे।

**श्री अजय कुमार लल्लू (सदन के वेल में बैठे हुए)-**

मान्यवर, खेद व्यक्त करने में क्या दिक्कत है ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मैं फिर से एक बार महेन्द्र सिंह जी से कहूंगा कि वह इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दें कि वह दुःख भी व्यक्त करते हैं और अपने शब्द भी वापस लेते हैं।

**डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपनी भावना पहले ही आपके समक्ष व्यक्त कर चुका हूं। मैं पुनः कहता हूं कि मेरे जिन शब्दों के कारण मा0 सदस्य को ठेस पहुंची है, मैं उसको वापस लेता हूं।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 सदस्यों से हमारा अनुरोध है कि वह हमारी प्रार्थना मानकर अपने-अपने स्थान पर चलें। हमारी प्रार्थना है नेता कांगेस, नेता बसपा और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष से कि अब आप अपने स्थान पर चलें मा0 नेता प्रतिपक्ष आप कुछ कहेंगे। आप वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं, विपक्ष के आदरणीय नेता हैं।

**नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

मा0 अध्यक्ष जी, आप सदन के संरक्षक हैं। सन् 1977 से, उसके पहले तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि सन् 1952 से विधान सभा में

इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, अगर उसको सही मानते हैं तो मैं ही गलती महसूस करता हूं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी, उनका आचरण हमको ठीक नहीं लग रहा है। यह जिद है और जिद से सदन नहीं चलता है। अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो वेल में गये नहीं हैं, मा0 सदस्य लोग वेल में गये हैं। जैसा मा0 सदस्य लोग उचित समझें, वैसा करें।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मा0 अध्यक्ष जी, ये कोई जिद नहीं है। मा0 नेता प्रतिपक्ष को अपने आप में बड़प्पन भी कहीं न कहीं दिखाना चाहिए। जो भी वार्तालाप हुआ है वह केवल इस बात की प्रतिक्रिया (रिएक्शन) थी कि सी0बी0आई0 की जांच होगी और आप जेल जाएंगे। इस प्रतिक्रिया (रिएक्शन) पर उन्होंने कह दिया कि हम चुनौती देते हैं। चुनौती और जेल जाने के बीच की यह बात है। मान्यवर, इतनी सी बात है। दूसरी बात एक तरफ दुःख भी व्यक्त कर रहे हैं, शब्द भी वापस ले रहे हैं। मान्यवर, शब्द वापस लेना भी अपने आप में पश्चात्ताप का एक प्रतीक है। इसलिए मेरा आपसे निहायत अदब के साथ यह गुजारिश है कि आप इन लोगों से कह दें कि यह कोई जिद नहीं है। पश्चात्ताप भी कर रहे हैं, दुःख भी व्यक्त कर रहे हैं और उसके साथ-साथ अपने शब्द भी वापस लिये हैं। बड़े होने की वजह से, लोकतंत्र के मानदंड (डेमोक्रेटिक नार्म्स), बड़प्पन और वरिष्ठता के आधार पर, ये सारी चीजें इसी तरह से हुई हैं। हम हाऊस को चलाना चाहते हैं, इसी वजह से हमने दुःख व्यक्त किया, पश्चात्ताप किया, शब्द वापस लिए। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में पर्याप्त है। मा0 राम गोविन्द चौधरी जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और उनसे भी मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि आप थोड़ा बड़प्पन दिखाएं और इस बात को समाप्त करने की कृपा करें। हम चाहते हैं कि हाऊस जरूर चले। मा0 नेता सदन भी इसीलिए यहां उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में पर्याप्त है। उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये, दुःख भी व्यक्त कर दिया। मा0 अध्यक्ष जी ने बहुत बढ़िया परिभाषा दिया है कि अपने आपको हम दुःखी महसूस करते हैं। इससे बड़ा कोई पश्चात्ताप नहीं है।

**श्री लालजी वर्मा-**

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, उन्हें खेद व्यक्त करने में क्या चला जा रहा है ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मा0 वर्मा जी, कभी-कभी भावावेश में अगर कोई चुनौती वाला शब्द निकल गया, तो वह प्रतिक्रिया (रिएक्शन) में निकल गया।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 वर्मा जी, अब तो वह शब्द भी वापस ले लिये हैं।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, मा0 नेता विपक्ष लगभग 50 वर्ष से इस सदन के सदस्य हैं। अब इनको भी इतना बड़प्पन दिखाना चाहिए। यह अभी बहुत छोटे हैं, अपनी गलती महसूस भी कर रहे हैं।

अभी मा0 महेन्द्र सिंह जी दूसरी बार विधान परिषद् के सदस्य बने हैं और मंत्री के रूप में हैं। अब इतना ज्यादा किसी को लेड-डाउन भी नहीं करना चाहिए, उन्होंने पश्चात्ताप व्यक्त कर दिया, अपने शब्द वापस ले लिये तो मैं समझता हूं कि उनको माफ कर देना चाहिए और सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष-**

अब आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। (श्री राम गोविन्द चौधरी जी के खड़े होने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

ये लोग अपने आसन पर चले जाते तब आप बोलते तो गरिमामय होता।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की मंशा भी हम लोग समझ गये, आपकी भी मंशा समझ गये। संसदीय कार्य मंत्री और मा0 अध्यक्ष ये दोनों विधान सभा के महत्वपूर्ण अंग हैं और आप तो सर्वेसर्वा हैं। अगर आपके और संसदीय कार्य मंत्री जी के जानने में यह सही है, माननीय मुख्य मंत्री व नेता सदन स्वयं मौजूद हैं और इनके कहने में अगर सही है तो हमारी तरफ से कोई बात नहीं है।

(वेल में उपस्थित सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये।)

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठतम सदस्य हैं, अनुभवी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में रहे हैं, हम सबके आत्मीय हैं। सदन की कार्यवाही को सुचारु-रूप से चलाने की दृष्टि से मैं ने बार-बार अनुरोध किया और मैं आभार व्यक्त करता हूं मा0 नेता प्रतिपक्ष का, मा0 नेता कांग्रेस का, मा0 नेता ब0स0पा0 का, एक-एक सदस्य का कि सभी मा0 सदस्यों ने हमारे द्वारा किय गया विनम्र अनुरोध स्वीकार किया है। मा0 राम गोविन्द जी प्रत्येक दृष्टि से हम लोगों के वरिष्ठ हैं। उनको अगर कोई कष्ट हुआ है, तो हमारी मंशा, मा0 मुख्य मंत्री जी की मंशा और संसदीय कार्य मंत्री जी की मंशा ऐसा शब्द प्रयोग किये हैं। हम लोगों की मंशा और आपकी भी मंशा संयुक्त रूप से होती है, तभी सदन अपनी परिपक्वता में गठित होता है, समवेत् होता है। हम लोगों की मंशा, आपकी व सबकी मंशा यह रहती है कि यह आदरणीय सदन सुचारु रूप से चले और ठीक से चल भी रहा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण अवसर ऐसा आया जब गतिरोध पैदा हो गया लेकिन आपने सहयोग किया, मैं आपका आभारी हूं।

## [12:37] वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण

**वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।)

**श्री अध्यक्ष-**

प्रतियां वितरित कर दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

माननीय वित्त मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ?

**श्री राजेश अग्रवाल-**

मान्यवर, आज नहीं।

**श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, आज इतना ही होना था। अब औचित्य का प्रश्न ले लें।

## [12:38] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

**श्री अध्यक्ष-**

पहले हम नियम-301 पढ़ दें।

आज दिनांक 23.07.2019 को कुल 54 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिसमें 21 सूचनायें माननीय सदस्यों की स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री श्याम धनी की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत ब्लाक भनवापुर के ग्राम संग्रामपुर में कच्ची सड़क को पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री किशन लाल राजपूत की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत 1441 राजस्व गांव हैं जिसमें तहसीलों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर सहित समस्त उत्तर प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में हीमोफीलिया बीमारी के उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में फैक्टर व अन्य सुलभ चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर सदर के अन्तर्गत भड़रिया तटबन्ध के निर्माण हेतु किसानों के भूमि का मुआबजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौंद के ग्राम शंकरपुर तथा विकास खण्ड महेबा में पेयजल हेतु पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के तहसील निजामाबाद अन्तर्गत गीता पल्ली बेलभद्दर निवासी ग्राम डोडोपुर को हुई मृत्यु का बीमा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री हर्षवर्धन बाजपेयी की लखनऊ स्थित जानकी विहार कालोनी, जानकीपुरम् में 50 मीटर गली रोड नगर निगम द्वारा न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री विजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत खुर्जा नगर पालिका परिषद् का सीमा विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा ब्लाक के अन्तर्गत भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये गये सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना डॉ0 अरुण कुमार की बरेली शहर के दो क्षेत्र संजय नगर एवं

मठलक्ष्मीपुर में प्याप्त जल निकासी समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलिया खेड़ी के ग्राम रसूलपुर पापडेकी से ग्राम खजूरी अकबरपुर तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में बरसाती नदियों के पानी से बाढ़ की स्थिति पैदा होने से बचाव हेतु नदियों में टक्करें स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर में एन0टी0पी0सी0 टाण्डा द्वारा ग्राम सलाहपुर रज्जौर, हुसैनपुर सूधाना आदि में की गई भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के अन्तर्गत पवारा नहर से सजई कला तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की प्रदेश में सामयिक संग्रह अमीन व सामयिक संग्रह अनुसेवकों का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत बाँसी-इटवा रोड में अकड़ाली नाला पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए अवशेष धनराशि को जारी तथा परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री विनय शंकर तिवारी की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में खड़ेसरी से लेकर डेरवां तक सरयू के किनारे बने बन्धे की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर में यू0आई0डी0एस0एम0टी0 के तहत अत्यधिक घटिया और फटी हुई पाइप डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्रीमती जय देवी की उत्तर प्रदेश के स्व वित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी शिक्षक निर्वाचन नियमावली में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत लम्बित बिलों का भुगतान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय सदस्य श्री काली प्रसाद, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री दयाराम चौधरी, श्री धनन्जय कन्नौजिया, श्री कपिल देव अग्रवाल, श्री सीताराम वर्मा, डॉ0 डी0सी0 वर्मा, श्री संजय शर्मा, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीमती अनीता, डॉ0 मंजू शिवाच, श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंसं', श्री संजय सिंह गंगवार, श्री ओमकार सिंह यादव, श्री आशुतोष उपाध्याय, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री अनिल पाराशर, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री हाकिम लाल बिन्द, डॉ0 हरगोविन्द भार्गव, श्री राम अचल राजभर, श्री अबरार अहमद, श्री उमाशंकर सिंह, श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ

गुड्डू भइया, श्री बाबू राम पासवान, श्री कैलाश नाथ सोनकर, श्री बहोरन लाल मौर्य, श्री राहुल प्रकाश, श्री दिनेश चौधरी, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की सूचनाएं अस्वीकार की गईं।

**जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत ब्लाक भनवापुर के ग्राम संग्रामपुर में कच्ची सड़क को पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के सूचना**

**श्री श्याम धनी-**

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत ब्लाक भनवापुर, ग्राम संग्रामपुर में श्री माधव प्रसाद मिश्रा के घर से शमशान घाट को जाने वाली सड़क कच्ची है। इस कारण बरसात के दिनों में सड़क पर कीचड़ बन जाता है जिससे वहां से निकलने वाले लोगों को अत्यधिक असुविधा हो रही है। जनहित में तात्कालिक रूप से उक्त सड़क को पक्का किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की मांग करता हूं।]

**जनपद-पीलीभीत के अन्तर्गत गजरौला कला नामक तहसील का गठन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री किशन लाल राजपूत-**

[जनपद-पीलीभीत के अन्तर्गत 1441 राजस्व गांव हैं, एक तहसील परिक्षेत्र के गठन/परसीमन हेतु कम से कम 360 राजस्व गांव, 80 लेखपाल परिक्षेत्र एवं 5 कानूनगो परिक्षेत्र अधिक से अधिक होने चाहिए। इस दृष्टि से जनपद पीलीभीत में मात्र 4 परिक्षेत्र ही गठित हो सकते हैं। चूंकि तीन तहसील परिक्षेत्र पीलीभीत, बीसलपुर एवं पूरनपुर पूर्व से ही क्रियाशील है। इसलिए चौथी तहसील परिक्षेत्र के गठन हेतु ऐसे स्थल का चयन करना होगा, जोकि उक्त तीनों तहसीलों के मध्य हो, ताकि तीनों तहसीलों का परिक्षेत्र समान राजस्व गांवों से आच्छादित हो सके। इसी दृष्टि से गजरौला कला नामक स्थल उपयुक्त है। यदि इस स्थल पर तहसील मुख्यालय अधिष्ठापित किया जाता है, तो उक्त तीनों तहसीलों का समान परिक्षेत्र सम्मिलित हो सकेगा। राजनैतिक दृष्टिकोण अमरिया एवं कलीनगर स्थलों को चयन कर अनुपयुक्त तहसीलों का गठन किया गया है। इस हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव शासन को सम्प्रेषित है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद-मुजफ्फरनगर सहित समस्त उत्तर प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में हीमोफीलिया बीमारी के उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में फैक्टर व अन्य सुलभ चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री प्रमोद उटवाल-**

[मान्यवर, अवगत कराना है कि पूरे उत्तर प्रदेश सहित जनपद मुजफ्फरनगर में हीमोफीलिया नामक लाइलाज बीमारी के मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। इस रोग के कारण व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को काफी रक्तस्राव होता है जिससे रोगी की बहुत कम दिनों में मृत्यु हो जाती है। हीमोफीलिया से होने वाले रक्तस्राव को रोकने का एक मात्र इलाज ''फैक्टर'' है और मरीजों की बढ़ती संख्या के सापेक्ष जिला चिकित्सालयों में ''फैक्टर'' पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जिससे रोगी की समय पर उपचार न मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है जबकि प्राइवेट अस्पताल में इस बीमारी का इलाज अत्यधिक महंगा है। जनहित में जनपद मुजफ्फरनगर सहित प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में हीमोफीलिया नामक बीमारी के उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में ''फैक्टर'' व अन्य सुलभ चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

## जनपद-बलरामपुर सदर के अन्तर्गत भड़रिया तटबन्ध के निर्माण हेतु किसानों के भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री पल्टू राम-**

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत भड़रिया तटबन्ध के निर्माण हेतु वर्ष 2012-13 में उतरौला तहसील के अन्तर्गत किसानों की जमीन पर तटबन्ध का निर्माण कराया गया था, परन्तु अभी तक हजारों किसानों को भूमि का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। उक्त ड्रेनेज खण्ड (सिंचाई विभाग) सिद्धार्थनगर द्वारा कराया गया था, जनहित में किसानों का मुआवजा दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए जनहित में किसानों का मुआवजा दिये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद-जालौन के विकास खण्ड कुठौंद के ग्राम शंकरपुर तथा विकास खण्ड महेबा में पेयजल हेतु पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री नरेन्द्र पाल सिंह कुँ0-**

[मान्यवर, बुन्देलखण्ड में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है, कुठौंद विकास खण्ड के ग्राम-शंकरपुर तथा महेबा विकास खण्ड के महेबा ग्राम में पेयजल हेतु पानी की टंकी बनवाने की कृपा करें।]

**जनपद-आजमगढ़ के तहसील निजामाबाद अन्तर्गत गीता पत्नी बेलभद्दर, निवासी ग्राम डोडोपुर को हुई मृत्यु का बीमा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री दुर्गा प्रसाद यादव-**

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत गीता पत्नी बेलभद्रदर, निवासी ग्राम डोड़ोपुर, तहसील निजामाबाद, जनपद-आजमगढ़ की मृत्यु दिनांक 6-3-2017 को ट्रैक्टर से दबने के कारण हो गयी। और उसकी गलत तरीके से रिपोर्ट देकर किसान दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं दिया गया है। जो सरासर गलत है। परिवार में बच्चे बहुत छोटे हैं और आय का कोई साधन नहीं है। तत्काल किसान दुर्घटना बीमा की राशि दिया जाय, जिससे परिवार के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। इस तरह के तमाम प्रकरण जनपद-आजमगढ़ के लम्बित पड़े हैं। उपरोक्त प्रकरण की गलत रिपोर्ट भेजकर दुर्घटना बीमा से वंचित रखा जा रहा है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

**लखनऊ स्थित जानकी विहार कालोनी, जानकीपुरम् में 50 मीटर गली रोड नगर निगम द्वारा न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ स्थित जानकी विहार कालोनी, जानकीपुरम्, लखनऊ की ओर ले जाना चाहता हूं जहां के निवासी श्री सुशील कुमार तिवारी, मकान सं0 645ए/355, जानकी विहार कालोनी, जानकीपुरम्, लखनऊ के मकान से श्री जगतराम के मकान सं0 645ए/437, जानकी विहार कालोनी, जानकीपुरम्, लखनऊ तक का सड़क निर्माण कार्य (लगभग 50 मीटर गली रोड एवं नाली) कालोनी के निर्माण से आज तक न हो पाने से जलभराव, गन्दगी तथा बीमारी/महामारी फैलने की आशंका नियमित बनी रहती है। बाकी पूरी कालोनी में रोड बना दी गई है, सिर्फ इतना ही अवशेष है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं कि श्री सुशील कुमार तिवारी, के मकान सं0 645ए/355, जानकी विहार कालोनी, जानकीपुरम्, लखनऊ से श्री जगतराम के मकान सं0 645ए/437, जानकी विहार कालोनी, जानकीपुरम्, लखनऊ तक का सड़क निर्माण कार्य (लगभग 50 मीटर की गली रोड एवं नाली) अतिशीघ्र कराने हेतु नगर निगम, लखनऊ को आदेशित करते हुए सदन में उत्तर दिलाने की कृपा करें।]

## जनपद-बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत खुर्जा नगर पालिका परिषद् का सीमा विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री विजेन्द्र सिंह-**

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में खुर्जा शहर नगर पालिका परिषद् बहुत पुरानी है एवं शहर भी बहुत प्राचीन है जोकि विश्व में पोटरी उद्योग के नाम से जाना जाता है। नगर पालिका खुर्जा में लगभग तीस वर्ष से सीमा विस्तार नहीं हुआ है जिस कारण लगभग 60 कालोनियां नगर खुर्जा होते हुए भी नगर पालिका में शामिल नहीं की गयी हैं। इन कालोनियों में लगभग 50 हजार की आबादी निवास करती है। उनका नगर पालिका की सीमा में न होने के कारण से कोई विकास नहीं हो पा रहा है। प्रथम श्रेणी की पुरानी नगर पालिका होने के बावजूद यहां पर मूलभूत सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है जिस कारण से स्थानीय निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में नगर पालिका, खुर्जा का सीमा विस्तार करके इन अविकसित कालोनियों को नगर पालिका में शामिल कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

## जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा ब्लाक के अन्तर्गत भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये गये सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री जटाशंकर त्रिपाठी-**

[माननीय मंत्री जी के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि खड्डा व पडरौना तहसील में स्थित खड्डा ब्लाक व नौरंगिया ब्लाक में सरकारी जमीनों, ग्राम पंचायत की जमीनों एवं नगर पालिका की जमीनों पर भू-माफियाओं के तरफ से अवैध कब्जा जमाये जाने के साथ ही कहीं-कहीं स्थाई व कहीं-कहीं अस्थाई निर्माण कार्य करा लिया गया है।

जिनके ऊपर कार्यवाही नहीं होने से अन्य लोगों का भी मनोबल बढ़ता जा रहा है, माननीय मंत्री जी के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि ऐसे भू-माफियाओं के ऊपर किस प्रकार और कब तक कार्रवाई किया जायेगा जिससे जनहित के कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध हो सके।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## बरेली शहर के दो क्षेत्र संजय नगर एवं मठलक्ष्मीपुर में व्याप्त जल निकासी की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**डॉ0 अरुण कुमार-**

[मान्यवर, अवगत कराना है कि बरेली शहर के दो क्षेत्र संजय नगर एवं मठलक्ष्मीपुर ऐसे हैं, जहां जल निकासी बहुत बड़ी समस्या है। थोड़ा भी पानी बरसने पर गलियों में तथा घरों 4-4 फिट तक पानी भर जाता है तथा जनजीवन अस्त-व्यस्त होता है। संजय नगर में एक और सम्पवैल बनाकर तथा मठलक्ष्मीपुर में ऊंची करके सड़क एवं नाले बनवाकर यह समस्या दूर की जा सकती है। जनहित में नगर निगम बरेली द्वारा उक्त कार्य को किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

## जनपद-सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम रसूलपुर पापडेकी से ग्राम खजूरी अकबरपुर तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री मसूद अख्तर-**

[मान्यवर, जनहित में अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-4, सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम रसूलपुर पापडेकी से ग्राम खजूरी अकबरपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव में किसी के अत्यधिक गम्भीर बीमार होने पर एम्बुलेंस अथवा आग लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में अत्यन्त कठिनाइयां होती हैं। सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण समय पर सुविधाओं के न मिलने से गम्भीर विपत्तियों की आशंका बनी रहती है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जनपद-सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम रसूलपुर पापडेकी से ग्राम खजूरी अकबरपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

## जनपद-सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र बेहट में बरसाती नदियों के पानी से बाढ़ की स्थिति पैदा होने से बचाव हेतु नदियों में टक्करें स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री नरेश सैनी-**

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जो शिवालिक पहाड़ियों से सटा हुआ है, बरसाती नदियों में अधिक ढलान होने के कारण बरसात का पानी अधिक

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मात्रा में तीव्र गति से आता है, जिसके द्वारा नदी का पानी किनारों को काटता है जिससे किसानों की उपजाऊ भूमि नदी में बह जाती है तथा इन बरसाती नदियों के किनारे पर भी कुछ गांव स्थापित हैं। जब इन नदियों में अत्यधिक पानी आता है तो वह गांवों में घुस जाता है जिससे गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे गांवों में अत्यधिक कटान होने से लोगों के मकान गिर जाते हैं तथा अन्य कई प्रकार से जान-माल का नुकसान होता है। इस परिप्रेक्ष्य में हुसैनपुर मलकपुर ग्रामवासियों द्वारा लम्बे समय तक धरना व आमरण अनशन किया और जिलाधिकारी, सहारनपुर व जनप्रतिनिधियों के अल्पकालिक आश्वासन पर अनशन किया गया तथा अतिशीघ्र नदी के पुल व नदी में टक्करें न बनवाने पर पुनः ग्रामवासियों ने आमरण अनशन की चेतावनी दे रखी है।

उक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को कई बार दूरभाष पर व पत्राचार के माध्यम से भी इन नदियों से लोगों की जान-माल की सुरक्षा हेतु नदियों के बहाव को कम करने के सम्बन्ध में जगह-जगह पर टक्करें (पानी बहाव अवरोधक) लगवाने हेतु अवगत कराया जा चुका है, परन्तु कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता द्वारा जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित 38 ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा हेतु टोरेन्ट्स पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की परियोजना शासन को गत वर्ष भेजी जा चुकी है। उक्त के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी व मा0 सिंचाई मंत्री को स्वयं मिलकर व पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया गया था परन्तु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

## जनपद-अम्बेडकरनगर में एन0टी0पी0सी0 टाण्डा द्वारा ग्राम सलाहपुर रज्जौर, हुसैनपुर सूधाना आदि में की गई भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री लाल जी वर्मा-**

[मान्यवर, एन0टी0पी0सी0 टाण्डा द्वारा ग्राम सलाहपुर रज्जौर, हुसैनपुर सूधाना आदि की आबादी की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उक्त ग्रामों के मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, परन्तु अनेक ग्रामवासियों को मकान की क्षतिपूर्ति न देकर खतौनी में अंकित व्यक्तियों को ही मकान की क्षतिपूर्ति दी जा रही है, जबकि उक्त भूमि पर वे लोग सैकड़ों वर्ष से आबाद हैं। मकान की क्षतिपूर्ति न मिलने से उक्त ग्रामवासियों में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त ग्रामवासियों को मकान की क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत पॅवारा नहर से सजई कला तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्रीमती सुषमा पटेल-**

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहती हूं।

अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के वि0ख0-मुंगराबादशाहपुर में पंवारा नहर से ग्राम सजई कला तक ग्रामवासियों के आने जाने हेतु पिच सम्पर्क मार्ग लगभग 03 कि0मी0 की आवश्यकता है। पिच मार्ग न होने से आमजन को आवागमन हेतु अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये वि0स0 क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर में पंवारा नहर से सजई कला ग्राम तक पिच सड़क बनाये जाने की कार्रवाई की मांग करती हूं।]

## प्रदेश में सामयिक संग्रह अमीन व सामयिक संग्रह अनुसेवकों का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री अमिताभ बाजपेई-**

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान राजस्व विभाग में कार्यरत सामयिक संग्रह अमीन व सामयिक संग्रह अनु सेवकों के विनियमितीकरण व आयु सीमा शिथिलता की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

समाजवादी पार्टी सरकार ने वर्ष 2015 में संग्रह अमीन सेवा नियमावली व वर्ष 2016 में संग्रह अनुसेवक सेवा नियमावली में संशोधन कर सामयिक संग्रह अमीनों का रिक्त पदों पर 85% व सामयिक संग्रह अनुसेवाकों का रिक्त पदों पर 100% विनियमितीकरण प्रतिवर्ष जुलाई माह में करने का आदेश है। इसके बावजूद विनियमितीकरण नहीं हो रहा है जबकि उत्तर प्रदेश में संग्रह अमीनों के 3096 पद रिक्त हैं इसके सापेक्ष 2200 सामयिक संग्रह अमीन विनियमितीकरण के लिए अवशेष हैं, इसी तरह संग्रह अनुसेवकों के 3369 पद रिक्त हैं, इसके सापेक्ष 3296 पद सामयिक संग्रह अनुसेवक विनियमितीकरण के लिए अवशेष हैं। विनियमितीकरण न होने से सामयिक कर्मचारियों का भविष्य खराब हो रहा है।

अतः इस जनहित व लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सामयिक संग्रह अमीनों व सामयिक संग्रह अनुसेवकों का विनियमितीकरण व आयु सीमा शिथिलता तत्काल करवाने व सामयिक कर्मचारियों को उनका हक दिलाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद-सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत बांसी-इटवा रोड में अकड़ाली नाला पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

[मान्यवर, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-305, इटवा जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत बांसी-इटवा रोड (बी0टी0आई0बी0) के बरगदवा पूर्वी में अकड़ाली नाला पर बना पुल पुराना और कमजोर है तथा पुल की दिशा सही न होने के कारण बने तिरछे मोड़ से प्रायः दुर्घटनाएं होती हैं। उस स्थान पर एक नया पुल बनाकर उपरोक्त समस्या का समाधान किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

## जनपद-बस्ती के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर के आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए अवशेष धनराशि को जारी तथा परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

[मान्यवर, प्रदेश में 6 साल तक के बच्चों को कुपोषण से बचाव एवं स्वास्थ्य की देखभाल हेतु प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना सरकार द्वारा करायी गयी है। जिसमें बच्चे के स्वास्थ्य, प्रारम्भिक शिक्षा का ज्ञान, कुपोषण से बचाव तथा सन्तुलित आहार आदि की शिक्षा दी जाती है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना धनाभाव के कारण प्रभावित हो रही है।

जनपद बस्ती में प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर में 18 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गयी थी। लोक निर्माण विभाग बस्ती के शेड्यूल अगस्त, 2014 के दरों पर आगंनबाड़ी केन्द्रों का आगणन अनुमोदित किया गया था। प्रथम किस्त जारी किये जाने के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये। पी0डब्लू0डी0 बस्ती की दरें फरवरी, 2018 में पुनरक्षित की जा चुकी हैं। जिसके कारण परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो गयी है। विगत 15-16 महीने से धनाभाव के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है। परियोजनाएं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में होने के कारण देखभाल के अभाव में प्रथम किस्त के बाद कराये गये निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। परियोजनाओं को पूर्ण कराने के लिए पी0डब्लू0डी0 बस्ती की फरवरी, 2018 के पुनरीक्षित दरों को संज्ञान में लेते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए अवशेष धनराशि को जारी कर परियोजनाओं को पूर्ण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण जनहित से जुड़ा अति महत्व का है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के इस अवलिम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

**जनपद-गोरखपुर से विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में खड़ेसरी से लेकर डेरवां तक सरयू के किनारे बने बन्धे की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री विनय शंकर तिवारी-**

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में खड़ेसरी से लेकर डेरवां तक सरयू के किनारे पूर्व में बन्धे का कार्य निर्माण कराया गया था जो काफी जीर्ण हो गया है और भारी बरसात को देखते हुए बन्धे के कटान की सम्भावनाएं बनी हुई हैं। जिससे आस-पास के निवासियों की जान-माल का खतरा बना हुआ है। जनहित में खड़ेसरी से डेरवां तक बन्धे की मरम्मत कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस अवलिम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर उक्त बन्धे का मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

**जनपद-गोरखपुर में यू0आई0डी0एस0एम0टी0 के तहत अत्याधिक घटिया और फटी हुई पाइप डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-**

[मान्यवर, जल निगम द्वारा गोरखपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में यू0आई0डी0एस0एम0टी0 एवं अमृत योजना के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति की योजना प्रचलित है, जिसके अन्तर्गत इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में पानी की टंकिया, ट्यूबवेल, राइसिंग-मेन तथा अण्डरग्राउण्ड पाइप लाइन डालकर घरों में जलापूर्ति करती है।

होना यह चाहिये था कि विभाग एक निश्चित क्षेत्र में पानी की टंकी बनाने से लेकर घरों तक जलापूर्ति करने की योजना पूरी करने के बाद दूसरे क्षेत्र का काम उठाते। लेकिन विभाग ने काम को चारों जोन में फैला दिया और टंकिया/ट्यूबवेल/राइसिंग-मेन बनाकर धन खत्म होने का बहाना बनाकर काम रोक दिया। काफी दिनों तक काम रुके रहने के बाद विभाग न मोहल्लों में जलापूर्ति के लिये अण्डरग्राउण्ड पाइप डाली।

दुःखद यह रहा कि नथमलपुर जोन से जब नई डाली गई पाइप में टेस्टिंग के लिये जब पम्प चलाया गया तो आजादनगर (पचपेड़वा), लक्षीपुर वार्ड में अधिकांश सड़कों पर पानी लीक करने लगा। सूचना मिलने पर जल निगम के प्रकल्प खण्ड के अधिशासी अभियन्ता एस0पी0 द्विवेदी, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता को लेकर मौके पर गये और अधिकारियों की उपस्थिति में, अधिकारियों ने जे0सी0वी0 मंगाकर जमीन में डाली गई पाइप निकाली गई तो नागरिक और स्वयं मैं यह देखकर स्तब्ध रह गये कि पाइप का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह फटा

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुआ था और उसका वजन 1.9 Kg/Mtr की जगह 1.6 Kg/Mtr ही था। पाइप के ऊपर Soil Filling की जगह ईंट-पत्थर डाल दिये गये थे। हमने स्वयं प्रबन्ध निदेशक/विशेष सचिव जल निगम को बताया तो उन्होंने एक जाचं कमेटी भेजी। जांच अधिकारी, गोरखपुर के अधिकारियों को इतना प्रश्रय दे रहे थे कि, जो पाइप हमने जमीन से निकलवाई थी और जिस पर सभी अधिकारियों के दस्तख्त थे, वह पाइप जांच के लिये न ले जाकर, दूसरी पाइप खोद कर ले गये। हमारी आपत्ति पर उन्हें दुबारा आकर खराब पाइप ले जानी पड़ी।

आवश्यकता इस बात की है कि विभाग द्वारा डाली गई अण्डरग्राउण्ड पाइप की उच्चस्तरीय जांच कराई जाये, खराब पाइप निकाल कर उच्च गुणवत्ता की पाइप डाली जाये, दोषी अभियन्ताओं/ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय पर उ0प्र0 कार्यप्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत सरकार को सदन के पटल पर जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

## उत्तर प्रदेश के स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी शिक्षक निर्वाचन नियमावली में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्रीमती जया देवी-**

[मान्यवर, सदन के माध्यम से अवगत कराना है कि उ0प्र0 में 90 प्रतिशत उच्च शिक्षा व्यवस्था स्व-वित्त पोषित शिक्षकों के सहारे चल रही है लेकिन इनका नाम शिक्षक निर्वाचन नियमावली में दर्ज नहीं है यह शिक्षक 90 प्रतिशत उच्च शिक्षा की भागीदारी के साथ कार्य कर रहा है लेकिन अभी तक इन शिक्षकों को शिक्षक निर्वाचन नियमावली में नहीं जोड़ा गया है। इसीलिए सदन के माध्यम से अनुरोध करना है कि 90 प्रतिशत वर्ग को वोट देने के अधिकार से वंचित न रखा जाये, इनको भी वोट का अधिकारी दिया जाये। इसलिए स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी शिक्षक निर्वाचन नियमावली में शालिम किया जाये। इस उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग को जिससे न्याय मिल सके।]

## उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत लम्बित बिलों के भुगतान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री राकेश प्रताप सिंह-**

[मान्यवर, सानुरोध अवगत कराना है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर एवं जिला पंचायत स्तर पर कार्य हो रहे हैं जिसमें श्रमिकों का भुगतान तो हो जाता है परन्तु निर्माण सामग्री ईंट, बालू, मौरंग, सरिया इत्यादि के बिलों का भुगतान 6-6 महीने विलम्ब से होता है जिससे सामग्री

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विक्रेताओं/व्यापारियों का व्यापार बाधित होता है। व्यापारियों द्वारा निर्माण सामग्री आपूर्ति करने में असमर्थता जताई जाती है। व्यापारियों द्वारा सामग्री आपूर्ति न कराये जाने से विकास कार्य जैसे गौशाला, सोक पिट, नाली निर्माण, सोलिंग कार्य एवं निर्माण आदि बाधित हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों विशेषकर अति पिछड़े जनपद-सीतापुर, लखीमपुर व अमेठी में मनरेगा योजना के अन्तर्गत लम्बित बिलों के भुगतान में विलम्ब से गरीब मजदूर वर्ग में सरकार से प्रति काफी रोष है।

अतः लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से उक्त जनपदों में मनरेगा योजना का भुगतान शीघ्र कराये जाने की मांग करता हूं।]

## [12:39] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

**श्री अध्यक्ष-**

आज दिनांक 23 जुलाई, 2019 को नियम-300 के अन्तर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री त्रिवेणी राम, श्री रामानन्द बौद्ध, श्री कैलाश नाथ सोनकर व श्री ओम प्रकाश राजभर जी की है। इसमें जो विषय आया है वह विषय विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के संगत अथवा संविधान के वह अनुच्छेद जिनके आधार पर इस सदन का कार्य विनियमित होता है, इससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये यह सूचना पोषणीय नहीं है, इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना माननीय संजय गर्ग, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी की मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण। यह सूचना भी विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली में औचित्य के अन्तर्गत नहीं आती।

**श्री संजय गर्ग-**

मान्यवर, दो मिनट की बात है, सुन लें।

**श्री अध्यक्ष-**

औचित्य में नहीं आती। अब हम आपको नियमावली थोड़ी न पढ़ायेंगे।

**श्री संजय गर्ग-**

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए।

**श्री अध्यक्ष-**

आपको पूरी नियमावली याद है।

**श्री संजय गर्ग-**

मान्यवर, केवल दो मिनट।

**श्री अध्यक्ष-**

आपको पूरी नियमावली मालूम है अगर कोई नये सदस्य होते तो मुझे उनको नियमावली का नियम बताना पड़ता।

**श्री संजय गर्ग-**

मान्यवर, आपके संरक्षण के बिना हम लोग अनाथ हैं। हमारे नाथ तो आप ही हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

संरक्षण है, लेकिन यह विषय उसमें नहीं आता है।

**श्री संजय गर्ग-**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन यहां मौजूद हैं। आपके माध्यम से उनसे एक विनती है। माननीय मुख्य मंत्री जी की वित्तीय वर्ष 2018-2019 में प्रदेश की प्रत्येक विधन सभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण कराये जाने की घोषणा है। विपक्ष के विधायकों को उससे महरूम रखा जा रहा है। अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए।

**श्री अध्यक्ष-**

यह उस नियम में नहीं आता, यह आप जानते हैं। आप बैठ जायं। मैं अगली मद ले रहा हूं।

## उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 (दिनांक 05-02-19 से 18-02-2019 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण †

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 (दिनांक 05-02-2019 से 18-02-2019 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (पन्द्रहवां संस्करण) के निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

## दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 को जनपद-वाराणसी राजघाट पुल प्रकरण के सम्बन्ध में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच द्वारा तैयार किये गये जांच प्रतिवेदन†

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 को जनपद वाराणसी राजघाट पुल प्रकरण के सम्बन्ध में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग द्वारा तैयार किये गये जांच प्रतिवेदन को कृत कार्यवाही के विवरण सहित कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा-3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

## दिनांक 10 फरवरी, 2013 (मौनी अमावस्या) को जनपद-इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग, इलाहाबाद द्वारा तैयार किये गये जांच प्रतिवेदन †

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 10 फरवरी, 2013 (मौनी अमावस्या) को जनपद-इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग, इलाहाबाद द्वारा तैयार किये गये जांच प्रतिवेदन को कृत कार्यवाही के विवरण सहित कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा-3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 37वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2016-17†

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 37वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2016-17 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष-**

मद संख्या-8 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-9

## उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-18) का सप्तम् प्रतिवेदन (खण्ड-2) †

**श्री महबूब अली-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का सप्तम् प्रतिवेदन (खण्ड-2), जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

## उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-18) का अष्टम् प्रतिवेदन (खण्ड-3) †

**श्री महबूब अली-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का अष्टम् प्रतिवेदन (खण्ड-3), जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का

---

† छापी नहीं गयी।

31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

**श्री तसलीम अहमद, सदस्य विधान सभा की जनपद-बिजनौर से सम्बन्धित तीन याचिकाए** †

**श्री तसलीम अहमद-**

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बिजनौर के ग्राम बड़िया से करूणाधाम तक कच्चे मार्ग को पक्का बनाने के संबंध में श्री बलवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बिजनौर के ग्राम दहिरपुर के मुख्य मार्ग से नहर की पटरी सम्पर्क मार्ग तक जिसकी लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 कच्चे मार्ग को पक्का बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 अकबर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बिजनौर के ग्राम दहीसुर में कच्चे मार्ग को पक्का एवं ग्राम हुमायूंपुर इद्दू में मदरसे से ताहमुल के घर तक लगभग 1200 मी0 कच्चे सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री मरहूब अहमद व अन्य निवासीगण जनपद-बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

**श्री भूपेश चौबे, सदस्य विधान सभा की जनपद-सोनभद्र से चार याचिकाए** †

**श्री भूपेश चौबे-**

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-सोनभद्र में ब्लाक चोन के अन्तर्गत पाण्डू नदी पर टूटी दो पुलिया के निर्माण के संबंध में श्री राकेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद-सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-सोनभद्र में ब्लाक राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत करारी गांव को जोड़ने वाली सड़क एवं टूटी पुलिया के निर्माण के संबंध में श्री विजय कन्नौजिया व अन्य निवासीगण जनपद-सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-सोनभद्र के चेरवाडीह से करैल को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के संबंध में श्री सोभनाथ व अन्य निवासीगण जनपद-सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-सोनभद्र के विकास खण्ड घोरावल, ग्राम सतद्वारी में 11वीं सदी के शिव पार्वती जी के मन्दिर के आस-पास की सरकारी जमीन को खाली करने तथा मन्दिर की एक अर्द्धसरकारी ट्रस्ट/समिति बना कर पर्यटन क्षेत्र के रूप में

† छापी नहीं गयी।

विकसित करने के संबंध में श्री श्रीकान्त दूबे व अन्य निवासीगण जनपद-सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

## श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर, सदस्य विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

**श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर-**

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज को नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में श्री मनोज कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद-लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में श्री रमेश चन्द्र राही व अन्य निवासीगण जनपद-लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में स्थित बनी रोड से मरूई गांव तक 1.5 किमी0 सड़क का डामरीकरण कराने के संबंध में श्री राम सरोहन यादव व अन्य निसासीगण जनपद-लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

## श्री रवि सोनकर, सदस्य विधान सभा की जनपद-बस्ती से सम्बन्धित दो याचिकाएं उनके अनुरोध पर स्थगित†

**श्री रवि सोनकर-**

(1) जनपद-बस्ती के विकास खण्ड कुदरहा के अन्तर्गत कुदरहा-मुन्डेरवा मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश अग्रहरी व अन्य निवासीगण जनपद-बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) जनपद-बस्ती के विकास खण्ड कुदरहा के अन्तर्गत मनोरमा दी पर सेल्हरा-ठोकवा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसवारे चौहान व अन्य निवासीगण जनपद-बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय सदस्य श्री रवि सोनकर का अनुरोध आया है इसलिए इसे स्थगित किया जाता है।

---

† छापी नहीं गयी।

**श्री राजीव कुमार सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†**

**श्री राजीव कुमार सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के हंसखेड़ा तिराहा, डूडा कालोनी पारा में हंसखेड़ा तिराहे से चार मंजिला कालोनी तक पूर्व में निर्मित सड़क के किनारे नाले से अवैध अतिक्रमण हटाने एवं क्षतिग्रस्त नाले का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती मंजू देवी व अन्य निवासीगण जनपद-लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

**श्री संजय गर्ग, सदस्य विधान सभा की जनपद-सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका†**

**श्री संजय गर्ग-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-सहारनपुर स्थित मां शाकुम्भरी देवी मंदिर के प्रबंधन हेतु ट्रस्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष वैश्य व अन्य निवासीगण जनपद-सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

**श्रीमती बन्दना सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†**

**श्रीमती बन्दना सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के विकास खण्ड-हरैया में सोनौरा गांव के पास नदी पर पुल निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय राय व अन्य निवासीगण जनपद-लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

**श्रीमती रजनी तिवारी, सदस्य विधान सभा की जनपद-हरदोई से सम्बन्धित याचिका †**

**श्रीमती रजनी तिवारी-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-हरदोई के विकास खण्ड-शाहाबाद में ग्राम ठेहापुर अन्टवा से रामपुर तक लम्बाई लगभग 500 मी0 सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मुकुन्ने द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

**श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित याचिका †**

**श्री गौरी शंकर वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-जालौन के 221-उरई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिला पुरुष चिकित्सालय उरई जनपद-जालौन में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

**श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-महाराजगंज से सम्बन्धित याचिका**[†]

**श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र 319 पनियरा में डोमरा जर्दी बांध का उच्चीकरण, चौड़ीकरण एवं पिच मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुभाष विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद-महाराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

**[12:53] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव**

**श्री अध्यक्ष-**

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 जुलाई, 2019 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 23 जुलाई, 2019 से दिनांक 26 जुलाई, 2019 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 23 जुलाई, 2019 को सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं उसके पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायं,

2-दिनांक 25 जुलाई, 2019 को उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 एवं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायं,

3-दिनांक 24 जुलाई, 2019 को नियम-56 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं।

तद्नुसार दिनांक 23 जुलाई, 2019 से दिनांक 26 जुलाई, 2019 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

**जुलाई 2019**

| | |
|---|---|
| 23 मंगलवार | 1-**12:20 बजे अपराह्न**<br>वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण।<br>2-सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं उसका पारण। |
| 24 बुधवार | वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण। |

[†] छापी नहीं गयी।

**जुलाई 2019**

| | |
|---|---|
| 25 गुरुवार | 1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :- |
| | (क) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 |
| | (ख) उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 |
| | 2-अन्य कार्य, यदि कोई हों। |
| 26 शुक्रवार | 1-विधायी कार्य। |
| | 2-असरकारी दिवस (आधा दिन)। |

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**श्री अध्यक्ष-**

मद संख्या-23 में कुछ नहीं है।

## उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019[†]

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

[†] दिनांक 16 अगस्त, 2019 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

## उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 †

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूं।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019†

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष-**

अब अगली मद कार्य-स्थगन की है।

## नियम-110 के अन्तर्गत चन्द्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को मुख्य मंत्री द्वारा बधाई प्रस्ताव

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, चन्द्रयान-2 के सम्बन्ध में एक बधाई प्रस्ताव आज मा0 नेता सदन द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। अगर आपकी अनुमति हो तो प्रस्तुत किया जाए।

---

† दिनांक ..... के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 मुख्य मंत्री जी।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट)

**मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-**

मा0 अध्यक्ष जी, कल दिनांक 22 जुलाई, 2019 को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन 'इसरो' ने देश के चन्द्र मिशन 'चन्द्रयान-2' का श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केन्द्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। पूरा देश इस सफल प्रक्षेपण के लिए गौरव की अनुभूति कर रहा है। इस सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस मिशन में कड़ा परिश्रम किया है। चन्द्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण ने यह साबित कर दिया है कि भारत अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आया है। इस प्रक्षेपण की सफलता से भारत लगातार चन्द्र अभियान संचालित करने वाले विश्व के चुनिन्दा देशों की कतार में शामिल हो गया है। (सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट) चन्द्रयान-2 का सफल प्रक्षेपण भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल और विज्ञान के क्षेत्र में एक नयी ऊंचाईयों को छूने के लिए 130 करोड़ देशवासियों के दृढ़ संकल्प को भी प्रकट करता है। यह उपलब्धि प्रत्येक भारतीय के लिये प्रेरणादायी है। इसरो ने अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक और मापदण्ड स्थापित किया है। देश को इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है और इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। (सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट)।

महोदय, इस अभियान में उत्तर प्रदेश के अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और खासतौर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की बात करते हैं, वह इस मिशन के साथ भी साकार होता हुआ दिखायी दिया है जब लखनऊ की निवासी और इसरो की वैज्ञानिक सुश्री रितु करिधाल श्रीवास्तव चन्द्रयान-2 के इस अभियान की प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक रही हैं। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) चन्द्रयान-2 के रोवर के लिए नैव जनरेशन और पाथ जनरेशन की तकनीक उपलब्ध कराने में भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आई0आई0टी0 कानपुर ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) मेरा प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का यह सदन चन्द्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण हेतु इसरो के वैज्ञानिकों तथा उनकी पूरी टीम को जिन्होंने सफल प्रक्षेपण में अथक परिश्रम किया, हार्दिक बधाई देता है तथा चन्द्रयान-2 के सफल मिशन के सफल उद्देश्यों के लिए अपनी हार्दिक मंगलमय कामनायें करता है।

**श्री अध्यक्ष-**

इस संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलें।

**नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र उपलब्ध करा दिया गया है किन्तु हम लोगों को पत्र उपलब्ध ही नहीं कराया गया है।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 मुख्य मंत्री जी, पत्र अपने साथ लेकर आए हैं।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपको मुख्य मंत्री जी से हम लोगों को भी पत्र दिलवाना चाहिए था, नहीं तो फिर आपको भिजवाना चाहिए था। मा0 अध्यक्ष जी, चन्द्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण के संबंध में माननीय नेता सदन ने जो विचार रखे हैं मैं उससे अपने आपको संबंद्ध करता हूं, और गर्व भी महसूस करता हूं कि दुनिया में भारत एक अग्रणी देश होता जा रहा है। (सदन में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, इससे इस बात का पता चलता है कि उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में बौद्धिक क्षमता में अग्रसर होता हुआ दिखायी दे रहा है। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस अभियान में भाग लिया है। आई0आई0टी0 कानपुर के सभी प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष तथा वैज्ञानिकों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने देश में ही नहीं दुनिया में अपनी बुद्धि के बल पर हिन्दुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन सभी को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

**श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसरो के वैज्ञानिकों को सफल प्रक्षेपण के लिए जो बधाई प्रस्ताव रखा है जिसका माननीय नेता विरोधी दल ने समर्थन किया है, मैं भी समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने जो सफलता अर्जित की है वह बधाई के पात्र हैं और उसमें उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों की जो भूमिका है वह भी बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से आज पूरा देश गौरव महसूस कर रहा है। इस सफल प्रक्षेपण से मैं पुनः बधाई देते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। (सदन में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

**श्री अजय कुमार लल्लू-**

माननीय अध्यक्ष जी, चन्द्रयान-2 के इस सफल परीक्षण से दुनिया में भारत ने अपना सबसे बड़ा स्थान बनाने का कार्य किया है। निश्चित ही यह जो कार्य हुये हैं, परीक्षण हुये हैं, वह पूरे देश के लोगों के लिए गर्व का विषय है। इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनायें। साथ ही साथ जो कानपुर आई0आई0टी0 कालेज से निकले हुए वह तमाम प्रोफेसर और वैज्ञानिकों ने जो यह परीक्षण करके इस देश का मान-सम्मान और खासकर उत्तर

प्रदेश का मान-सम्मान, दुनिया में बढ़ाने का काम किया है उन्हें भी बधाई। नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और नेता बसपा की बातों से मैं अपने आपको सम्बद्ध करते हुए पुनः मंगलमय कामनाओं के साथ बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री नीलरतन सिंह पटेल 'नीलू'-**

माननीय अध्यक्ष जी, आज चन्द्रयान के सफल परीक्षण पर नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस ने जो अपना उद्‌बोधन प्रस्तुत किया है उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहूंगा कि एक समय था जब चीन, अमेरिका, जापान, रूस इस तरह के सफल परीक्षण करते थे तो हम सब लोग सिर्फ देखने का काम करते थे। हमारे देश के वैज्ञानिकों को संसाधन नहीं मिल पाते थे और वह भी कसमसा कर रह जाते थे लेकिन आज हमारे उन वैज्ञानिकों को जब संसाधन मिले हैं तो उन्होंने पूरे विश्व में भारत का मान ऊंचा करने का काम किया है। इसके लिए इसरो की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं और साथ ही साथ इस अभियान को सफल बनाने के लिए भारत सरकार और माननीय मोदी जी को बधाई देता हूं। साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश की एक बेटी ने इस मिशन में अपना जो ऐतिहासिक योगदान दिया है उसके लिए उत्तर प्रदेश का मान पूरे भारत और पूरे विश्व में बढ़ा है निश्चित तौर पर इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी बधाई देना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं।

**श्री ओम प्रकाश राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, चन्द्रयान-सेकेण्ड के सफल परीक्षण पर जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता अपना दल ने व्यक्त किये हैं उससे में अपने आपको सम्बद्ध करते हुए आई0आई0टी कानपुर और उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष-**

मैं समझता हूं कि इसमें प्रश्न उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय नेता सदन द्वारा प्रस्तुत और माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दलीय नेताओं द्वारा समर्थित यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

**श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष, प्रस्ताव तो पारित हो गया है। हमारे नियमों में व्यवस्था है कि जब बधाई का प्रस्ताव आता है तो नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों की सहमति से आता है। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि इस तरह के प्रस्ताव आ जाते हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष अथवा प्रतिपक्ष के लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं रहती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रस्ताव

का हम लोगों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया है। लेकिन कोई भी बधाई का प्रस्ताव अगर आए तो निश्चित रूप से प्रक्रियानुसार नेता प्रतिपक्ष की भी सहमति होनी आवश्यक है और साथ ही साथ उसकी कॉपी भी सभी नेताओं को मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इसे हमेशा संज्ञान में लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष-**

ठीक है।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा लाये गये प्रस्ताव का सभी लोगों ने समर्थन किया, लेकिन यह सदन संविधान के अनुच्छेदों, परम्पराओं और नियमावली के अन्तर्गत चलता है। जैसा कि मा0 लालजी वर्मा जी ने कहा कि चाहे बधाई का प्रस्ताव हो या निन्दा का प्रस्ताव हो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति अनिवार्य होती है। आपके पीठ पर रहते हुए हम कई बार देख रहे हैं कि नियमों का अतिक्रमण हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए। हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन नियमों के अन्तर्गत तो हो। मैंने शुरू में ही कहा कि न आपने हमको उपलब्ध करवाया और न ही नेता सदन ने ब्यौरा उपलब्ध करवाया, हम लोग बोलें क्या ? तो आगे से भविष्य में चाहे वह बधाई के संदेश हों या निन्दा का प्रस्ताव हो वह नियमों के अनुरूप हो और सबकी सहमति से हो यही मैं कहना चाहता हूं।

**श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-**

मान्यवर, यहां नियमों की बात हो रही है। इस सदन में अपना दल कांग्रेस से बड़ी पार्टी के रूप में है, लेकिन जब बात आती है तो कांग्रेस के बाद ही अपना दल का नाम आता है (श्री अध्यक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से हंसी के ठहाके)।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 नेता प्रतिपक्ष ने और मा0 लालजी वर्मा जी ने जो बातें कही हैं उसमें उनके द्वारा कहे गये विषय पर हमारी पूरी-पूरी सहमति है। उन्होंने यह कहा है कि विपक्ष की सहमति से प्रस्ताव आता है। विपक्ष की जानकारी से प्रस्ताव आता है, सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हम यहां वोट कराते हैं इतनी सी बात थी जो मुझे जोड़नी थी।

## [01:25] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

**श्री अध्यक्ष-**

अब मैं नियम-56 की सूचनाएं ले रहा हूं। आज दिनांक 23-07-2019 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 07 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया। पहली सूचना मा0 लालजी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर जी,

श्री राम अचल राजभर जी, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री हरगोविन्द भार्गव की प्रदेश में जर्जर विद्युत व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में है।

**श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, आज प्रदेश में हाईटेंशन लाइन के आबादी के ऊपर होने और जर्जर होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं मान्यवर, आपको भी अवसर मिला होगा कि आपके क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं हुई होंगी जिसमें तमाम लोगों की जान चली जाती है। अभी 15 जुलाई को बलरामपुर जिले में एक स्कूल पर ही हाईटेंशन तार गिर गया। आधे घण्टे तक लाइन नहीं कटी और इसके कारण 53 बच्चे आंशिक रूप से झुलस गये। मान्यवर, मेरा इस लोक महत्व के प्रश्न को उठाने का तात्पर्य है कि आज विभाग द्वारा मनचाहे ढंग से आबादी के ऊपर से तार खींच दिया जाता है जिसके कारण इस तरह की घटनाएं बहुत बार होती रहती हैं। मेरा मानना है कि विभाग को आबादी के ऊपर से तार नहीं खींचना चाहिए और अगर कहीं खींचा है तथा बाद में आबादी बसी है तो उसके लिए भी कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे उसके नीचे कोई मकान न बना पाए। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि हम जनहित के तमाम काम करते हैं और जनहित के काम करने में इस बात को देखने में आता है कि हम सरकारी कोष से जनहित के लिए तमाम पैसा भी खर्च करते हैं क्योंकि यह एक जनहित का कार्य है।

मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश में इस घटना को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में सर्वेक्षण कराकर जहां भी आबादी के ऊपर तार गये हैं, हाईटेंशन लाइन गयी है उसको वहां पर हटाने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जाये। यह कहा जाता है कि जो पीड़ित पक्ष है वह पैसा जमा करे तभी तार हटेगा, तो मान्यवर, जो गरीब मकान बनाकर रहता है उसकी यह हैसियत नहीं है वह पैसा जमा करके उस तार को हटवा सके। इसलिए जो भी सरकार बनती है वह जनकल्याण के लिए बनती है, तो जनकल्याण के लिए यह सुनिश्चित किया जाये। हम पूरे प्रदेश में जनहित के लिए बहुत पैसे का बजट में प्रोविजन करते हैं। उसको खर्च करते हैं। यह जो समस्या है इसमें अनेक लोगों के लिए खतरा बना रहता है। जो गरीब लोगों के मकान हैं, झोपड़ी हैं उसके ऊपर से तार गया हुआ है। आये दिन खतरा बना रहता है। इसलिए इस जनहित के प्रश्न पर मैं चाहूंगा कि सभी सदस्यों के क्षेत्रों में इस तरह की शिकायतें हैं इसलिए इसका कार्य-स्थगन के रूप में पूरी तरह से औचित्य है। ग्राह्य होने योग्य है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर कम से कम दो घण्टे की चर्चा स्वीकार करें। हम बात रखेंगे उसका उत्तर आ जायेगा लेकिन इससे इसका समाधान नहीं होगा। जो बलरामपुर में घटना हुयी है जिसमें 53 बच्चे झुलसे हैं। ऐसी घटनायें दूसरी जगह न होने पाये इसके लिए मैं चाहूंगा कि इसको कार्य-स्थगन में स्वीकार करके कम से कम दो घण्टे की चर्चा जरूर करा दें, यह मेरा आग्रह है। साथ ही मेरा यह आग्रह है कि बलरामपुर में जो 51 बच्चे झुलसे हैं आंशिक रूप से ही सही,

जान के लिए खतरा नहीं है। लेकिन किसी का अंग प्रभावित हुआ होगा किसी का कहीं प्रभावित होगा, तो उनको पर्याप्त आर्थिक सहयोग भी सरकार की तरफ से दिये जाने की मैं मांग करता हूं। मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं कि कितना करें पर्याप्त सहयोग जो उनके इलाज के लिए उनके आगे बढ़ने के लिए जरूरत है उसके लिए पर्याप्त सहयोग करें, और इस समस्या के समाधान के लिए जितनी भी आबादी के ऊपर से हाईटेंशन तार गये हैं उसको हटाने की कार्यवाही की जाये। ऐसी मांग करते हुए मैं कहूंगा कि इसको आप कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करें।

**श्री सुखदेव राजभर-**

अध्यक्ष जी, इस पर हम बल देना चाहेंगे।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आ जाये फिर आप पूछ लीजिएगा।

**श्री सुखदेव राजभर-**

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर तो आ ही जायेगा। वह तो स्वाभाविक है। वह तो आना ही है। हमको केवल इतना ही कहना है कि आज स्थिति यह है कि 45 साल, 20-20 साल से पुराने तार हैं। आये दिन बगीचे में या कहीं भी बिजली उतर जाती है। लापरवाही यह होती है कि यही जो बलरामपुर की घटना है उसमें आधे घण्टे के बाद बिजली काटी गयी अभी हमारे ही क्षेत्र में छत के ऊपर से लाइन गयी थी। गांव वालों ने मना किया कि साहब छत पर से लाइन मत ले जाइये उन्होंने कहा कि मैं जाली लगा दूंगा। जाली नहीं लगायी गयी और अभी चार रोज पहले एक लड़के की मृत्यु हो गयी। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं। एक विषम परिस्थिति प्रदेश में है और बलरामपुर की घटना को तो माननीय नेता सदन जी ने भी संज्ञान में लिया। विधिवत उसके लिए कमेटी गठित कर दिया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उसकी जांच भी करवा रहे हैं। उन्होंने एम0डी0 को कहा भी है कि हो सके तो प्रस्ताव बनाओ। लेकिन आज फिर मैं सिफारिश कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ा मसला पूरे प्रदेश में है।

**श्री अध्यक्ष-**

अब जो उत्तर देंगे उसमें सब बातें आ जायेंगी।

**श्री सुखदेव राजभर-**

मान्यवर, हम लोग उत्तर-प्रत्युत्तर के लिए नहीं है, नेता सदन के संज्ञान में ला दिया गया है। अगर हो सके तो एक अच्छे बजट की व्यवस्था करके इन जर्जर तारों को बदलवा दें, वरना आये दिन इस तरह की हृदय विदारक घटनायें होती रहेंगी। इसलिए हम लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं, कोई बहस करने के लिए नहीं कह रहे हैं। जितने भी मा0 सदस्य बैठे हैं इन सबके क्षेत्रों में जर्जर तारों की प्राबलम है। चर्चा हो जाये जिससे सबके सुझाव आ जायें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है लेकिन यह विषय आपको हल्का मालूम पड़ता होगा। आपके क्षेत्र

में भी लोग रोजाना जर्जर तारों की शिकायत करते होंगे। इस पर आप 02 घण्टे की चर्चा करवा लें, जिससे सबके सुझाव आ जायें एवं पूरे सदन के सुझाव आ जायें और नेता सदन जी बैठें हैं, उनके संज्ञान में दे रहे हैं कि यह बहुत बड़ा विषय है। पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा संकट है, इसलिए इस विषय पर चर्चा करायें और इसमें मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आश्वस्त कर दें कि पूरा सर्वेक्षण करायेंगे एवं इस तरह की परिस्थिति जो 40-45 वर्ष पुरानी जर्जर तारों की है उनको बदलवा करके और जो घनी आबादी के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गई है उसको हटवाया जायेगा, तो यह बहुत अच्छा काम हो जायेगा। इसलिए मैं मा0 लालजी वर्मा जी की बात पर बल देते हुए चर्चा की मांग करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, जो बच्चे इस घटना में प्रभावित हुये हैं उनको भी कुछ मदद दे दें। हमारे एक मा0 सदस्य के यहां विद्युत ट्रांसफार्मर से 05 लोगों की मौत हो गई है। उसका भी संज्ञान ले लें।

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, हमने मा0 वर्मा जी एवं मा0 राजभर जी की बात को सुना है। इन लोगों को बधाई देना चाहिए कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद से लेकर अब तक जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था। मोदी जी की सरकार में 18 हजार गांवों में विद्युतीकरण किया है और इस 70 साल की आजादी में जिन्होंने रोशनी नहीं देखी थी उनको सौभाग्य योजना के अन्तर्गत रोशनी देखने को मिली है। मा0 नेता विरोधी दल आपके गांव में भी सौभाग्य योजना के अन्तर्गत लोगों को कनेक्शन मिले हैं। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत उन लोगों को कनेक्शन मिले हैं जो आज तक इस आजादी की रोशनी से वंचित रहे हैं। मा0 राजभर जी आप तो उस पीठ पर रहे हैं, कृपया करके कभी-कभी तो सही बोल लिया कीजिए, कभी-कभी सरकार के अच्छे कामों पर बधाई भी दे दिया कीजिए।

**श्री अध्यक्ष-**

अभी उन्होंने बधाई दी है।

**श्री सुखदेव राजभर-**

मान्यवर, मैंने नेता सदन जी का आभार प्रकट किया है।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, आपने बहुत हल्के से बधाई दी है। आजादी से लेकर आज तक जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, जिन मजरों में बिजली नहीं पहुंची थी, इस सरकार ने उन गांवों एवं मजरों में बिजली पहुंचा दी है। जितने भी वंचित क्षेत्र थे उन सभी जगहों पर बिजली पहुंचा दी गई है, उन लोगों को सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क कनेक्शन दे दिये गये हैं। 10 सालों में जो जर्जर व्यवस्था दी है वह किसने दी है ? हमारे सामने लोग बैठे हैं, यह भी गवाह थे। बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। आने के लिए जाना जरूरी था। इनके जमाने में हमारे घर के सामने एक श्यामा चरण नाम का व्यक्ति रहता था। इनके जमाने में उसके घर में एक

लड़की पैदा हुई। हमने श्यामा चरण से पूछा कि तुमने अपनी लड़की का क्या नाम रखा है ? इस पर उसने कहा कि हमने अपनी लड़की का नाम बिजली रख लिया है। हमने कहा कि बिजली क्यों रखा है ? इस पर उसने कहा कि बिजली तो आती नहीं है लेकिन जब यह खेलकूद करके आयेगी तो हम कहेंगे कि बिजली आ गई, बिजली आ गई। यह इनके जमाने का हाल था और यह हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे यहां यह व्यवस्था नहीं है, वह व्यवस्था नहीं है। जिला मुख्यालय पर 24 घण्टे, 20 घण्टे एवं 18 घण्टे गांवों में बिजली कौन दे रहा है, किसने बिजली दी है ?

**श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-**

मान्यवर, इनका नाम ट्रांसफार्मर रख दीजिए, इनका नाम ट्रांसफार्मर रख दीजिए।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, इनके पास कुछ कहने के लिए तो है नहीं, कि ये सदन में क्या कहें। जब क्षेत्र में जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि तुमने सदन में क्या किया तो कुछ न कुछ तो कहना है ही और मान्यवर, अखबार में कुछ न कुछ तो छपवाना है, ये सिर्फ अखबार की खबर बने इसलिए इनको कहना है। जहां तक इसका सवाल है तो उसके संबंध में कार्रवाई के लिए पहले से कह दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका संज्ञान भी लिया और जो माननीय वर्मा जी और माननीय राजभर जी ने कहा, उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई भी कर दी गयी है। हमारी ऐसे लोगों के साथ पूरी संवेदना है और हमारा ये पूरा प्रयास है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी हालत में न हो। मान्यवर, ये नियम-56 में नहीं आता इसलिए निवेदन है कि इसे अग्राह्य किया जाए।

**नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

माननीय अध्यक्ष जी।

**श्री अध्यक्ष-**

आप वाला तो दूसरा है।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

दूसरा है लेकिन इशारा तो किए ऐसे। (सदन में हंसी) अध्यक्ष जी, ऐसे दो-चार बार इशारा किए आप देखे या नहीं देखे।

**श्री अध्यक्ष-**

आप बिजली के मायके वाले हैं या ससुराल वाले हैं। (सदन में हंसी)

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, हम हर अच्छी बात के लिए इनको इशारा कर देते हैं।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष जी, 'चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास'। प्रश्न उठा है कि जर्जर हो जाने के कारण तार टूट जाते हैं और एक्सीडेन्ट हो जाते हैं, मवेशी-मानव जलकर मर जाते हैं, उसके विषय में माननीय वर्मा जी और राजभर जी ने प्रश्न उठाया तो सौभाग्य योजना बताने लगे और कितने गांवों में बिजली नहीं है ये उसमें चले गए। बिजली कनेक्शन एक सतत् प्रक्रिया है, ये पुरानी सरकारों का उदाहरण देने लगते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बहुत पहले से चल रही थी उसी का नाम बदल दिया। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तो इसी जर्जर तारों के कारण बिजली के तारों को अण्डरग्राउण्ड करने का काम शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत सबसे पहले बनारस से हुई थी, कई जगह काम हुआ भी। हम जानते हैं कि अगर उनकी सरकार रहती तो इन 05 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में ऊपर से तार नहीं रहते, जमीन के अन्दर से तार होते। जहां तक 24 घण्टे बिजली देने की बात है वो तो हमारी देन है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने एक यूनिट भी बिजली पैदा करने का काम नहीं किया, कोई योजना नहीं है। हमेशा हमारा काम और अपनी पीठ थपथपाना, कांग्रेस का काम अपनी पीठ थपथपाना, बहुजन समाज पार्टी का काम अपनी पीठ थपथपाना, थपथपाते रहिए। हमें प्रसन्नता है कि आप हमारे काम का गुणगान तो कर रहे हैं।

(श्री लालजी वर्मा जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

एक मिनट पहले सुन लीजिए, प्लीज। मान्यवर, 2004 का घोषणा-पत्र देख लें ग्रामीण विद्युतीकरण में यह कहा गया था कि ये किया जाएगा लेकिन 2009 आ गया। मान्यवर, कांग्रेस का 2004 का घोषणा-पत्र देख लें, 2004 में यह कहा तो जरूर गया था लेकिन कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया जरा बताइए और 2009 में उसी की परिभाषा बदल दी। मान्यवर, इन्टरनेट पर कांग्रेस का 2009 का घोषणा-पत्र मिल जाएगा, मैंने पढ़ा है, 2009 में उसकी परिभाषा बदल दी गयी, उसमें कहा गया कि हम शहरों से शुरुआत करेंगे। 2004 से लेकर 2009 तक का आंकड़ा निकलवा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

लल्लू जी, बाधा न डालिए।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, 2004 से 2009 तक आंकड़ा निकलवा लें। कांग्रेस की तो आदत रही है कि एक चुनाव में तो एक घोषणा-पत्र दो और दूसरी बार जाकर उसकी मजबूरी बता दो और नया नारा दे दो। ये कांग्रेस की आदत रही है, हमेशा से यही आदत रही है।

**श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने जो कहा वो किया, इतिहास गवाह है कि जितना काम कांग्रेस ने किया है, उतना किसी अन्य सरकार ने नहीं किया।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' एवं विपक्ष के अन्य सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

आप लोग बैठिए, उत्तर आने दीजिए।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

अगर ये पाप न किए होते तो 303 और 353 सीटें कभी नहीं आतीं, इनके पापों की वजह से आई हैं। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) हमारी उपलब्धि और इनके पाप दोनों मिलाकर 353 सीटें आई हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

इस सूचना को अग्राह्य करते हैं।

अगली सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री उज्जवल रमण सिंह और श्री नाहिद हसन की- मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर के कुलाधिपति मो0 आजम खां के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

वर्मा जी, आपका हो गया।

**श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो घनी आबादी के ऊपर से हाईटेंशन तार गए हैं, क्या सरकार उनको वहां से हटवाने की कृपा करेगी ? केवल इतने का उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री दे दें।

**श्री अध्यक्ष-**

ठीक है, अब आप बैठिए।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय अध्यक्ष जी, दोनों में फर्क है, एक मकान पहले बना, एक आबादी पहले आयी और एक तार पहले से गए और आपने उसके नीचे मकान बना लिया, आपने आबादी इक्ट्ठा कर दी, मान्यवर, दोनों में फर्क है।

**श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, यह सरकार जनता के हितों के लिए काम करने में सक्षम नहीं है। सरकार की इन जनविरोधी नीतियों के विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री लालजी वर्मा अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गए)

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, हमारी सरकार जनता के हित में काम कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी।

**श्री अध्यक्ष-**

अब श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी।

**श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर के कुलाधिपति, माननीय मोहम्मद आजम खां के विरुद्ध की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, समाजवादी पार्टी द्वारा माननीय अहमद हसन जी, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की अध्यक्षता में एक जांच दल रामपुर इस उत्पीड़न की कार्रवाई की जांच हेतु भेजा गया था। जांच समिति ने श्री अब्दुल्ला आजम, श्री आसिम रजा, नगर अध्यक्ष, श्री ए0के0 कुरैशी, रजिस्ट्रार सहित स्थानीय नागरिकों से तथ्यों की जानकारी प्राप्त की। जांच में जिला प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया जांच में पाया गया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने जो जमीनें खरीदी हैं, उन सब का बैनामा और खसरा विश्वविद्यालय के पास मौजूद है। भुगतान की तमाम जानकारी भी मौजूद है, तीन गाटा सं0-12/30, 12/32, 14/15, 12/53/1 और 13/39ख का जिक्र तमाम एफ0आई0आर0 में किया गया है। वह कहां पर स्थित है, वह विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर है या बाहर है, उसकी कोई पैमाइश नहीं करायी गयी है। चेक से भुगतान कर यह जमीनें खरीदी गयी थीं। 26 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी हैं, जो पूरी तरह फर्जी हैं, केवल राजनीतिक विद्वेषवश माननीय आजम खां जो वर्तमान में सांसद हैं, उन्हें प्रताड़ित करने की नीयत से कार्रवाई की जा रही है, साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा रहा है। धारा-144 लगाकर वहां के स्थानीय लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है। पूरे जिले में भय और आतंक का वातावरण बना हुआ है। अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

आप भी बोलेंगे ?

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

जी, आपकी कृपा हो तो।

**श्री अध्यक्ष-**

बोलिए-बोलिए।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष अगर न रहे तो कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था चल नहीं सकती और ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है कि सरकार द्वारा विपक्ष को मिटा देने, खत्म करने की पूरी साजिश चल रही है। जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश विधान सभा के कई-कई बार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में संसद के सदस्य, मो0 आजम खां जिन्होंने हिदुस्तान में जौहर जी के नाम पर जो एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, विश्वविद्यालय खोला है और देश ही नहीं विदेश के लड़के भी उसमें पढ़ने आ रहे हैं। जिस जमीन के मामले को ले करके उन पर एफ0आई0आर0 हो रही है, यह तो श्रीमन्, दीवानी का मामला है और नहीं तो राजस्व विभाग का मामला है। हम पहली दफा सुन रहे हैं कि जमीन के मामले में थाने में एफ0आई0आर0 हो रही है या तो कोई सक्षम अधिकारी आर्डर करे, तहसीलदार करे, एस0डी0एम0 करे, कलेक्टर करे, राजस्व परिषद् का कोई अधिकारी करे या दीवानी न्यायालय करे। बिना किसी आर्डर के 26-26 मुकदमें आजम खां पर लगा दिए गए। श्रीमन्, जिन जमीनों, जिन मामलों की बात चल रही है, जिन लोगों ने एफ0आई0आर0 करायी है, आज तक जिला प्रशासन ने उसकी नाप भी नहीं करायी है कि वह कहां है, वह विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर है या विश्वविद्यालय परिसर के बाहर है। जो बैनामा हुआ है, उसका बैंक खाते में पैसा भेजा गया है। यह भी नहीं है कि इसमें कोई छिपने वाली बात हो।

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। हमारी कमेटी गई थी अहमद हसन के नेतृत्व में 21 सदस्यों की। आप भी हैं, नेता सदन भी है, संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं। अगर हमारी कमेटी पर विश्वास न हो तो आप सर्वदलीय कमेटी बना करके वहां जांच के लिए भेज दीजिए। आजम खां को केवल अपमानित करने के लिए, आजम खां के बहाने समाजवादी पार्टी को विपक्ष को अपमानित करने के लिए, आजम खां के बहाने इस प्रदेश और देश के अल्पसंख्यक वर्गों को अपमानित करने का षड़यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है जो लोकतंत्र में अनुचित है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस अत्यन्त लोकतांत्रिक महत्व के प्रश्न पर इस पर आप सदन की शेष कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की कृपा करें।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, जिस दिन से यह हाउस शुरू हुआ, सदन की बैठक जिस दिन से शुरू हुई उस दिन से यह कहा जा रहा है कि गलत तरीके से उनको उत्पीड़ित करने के लिए इस प्रकार

की कार्यवाही की जा रही है। हमारे पास उन लोगों के नाम भी हैं जिन लोगों ने रिपोर्ट करवाई है और एस0डी0एम0 की जांच के बाद यह रिपोर्ट हुई है जैसा कि नेता विरोधी दल, जिस बात के ऊपर आपत्ति प्रकट कर रहे थे मैं उनकी ही बात का जवाब देना चाहता हूं। कोई आदमी विश्वविद्यालय बनाए, कोई शिक्षा का कोई संस्थान बनाए उसका स्वागत हो सकता है, लेकिन गरीबों की, मजलूमों की, लाचारों की, जो निहत्थे लोग हैं, जो प्रभावशाली नहीं हैं उन लोगों की जमीन को नाजायज तरीके से उनकी बिना मर्जी के कब्जा करके, उस जमीन को अगर किसी भी संस्थान का हिस्सा बनाए तो ना अलौकिक दृष्टि से ऐसे को सबाब मिलता है और न भौतिक जगत में ऐसे लोगों की सराहना होती है। आपके सामने थोड़ा वक्त लगेगा दो माननीय सदस्यों ने उसके ऊपर कहा यह लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार क्या मैटर है ? आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं कि पूरी तरह से जो मुकदमें कायम हुए वह बकायदा एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत एक विधि सम्मत तरीके से जांच कराने के बाद ही मुकदमें हुए हैं और ऐसा नहीं है कि यह पहले मुकदमें हैं इसके अलावा भी होते रहे हैं। साथ ही साथ एक प्रॉविजन और भी है जो पूरे सदन को मालूम है और आपके संज्ञान में भी है। अगर किसी दलित की जमीन को हम खरीदेंगे उसके लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। हमारे पास जिलाधिकारी, रामपुर की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उस जमीन की अनुमति नहीं ली गई। खासतौर से कोड करना चाहता हूं दलितों की जमीन नाजायज तरीके से खरीद करके अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा 13.55 एकड़ भूमि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बगैर ली गई है तथा दस अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में सीलिंग के पट्टेदार रहे हैं 4.53 एकड़ भूमि क्रय की गई है। अब इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के 19 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा 9.89 एकड़ भूमि उपरोक्त तीन व्यक्तियों को विक्रय की गई है। यह आख्या सेवा में प्रेषित है अंजनेय कुमार सिंह, जिलाधिकारी, रामपुर। अगर मान्यवर, अनुमति हो तो यह रिपोर्ट पढ़कर सुना दें, क्योंकि सब लोग जानना भी चाहते हैं। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है और यह आज ही की रिपोर्ट है।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मा0 अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। अभी इन्होंने स्वयं पढ़ा कि तीन लोगों की जमीन विक्रय कर ली गई, चार लोगों की जमीन विक्रय कर ली गई। विक्रय माने जीमन की खरीद-फरोख्त हुई। संसदीय कार्य मंत्री जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जमीन खरीदी गई।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, इसमें दलित की जमीन भी है अब पूरी 26 रिपोर्टों की बात सुनिए। देखिए आपकी बात हो गई, परम्परा तो नहीं है लेकिन आप बाद में स्पष्टीकरण मांग लीजिएगा।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपने खुद स्वीकार किया कि जमीन का क्रय-विक्रय हुआ।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, पूरे का क्रय-विक्रय नहीं हुआ। इसमें जमीन नाजायज तरीके से भी ली गई है। इसमें 25 अभियोग जिसका कुल रकबा 1101.134 हेक्टेयर है, यह जमीन जबरदस्ती मिलाई गई और इसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वे गरीब थे, असहाय थे। एक सी0ओ0 सिटी के माध्यम से सब किया गया तो इसमें एक सी0ओ0 को भी मुल्जिम बनाया गया है। उनके माध्यम से दबाव बनाया जाता था, उनके माध्यम से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, लोगों को बन्द किया जाता था और उसके बाद कहा जाता था कि तुम अपनी जमीन इनको दे दो, विश्वविद्यालय को दे दो। उसके बाद जबरदस्ती उनकी जमीनें कब्जा कर ली गईं मान्यवर, मैं आपके सामने पूरी रिपोर्ट पढ़े देता हूं। ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना-पत्र की जांच उप जिलाधिकारी, सदर, रामपुर के माध्यम से कराई गई जिसमें उप जिलाधिकारी, सदर द्वारा पत्र संख्या-2950/एस0टी0, दिनांक 11.07.19 द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम-सींगनखेड़ा, तहसील-सदर, जिला-रामपुर की गाटा संख्या-1230 रकबा 0.114 हेक्टेयर में अबरार हुसैन, असरार हुसैन पुत्रगण अब्दुल वली, बजुम्मा, नामे अली, नजाकत पुत्रगण मोहम्मद रजा व अब्दुल रहमान पुत्र वली मोहम्मद व कल्लन, शरीफ अहमद, जमील अहमद पुत्रगण झुण्डा, निवासी ग्राम मजरा अलियागंज का नाम व गाटा संख्या-1232 रकबा 0.123 हेक्टेयर में शायदा पत्नी अहमद नबी व अहमद नबी पुत्र मुल्ला बहादुर व शरीफ मोहम्मद, अहमद अली, बन्दे अली, रियाजुल नबी, नासिर, जाकिर पुत्रगण मोहम्मद नबी व श्रीमती रेशमा पत्नी जाकिर अली व मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट व गाटा संख्या-1415 रकबा 0.089 हेक्टेयर में भुल्लन पुत्र अब्दुल हकीम व मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद नईम पुत्रगण इब्राहीम व अब्दुल वहीद, रईस अहमद, जरीफ अहमद पुत्रगण अब्दुल जाफर उर्फ गफूर व जाकिर, नासिर, आरिफ, आसिफ, इमरान पुत्रगण अहमद आशद व आनन्दी पत्नी अहमद आशद व राशिद, शाजिद, दानिश, मोहनिश पुत्रगण मोहम्मद अहमद, श्रीमती आलम बेगम पत्नी मोहम्मद अहमद, निवासी मजरा अलियागंज व मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट व गाटा संख्या-1253/1 रकबा 0.089 हेक्टेयर में नाजिम, नब्बू, मोहम्मद रफीफ पुत्रगण मोहम्मद यासीन व श्रीमती बेगम पत्नी मोहम्मद यासीन व मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हिलाल, मोहम्मद मुनाफ, मोहम्मद उमर पुत्रगण मोहम्मद सलीम व शकीला बेगम पत्नी मोहम्मद सलीम, निवासी मजरा अलियागंज व गाटा संख्या-1319ख रकबा 1.294 हेक्टेयर में मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अलीम, नूर आलम, अमीर आलम पुत्रगण अब्दुल हुसैन व मुमताज बेगम पत्नी अब्दुल हुसैन व मोहम्मद हसन पुत्र अहमद व मतलूफ पुत्र छोटे व शाहजहां पत्नी छोटे, निवासी मजरा अलियागंज का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित कृषकों द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किए गए शपथ-पत्र के आधार पर कृषकों के बयान दर्ज किए गए। जिसमें कृषकों द्वारा बताया गया कि पूर्व मंत्री आजम खां व पूर्व सी0ओ0 सिटी आले हसन खां द्वारा जबरन भूमि का बैनामा यूनिवर्सिटी के पक्ष में कराने

हेतु दबाव बनाया गया तथा चरस व स्मैक के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई तथा कई बार एक दिन तक हवालात में बन्द किया जाता था। इसके बाद भी यूनिवर्सिटी के पक्ष में बैनामा न कराने पर पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां व पूर्व सी0ओ0 सिटी आले हसन खां द्वारा हमारी भूमि पर जबरन कब्जा कर यूनिवर्सिटी के अन्दर कर ली गई। जब भी हम अपनी भूमि पर कब्जा मांगते हैं तो हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है तथा डरा-धमका कर भगा दिया जाता है। अग्रेतर जांच में यह भी पाया गया कि गाटा संख्या-1230, 1232, 1415 मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की चहारदीवारी के अन्दर तथा गाटा संख्या-1253/1 व 1319(ख) चहारदीवारी के बाहर हैं। प्रार्थना-पत्र पर दर्ज कृषकों की भूमि को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां, चान्सलर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, वर्तमान सांसद रामपुर व पूर्व सी0ओ0 सिटी आले हसन खां, वर्तमान मुख्य सुरक्षा अधिकारी जौहर विश्वविद्यालय रामपुर द्वारा डरा धमकाकर झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मोहम्मद आजम खां के विरुद्ध मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि नदी की 5.000 हेक्टेयर रकबा अवैध कब्जा कर यूनिवर्सिटी की चहारदीवारी के अन्दर करने के कारण थाना अजीमनगर में दिनांक 31.05.2019 को मुकदमा अपराध संख्या-0176/19 सार्वजनिक सम्पत्ति निवारण अधिनियम-1984 की धारा-3(4) एवं भारदीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-332 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शासनादेश संख्या-402/1-2-2017, दिनांक 1 मई, 2017 एवं परिषदादेश-आर-1082...

**श्री अध्यक्ष-**

क्या अभी यह बहुत लम्बा है ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, बहुत रेलीवेन्ट है सब लोग जानना चाहते हैं और कम से कम मालूम तो हो जाए कि किसने-किसने क्या किया। मान्यवर, यह सदन में आना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध परिषदादेश संख्या-आर-1082/जी-5-1/2017, दिनांक 8 मई, 2017 में सुस्पष्ट निर्देश निर्गत है कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो दबंग हों और शासकीय व्यक्तियों की भूमियों के ऊपर अवैध रूप से कब्जे किये हुए हैं उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने और उनको भू-माफिया के रूप में सूचीबद्ध किये जाने की कार्यवाही की जाए। तत्क्रम में उप जिलाधिकारी सदर की जांच आख्या में दोषी पाये गये पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां, चान्सलर मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, वर्तमान सांसद रामपुर व पूर्व सी0ओ0 सिटी आले हसन खां, वर्तमान मुख्य सुरक्षा अधिकारी जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के विरुद्ध उप जिलाधिकारी सदर द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक क्षेत्र-खौब तहसील सदर के माध्यम से दिनांक 12.07.2019 को थाना-अजीम नगर में अपराध संख्या-224/2019 धारा-342, 447, 406 एवं 384 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई और दिनांक 12.07.2019 को

राजस्व परिषद् की भू-माफिया पोर्टल पर भू-माफिया के रूप में अंकित करने की कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मोहम्मद आजम खां चान्सलर मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय वर्तमान सांसद रामपुर व सी0ओ0 सिटी आले हसन खां, वर्तमान मुख्य सुरक्षा अधिकारी जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के विरुद्ध उनकी जमीन जौहर विश्वविद्यालय के चहारदीवारी के अन्दर कब्जा कर लेने के सम्बन्ध में अपराध संख्या-226/19, अपराध संख्या-227/19, दिनांक 13.07.2019, अपराध संख्या-228/19 दिनांक 14.07.19, अपराध संख्या-230, 231 व 232 दिनांक 15.07.2019, अपराध संख्या-248, 249 दिनांक 18.07.19, अपराध संख्या-251, 252, 253, 254, 255, 256 और 257 दिनांक 19.07.19 के द्वारा विभिन्न धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई। उक्त के सम्बन्ध में उप निबन्धक सदर रामपुर से उपलब्ध गाटाओं के अभिलेखों के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की। उप निबन्धक, सदर, द्वारा अपनी आख्या दिनांक 22.07.19 के माध्यम से अवगत कराया गया कि गाटा संख्या-1230, 1232, 1415, 1253/1 और 1319-ख में दिये गये नाम पर वर्ष 2001 से लेकर 2015 तक निबंधित अभिलेखों के कार्यालय में उपलब्ध इण्डेक्स-2 में इन नामों से कोई भी विक्रय अभिलेख पंजीकृत होना नहीं पाया गया। यह सब रजिस्ट्रार की रिपोर्ट है और साथ ही साथ अभी जो आप कह रहे थे कि वहां पर जो 21 लोगों की टीम गई तो वहां पर वे लोग जो पीड़ित पक्ष था, वे लोग अपनी गुहार लगाना चाहते थे। वे अपनी बात कहना चाहते थे। वे चाहते थे कि कमेटी के सामने वो बात आए उसको नजरअन्दाज भी किया गया और उनको सुना भी नहीं गया। ये कमेटी की रिपोर्ट केवल उनको किसी न किसी रूप में सही कर देने और उनको जस्टिफाई करने के लिए की गई। उसी के लिए कमेटी बनाई गई है उसको बनाने की और कोई वजह नहीं है। जब जमीन का विक्रय विलेख नहीं हुआ, जमीन की कहीं डीड नहीं हुई और जमीन जबरदस्ती कब्जा कर ली गई और ये कौन लोग हैं मान्यवर, ये वे लोग हैं जिनके पास छोटा-छोटा रकबा है और ये उन लोगों की जिन्दगी की पूरी पूंजी थी, जिन लोगों के सामने जिन्दगी का अनुभव आ गया उन लोगों ने मजबूरी में आकर इस प्रकार की रिपोर्ट लिखवायी है। आज किसके साथ खड़े होना चाहिए ? उन गरीब किसानों के साथ या उन लोगों के साथ जिन्होंने जमीन कब्जाई है, यह सोचना पड़ेगा। मान्यवर, यह सदन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों का अपने-अपने स्थान से बोलने पर व्यवधान)

अल्पसंख्यक कल्याण सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक) राज्य मंत्री (श्री बलदेव सिंह औलख)-

अध्यक्ष जी, यह 26 लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं जिनकी जमीनों को छीना गया है। आप समर्थन कर रहे हैं ?

(श्री बलदेव सिंह औलख का माइक ऑफ होने तथा अपने स्थान से खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

आप यह कागज हमारे पास भिजवा दीजिए।

(व्यवधान जारी)

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि जब जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। उसके बाद फिर माननीय अखिलेश यादव की सरकार रही, तब कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

(सदन में उपस्थित सभी सदस्यों के एक साथ अपने-अपने स्थान से बोलते रहने पर व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष-**

आप लोग शान्त रहिए।

(श्री बलदेव सिंह औलख जी के अपने स्थान से बोलने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

आप बैठिए।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने उनको परमिशन नहीं दी है, आपने हमको परमिशन दी है।

**श्री अध्यक्ष-**

आप लोग बैठिए।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

अध्यक्ष जी, इसलिए सिद्ध होता है कि जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और माननीया मायावती जी मुख्य मंत्री थीं, समाजवादी पार्टी से कोई बढ़िया सम्बन्ध नहीं था। उसमें भी एफ0आई0आर0 हो सकते थे, नहीं हुए।

(व्यवधान जारी)

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष जी।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के अपने स्थान से बोलने का प्रयास करने पर)

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

आप बैठिए, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला अब मैं बोल रहा हूं तो आप बैठिए।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, दोषी को बचाने के लिए और किसी भी प्रकार से उनको शैल्टर देने के लिए यह नियम-56 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है। न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए ? उस गरीब

के पक्ष में, उस मजलूम के पक्ष में जिसकी जमीन नाजायज तरीके से कब्जा कर ली गयी। मान्यवर, उसके पक्ष में न्याय होना चाहिए। न्याय उनके पक्ष में नहीं होना चाहिए जिसने नाजायज तरीके से जमीन पर कब्जा किया और नाजायज तरीके से कहीं न कहीं कब्जा करवाया।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

आप न्यायालय नहीं हैं, आप सरकार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी जमीन खरीदी गयी वह वैधानिक रूप से खरीदी गयी और जिनकी जमीन खरीदी गयी, बैंक से उनके खाते में पैसा गया। अगर कोई रजिस्ट्री करता है और किसी को आपत्ति करनी होती है तो 90 दिन का समय होता है, तीन महीने का समय होता है। 13 वर्ष हो गये हैं, तीन महीने के अन्दर किसी ने आपत्ति नहीं की। जिस बात को संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कस्टोडियन और उक्त सम्पत्ति की जमीन के विषय में एफ0आई0आर0 हो रहा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में स्थित 34.1 एकड़ उक्त सम्पत्ति की जांच एस0आई0टी0 द्वारा की जा रही है। उक्त सम्पत्ति पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगनादेश प्राप्त है। एस0आई0टी0 जांच कर रही है अभी जांच पूरी नहीं हुई है और यह एफ0आई0आर0 कर रहे हैं। पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 30 बरस के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार लीज पट्टे पर आवंटित किया है। यह गलत परम्परा न पड़े। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय इन्स्टीट्यूट 2.5 किलोमीटर सी0सी0 रोड एवं गेस्ट हाउस का निर्माण, इसकी जांच जिला प्रशासन, रामपुर द्वारा करके पूर्व में ही शासन को पत्र भेज दिया गया है। परन्तु जांच मन-पसन्द न होने के कारण अब फिर इसकी जांच करायी जा रही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में निर्मित पानी की टंकी की जांच जिला प्रशासन, रामपुर एवं एस0आई0टी0 द्वारा की जा रही है। जांच का आधार यह है कि ग्राम-सींगना खेड़ा के नाम से निर्मित दोनों पानी की टंकियां जौहर विश्वविद्यालय में स्थापित करायी गयी हैं। परन्तु जिला प्रशासन का मानना है कि इन टंकियों से पानी की सुविधा ग्रामीणों को नहीं दी जा रही है, जबकि इन टंकियों से पानी की सुविधा ग्रामीणों को निरन्तर दी जा रही है। यह पानी की टंकियां इसलिए विश्वविद्यालय में बनायी गयीं क्योंकि उस समय अन्यत्र कोई भूमि नहीं थी। जिला प्रशासन ने इसे बनवाया है।

**श्री अध्यक्ष-**

आपकी मांग क्या है ?

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

हमारा कहना यह है श्रीमन् कि जौहर विश्वविद्यालय में जो भी जमीन ली गयी, जो भी निर्माण कार्य कराया गया, वह वैधानिक तौर से कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वेष की भावना से आजम खां के खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है। उनको जेल भेजना चाहती है। यह

विपक्ष को रहने देना नहीं चाहती है। मा0 अध्यक्ष जी, इसलिए हम आपसे बार-बार कहते हैं कि आप इस पर चर्चा करायें जिससे दूध-का-दूध, पानी-का-पानी हो सके और यह बात सत्य और साबित हो सके कि वर्तमान सरकार आजम खां के खिलाफ पूरा षड़यंत्र करके उनको जेल भेजना चाहती है। समाजवादी पार्टी की सरकार व बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, माफिया मत के नेता को माफिया कहेंगे तो माफिया का इज्जत घट जायेगा। क्या-क्या आप लोग सत्ता में रहकर बोलते हैं, भगवान मालिक है। आजम खां छात्र यूनियन से लीडर हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के महामंत्री रहे हैं, आपातकाल में जेल गये हैं, 4-4 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं और आप उन्हें माफिया कह रहे हैं। आप भी तो कभी विपक्ष में आयेंगे।

**श्री अध्यक्ष-**

आप हमको सम्बोधित करिये।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

आजम खां के प्रति सरकार देखिये कैसे बोल रही है, कितना द्वेष भावना रखती है। समाजवादी पार्टी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। हम लड़ाई लड़ेंगे और हम सही हैं, आजम खां सही हैं, जो जमीन खरीदी गयी वो सही है। अभी से उन सभी को लालच देकरके आप अपने से जांच कराइये, मान्यवर। आप जांच करा लीजिये कि जिन लोगों ने एफ0आई0आर0 कराया है, वह कौन लोग हैं, हिस्ट्रीशीटर हैं। उनको पुलिस आतंकित करती है कि तुम हिस्ट्रीशीटर हो तुम्हारे ऊपर पहले से बहुत मुकदमें कायम हैं, जेल भेज दिये जाओगे, नहीं तो एफ0आई0आर0 लिखवाओ। श्रीमन्, पूरी सरकार दबाव दे करके आजम खां को अपमानित करना चाहती है। इसीलिए मैं आपसे चाहता हूं पूरा दाढ़ा पढ़ गये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

**श्री अध्यक्ष-**

नियम-56 में इस सूचना को हम अग्राह्य करते हैं।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

संसदीय कार्य मंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी परमानेन्ट कोई सत्ता में नहीं रहता है। उसको भी विपक्ष में आना पड़ता है। श्रीमती इन्दिरा गांधी 1971 में दो तिहाई प्रचण्ड बहुमत से आयी थीं। राजीव गांधी प्रचण्ड बहुमत से आये थे। लोकतंत्र है हिन्दुस्तान में। आप प्रचण्ड बहुमत के आधार पर किसी नेता को अपमानित करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जनतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की विधान सभा, हिन्दुस्तान में सभी विधान सभाओं से वरिष्ठ मानी जाती है। लोक सभा के बाद इसी का स्थान है और इसमें बैठ करके, 4-4 बार कैबिनेट मंत्री रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे। देश और दुनिया में जो सबसे बड़े पोलिटिकल सफरर अली जौहर जी के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने वाले, कोई अपना मकान बनाये हैं, कोई स्लाटर हाउस बनाये हैं और खोद-खोद करके एक-एक जमीन का बैनामा हुआ है।

**श्री अध्यक्ष-**

अब तो आपकी बात हो गयी।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

अब तक इसके ऊपर किसी ने आपत्ति नहीं की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो आपत्ति हो रही है। इसलिए सरकार द्वेष भावना से काम कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इनकी बात सुन लीजिये ये पीड़ित पक्ष हैं। हमेशा सुनी गयी है।

**श्री अध्यक्ष-**

आप तो बहुत लम्बा बोल लिये।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मान्यवर, ये परम्परा रही है कि विधान सभा का सदस्य अगर पीड़ित हो तो उसकी बात सुनने के लिए विधान सभा अध्यक्ष हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

आपने बोलने ही नहीं दिया, उनको।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

आप अनुमति दीजिये इनकी बात सुन लीजिये।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय अध्यक्ष जी, एक पेपर हम जरूर देना चाहते हैं जिन लोगों ने यह कहा है कि जमीन मेरी है और नाजायज तरीके से कब्जा किया गया है। सब रजिस्ट्रार कार्यालय के डाकूमेंट मेरे पास हैं उन्होंने बाकायदा अटेस्ट करके इसे भेजा है। यह मैं आपके पास भेज दूं। इसमें कहा गया है कि इन नम्बरों की जमीन की कभी रजिस्ट्री हुयी ही नहीं। मान्यवर, यह सबसे बड़ा प्रमाण है जब रजिस्ट्री हुयी नहीं और दाम दिया नहीं गया तो आखिरकार चहारदीवारी में वह नम्बर कैसे आ गये। अगर कहीं मान्यवर, धुआं हो तो यह मान लिया जाता है कि आग जरूर होगी। बिना आग के मान्यवर, धुआं नहीं होता। कोई व्यक्ति राजनैतिक क्षेत्र में बड़ा कार्यकर्ता हो सकता है, बड़ा ओदहेदार हो सकता है लेकिन बड़े ओहदेदार को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वह किन्हीं गरीबों की, मजलूमों की, जरूरतमंदों की, दलितों की जमीनों को नाजायज तरीके से कब्जा करे। मैं पेपर आपके पास भेज रहा हूं, कृपया इसका भी संज्ञान ले लें और चाहें तो इसको कार्यवाही का अंग बना दें।

**श्री अध्यक्ष-**

इस सूचना को हम अग्राह्य करते हैं और अगली सूचना लेते हैं।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मान्यवर, अब्दुल्ला को तो सुन लें। पुलिस ने इनको कितना प्रताड़ित किया है।

**श्री अध्यक्ष-**

अब इस पर बहुत लम्बी बातचीत हो चुकी है और कोई चर्चा नहीं हो रही है। माननीय अजय कुमार लल्लू की रायबरेली की अगली सूचना है।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

**श्री अजय कुमार लल्लू-**

माननीय अध्यक्ष जी, सदन को व्यवस्थित कराइये।

**श्री अध्यक्ष-**

हमने माननीय लल्लू जी को रायबरेली वाली नोटिस पर बुलाया है आप लोग कृपया बैठें। वह सूचना हो गयी और सब लोग बहुत देर तक बोले। उस पर बहुत विस्तार से बात हो गयी।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष बार-बार जो हो-हल्ला कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि सपा के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ कर प्रताड़ित करना चाहती है और यह संसदीय कार्य मंत्री जी गलतबयानी कर रहे हैं। जब बैनामा ही नहीं हुआ तो दाखिल खारिज कैसे हो गया।

**श्री अध्यक्ष-**

आप लोग कृपया बैठिये।

**श्री राम गोविन्द चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष जी, जानबूझ कर सरकार आजम खां को प्रताड़ित कर रही है इसलिये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी यहां घोषणा करें कि जितने भी फर्जी मुकदमें उन पर हुये हैं उनको वापस लिया जा रहा है।

(इस बीच समाजवादी पार्टी के अनेक माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारा लगाने लगे जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है- पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)

**श्री अध्यक्ष-**

आप लोग माननीय लल्लू जी को नहीं सुनने देना चाहते हैं वह खड़े हैं।

(नारेबाजी जारी रहने पर)

आप लोग कृपया अपनी सीट पर चलिये। यहां पुलिस कहां है आपके दम पर सब गड़बड़ है, आपके दम पर अव्यवस्था खूब चलेगी।

(वेल में मौजूद समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा ''पुलिस के दम पर यह सरकार, नहीं चलेगी-नहीं चलेगी'', जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदली है'', ''शिक्षा के मन्दिर पर अत्याचार, नहीं चलेगा-नहीं चलेगा'' ''झूठे मुकदमें वापस लो-वापस लो'' के नारे लगाते रहने पर-घोर व्यवधान के मध्य)

## [02:47] सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019

**श्री अध्यक्ष-**

न्याय मंत्री जी प्रस्ताव रखें।

**विधि एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय सुखदेव राजभर जी संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे ?

**श्री सुखदेव राजभर-**

अध्यक्ष जी, आवाज नहीं आ रही है।

(श्री सुखदेव राजभर द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न यह है कि सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 पर चिार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक**

**सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019**

उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति के संबंध मे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

**विधेयक**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

**<u>अध्याय-1</u>**

**प्रारम्भिक**

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

## अध्याय-2

## सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का संशोधन

अधिनियम संख्या 5 सन् 1908 की धारा 102 का संशोधन

2-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-102 में शब्द ''पच्चीस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पचास हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 115 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-115 में शब्द ''पांच लाख रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पच्चीस लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे।

## अध्याय-3

## माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 का संशोधन

अधिनियम संख्या 26 सन् 1996 की धारा 2 का संशोधन

4- माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 2 में, उपधारा (1) में खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ङ) 'न्यायालय' का तात्पर्य किसी जिला में आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान, सिविल न्यायालय से है, जिसमें अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय भी होगा, जहां जिला न्यायाधीश द्वारा ऐसा समनुदेशित किया जाय, और इसके अन्तर्गत अपनी मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय भी है, जो माध्यस्थम की विषयवस्तु होने वाले प्रश्नों का, यदि वे वाद या किसी लघुवाद न्यायालय की विषयवस्तु होते तो विनिश्चय करने की अधिकारिता रखता।''

### खण्डशः विचार

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री ब्रजेश पाठक-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाये।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न यह है कि सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**श्री अध्यक्ष-**

अब हम नियम-51 की सूचनाएं लेते हैं।

## नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

आज दिनांक 23.07.2019 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 85 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के अन्तर्गत भौरेश्वर धाम, सई नदी में गिरने वाले गन्दे नाले से हो रहे प्रदूषण को रोके जाने के संबंध में है, दूसरी सूचनाश्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के ग्राम ताखा पूरब स्थित रजिस्टर्ड गौशाला में पशुओं को रखवाये जाने के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में दि किसान सहकारी चीनी मिल के सेवा निवृत्त कार्मिकों के बकाये का भुगतान कराये जाने के संबंध में है, चौथी सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की कृषि विभाग द्वारा फर्जी तरीके से मिट्टी की जांच कराये जाने एवं सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में है, पांचवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद प्रयागराज में अवैधानिक ढंग से हो रहे भूमि अधिग्रहण को रोके जाने के संबंध में है जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की राज्य वित्त आयोग द्वारा कतिपय जिला पंचायतों की दस लाख से ऊपर की परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत बिना वेंडिग जोन बनाये रेहड़ी चालकों व फेरी वालों को पुलिस बल द्वारा हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, तीसरी सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर में देवरिया रोड पर वसुन्धरा मोड़ से तुर्रा नाले तक नियमों का उल्लंघन करके वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना निर्माण प्रारम्भ करने तथा तकनीकी आपत्तियों का समाधान किये बिना नाले का निर्माण पुनः शुरू किये जाने के संबंध में है, चौथी सूचना श्री कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में है, पांचवी सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में है जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री पंकज गुप्ता की उ0प्र0 बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों को वेतन का भुगतान कराये जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री राकेश सिंह की जनपद रायबरेली के गुरूबक्सगंज थाने द्वारा जिला पंचायत रायबरेली के कांजी हाउस को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कराये जाने के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के जिला कारागार को शहर के बाहर विस्थापित कराये जाने के संबंध में है, चौथी सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र

फरीदपुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, पांचवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का शैक्षणिक स्तर बढ़ाये जाने एवं हो रही अनियमितताओं को रोके जाने के संबंध में है, छठीं सूचना श्री धनन्जय कन्नौजिया की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में फायर स्टेशन का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, सातवीं सूचना श्री रमाशकर सिंह की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मडिहान के अन्तर्गत नुनौटी बन्धी से निकली लेफ्ट नहर की पक्की लाइनिंग कराये जाने के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री महेन्द्र पाल सिंह की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र पिपराइच के अन्तर्गत वन क्षेत्र के 10 किमी0 की परिधि में संचालित आरा मशीनों को विस्थापित किये जाने के संबंध में है, नवीं सूचना श्री दयाराम चौधरी की जनपद बस्ती के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में है, दसवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' की जनपद शाहजहांपुर में वाहनों की हो रही ओवरलोडिंग में संलिप्त जिला स्तरीय अधिकारियों की जांच कराये जाने के संबंध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की प्रभारी क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, आगरा द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में है, बारहवीं सूचना श्री विनय शंकर तिवारी की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, तेरहवीं सूचना डॉ0 सोमेन्द्र तोमर की बी0एड0 छात्रों द्वारा काउन्सिलिंग के पश्चात् विश्वविद्यालय में जमा की गई फीस को कालेजों में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में है, चौदहवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के नगर पालिका स्दौली मे जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में हो रहे अवैध खनन को रोके जाने के संबंध में है, सोलहवीं सूचना श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य की जनपद मिर्जापुर के मझवां विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, सत्रहवीं सूचना श्री पवन केडिया की जनपद कुशीनगर स्थित मौन नाला की सिल्ट क्षमता वृद्धि परियोजना पूर्ण कराये जाने के संबंध में है, अट्ठाहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की कानपुर नगर में के0डी0ए0 द्वारा बनायी गयी मल्टीलेवल पार्किंग में हो रहे अवैध वसूली रोके जाने के संबंध में है, उन्नीसवीं सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद जौनपुर के तहसील मड़ियाहूं में रिक्त पड़े कतिपय पदों पर तैनाती किये जाने के संबंध में है, तथा बीसवीं सूचना श्री हरीराम की जनपद सोनभद्र में स्थित हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा वन भूमि की जमीन पर किये गये अवैध रूप से अतिक्रमण को हटवाये जाने के संबंध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

| क्रम | नाम | क्रम | नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री अविनाश त्रिवेदी | 29 | श्री रोशन लाल वर्मा |
| 2 | श्री योगेश वर्मा | 30 | पं0 राधा कृष्ण शर्मा |
| 3 | श्री विजेन्द्र सिंह | 31 | डॉ0 अरुण कुमार |
| 4 | श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू | 32 | श्री अनिल पाराशर |
| 5 | श्री सीताराम वर्मा | 33 | डॉ0 नीरज बोरा |
| 6 | श्री मुकेश चन्द्र वर्मा | 34 | डॉ0 मंजू शिवाच |
| 7 | डॉ0 डी0सी0 वर्मा | 35 | श्री मनोज कुमार पाण्डेय |
| 8 | श्री किशन लाल राजपूत | 36 | श्री मसूद अख्तर |
| 9 | श्री प्रमोद उटवाल | 37 | श्री नरेश सैनी |
| 10 | श्री पल्टूराम | 38 | श्री तसलीम अहमद |
| 11 | श्री संजय शर्मा | 39 | श्री नईम उल हसन |
| 12 | श्री पूरन प्रकाश | 40 | श्री बम्बा लाल |
| 13 | श्री सतीश चन्द्र शर्मा | 41 | श्री लालजी वर्मा |
| 14 | श्री देवेन्द्र कुमार निम | 42 | डॉ0 हरगोविन्द भार्गव |
| 15 | श्री अवस्थी बाला प्रसाद | 43 | श्री आजाद अरिमर्दन |
| 16 | श्रीमती अनीता | 44 | श्री हाकिम लाल बिन्द |
| 17 | इंजी0 बृजेश कठेरिया | 45 | श्री असलम अली |
| 18 | श्री नफीस अहमद | 46 | श्री अबरार अहमद |
| 19 | श्री वीरेन्द्र यादव | 47 | श्री पारसनाथ यादव |
| 20 | श्री प्रभु नारायण सिंह यादव | 48 | श्री महबूब अली |
| 21 | श्री अनिल कुमार मौर्या | 49 | श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' |
| 22 | श्री संजय प्रताव जायसवाल | 50 | श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव |
| 23 | डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी | 51 | श्री राहुल प्रकाश |
| 24 | श्रीमती गरिमा सिंह | 52 | श्री हरिओम यादव |
| 25 | श्री राम नरेश रावत | 53 | श्री दिनेश चौधरी |
| 26 | श्री रमेश चन्द्र मिश्र | 54 | श्री अमन मणि त्रिपाठी |
| 27 | श्रीमती जय देवी | 55 | श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही |
| 28 | डॉ0 संग्राम यादव | | |

**श्री अध्यक्ष-**

अब हम कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन ..... बजकर ..... मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 24 जुलाई, 2019

**प्रदीप कुमार दुबे,**

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

**संलग्नक-1**

## नत्थी 'क'

(देखिये नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न सं0-01 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 186 पर)

**विधान सभा के द्वितीय सत्र-2019 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित सुश्री अदिति सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये नियम-29(क) का तारांकित प्रश्न संख्या-01 के उत्तर का संलग्नक**

**वर्ष 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण की गई पाइप पेयजल योजनाओं का विवरण**

| क्रम | जनपद | योजना का नाम | कार्यक्रम/योजना का नाम | स्वीकृत लागत (रु0 लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | अलीगढ़ | बहादुरपुर विलेज वाटर सप्लाई स्कीम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 124.66 |
| 2 | अलीगढ़ | बस सुदामा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 159.48 |
| 3 | अलीगढ़ | बिसरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 275.69 |
| 4 | अलीगढ़ | बिसौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 249.33 |
| 5 | अलीगढ़ | धरा माफ़ी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 686.06 |
| 6 | अलीगढ़ | हजियापुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 108.74 |
| 7 | अलीगढ़ | जाहरौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 100.24 |
| 8 | अलीगढ़ | कमालपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 143.29 |
| 9 | अलीगढ़ | करणपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 155.87 |
| 10 | अलीगढ़ | खंडः | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 190.67 |
| 11 | अलीगढ़ | नगला पदम् | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 377.08 |
| 12 | अलीगढ़ | रामगढ़ पंजपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 548.43 |
| 13 | अलीगढ़ | सलेमपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 159.51 |
| 14 | अलीगढ़ | सरसौल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 573.30 |
| 15 | अलीगढ़ | सतलौनी कलां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 91.58 |
| 16 | अलीगढ़ | सिहानी फरीदपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 257.28 |
| 17 | अलीगढ़ | उसरपुर तारा पुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 202.42 |
| 18 | प्रयागराज | बबुरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 212.54 |
| 19 | प्रयागराज | भलुआ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 205.09 |
| 20 | प्रयागराज | छिड़ी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 339.95 |
| 21 | प्रयागराज | दुबावल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 158.35 |
| 22 | प्रयागराज | खुतरिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 127.36 |
| 23 | प्रयागराज | मुकुंदपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 180.21 |
| 24 | प्रयागराज | सिगरौर उपरहार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 208.59 |
| 25 | प्रयागराज | टिकारिकलन | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 155.96 |
| 26 | अम्बेडकर नगर | अशरफपुर मझगवां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 101.86 |
| 27 | अम्बेडकर नगर | मदैनिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 134.23 |
| 28 | अम्बेडकर नगर | मुसेपुर कलन | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 235.29 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | अम्बेडकर नगर | नारियां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 296.96 |
| 30 | अम्बेडकर नगर | पखनपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 98.73 |
| 31 | औरैया | गोहनीकला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 94.31 |
| 32 | औरैया | कमरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 87.25 |
| 33 | औरैया | कुदरकोट | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 297.34 |
| 34 | औरैया | सहायल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 586.17 |
| 35 | आजमगढ़ | गंगापुर पनापर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 33.30 |
| 36 | बदायूं | दुर्गपुर ज़रीफ नगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 106.00 |
| 37 | बदायूं | गिधौल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 313.17 |
| 38 | बदायूं | लक्समीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 352.54 |
| 39 | बदायूं | रिजोला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 514.67 |
| 40 | बदायूं | रिसौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 401.38 |
| 41 | बदायूं | सीकरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 357.80 |
| 42 | बागपत | बामनौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 357.65 |
| 43 | बागपत | बजाद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 336.95 |
| 44 | बागपत | बसोली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 163.57 |
| 45 | बागपत | बिलोचपुरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 297.57 |
| 46 | बागपत | गुराना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 198.87 |
| 47 | बागपत | हिलवारी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 247.76 |
| 48 | बागपत | कथा वाटर सप्लाई स्कीम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 150.63 |
| 49 | बागपत | कोताना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 362.63 |
| 50 | बागपत | लुहारा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 134.48 |
| 51 | बागपत | लुहारी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 480.12 |
| 52 | बागपत | सादतपुर सिनौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 302.42 |
| 53 | बागपत | शबगा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 577.52 |
| 54 | बहराइच | अजीजपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 97.47 |
| 55 | बहराइच | कोडही | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 307.68 |
| 56 | बहराइच | लौकही | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 233.27 |
| 57 | बहराइच | पत्राहिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 185.34 |
| 58 | बहराइच | पयागपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 382.07 |
| 59 | बहराइच | पियारेपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 123.30 |
| 60 | बहराइच | साहसलामपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 175.43 |
| 61 | बहराइच | सोहरियावां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 527.30 |
| 62 | बलिया | दुहिजां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 104.20 |
| 63 | बलिया | खोरौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 94.67 |
| 64 | बलिया | मुरली छपरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ((एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0)) | 309.02 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | बलिया | रेगहां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 127.13 |
| 66 | बांदा | अतर्रा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 1349.61 |
| 67 | बांदा | कटरा कालिंजर (TTSP) | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 129.73 |
| 68 | बाराबंकी | अशोकपुर चाचू सरई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 104.82 |
| 69 | बाराबंकी | बुढ़वल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 95.69 |
| 70 | बाराबंकी | कुर्सी वाटर सप्लाई स्कीम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 254.78 |
| 71 | बाराबंकी | सुधिआमां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 126.71 |
| 72 | बरेली | बगरू | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 232.78 |
| 73 | बरेली | केयोना सादीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 116.49 |
| 74 | बरेली | मोहमदगंज | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 262.88 |
| 75 | बस्ती | बाघपर ग्राम पंचायत | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 109.09 |
| 76 | बस्ती | बसौड़ी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जे0ई0/ए0ई0एस0) | 118.90 |
| 77 | बस्ती | दुफेदी माहौदा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 96.45 |
| 78 | बस्ती | कोठिला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 109.25 |
| 79 | बस्ती | कुम्हिया मिश्रौलिआ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 202.95 |
| 80 | बस्ती | लामूनही | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 91.08 |
| 81 | बस्ती | महादेवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 296.72 |
| 82 | बस्ती | महदेव | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 129.27 |
| 83 | बस्ती | पिकौरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 156.46 |
| 84 | बस्ती | पिल्खाआं | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 122.31 |
| 85 | बस्ती | पिताउत | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 167.90 |
| 86 | बस्ती | तरिजोट | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 278.23 |
| 87 | बस्ती | टहरौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 165.06 |
| 88 | बिजनौर | भवानीपुर तारकोल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 142.12 |
| 89 | बिजनौर | कदपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 126.46 |
| 90 | बिजनौर | कुंडा खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 218.11 |
| 91 | बिजनौर | मेवजत | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 317.75 |
| 92 | बिजनौर | पावती | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 328.23 |
| 93 | बिजनौर | रहमानपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 150.58 |
| 94 | बुलंदशहर | बदरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 273.85 |
| 95 | बुलंदशहर | भदौरा वाटर सप्लाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 93.52 |
| 96 | बुलंदशहर | जलीलपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 176.50 |
| 97 | बुलंदशहर | जोखाबाद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 117.25 |
| 98 | बुलंदशहर | महाराजपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 91.41 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | बुलंदशहर | सुजापुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 184.28 |
| 100 | बुलंदशहर | तियारी बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 577.36 |
| 101 | देवरिया | अहिरौली लाल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 152.94 |
| 102 | देवरिया | अकूबा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 120.44 |
| 103 | देवरिया | अरीला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 137.13 |
| 104 | देवरिया | बभनौली पांडेय | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 97.43 |
| 105 | देवरिया | बलियावाम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 106.15 |
| 106 | देवरिया | बरईपार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 95.30 |
| 107 | देवरिया | भगवानपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 180.50 |
| 108 | देवरिया | चकरा गोसाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 134.47 |
| 109 | देवरिया | छापिए | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 169.51 |
| 110 | देवरिया | चौमुखा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 93.42 |
| 111 | देवरिया | डोरिअ खास | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 257.03 |
| 112 | देवरिया | डोगरी मिश्रा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 98.91 |
| 113 | देवरिया | एतहुआ चंदौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 152.70 |
| 114 | देवरिया | गौर खास | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 177.88 |
| 115 | देवरिया | घुनीकुण्ड | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 218.65 |
| 116 | देवरिया | गोपवापुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 118.70 |
| 117 | देवरिया | गोविन्दपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 166.43 |
| 118 | देवरिया | हरैया बसंतपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 125.10 |
| 119 | देवरिया | ईशारू | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 151.62 |
| 120 | देवरिया | जोगाथा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 131.54 |
| 121 | देवरिया | करजहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 114.34 |
| 122 | देवरिया | कसली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 121.54 |
| 123 | देवरिया | कौसड़ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 108.42 |
| 124 | देवरिया | खैरटिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 280.56 |
| 125 | देवरिया | कोदरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 108.90 |
| 126 | देवरिया | माधोपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 222.24 |
| 127 | देवरिया | माधोपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 98.48 |
| 128 | देवरिया | मालकौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 130.24 |
| 129 | देवरिया | मढ़वा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 242.43 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | देवरिया | मारकर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 191.13 |
| 131 | देवरिया | मेहरौना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 124.46 |
| 132 | देवरिया | मुंडेरा लाला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 129.91 |
| 133 | देवरिया | नेमा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 117.68 |
| 134 | देवरिया | पनिका | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 108.32 |
| 135 | देवरिया | पारस खंड | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 189.37 |
| 136 | देवरिया | पिंडरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 104.85 |
| 137 | देवरिया | पिपरा दौला कदम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 179.93 |
| 138 | देवरिया | पिपरमधार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 124.13 |
| 139 | देवरिया | रक्षा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 140.57 |
| 140 | देवरिया | रामपुर बछौर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 118.69 |
| 141 | देवरिया | रामपुर बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 114.37 |
| 142 | देवरिया | रामपुर हीरामन | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 278.80 |
| 143 | देवरिया | रोपण छपरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 145.31 |
| 144 | देवरिया | सकरा पर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 134.54 |
| 145 | देवरिया | सकरापर बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 104.80 |
| 146 | देवरिया | विनायक | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 295.30 |
| 147 | एटा | जैथरा देहात | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 772.96 |
| 148 | एटा | पिलखतरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 139.88 |
| 149 | इटावा | डोडुआ गोपालपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 86.68 |
| 150 | इटावा | मानिकपुर बीबामौ विलेज वाटर सप्लाई स्कीम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 138.97 |
| 151 | इटावा | मेढ़ी दूधी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 255.47 |
| 152 | इटावा | सरमाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 217.48 |
| 153 | अयोध्या | धाररहारा मुकुन्दा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 91.86 |
| 154 | अयोध्या | जना बाजार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 410.63 |
| 155 | अयोध्या | माया बाजार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 189.89 |
| 156 | फर्रुखाबाद | अमिलपुर-रमन्ना गुलजार बैग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 172.93 |
| 157 | फर्रुखाबाद | बलिपटती राणीगांव | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 156.25 |
| 158 | फर्रुखाबाद | बारा केशव | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 310.94 |
| 159 | फर्रुखाबाद | गंगोली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 162.33 |
| 160 | फर्रुखाबाद | गूजरपुर पमरन | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 126.28 |
| 161 | फर्रुखाबाद | हरकमपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 185.49 |
| 162 | फर्रुखाबाद | हाथीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 123.36 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 163 | फर्रुखाबाद | जिठौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 111.49 |
| 164 | फर्रुखाबाद | कधर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 107.96 |
| 165 | फर्रुखाबाद | कुबेरपुर घाट | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 179.18 |
| 166 | फतेहपुर | अलादड़पुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 96.69 |
| 167 | फतेहपुर | चकसरण | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 92.39 |
| 168 | फतेहपुर | छिवली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 73.71 |
| 169 | फतेहपुर | गैडिमऊ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 71.76 |
| 170 | फतेहपुर | घुरि | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 116.53 |
| 171 | फतेहपुर | जफराबाद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 507.38 |
| 172 | फतेहपुर | जजरहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 108.45 |
| 173 | फतेहपुर | जरौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 350.73 |
| 174 | फतेहपुर | करणपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 67.59 |
| 175 | फतेहपुर | कौडर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 388.79 |
| 176 | फतेहपुर | कुसंभी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 213.01 |
| 177 | फतेहपुर | मतिनपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 128.24 |
| 178 | फतेहपुर | रामपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 173.63 |
| 179 | फिरोजाबाद | डॉपमै | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 154.46 |
| 180 | फिरोजाबाद | गुलामी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 77.29 |
| 181 | फिरोजाबाद | खेरिया सिखमी गोहाना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 117.10 |
| 182 | गौतमबुद्धनगर | मेंहदीपुर बांगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 196.55 |
| 183 | गाजियाबाद | अलीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 104.91 |
| 184 | गाजियाबाद | डासना देह 1 | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 462.98 |
| 185 | गाजियाबाद | मिलक रावली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 69.25 |
| 186 | गाजियाबाद | नूरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 155.12 |
| 187 | गोंडा | भिखारीपुर कला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 327.97 |
| 188 | गोंडा | बिशनोहरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 152.05 |
| 189 | गोंडा | चौखडिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 182.05 |
| 190 | गोंडा | दुल्लापुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 267.16 |
| 191 | गोंडा | जयराम जोत | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 224.90 |
| 192 | गोंडा | जैतपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 181.97 |
| 193 | गोंडा | महजपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 238.71 |
| 194 | गोंडा | नागदहि | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 234.51 |
| 195 | गोंडा | नकहरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 175.21 |
| 196 | गोंडा | पिपरिमान्झा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 225.66 |
| 197 | गोंडा | सेमरा शेखपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 191.33 |
| 198 | गोंडा | सोनौली मोहम्मदपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 1323.31 |
| 199 | गोरखपुर | बढ़ाया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 206.84 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | गोरखपुर | भगौरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 109.28 |
| 201 | गोरखपुर | बिजौवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 133.08 |
| 202 | गोरखपुर | चाप्रहत | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 113.80 |
| 203 | गोरखपुर | गुलरिहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 214.12 |
| 204 | गोरखपुर | जंगल डुमरी न.1 | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 595.39 |
| 205 | गोरखपुर | खैराबाद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 138.65 |
| 206 | गोरखपुर | खुटभर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 411.92 |
| 207 | गोरखपुर | कोठा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 245.69 |
| 208 | गोरखपुर | महमूदाबाद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 405.37 |
| 209 | गोरखपुर | मीरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 277.81 |
| 210 | गोरखपुर | मुर्देवा बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 251.28 |
| 211 | गोरखपुर | नवपर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 153.04 |
| 212 | गोरखपुर | पचौरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 105.62 |
| 213 | गोरखपुर | रामपुर बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 109.46 |
| 214 | गोरखपुर | रामपुर रकबा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 125.70 |
| 215 | गोरखपुर | रिठिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 103.17 |
| 216 | गोरखपुर | समदर खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 160.69 |
| 217 | गोरखपुर | शिवपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 146.26 |
| 218 | गोरखपुर | सिधावल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 130.52 |
| 219 | गोरखपुर | सिहोरवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 231.18 |
| 220 | गोरखपुर | ठाकुरपुर न. 1 | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 286.09 |
| 221 | गोरखपुर | तिहा मोहम्मदपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 150.65 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 222 | गोरखपुर | तुर्कवलिआ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 364.97 |
| 223 | गोरखपुर | उचेर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 165.84 |
| 224 | हमीरपुर | चंडौत डंडा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 169.32 |
| 225 | हापुड़ | औरंगाबाद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 104.58 |
| 226 | हापुड़ | छपकौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 227.03 |
| 227 | हापुड़ | होशियारपुर गढ़ी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 175.12 |
| 228 | हापुड़ | खुराना जहांगीराबाद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 87.20 |
| 229 | हापुड़ | माधापुर मोअज्जामपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 138.09 |
| 230 | हापुड़ | मुजफ्फरा बागड़पुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 309.60 |
| 231 | हापुड़ | पीर नगर सुदना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 149.61 |
| 232 | हापुड़ | शाहपुर फागोता | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 168.01 |
| 233 | हापुड़ | शेखपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 137.53 |
| 234 | हाथरस | बगी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 100.05 |
| 235 | हाथरस | बिलारा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 196.82 |
| 236 | हाथरस | बिसवार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 980.82 |
| 237 | हाथरस | चिन्तपुर बदन | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 156.42 |
| 238 | हाथरस | मल्हे | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 67.88 |
| 239 | झांसी | खलीलपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 57.39 |
| 240 | झांसी | किल्चवारा खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 54.60 |
| 241 | झांसी | नदौरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 35.56 |
| 242 | कन्नौज | अमरौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 133.78 |
| 243 | कन्नौज | आणोबोझ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 164.30 |
| 244 | कन्नौज | आन्ति | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 122.24 |
| 245 | कन्नौज | अतरानिस्फ तटीय | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 107.28 |
| 246 | कन्नौज | बाबरपुर मकदूमपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 129.90 |
| 247 | कन्नौज | बलारपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 91.04 |
| 248 | कन्नौज | बनासरमऊ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 104.84 |
| 249 | कन्नौज | चौधरियापुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 105.95 |
| 250 | कन्नौज | चौरा चंदपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 83.69 |
| 251 | कन्नौज | डडौरा बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 228.85 |
| 252 | कन्नौज | देवकली बांगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 88.26 |
| 253 | कन्नौज | फकरपुर बरेवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 113.11 |
| 254 | कन्नौज | गोशायदासपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 83.09 |
| 255 | कन्नौज | गुन्हान | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 71.01 |
| 256 | कन्नौज | जसौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 137.77 |
| 257 | कन्नौज | कछिकपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 87.43 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 258 | कन्नौज | ककलपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 81.92 |
| 259 | कन्नौज | खुदलपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 110.11 |
| 260 | कन्नौज | माछा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 84.32 |
| 261 | कन्नौज | मेंहदीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 90.01 |
| 262 | कन्नौज | नरुइआ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 181.56 |
| 263 | कन्नौज | रजलामऊ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 155.03 |
| 264 | कन्नौज | रौतमे | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 156.24 |
| 265 | कन्नौज | रूरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 138.87 |
| 266 | कन्नौज | सहजपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 100.28 |
| 267 | कन्नौज | सैदपुर सकरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 154.80 |
| 268 | कन्नौज | सकरी खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 107.98 |
| 269 | कन्नौज | सरई दौलत | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 154.11 |
| 270 | कन्नौज | सरई मरूत | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 119.93 |
| 271 | कन्नौज | सरई प्रयाग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 212.30 |
| 272 | कन्नौज | सतवारी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 75.28 |
| 273 | कन्नौज | सिरसा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 94.10 |
| 274 | कानपुर देहात | खसबारा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 136.84 |
| 275 | कानपुर नगर | बिनौर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 881.47 |
| 276 | कानपुर नगर | कोरिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 539.98 |
| 277 | कानपुर नगर | सचेंडी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 1264.67 |
| 278 | कानपुर नगर | तिकवांपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 148.30 |
| 279 | कासगंज | मोहिनी महमूर गंज | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 238.83 |
| 280 | कासगंज | रोशन नगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 184.56 |
| 281 | कौशाम्बी | बसुहार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 422.27 |
| 282 | कौशाम्बी | नैरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 287.05 |
| 283 | कौशाम्बी | पूरब सरीरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 758.54 |
| 284 | कुशीनगर | अहिरौली मिश्रा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 221.37 |
| 285 | कुशीनगर | असना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 216.19 |
| 286 | कुशीनगर | अवरवा सोफी गंज | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 227.16 |
| 287 | कुशीनगर | भलूहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 405.87 |
| 288 | कुशीनगर | धुरिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 237.04 |
| 289 | कुशीनगर | दोहरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 249.09 |
| 290 | कुशीनगर | फरेन्दाहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 232.10 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 291 | कुशीनगर | गोदरीअ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 309.55 |
| 292 | कुशीनगर | होलांपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 138.98 |
| 293 | कुशीनगर | जंगल नौगवां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 237.75 |
| 294 | कुशीनगर | कटाई भरपुरवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 321.77 |
| 295 | कुशीनगर | खुदरा अहिरौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 392.16 |
| 296 | कुशीनगर | कोकिल पट्टी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 370.64 |
| 297 | कुशीनगर | लवकुश | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 260.24 |
| 298 | कुशीनगर | लक्समीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 259.79 |
| 299 | कुशीनगर | मिश्रौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 267.71 |
| 300 | कुशीनगर | नारहवा किरात पट्टी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 263.58 |
| 301 | कुशीनगर | पटहेरवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 250.79 |
| 302 | कुशीनगर | पिपरा जटामपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 335.00 |
| 303 | कुशीनगर | पिपरा जहां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 168.34 |
| 304 | कुशीनगर | रामपुर बंगरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 235.21 |
| 305 | कुशीनगर | सपही | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 456.69 |
| 306 | कुशीनगर | सेमरा हरदो पट्टी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 322.10 |
| 307 | कुशीनगर | शेखवनिआ बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 286.34 |
| 308 | कुशीनगर | शेखवनिआ खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 166.33 |
| 309 | कुशीनगर | सिकटिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 385.25 |
| 310 | कुशीनगर | तरुअनवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 285.16 |
| 311 | कुशीनगर | तरया हरिकेश | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 138.21 |
| 312 | कुशीनगर | तिवारी पट्टी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 183.34 |
| 313 | कुशीनगर | विशुनपुर राजा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 191.26 |
| 314 | लखीमपुर खीरी | आदमपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 119.36 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 315 | लखीमपुर खीरी | बसंतपुर कलां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 317.17 |
| 316 | लखीमपुर खीरी | गुदरिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 218.62 |
| 317 | लखीमपुर खीरी | जैतपुरवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 300.33 |
| 318 | लखीमपुर खीरी | केशवपुर कलां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 124.84 |
| 319 | लखीमपुर खीरी | कौरहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 116.46 |
| 320 | लखीमपुर खीरी | मितौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 975.63 |
| 321 | लखीमपुर खीरी | मुदा बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 93.80 |
| 322 | लखीमपुर खीरी | मुझा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 213.67 |
| 323 | लखीमपुर खीरी | ओझा पुरवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 167.85 |
| 324 | लखीमपुर खीरी | पलिअ कलां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 333.67 |
| 325 | लखीमपुर खीरी | परसा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 179.81 |
| 326 | लखीमपुर खीरी | पुरउरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 224.37 |
| 327 | लखीमपुर खीरी | सिंघा कलां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 574.18 |
| 328 | लखीमपुर खीरी | सुथना बरसोला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 426.34 |
| 329 | लखीमपुर खीरी | वाली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 113.82 |
| 330 | ललितपुर | बमहुसार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 440.25 |
| 331 | ललितपुर | कैलगुवां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 645.27 |
| 332 | महराजगंज | गोपाला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 219.94 |
| 333 | महराजगंज | कथा विलेज | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 235.27 |
| 334 | महराजगंज | खजुरिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 162.27 |
| 335 | महराजगंज | मनिकौरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 118.35 |
| 336 | महराजगंज | सीतलपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 212.16 |
| 337 | महोबा | पिपरा माफ़ टी0टी0एस0पी0 | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 174.64 |
| 338 | मैनपुरी | गंगीसी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 465.97 |
| 339 | मैनपुरी | कीरथुआ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 229.25 |
| 340 | मैनपुरी | कोसमा मुसलमीन | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 403.88 |
| 341 | मथुरा | अवकेडा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 136.21 |
| 342 | मथुरा | कोलाना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 171.49 |
| 343 | मऊ | परसपुर मुबारकपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 91.19 |
| 344 | मेरठ | अगवानपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 322.03 |
| 345 | मेरठ | अहमदनगर बढला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 121.40 |
| 346 | मेरठ | अलीपुर जिजमान | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 226.34 |
| 347 | मेरठ | अटलपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 135.50 |
| 348 | मेरठ | भमोरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 188.03 |
| 349 | मेरठ | खेरा बलरामपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 111.58 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | मेरठ | मतोरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 169.79 |
| 351 | मेरठ | राधना इनायतपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 351.24 |
| 352 | मिर्ज़ापुर | बघेडा खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 163.15 |
| 353 | मिर्ज़ापुर | धोबाही | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 124.67 |
| 354 | मिर्ज़ापुर | फ़िरोजपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 122.67 |
| 355 | मिर्ज़ापुर | गौरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 511.90 |
| 356 | मिर्ज़ापुर | गाजीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 116.34 |
| 357 | मिर्ज़ापुर | गोधना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 171.48 |
| 358 | मिर्ज़ापुर | हरगढ़ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 107.98 |
| 359 | मिर्ज़ापुर | कोटरा कंतित | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 90.11 |
| 360 | मिर्ज़ापुर | मगरधा कला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 142.42 |
| 361 | मिर्ज़ापुर | मोहनपुर भौरख | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 293.85 |
| 362 | मिर्ज़ापुर | प्रतापपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 148.59 |
| 363 | मिर्ज़ापुर | राजपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 155.75 |
| 364 | मिर्ज़ापुर | सझौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 120.85 |
| 365 | मिर्ज़ापुर | सिकिया जयरामपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 136.36 |
| 366 | मिर्ज़ापुर | सोनई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 109.27 |
| 367 | मुरादाबाद | बेगमपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 162.00 |
| 368 | मुरादाबाद | सिहोराबाजे | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 246.44 |
| 369 | मुजफ्फरनगर | दूध हेदी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 224.80 |
| 370 | मुजफ्फरनगर | दूधली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 273.58 |
| 371 | मुजफ्फरनगर | कैथोदा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 620.65 |
| 372 | मुजफ्फरनगर | ककराला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 208.29 |
| 373 | मुजफ्फरनगर | पारसोली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 270.62 |
| 374 | मुजफ्फरनगर | राजपुर चलाजपुर विलेज | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 246.59 |
| 375 | मुजफ्फरनगर | शेर नागर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 475.31 |
| 376 | मुजफ्फरनगर | तौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 393.66 |
| 377 | पीलीभीत | भिखारीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 343.42 |
| 378 | पीलीभीत | गौहर वाटर सप्लाई स्कीम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 139.08 |
| 379 | रायबरेली | बकुलहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 282.50 |
| 380 | रायबरेली | डलमऊ सोलर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 336.27 |
| 381 | रायबरेली | कोरिहार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 648.50 |
| 382 | रायबरेली | लालगंज एवं सरेनी सोलर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 496.41 |
| 383 | रायबरेली | सिधौना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 285.46 |
| 384 | सहारनपुर | चंदेना कोली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 287.53 |
| 385 | सहारनपुर | इस्लामनगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 552.65 |
| 386 | सहारनपुर | जड़ौदा पांडा विलेज वाटर सप्लाई स्कीम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 754.66 |
| 387 | सहारनपुर | रनखंडी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 383.60 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 388 | सहारनपुर | शेखपुरा कदीम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 779.81 |
| 389 | संभल | कैथल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 460.80 |
| 390 | संतकबीर नगर | बनेथू | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 149.22 |
| 391 | संतकबीर नगर | बौरव्यास | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 282.04 |
| 392 | संतकबीर नगर | दादरवार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 154.64 |
| 393 | संतकबीर नगर | देवरिआ गंगा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 131.98 |
| 394 | संतकबीर नगर | घोरंग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 253.41 |
| 395 | संतकबीर नगर | नेहिया खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 120.39 |
| 396 | शामली | भूरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 662.08 |
| 397 | शामली | लिली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 365.16 |
| 398 | शामली | पिण्डोरा जागीरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 330.87 |
| 399 | सिद्धार्थनगर | मटियार उर्फ भटुवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 141.45 |
| 400 | सिद्धार्थनगर | पकरि | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 141.08 |
| 401 | सिद्धार्थनगर | रेहरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 148.49 |
| 402 | सीतापुर | केदारपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 142.02 |
| 403 | सीतापुर | मीरानगर पेयजल योजना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 137.39 |
| 404 | सीतापुर | मिठौरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 116.55 |
| 405 | सीतापुर | मुर्तजा नगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 113.21 |
| 406 | सीतापुर | रसूलाबाद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 135.01 |
| 407 | सीतापुर | सदरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 148.50 |
| 408 | सोनभद्र | बैनी दूबेपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 274.13 |
| 409 | सोनभद्र | गिरिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 287.45 |
| 410 | सोनभद्र | माधीगवान | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 169.65 |
| 411 | सोनभद्र | मंची | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 188.98 |
| 412 | सोनभद्र | सरई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 221.60 |
| 413 | सोनभद्र | शिल्थाम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 328.38 |
| 414 | सोनभद्र | उचीखुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 224.71 |
| 415 | सुल्तानपुर | पखरोली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 179.00 |
| 416 | उन्नाव | औरस मिनी वाटर सप्लाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 66.18 |
| 417 | उन्नाव | आवगोझा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 124.99 |
| 418 | उन्नाव | बांगरमऊ मिनी वाटर सप्लाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 66.18 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 419 | उन्नाव | बेहटा मुजावर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 169.09 |
| 420 | उन्नाव | बेहटा सुमहारी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 152.98 |
| 421 | उन्नाव | बिछिया मिनीवाटर सप्लाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 132.37 |
| 422 | उन्नाव | गंज मोरादाबाद मिनी वाटर सप्लाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 22.06 |
| 423 | उन्नाव | हसनगंज मिनी वाटर सप्लाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 110.32 |
| 424 | उन्नाव | हिलौली मिनी वाटर सप्लाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 22.06 |
| 425 | उन्नाव | कल्याणपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 251.36 |
| 426 | उन्नाव | कुईथर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 194.48 |
| 427 | उन्नाव | कुम्भी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 187.30 |
| 428 | उन्नाव | लौवां सिंह खेरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 457.45 |
| 429 | उन्नाव | मियांगंज मिनी वाटर सप्लाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 132.38 |
| 430 | उन्नाव | नवाबगंज मिनी वाटर सप्लाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 132.38 |
| 431 | उन्नाव | ओसीए | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 192.72 |
| 432 | उन्नाव | परसण्डा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 148.26 |
| 433 | उन्नाव | पूरवा मिनी वाटर सप्लाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 110.31 |
| 434 | उन्नाव | सफीपुर मिनी वाटर सप्लाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 187.52 |
| 435 | उन्नाव | सिकंदरपुर कारन मिनी वाटर सप्लाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 22.06 |
| 436 | उन्नाव | टिकर गढ़ी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 167.23 |
| 437 | हरदोई | दहिगवा | राज्य ग्रामीण पेयजल योजना | 206.83 |
| 438 | प्रयागराज | अमिलिया कलां | विश्व बैंक बैच-1 | 230.48 |
| 439 | प्रयागराज | बजती | विश्व बैंक बैच-1 | 176.40 |
| 440 | प्रयागराज | बमपुर उपरहार | विश्व बैंक बैच-1 | 150.65 |
| 441 | प्रयागराज | बसवार | विश्व बैंक बैच-1 | 191.37 |
| 442 | प्रयागराज | भगौतीपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 138.46 |
| 443 | प्रयागराज | भटौती (1 सोलार बेस्ड, 2 कनव.) | विश्व बैंक बैच-1 | 305.33 |
| 444 | प्रयागराज | भुई | विश्व बैंक बैच-1 | 153.02 |
| 445 | प्रयागराज | चनैनी | विश्व बैंक बैच-1 | 66.03 |
| 446 | प्रयागराज | डेल्हौआ | विश्व बैंक बैच-1 | 149.43 |
| 447 | प्रयागराज | धनुहा | विश्व बैंक बैच-1 | 198.59 |
| 448 | प्रयागराज | दीघौटा | विश्व बैंक बैच-1 | 106.86 |
| 449 | प्रयागराज | कपटुआ | विश्व बैंक बैच-1 | 66.52 |
| 450 | प्रयागराज | खटीकान | विश्व बैंक बैच-1 | 66.88 |
| 451 | प्रयागराज | कुंवर पट्टी | विश्व बैंक बैच-1 | 193.44 |
| 452 | प्रयागराज | महुअॉ कला | विश्व बैंक बैच-1 | 177.27 |
| 453 | प्रयागराज | मैलहन | विश्व बैंक बैच-1 | 138.73 |
| 454 | प्रयागराज | मोहद्दीनपुर मुल्तवी | विश्व बैंक बैच-1 | 473.69 |
| 455 | प्रयागराज | पालपुर सारंगपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 337.12 |
| 456 | प्रयागराज | परानीपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 246.47 |
| 457 | प्रयागराज | सरई हरिराम | विश्व बैंक बैच-1 | 144.80 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 458 | प्रयागराज | सरई लीलाधर | विश्व बैंक बैच-1 | 147.03 |
| 459 | बहराइच | आदिलपुर (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 220.22 |
| 460 | बहराइच | असमानपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 117.65 |
| 461 | बहराइच | बालपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 267.89 |
| 462 | बहराइच | बाँडी | विश्व बैंक बैच-1 | 334.91 |
| 463 | बहराइच | चैत (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 216.45 |
| 464 | बहराइच | डीहा अशोका | विश्व बैंक बैच-1 | 375.44 |
| 465 | बहराइच | गुवाये | विश्व बैंक बैच-1 | 89.44 |
| 466 | बहराइच | झूरी कुइयां | विश्व बैंक बैच-1 | 195.80 |
| 467 | बहराइच | कपूरपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 313.20 |
| 468 | बहराइच | करमुल्लापुर | विश्व बैंक बैच-1 | 213.83 |
| 469 | बहराइच | कोडः | विश्व बैंक बैच-1 | 252.44 |
| 470 | बहराइच | कुंडेसर | विश्व बैंक बैच-1 | 145.61 |
| 471 | बहराइच | कुरसंडा | विश्व बैंक बैच-1 | 175.60 |
| 472 | बहराइच | लालपुर (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 157.33 |
| 473 | बहराइच | लौकी (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 149.54 |
| 474 | बहराइच | नागराउर | विश्व बैंक बैच-1 | 170.31 |
| 475 | बहराइच | नौशहरा | विश्व बैंक बैच-1 | 199.26 |
| 476 | बहराइच | पुरैनी | विश्व बैंक बैच-1 | 228.46 |
| 477 | बहराइच | राजपुर कलां (बलहा) | विश्व बैंक बैच-1 | 236.99 |
| 478 | बहराइच | राजपुर कलां (महसी) | विश्व बैंक बैच-1 | 87.05 |
| 479 | बहराइच | सिलेटेरगंज (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 171.08 |
| 480 | बलिया | आथिला | विश्व बैंक बैच-1 | 213.20 |
| 481 | बलिया | आँदी | विश्व बैंक बैच-1 | 169.93 |
| 482 | बलिया | बहादुरपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 175.99 |
| 483 | बलिया | बलेसरा | विश्व बैंक बैच-1 | 186.67 |
| 484 | बलिया | बसारिकपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 85.33 |
| 485 | बलिया | बस्ती (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 135.74 |
| 486 | बलिया | ब्रहमाइन | विश्व बैंक बैच-1 | 176.09 |
| 487 | बलिया | बुद्धिपुर (सोलरर) | विश्व बैंक बैच-1 | 86.04 |
| 488 | बलिया | चनदयार कलां (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 88.09 |
| 489 | बलिया | हजौली | विश्व बैंक बैच-1 | 335.08 |
| 490 | बलिया | कसौदेर | विश्व बैंक बैच-1 | 314.65 |
| 491 | बलिया | नरही | विश्व बैंक बैच-1 | 246.22 |
| 492 | बलिया | परसपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 253.19 |
| 493 | बलिया | सलेमपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 237.14 |
| 494 | बलिया | सारे भर्ती | विश्व बैंक बैच-1 | 358.17 |
| 495 | बलिया | सराय | विश्व बैंक बैच-1 | 152.53 |
| 496 | बलिया | शाह मोहम्मदपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 145.11 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 497 | बलिया | शिवपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 192.77 |
| 498 | बलिया | सस्वर कलां | विश्व बैंक बैच-1 | 215.51 |
| 499 | बस्ती | बेइली | विश्व बैंक बैच-1 | 94.79 |
| 500 | बस्ती | भीवा पर | विश्व बैंक बैच-1 | 129.20 |
| 501 | बस्ती | चंवटिया | विश्व बैंक बैच-1 | 120.22 |
| 502 | बस्ती | हटवा शुक्ल | विश्व बैंक बैच-1 | 119.65 |
| 503 | बस्ती | जगन्नाथपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 159.34 |
| 504 | बस्ती | कुदरहा गांव | विश्व बैंक बैच-1 | 493.03 |
| 505 | बस्ती | नरखोरिया | विश्व बैंक बैच-1 | 147.15 |
| 506 | बस्ती | सिसवारी | विश्व बैंक बैच-1 | 103.30 |
| 507 | देवरिया | बेलवा दुबौली | विश्व बैंक बैच-1 | 193.40 |
| 508 | देवरिया | डुमरी | विश्व बैंक बैच-1 | 123.54 |
| 509 | देवरिया | फतेहपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 251.96 |
| 510 | देवरिया | हडहा | विश्व बैंक बैच-1 | 149.88 |
| 511 | देवरिया | कोइलगडहा | विश्व बैंक बैच-1 | 220.08 |
| 512 | देवरिया | लाखाँपर | विश्व बैंक बैच-1 | 109.73 |
| 513 | देवरिया | लवकणि | विश्व बैंक बैच-1 | 253.28 |
| 514 | देवरिया | लक्समीपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 262.82 |
| 515 | देवरिया | मेल | विश्व बैंक बैच-1 | 148.32 |
| 516 | देवरिया | राम नगर | विश्व बैंक बैच-1 | 151.11 |
| 517 | देवरिया | राउतपार अमेथिआ | विश्व बैंक बैच-1 | 178.94 |
| 518 | देवरिया | सहोदर पट्टी | विश्व बैंक बैच-1 | 159.56 |
| 519 | देवरिया | तारा सारा | विश्व बैंक बैच-1 | 134.79 |
| 520 | गाजीपुर | अलीपुर मद | विश्व बैंक बैच-1 | 289.59 |
| 521 | गाजीपुर | भीमापार | विश्व बैंक बैच-1 | 214.79 |
| 522 | गाजीपुर | बिजौरा | विश्व बैंक बैच-1 | 204.80 |
| 523 | गाजीपुर | बोरी | विश्व बैंक बैच-1 | 238.85 |
| 524 | गाजीपुर | चित्रकोनी | विश्व बैंक बैच-1 | 132.72 |
| 525 | गाजीपुर | दिलदारनगर | विश्व बैंक बैच-1 | 373.02 |
| 526 | गाजीपुर | गाइन | विश्व बैंक बैच-1 | 231.81 |
| 527 | गाजीपुर | कतरिअ | विश्व बैंक बैच-1 | 128.16 |
| 528 | गाजीपुर | नोनहरा | विश्व बैंक बैच-1 | 223.44 |
| 529 | गाजीपुर | पानिक्स (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 106.60 |
| 530 | गाजीपुर | पारा | विश्व बैंक बैच-1 | 237.05 |
| 531 | गाजीपुर | सबुअन | विश्व बैंक बैच-1 | 270.28 |
| 532 | गाजीपुर | सरौली उर्फ पहटिया | विश्व बैंक बैच-1 | 248.54 |
| 533 | गाजीपुर | शकरपुर कलां (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 107.69 |
| 534 | गाजीपुर | ताजपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 273.40 |
| 535 | गाजीपुर | वीरपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 289.48 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 536 | गोंडा | बखरौली (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 133.45 |
| 537 | गोंडा | बनगवन | विश्व बैंक बैच-1 | 590.35 |
| 538 | गोंडा | बनघुसरा | विश्व बैंक बैच-1 | 143.37 |
| 539 | गोंडा | बसदेवपुर ग्रिंट | विश्व बैंक बैच-1 | 236.61 |
| 540 | गोंडा | भभुआ | विश्व बैंक बैच-1 | 153.30 |
| 541 | गोंडा | चेटपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 157.75 |
| 542 | गोंडा | डल्लापुर | विश्व बैंक बैच-1 | 127.85 |
| 543 | गोंडा | दतौली | विश्व बैंक बैच-1 | 235.93 |
| 544 | गोंडा | धनै पट्टी | विश्व बैंक बैच-1 | 125.80 |
| 545 | गोंडा | ढोढ़ीपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 268.77 |
| 546 | गोंडा | डुमरियाडीह | विश्व बैंक बैच-1 | 151.66 |
| 547 | गोंडा | गोगिया | विश्व बैंक बैच-1 | 225.23 |
| 548 | गोंडा | ज्ञानीपुर रामप्रसाद (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 127.09 |
| 549 | गोंडा | करमडीह | विश्व बैंक बैच-1 | 366.97 |
| 550 | गोंडा | करवा पारा | विश्व बैंक बैच-1 | 107.30 |
| 551 | गोंडा | कोटिया मदरा | विश्व बैंक बैच-1 | 185.48 |
| 552 | गोंडा | लामती उकराहवा (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 146.63 |
| 553 | गोंडा | लोनावा दरगाह | विश्व बैंक बैच-1 | 306.35 |
| 554 | गोंडा | महरबानाबाद | विश्व बैंक बैच-1 | 137.89 |
| 555 | गोंडा | मिश्रौलिया कलां (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 134.53 |
| 556 | गोंडा | नगवा | विश्व बैंक बैच-1 | 233.77 |
| 557 | गोंडा | पारा | विश्व बैंक बैच-1 | 164.84 |
| 558 | गोंडा | परसा गॉदरी | विश्व बैंक बैच-1 | 282.22 |
| 559 | गोंडा | परसपुर महछौर | विश्व बैंक बैच-1 | 114.78 |
| 560 | गोंडा | पायर खास | विश्व बैंक बैच-1 | 214.66 |
| 561 | गोंडा | रामपुर खरहाता | विश्व बैंक बैच-1 | 125.13 |
| 562 | गोंडा | रानीजोत | विश्व बैंक बैच-1 | 169.71 |
| 563 | गोंडा | सकदरपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 102.25 |
| 564 | गोंडा | सलपुर धौताल (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 164.52 |
| 565 | गोंडा | श्रीनगर | विश्व बैंक बैच-1 | 160.09 |
| 566 | गोरखपुर | अर्जी जगदीशपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 337.68 |
| 567 | गोरखपुर | बैलो | विश्व बैंक बैच-1 | 206.55 |
| 568 | गोरखपुर | भादर खास | विश्व बैंक बैच-1 | 369.56 |
| 569 | गोरखपुर | भरपाहि | विश्व बैंक बैच-1 | 153.04 |
| 570 | गोरखपुर | चकदेइउ | विश्व बैंक बैच-1 | 137.44 |
| 571 | गोरखपुर | डुमरैला | विश्व बैंक बैच-1 | 135.96 |
| 572 | गोरखपुर | हरिहरपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 430.31 |
| 573 | गोरखपुर | झकही | विश्व बैंक बैच-1 | 111.54 |
| 574 | गोरखपुर | जंगल गौरी नं0 2 उर्फ अमहिया | विश्व बैंक बैच-1 | 328.58 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 575 | गोरखपुर | जंगल हाकिम नं0 2 | विश्व बैंक बैच-1 | 367.64 |
| 576 | गोरखपुर | करीम नगर | विश्व बैंक बैच-1 | 235.02 |
| 577 | गोरखपुर | करमहा बुजुर्ग | विश्व बैंक बैच-1 | 266.23 |
| 578 | गोरखपुर | खोरिअ उर्फ भीति | विश्व बैंक बैच-1 | 189.77 |
| 579 | गोरखपुर | महसीन खास | विश्व बैंक बैच-1 | 104.59 |
| 580 | गोरखपुर | महुवा बुजुर्ग | विश्व बैंक बैच-1 | 96.33 |
| 581 | गोरखपुर | नदवा ज्ञानपर | विश्व बैंक बैच-1 | 220.30 |
| 582 | गोरखपुर | परमेश्वरपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 359.38 |
| 583 | गोरखपुर | पिपराही | विश्व बैंक बैच-1 | 126.74 |
| 584 | गोरखपुर | राधो पट्टी पादरी | विश्व बैंक बैच-1 | 351.30 |
| 585 | गोरखपुर | रोरा | विश्व बैंक बैच-1 | 118.14 |
| 586 | गोरखपुर | सालेहपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 282.66 |
| 587 | गोरखपुर | शत्रुध्नपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 233.79 |
| 588 | गोरखपुर | सुरसर दौर | विश्व बैंक बैच-1 | 170.31 |
| 589 | गोरखपुर | वेहरामपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 257.39 |
| 590 | कुशीनगर | चिल्गोरा | विश्व बैंक बैच-1 | 298.44 |
| 591 | कुशीनगर | लक्समीपुर उर्फ कुर्मीपट्टी | विश्व बैंक बैच-1 | 262.30 |
| 592 | कुशीनगर | मैनपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 529.80 |
| 593 | कुशीनगर | मंगलपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 101.49 |
| 594 | कुशीनगर | मुंडेरा | विश्व बैंक बैच-1 | 118.10 |
| 595 | कुशीनगर | मुन्नी पट्टी | विश्व बैंक बैच-1 | 118.42 |
| 596 | कुशीनगर | पादरी | विश्व बैंक बैच-1 | 427.72 |
| 597 | कुशीनगर | रोआरी | विश्व बैंक बैच-1 | 230.97 |
| 598 | कुशीनगर | तरया लाछियराम | विश्व बैंक बैच-1 | 97.33 |
| 599 | अमरोहा | जयतौली | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 297.51 |
| 600 | अमरोहा | ककराली | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 176.25 |
| 601 | अमरोहा | कांकर सराय | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 172.79 |
| 602 | बागपत | गंगनौली | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 345.53 |
| 603 | बागपत | हलालपुर | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 202.24 |
| 604 | बागपत | जुहारा | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 279.24 |
| 605 | बागपत | मुकुन्दपुर | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 187.37 |
| 606 | बागपत | पांची | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 197.61 |
| 607 | बागपत | साँटी | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 137.54 |
| 608 | बहराइच | अमवा मौलवी | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 371.90 |
| 609 | बहराइच | अमवापोखर | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 266.13 |
| 610 | बहराइच | बनकसही | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 181.13 |
| 611 | बहराइच | चौगोडवा | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 304.27 |
| 612 | बहराइच | हरचंदा | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 314.08 |
| 613 | बहराइच | कुण्डासपारा | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 339.17 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 614 | बहराइच | लालपुर जलालपुर | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 230.35 |
| 615 | बहराइच | मकोलिया | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 258.60 |
| 616 | बहराइच | सरपतहां | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 289.02 |
| 617 | बहराइच | सिंहपुर उर्फ सहसलामपुर | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 244.22 |
| 618 | मेरठ | लडपुरा | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 95.12 |
| 619 | मेरठ | नरहेडा | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 131.74 |
| 620 | मेरठ | रूकनपुर | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 110.16 |
| 621 | पीलीभीत | धरमगदरपुर | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 218.42 |
| 622 | पीलीभीत | धुद्री | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 239.45 |
| 623 | पीलीभीत | गझाड़ा पेयजल योजना | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 178.76 |
| 624 | पीलीभीत | गौरा पेयजल योजना | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 257.07 |
| 625 | पीलीभीत | लोधीपुर | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 216.52 |
| 626 | पीलीभीत | मीरपुर, वाहनपुर पेयजल | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 317.17 |
| 627 | पीलीभीत | मुडलिया | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 185.49 |
| 628 | पीलीभीत | पहाड़गंज पेयजल योजना | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 271.64 |
| 629 | पीलीभीत | रायपुर बिचपुरी | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 257.07 |
| 630 | पीलीभीत | सरैनी तिरकुनिया | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 221.22 |
| 631 | पीलीभीत | सरदार नगर पेयजल | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 186.02 |
| 632 | पीलीभीत | सिमरिया महाराजपुर | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 303.96 |
| 633 | रामपुर | दढ़ियाल मुस्तकम | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 260.70 |
| 634 | रामपुर | कूप | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 301.24 |
| 635 | रामपुर | नगलिया अकिल | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 279.38 |
| 636 | रामपुर | टुमुडिया | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 201.00 |
| 637 | बांदा | बडोखर बुजुर्ग | बुन्देलखण्ड पैकेज | 684.77 |
| 638 | बांदा | शबदा | बुन्देलखण्ड पैकेज | 592.30 |
| 639 | बांदा | साडी मदनपुर | बुन्देलखण्ड पैकेज | 278.47 |
| 640 | बांदा | इन्गुआ | बुन्देलखण्ड पैकेज | 631.58 |
| 641 | बांदा | कनवरा | बुन्देलखण्ड पैकेज | 597.91 |
| 642 | बांदा | पछेनी | बुन्देलखण्ड पैकेज | 581.08 |
| 643 | बांदा | मऊ | बुन्देलखण्ड पैकेज | 841.83 |
| 644 | महोबा | ईटौरा बुजुर्ग | बुन्देलखण्ड पैकेज | 40.00 |
| 645 | महोबा | रावतपुरा खुर्द | बुन्देलखण्ड पैकेज | 39.96 |
| 646 | महोबा | शाहपहारी | बुन्देलखण्ड पैकेज | 40.00 |
| 647 | महोबा | सुराहा | बुन्देलखण्ड पैकेज | 320.64 |
| 648 | हमीरपुर | खाडेह | बुन्देलखण्ड पैकेज | 414.64 |
| 649 | हमीरपुर | सिजवही | बुन्देलखण्ड पैकेज | 169.96 |
| 650 | हमीरपुर | सिरोली बुजुर्ग | बुन्देलखण्ड पैकेज | 404.75 |
| 651 | जालौन | शुलैखना | बुन्देलखण्ड पैकेज | 188.43 |
| 652 | जालौन | बजीडा करसन | बुन्देलखण्ड पैकेज | 149.50 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 653 | जालौन | जैसारी कलां | बुन्देलखण्ड पैकेज | 301.40 |
| 654 | जालौन | खरका ग्राम | बुन्देलखण्ड पैकेज | 316.68 |
| 655 | जालौन | बरसड पुनर्गठन | बुन्देलखण्ड पैकेज | 147.13 |
| 656 | जालौन | बरखेड़ा | बुन्देलखण्ड पैकेज | 197.55 |
| 657 | जालौन | गुलौली मुस्तकिल | बुन्देलखण्ड पैकेज | 603.64 |
| 658 | लखीमपुर खीरी | गंगानगर पीपीवाई | बार्डर एरिया (बी0ए0डी0पी0) | 122.65 |
| 659 | श्रावस्ती | 2 सोलर टीटीएसपी काकरदरी | बार्डर एरिया (बी0ए0डी0पी0) | 22.00 |

**संलग्नक-2**

**विधान सभा के द्वितीय सत्र-2019 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित सुश्री अदिति सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये नियम-29(4) का तारांकित प्रश्न संख्या-01 के उत्तर का संलग्नक।**

| ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2018-19 में पूर्ण की गई पाइप पेयजल योजनाओं का विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्रम | जनपद | योजना का नाम | कार्यक्रम/योजना का नाम | स्वीकृत लागत (रु0 लाख में) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | आगरा | 241 टी0टी0एस0पी0 ब्लॉक अकोला, बिजपुरी एवं बरौली अहीर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 240.30 |
| 2 | आगरा | बरारा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 814.94 |
| 3 | आगरा | बसई खेरागढ़ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 189.61 |
| 4 | आगरा | डाबर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 230.66 |
| 5 | आगरा | डकसा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 263.92 |
| 6 | आगरा | गहरा कलां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 247.91 |
| 7 | आगरा | मई बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 202.22 |
| 8 | आगरा | पसेटा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 358.62 |
| 9 | आगरा | टीकरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 72.93 |
| 10 | अलीगढ़ | बहराबाद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 172.71 |
| 11 | अलीगढ़ | भरतपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 102.64 |
| 12 | अलीगढ़ | बिलोना चित्रासी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 375.81 |
| 13 | अलीगढ़ | धनीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 1160.72 |
| 14 | अलीगढ़ | हरनोट भोजपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 240.57 |
| 15 | अलीगढ़ | जिरौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 272.53 |
| 16 | अलीगढ़ | मीरपुर दाहोद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 229.70 |
| 17 | अलीगढ़ | पिसवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 574.96 |
| 18 | अलीगढ़ | सादीपुर कमरुआ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 348.33 |
| 19 | अलीगढ़ | तकीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 111.44 |
| 20 | अलीगढ़ | थानपुर खानपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 139.46 |
| 21 | प्रयागराज | अस्वन | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 163.02 |
| 22 | प्रयागराज | बमरौली उपरहार पाइप वाटर सप्लाई 2015-16 | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 548.60 |
| 23 | प्रयागराज | चंदखामारिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 372.27 |
| 24 | प्रयागराज | हार्डी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 86.21 |
| 25 | प्रयागराज | जैतवारडीह | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 224.30 |
| 26 | प्रयागराज | केनिहार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 423.79 |
| 27 | प्रयागराज | मालवण बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 500.02 |
| 28 | प्रयागराज | मऊआइमा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 548.52 |
| 29 | प्रयागराज | परवेजबाद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 198.47 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | प्रयागराज | रही तालुका बैजल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 246.00 |
| 31 | प्रयागराज | सड़वा खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 74.49 |
| 32 | प्रयागराज | टिकरी तालुका कंजासा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 149.05 |
| 33 | अम्बेडकर नगर | बसखारी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 276.17 |
| 34 | अम्बेडकर नगर | प्रतापपुर चमुर्खा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 480.43 |
| 35 | अम्बेडकर नगर | उसरहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 282.45 |
| 36 | अमेठी | बहपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 133.68 |
| 37 | अमेठी | कठौरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 678.37 |
| 38 | अमरोहा | आदमपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 659.12 |
| 39 | अमरोहा | अमरोहा देहात | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 407.14 |
| 40 | अमरोहा | चकनवाला मुस्तकम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 192.77 |
| 41 | अमरोहा | चचैला कलां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 295.24 |
| 42 | अमरोहा | द्धयाल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 159.80 |
| 43 | बागपत | ढिकाना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 201.34 |
| 44 | बहराइच | अचोलिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 190.58 |
| 45 | बहराइच | बसौना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 99.06 |
| 46 | बहराइच | धरमनपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 247.63 |
| 47 | बहराइच | इदूर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 194.79 |
| 48 | बहराइच | जबडी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 112.89 |
| 49 | बहराइच | जमला जाट | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 63.40 |
| 50 | बहराइच | करीला सहबाजपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 190.09 |
| 51 | बहराइच | कटहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 198.49 |
| 52 | बहराइच | मातेहि कलां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 204.29 |
| 53 | बहराइच | पेरुए | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 116.51 |
| 54 | बहराइच | पट्टी कमालपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 118.07 |
| 55 | बहराइच | सरदपारा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 203.94 |
| 56 | बहराइच | तिराहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 238.04 |
| 57 | बलिया | अवायें | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 225.82 |
| 58 | बलिया | भड़पुरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 162.31 |
| 59 | बलिया | चांदपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 282.00 |
| 60 | बलिया | धसका | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 105.54 |
| 61 | बलिया | गंगापुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 168.64 |
| 62 | बलिया | जीरा बस्ती ग्राम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 293.87 |
| 63 | बलिया | काजीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 118.20 |
| 64 | बलिया | कपूरी ग्राम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 140.50 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | बलिया | कोठिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 85.49 |
| 66 | बलिया | नरवन | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 210.05 |
| 67 | बलिया | नौका गांव | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 175.16 |
| 68 | बलिया | पलिया खास | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 210.89 |
| 69 | बलिया | पठखौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 106.96 |
| 70 | बलिया | सकरपुरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 136.91 |
| 71 | बलिया | श्रीनगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 622.35 |
| 72 | बलिया | श्रीकांतपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 195.41 |
| 73 | बलिया | टकरसन | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 193.70 |
| 74 | बलरामपुर | बेलवा ग्रामीण | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 426.56 |
| 75 | बलरामपुर | चरण गहिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 185.89 |
| 76 | बलरामपुर | गुलरिहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 180.45 |
| 77 | बलरामपुर | इतै रामपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 1995.43 |
| 78 | बलरामपुर | लौकिकलाम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 221.27 |
| 79 | बलरामपुर | मजगवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 223.61 |
| 80 | बलरामपुर | मंगरा कोहल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 329.53 |
| 81 | बलरामपुर | परसपुर काडा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 241.35 |
| 82 | बांदा | बल्ला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 453.68 |
| 83 | बाराबंकी | बिल्खिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 160.61 |
| 84 | बाराबंकी | बिंदौरा धरथारिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 154.92 |
| 85 | बाराबंकी | चंद्र सिहाली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 131.93 |
| 86 | बाराबंकी | चौबीसी वाटर सप्लाई स्कीम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 204.39 |
| 87 | बाराबंकी | दाल सराय | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 133.84 |
| 88 | बाराबंकी | हरक्का | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 134.60 |
| 89 | बाराबंकी | मदना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 91.94 |
| 90 | बाराबंकी | मांझीया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 141.69 |
| 91 | बाराबंकी | मुड़िया डीह | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 126.15 |
| 92 | बरेली | गड़नी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 267.49 |
| 93 | बरेली | खंगवा श्याम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 262.94 |
| 94 | बरेली | रहपुरा जागीर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 200.42 |
| 95 | बरेली | रोधी मुस्तकिल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 157.29 |
| 96 | बरेली | शिवपुरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 208.88 |
| 97 | बरेली | सिसौना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 256.56 |
| 98 | बरेली | तिसुआ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 274.08 |
| 99 | बस्ती | अमोढा खास | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 39.25 |
| 100 | बस्ती | बेहिल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 238.45 |
| 101 | बस्ती | भैसहिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 238.27 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | बस्ती | बिछनैया पांडेय | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 110.95 |
| 103 | बस्ती | दिवाकर पुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 129.05 |
| 104 | बस्ती | दबौला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 184.64 |
| 105 | बस्ती | गोरखर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 242.82 |
| 106 | बस्ती | गोटवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 328.00 |
| 107 | बस्ती | हार्डिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 241.63 |
| 108 | बस्ती | कराहपीठिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 193.93 |
| 109 | बस्ती | कौडिकोल खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 157.59 |
| 110 | बस्ती | खारवानिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 105.72 |
| 111 | बस्ती | मझियार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 121.14 |
| 112 | बस्ती | मुदादि | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 112.34 |
| 113 | बस्ती | नियामतपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 153.69 |
| 114 | बस्ती | पादरी मीरहरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 122.74 |
| 115 | बस्ती | सजहरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 145.10 |
| 116 | बस्ती | सैदरिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 101.54 |
| 117 | बुलन्दशहर | अहमदगढ़ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 386.50 |
| 118 | बुलन्दशहर | अमरगढ़ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 319.38 |
| 119 | बुलन्दशहर | बराल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 385.66 |
| 120 | बुलन्दशहर | भोपतपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 159.43 |
| 121 | बुलन्दशहर | चन्देरू | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 347.91 |
| 122 | बुलन्दशहर | दौलतपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 459.81 |
| 123 | बुलन्दशहर | इस्माइलपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 204.47 |
| 124 | बुलन्दशहर | मौसमगढ़ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 163.59 |
| 125 | बुलन्दशहर | पला कसर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 500.73 |
| 126 | बुलन्दशहर | रसूलपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 211.63 |
| 127 | चदौली | जरखोर कला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 209.25 |
| 128 | देवरिया | अजयपुरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 187.27 |
| 129 | देवरिया | बैकुंठपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 186.73 |
| 130 | देवरिया | भीमपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 131.97 |
| 131 | देवरिया | देवपर बिरसिंगपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 144.95 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 132 | देवरिया | धनौतीराय | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 103.47 |
| 133 | देवरिया | दुल्लाह छपरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 244.48 |
| 134 | देवरिया | गौर कोठी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 332.08 |
| 135 | देवरिया | हिरंदपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 166.57 |
| 136 | देवरिया | जिगिलर मिश्र | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 179.06 |
| 137 | देवरिया | कपरवार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 153.89 |
| 138 | देवरिया | कामॅल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 304.92 |
| 139 | देवरिया | कटोरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 258.14 |
| 140 | देवरिया | खर्दर खोर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 142.43 |
| 141 | देवरिया | कुंवर बखरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 302.58 |
| 142 | देवरिया | मदनचक | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 144.57 |
| 143 | देवरिया | महराजगंज | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 233.03 |
| 144 | देवरिया | महये संग्राम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 335.61 |
| 145 | देवरिया | महजा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 113.05 |
| 146 | देवरिया | महवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 118.09 |
| 147 | देवरिया | मालकौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 100.46 |
| 148 | देवरिया | मनिहारी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 159.01 |
| 149 | देवरिया | नारायणपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 166.66 |
| 150 | देवरिया | नेतवर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 204.30 |
| 151 | देवरिया | फुलवरिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 155.43 |
| 152 | देवरिया | प्यासी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 192.12 |
| 153 | देवरिया | राजवल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 136.02 |
| 154 | देवरिया | शाहपुर परैनी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 300.06 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 155 | देवरिया | सुकवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 135.16 |
| 156 | देवरिया | तिलौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 194.00 |
| 157 | देवरिया | विक्रमपुर बांसपार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 127.40 |
| 158 | एटा | अमरौली रतनपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 193.58 |
| 159 | एटा | बारे | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 660.28 |
| 160 | एटा | कोसमा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 153.27 |
| 161 | इटावा | महेवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 307.96 |
| 162 | अयोध्या | बरवां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 198.48 |
| 163 | अयोध्या | तिन्दौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 171.89 |
| 164 | फर्रुखाबाद | अजमतपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 212.83 |
| 165 | फतेहपुर | अमौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 1142.23 |
| 166 | फतेहपुर | चक रसूलपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 138.68 |
| 167 | फतेहपुर | गाजीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 886.13 |
| 168 | फतेहपुर | परसेवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 155.77 |
| 169 | फतेहपुर | शाह | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 768.35 |
| 170 | गौतमबुद्ध नगर | बिसहरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 230.88 |
| 171 | गौतमबुद्ध नगर | दयानतपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 15.44 |
| 172 | गौतमबुद्ध नगर | मिर्जापुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 239.82 |
| 173 | गौतमबुद्ध नगर | नीमका | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 247.34 |
| 174 | गाजियाबाद | बंथला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 361.64 |
| 175 | गाजियाबाद | मैदोला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 285.01 |
| 176 | गाजियाबाद | मीरपुर हिन्दू | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 175.63 |
| 177 | गाजियाबाद | मुकीमपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 231.59 |
| 178 | गाज़ीपुर | बोगना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 348.74 |
| 179 | गाज़ीपुर | चौबेपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 233.87 |
| 180 | गोंडा | बहरा चौबे | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 101.58 |
| 181 | गोंडा | बनिए | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 130.55 |
| 182 | गोंडा | दत्तनगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 113.41 |
| 183 | गोंडा | कपूरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 134.44 |
| 184 | गोंडा | लक्ष्मणपुर लालनगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 204.49 |
| 185 | गोंडा | मुसौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 119.22 |
| 186 | गोंडा | नगवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 160.94 |
| 187 | गोंडा | रमवापुर श्याम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 122.49 |
| 188 | गोंडा | सिरसा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 182.46 |
| 189 | गोंडा | सिसौर अन्दुपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 121.82 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 190 | गोंडा | थदवारिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 65.32 |
| 191 | गोरखपुर | बहरहवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 198.63 |
| 192 | गोरखपुर | बनगई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 352.01 |
| 193 | गोरखपुर | बेलमुस | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 167.74 |
| 194 | गोरखपुर | बेलवा बाबू | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 98.76 |
| 195 | गोरखपुर | भेऊसा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 116.72 |
| 196 | गोरखपुर | भीटी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 201.45 |
| 197 | गोरखपुर | डुमरी खास | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 213.83 |
| 198 | गोरखपुर | डुमरी खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 141.66 |
| 199 | गोरखपुर | जगदीशपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 100.10 |
| 200 | गोरखपुर | झंगहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 252.93 |
| 201 | गोरखपुर | जंगल औरहि | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 211.58 |
| 202 | गोरखपुर | कल्याणपुर ग्राम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 225.75 |
| 203 | गोरखपुर | कटसहरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 199.36 |
| 204 | गोरखपुर | कसुम्ही | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 132.53 |
| 205 | गोरखपुर | मोतीराम अड्डा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 281.74 |
| 206 | गोरखपुर | तरंगचक | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 232.58 |
| 207 | हापुड़ | आरिफपुर मढ़िया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 155.87 |
| 208 | हापुड़ | बझेड़ा कलां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 314.59 |
| 209 | हापुड़ | देहरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 343.46 |
| 210 | हापुड़ | सलारपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 100.59 |
| 211 | हापुड़ | तियाला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 175.37 |
| 212 | हापुड़ | वैट | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 345.27 |
| 213 | हरदोई | अटवा कटैया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 264.62 |
| 214 | हरदोई | बेहटा सघ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 265.61 |
| 215 | हरदोई | भरावन | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 434.27 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 216 | हरदोई | बिलग्राम सोलर बेस्ड मिनी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 187.52 |
| 217 | हरदोई | डहेलिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 270.59 |
| 218 | हरदोई | खिम्मा पुरवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 59.46 |
| 219 | हरदोई | मुंडेर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 306.75 |
| 220 | हरदोई | नारायणपुर (सोलर बेस्ड) | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 14.98 |
| 221 | हरदोई | पहतेरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 195.16 |
| 222 | हरदोई | रईसौ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 197.05 |
| 223 | हरदोई | तेजीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 199.20 |
| 224 | हाथरस | अहबाराणपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 233.20 |
| 225 | हाथरस | गोखोली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 72.23 |
| 226 | हाथरस | कुरसंडा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 1049.48 |
| 227 | हाथरस | पीपल गांव | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 631.80 |
| 228 | हाथरस | तिलौटी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 239.41 |
| 229 | जौनपुर | डिहिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 71.05 |
| 230 | कन्नौज | जनखत III | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 109.65 |
| 231 | कन्नौज | मलिकपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 217.65 |
| 232 | कन्नौज | तेरा जैकेट | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 307.66 |
| 233 | कानपुर देहात | देवराहट | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 406.33 |
| 234 | कानपुर देहात | काशीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 413.51 |
| 235 | कानपुर देहात | नैला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 179.27 |
| 236 | कानपुर नगर | औरोताहारपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 378.69 |
| 237 | कानपुर नगर | सिंधपुर कछार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 162.89 |
| 238 | कासगंज | औरंगाबाद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 140.11 |
| 239 | कासगंज | थाना दरियागंज | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 1118.52 |
| 240 | कुशीनगर | अशोगवा खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 186.63 |
| 241 | कुशीनगर | बबुईया हरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 399.85 |
| 242 | कुशीनगर | बहादुरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 418.14 |
| 243 | कुशीनगर | बनकटा बाजार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 281.38 |
| 244 | कुशीनगर | बरई पट्टी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 267.20 |
| 245 | कुशीनगर | बरसैना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 379.75 |
| 246 | कुशीनगर | बसडीला बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 191.95 |
| 247 | कुशीनगर | बसडीला पांडेय | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 256.75 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 248 | कुशीनगर | बेदपर मुस्तकिल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 209.55 |
| 249 | कुशीनगर | बेलवा आलम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 262.37 |
| 250 | कुशीनगर | भैंसहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवेरज) | 307.46 |
| 251 | कुशीनगर | भटही खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 238.43 |
| 252 | कुशीनगर | भठवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 236.83 |
| 253 | कुशीनगर | बिहार बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 346.14 |
| 254 | कुशीनगर | चखनी खास | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 574.41 |
| 255 | कुशीनगर | देव कली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 127.33 |
| 256 | कुशीनगर | धनौजी कला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 146.70 |
| 257 | कुशीनगर | धौरहरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 251.44 |
| 258 | कुशीनगर | दुबौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 184.80 |
| 259 | कुशीनगर | गरिहा बसंतपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 172.78 |
| 260 | कुशीनगर | गिदहा धनहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 441.18 |
| 261 | कुशीनगर | गोपालगढ़ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 148.96 |
| 262 | कुशीनगर | गोसिपाति | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 217.34 |
| 263 | कुशीनगर | हरी केशवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 200.15 |
| 264 | कुशीनगर | हरिहरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 209.13 |
| 265 | कुशीनगर | जगदीशपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 555.22 |
| 266 | कुशीनगर | जवाही हरबलभ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 355.58 |
| 267 | कुशीनगर | झंगा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 513.27 |
| 268 | कुशीनगर | जंगल शाहपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 205.82 |
| 269 | कुशीनगर | जंगल सिंगा पट्टी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 237.15 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 270 | कुशीनगर | कोटवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 171.46 |
| 271 | कुशीनगर | माघी कोठिलवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 308.43 |
| 272 | कुशीनगर | महासो | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 341.32 |
| 273 | कुशीनगर | महुअवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 319.63 |
| 274 | कुशीनगर | मनिकौरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 272.31 |
| 275 | कुशीनगर | मुकुंदपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 225.92 |
| 276 | कुशीनगर | नकटहा मिश्रा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 193.40 |
| 277 | कुशीनगर | नन्ह मुनेरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 492.36 |
| 278 | कुशीनगर | नाथा पट्टी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 214.00 |
| 279 | कुशीनगर | नवल छपरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 298.26 |
| 280 | कुशीनगर | पचरुखिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 251.82 |
| 281 | कुशीनगर | पाकः | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 188.63 |
| 282 | कुशीनगर | पकारीपर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 146.58 |
| 283 | कुशीनगर | पन्हीआ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 120.18 |
| 284 | कुशीनगर | परसौनी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 273.20 |
| 285 | कुशीनगर | रामपुर सोहरौना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 274.59 |
| 286 | कुशीनगर | रुड़वलिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 207.05 |
| 287 | कुशीनगर | समूही खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 184.22 |
| 288 | कुशीनगर | सराय महंत पट्टी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 275.38 |
| 289 | कुशीनगर | सेखई खास | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 131.16 |
| 290 | कुशीनगर | सेमरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 221.79 |
| 291 | कुशीनगर | शंकर पटखौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 240.37 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 292 | कुशीनगर | शेखाउली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 216.09 |
| 293 | कुशीनगर | सोहंग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 376.07 |
| 294 | कुशीनगर | साडिया बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 202.61 |
| 295 | कुशीनगर | उधो छपरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 143.30 |
| 296 | कुशीनगर | उस्मानपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 205.94 |
| 297 | कुशीनगर | विष्णुपुरा बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 583.48 |
| 298 | लखीमपुर खीरी | औरंगाबाद रूरल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 413.32 |
| 299 | लखीमपुर खीरी | बबुरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 311.89 |
| 300 | लखीमपुर खीरी | बल्लीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 414.94 |
| 301 | लखीमपुर खीरी | बसंतपुर खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 201.96 |
| 302 | लखीमपुर खीरी | बिजौरिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 160.57 |
| 303 | लखीमपुर खीरी | चहलर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 113.07 |
| 304 | लखीमपुर खीरी | दरिगपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 161.09 |
| 305 | लखीमपुर खीरी | देवी पुरवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 435.15 |
| 306 | लखीमपुर खीरी | धौरहरा देहात | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 870.60 |
| 307 | लखीमपुर खीरी | गोगावां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 320.45 |
| 308 | लखीमपुर खीरी | हसनपुर कटौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 458.05 |
| 309 | लखीमपुर खीरी | कैमा बुजुर्ग (बरुआई) | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 371.73 |
| 310 | लखीमपुर खीरी | कैराती पुरवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 223.51 |
| 311 | लखीमपुर खीरी | लालपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 59.94 |
| 312 | लखीमपुर खीरी | मानिकपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 71.91 |
| 313 | लखीमपुर खीरी | मिलिक | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 183.58 |
| 314 | लखीमपुर खीरी | नैनपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 257.26 |
| 315 | लखीमपुर खीरी | नीमगांव | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 565.64 |
| 316 | लखीमपुर खीरी | पडरिया तिलकपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 238.84 |
| 317 | लखीमपुर खीरी | पटिहन | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 437.27 |
| 318 | लखीमपुर खीरी | समरदा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 156.42 |
| 319 | लखीमपुर खीरी | सुअभोज | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 866.33 |
| 320 | लखीमपुर खीरी | वजीर नगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 343.40 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 321 | ललितपुर | बरखिरिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 293.95 |
| 322 | ललितपुर | दहचरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 305.90 |
| 323 | ललितपुर | जमुनधाना कलां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 270.99 |
| 324 | लखनऊ | जेहटा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 210.55 |
| 325 | लखनऊ | कसमण्डी कलां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 192.55 |
| 326 | लखनऊ | खगापुर (मकदूमपुर) | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 446.24 |
| 327 | लखनऊ | मॉल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 222.06 |
| 328 | लखनऊ | समेसी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 618.10 |
| 329 | लखनऊ | थारी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 241.14 |
| 330 | महराजगंज | बेलवा बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 265.83 |
| 331 | महराजगंज | चौक | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 384.22 |
| 332 | महराजगंज | डोमा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 213.04 |
| 333 | महराजगंज | करमहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 402.40 |
| 334 | महराजगंज | खेसारी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 431.55 |
| 335 | महराजगंज | परतावल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 497.36 |
| 336 | महराजगंज | सेदुरिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 249.96 |
| 337 | मैनपुरी | कूचला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 416.69 |
| 338 | मैनपुरी | सगमे जागीर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 184.48 |
| 339 | मथुरा | ऐरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 191.58 |
| 340 | मथुरा | बरारी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 194.34 |
| 341 | मथुरा | बरका | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 182.89 |
| 342 | मथुरा | भदया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 203.96 |
| 343 | मथुरा | भरना कलां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 241.41 |
| 344 | मथुरा | छटीकरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 278.93 |
| 345 | मथुरा | पॉली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 206.55 |
| 346 | मथुरा | रावरि | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 211.74 |
| 347 | मथुरा | रावलबगार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 278.39 |
| 348 | मथुरा | साचौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 250.89 |
| 349 | मथुरा | सेवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 237.89 |
| 350 | मथुरा | शहजादपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 192.74 |
| 351 | मथुरा | शेरनगर बांगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 183.27 |
| 352 | मथुरा | सिहना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 203.02 |
| 353 | मऊ | अलीनगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 135.85 |
| 354 | मऊ | बेलचौरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 115.88 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 355 | मऊ | चकरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 193.02 |
| 356 | मऊ | देवदह | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 134.00 |
| 357 | मऊ | इमराव | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 205.79 |
| 358 | मऊ | कुडसार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 82.99 |
| 359 | मऊ | कुर्थी जाफरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 399.85 |
| 360 | मऊ | रुकनपुरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 119.76 |
| 361 | मऊ | सराय भेदगिरि | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 131.44 |
| 362 | मऊ | सुरहरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 162.03 |
| 363 | मेरठ | बेहरोरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 228.25 |
| 364 | मिर्ज़ापुर | अमोई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 146.75 |
| 365 | मिर्ज़ापुर | कन्तित | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 198.64 |
| 366 | मिर्ज़ापुर | कतरण | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 262.11 |
| 367 | मुरादाबाद | भैसीआ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 328.43 |
| 368 | मुरादाबाद | नसीरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 135.88 |
| 369 | मुरादाबाद | पीपलसाना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 402.81 |
| 370 | मुरादाबाद | राहतमाफी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 182.57 |
| 371 | मुरादाबाद | शरीफनगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 424.95 |
| 372 | मुज़फ्फरनगर | बागोवाली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 400.24 |
| 373 | मुज़फ्फरनगर | बरला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 465.00 |
| 374 | मुज़फ्फरनगर | बाशी कलां | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 203.18 |
| 375 | मुज़फ्फरनगर | बुढीना खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 208.93 |
| 376 | मुज़फ्फरनगर | दरियाबाद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 83.92 |
| 377 | मुज़फ्फरनगर | फिरोजपुर बांगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 125.05 |
| 378 | मुज़फ्फरनगर | गोयला विलेज | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 292.50 |
| 379 | मुज़फ्फरनगर | हरसोली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 459.72 |
| 380 | मुज़फ्फरनगर | ककरौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 440.38 |
| 381 | मुज़फ्फरनगर | कल्याणपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 231.04 |
| 382 | मुज़फ्फरनगर | कसेरवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 320.63 |
| 383 | मुज़फ्फरनगर | खेरी फिरोजाबाद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 185.16 |
| 384 | मुज़फ्फरनगर | करलसी विलेज | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 231.31 |
| 385 | मुज़फ्फरनगर | कटेसरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 520.64 |
| 386 | मुज़फ्फरनगर | नैरा विलेज | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 622.89 |
| 387 | मुज़फ्फरनगर | पलरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 296.72 |
| 388 | मुज़फ्फरनगर | परबालियान | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 510.51 |
| 389 | मुज़फ्फरनगर | सीकरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 299.58 |
| 390 | पीलीभीत | अमरिआ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 175.76 |
| 391 | पीलीभीत | पिपरिया संतोष | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 179.63 |
| 392 | पीलीभीत | पूरनपुर (ग्रामीण) | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 1181.06 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 393 | रायबरेली | गौरा हरदो | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 449.19 |
| 394 | रायबरेली | हरचंदपुर मिनी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 1192.19 |
| 395 | रायबरेली | जगदीशपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 271.61 |
| 396 | रायबरेली | जोहवा सरकी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 702.40 |
| 397 | रायबरेली | पाहो | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 235.13 |
| 398 | रायबरेली | सताओं सोलर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 304.25 |
| 399 | रायबरेली | सेमरी (खरगापुर) | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 292.64 |
| 400 | रायबरेली | तेरुख | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 339.39 |
| 401 | रायबरेली | ऊंचाहार देहात | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 785.22 |
| 402 | सहारनपुर | बल्ला माजरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 124.86 |
| 403 | सहारनपुर | बसिनाया कूडा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 275.64 |
| 404 | सहारनपुर | खेरा अफगान | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 493.79 |
| 405 | सहारनपुर | खुशालीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 337.09 |
| 406 | सहारनपुर | मुगाल माजरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 163.80 |
| 407 | सहारनपुर | रादौर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 168.25 |
| 408 | सहारनपुर | सिर्सका | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 157.38 |
| 409 | सहारनपुर | सुखेड़ी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 132.49 |
| 410 | सहारनपुर | तल्हेरी बुजुर्ग | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 317.41 |
| 411 | सहारनपुर | थापेल इस्माइलपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 884.11 |
| 412 | सहारनपुर | तिगरी रामगढ़ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 141.71 |
| 413 | संतकबीर नगर | बभनौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 175.12 |
| 414 | संतकबीर नगर | बाघ नगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 124.38 |
| 415 | संतकबीर नगर | विश्वानाथपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 161.87 |
| 416 | संतकबीर नगर | बूधन नगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 164.50 |
| 417 | संतकबीर नगर | ढलुआखोर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 257.51 |
| 418 | संतकबीर नगर | गिबसंतपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 184.30 |
| 419 | संतकबीर नगर | जिठानी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 161.62 |
| 420 | संतकबीर नगर | गोपीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 102.88 |
| 421 | संतकबीर नगर | हरैया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 154.12 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 422 | संतकबीर नगर | झिंगुरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 137.97 |
| 423 | संतकबीर नगर | जंगलवाँ बलुआरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 280.54 |
| 424 | संतकबीर नगर | कोचरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 102.19 |
| 425 | संतकबीर नगर | लखनहार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 212.74 |
| 426 | संतकबीर नगर | मुडेरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 182.22 |
| 427 | संतकबीर नगर | नाथ नगर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 201.49 |
| 428 | संतकबीर नगर | नाटबाबर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 147.79 |
| 429 | संतकबीर नगर | रामपुर उत्तरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 96.81 |
| 430 | संतकबीर नगर | सण्डे खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 183.26 |
| 431 | संतकबीर नगर | सेमर डडी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 137.69 |
| 432 | संतकबीर नगर | सिरसी खास | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 231.64 |
| 433 | संतकबीर नगर | तमस (तामेश्वर नाथ) | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 134.51 |
| 434 | संतकबीर नगर | टिकूएकोले बाबू | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 98.90 |
| 435 | संत रविदास नगर | खोखर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 365.46 |
| 436 | शाहजहांपुर | मरना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 112.32 |
| 437 | शाहजहांपुर | नवादा दरोबस्त | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 166.48 |
| 438 | शाहजहांपुर | पिपरिया खुशाली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 103.32 |
| 439 | शामली | बलवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 366.13 |
| 440 | शामली | दत्तीखेड़ा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 400.41 |
| 441 | शामली | भज्जू | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 345.00 |
| 442 | शामली | गंगेरू | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 1196.84 |
| 443 | शामली | गढ़ी अब्दुल खान | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 308.17 |
| 444 | शामली | कदना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 390.70 |
| 445 | शामली | सिक्का | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 249.80 |
| 446 | शामली | तैरना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 726.80 |
| 447 | शामली | थाना भवन | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 522.73 |
| 448 | श्रावस्ती | जयचंदपुर कचरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 224.55 |
| 449 | सिद्धार्थनगर | अहिरौला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 143.77 |
| 450 | सिद्धार्थनगर | अँडुआ सनीचर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 126.21 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 451 | सिद्धार्थनगर | बरदाहा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 204.29 |
| 452 | सिद्धार्थनगर | बसहिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 233.77 |
| 453 | सिद्धार्थनगर | बयतल | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 231.80 |
| 454 | सिद्धार्थनगर | बालू कोणी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 97.08 |
| 455 | सिद्धार्थनगर | भराड़िया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0डब्लू0क्यू0एस0एम0) | 226.95 |
| 456 | सिद्धार्थनगर | बर्डपुर नं0 10 | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 381.43 |
| 457 | सिद्धार्थनगर | बर्डपुर नं0 8 | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 291.24 |
| 458 | सिद्धार्थनगर | बुदधि खास | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 180.09 |
| 459 | सिद्धार्थनगर | डोरिअ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 234.24 |
| 460 | सिद्धार्थनगर | दमदवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 122.42 |
| 461 | सिद्धार्थनगर | गारखा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 149.17 |
| 462 | सिद्धार्थनगर | इंद्री ग्रांट | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 164.91 |
| 463 | सिद्धार्थनगर | जोगिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 88.08 |
| 464 | सिद्धार्थनगर | कठौतिया आलम | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 97.13 |
| 465 | सिद्धार्थनगर | खैरा खास | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 163.10 |
| 466 | सिद्धार्थनगर | लखनपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 81.08 |
| 467 | सिद्धार्थनगर | मझउआ खास | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 291.49 |
| 468 | सिद्धार्थनगर | मनहवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 179.82 |
| 469 | सिद्धार्थनगर | परसा सुकुल्ला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 99.97 |
| 470 | सिद्धार्थनगर | पैदा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 168.79 |
| 471 | सिद्धार्थनगर | रोमंडी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 136.12 |
| 472 | सिद्धार्थनगर | समीरहना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 240.82 |
| 473 | सिद्धार्थनगर | सेमरहुआ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 120.20 |
| 474 | सिद्धार्थनगर | सिरसिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 144.90 |
| 475 | सिद्धार्थनगर | टिकरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 101.15 |
| 476 | सिद्धार्थनगर | वर्गदवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 195.98 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 477 | सीतापुर | बघौना | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 193.59 |
| 478 | सीतापुर | विस्वन देहात | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 379.42 |
| 479 | सीतापुर | जहांगीराबाद | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 533.20 |
| 480 | सीतापुर | कचुरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 144.09 |
| 481 | सीतापुर | कमरिया कावाखेड़ा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 232.43 |
| 482 | सीतापुर | कदनि | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 125.25 |
| 483 | सीतापुर | लालवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जे0ई0/ए0ई0एस0) | 199.98 |
| 484 | सीतापुर | पैदापुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 125.94 |
| 485 | उन्नाव | अकबरपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 199.28 |
| 486 | उन्नाव | बहराज मऊ | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 456.73 |
| 487 | उन्नाव | बंधा खेरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 193.61 |
| 488 | उन्नाव | बरौला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 162.91 |
| 489 | उन्नाव | बेहटा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 143.39 |
| 490 | उन्नाव | भोलीआ फैज-1 | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 495.46 |
| 491 | उन्नाव | बीघापुर मिनी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 463.30 |
| 492 | उन्नाव | बिहार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 349.49 |
| 493 | उन्नाव | हिलौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 563.33 |
| 494 | उन्नाव | इंस्टालेशन ऑफ ट्रीटमेंट यूनिट | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 284.71 |
| 495 | उन्नाव | जांगले खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 29.26 |
| 496 | उन्नाव | कांथा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 436.06 |
| 497 | उन्नाव | कट्टी खेरा सोलर बेस्ड मिनी वाटर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 11.06 |
| 498 | उन्नाव | पादरी खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 202.42 |
| 499 | उन्नाव | पारा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 319.87 |
| 500 | उन्नाव | सुमेरपुर- I मिनी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 330.94 |
| 501 | उन्नाव | सुमेरपुर- II मिनी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 430.21 |
| 502 | वाराणसी | अयर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 261.28 |
| 503 | वाराणसी | बैटरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 90.88 |
| 504 | वाराणसी | बरजी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 171.76 |
| 505 | वाराणसी | बासनी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 296.85 |
| 506 | वाराणसी | जयपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 140.02 |
| 507 | वाराणसी | ककरहिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 145.83 |
| 508 | वाराणसी | कल्लीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 260.98 |
| 509 | वाराणसी | नागपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 274.15 |
| 510 | वाराणसी | रजवाडी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 42.73 |
| 511 | वाराणसी | साहडीह | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 34.71 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 512 | वाराणसी | तेवर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कवरेज) | 279.01 |
| 513 | अलीगढ़ | दौराऊ चादूपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 244.28 |
| 514 | अलीगढ़ | दभिया | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 193.68 |
| 515 | बाराबंकी | पिण्ड | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 161.65 |
| 516 | इटावा | अधारपुरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 114.79 |
| 517 | इटावा | अघीनी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 159.96 |
| 518 | इटावा | अनथारी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 166.09 |
| 519 | इटावा | बडकन स्नेहपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 143.21 |
| 520 | इटावा | बकौली | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 134.13 |
| 521 | इटावा | भरतपुर खुर्द | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 294.78 |
| 522 | इटावा | ब्रहमनीपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 339.32 |
| 523 | इटावा | कदमपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 273.37 |
| 524 | इटावा | ककरई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 146.70 |
| 525 | इटावा | मोहरी | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 485.42 |
| 526 | इटावा | पटियाट | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 197.52 |
| 527 | इटावा | पुरैला | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 250.36 |
| 528 | इटावा | राथारी सरावा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 112.67 |
| 529 | इटावा | सरसाई नवार कृपालपुरा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 233.98 |
| 530 | इटावा | शेखूपुर पछार | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 132.37 |
| 531 | इटावा | सोरों | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 162.16 |
| 532 | इटावा | तिरखी त्रिलोकपुर | राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 129.88 |
| 533 | कुशीनगर | अनिरुद्धवा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 143.65 |
| 534 | सहारनपुर | महेशपुर | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 207.46 |
| 535 | प्रयागराज | अमोरा | विश्व बैंक बैच-1 | 130.76 |
| 536 | प्रयागराज | बनकट | विश्व बैंक बैच-1 | 109.67 |
| 537 | प्रयागराज | बरोणा | विश्व बैंक बैच-1 | 166.88 |
| 538 | प्रयागराज | बेलवात | विश्व बैंक बैच-1 | 155.36 |
| 539 | प्रयागराज | चैमलपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 134.80 |
| 540 | प्रयागराज | धोबहा | विश्व बैंक बैच-1 | 164.11 |
| 541 | प्रयागराज | जमुआ | विश्व बैंक बैच-1 | 128.58 |
| 542 | प्रयागराज | मनाई | विश्व बैंक बैच-1 | 186.43 |
| 543 | प्रयागराज | पक्रिसेवार | विश्व बैंक बैच-1 | 150.11 |
| 544 | प्रयागराज | पिरदुआना | विश्व बैंक बैच-1 | 167.78 |
| 545 | बहराइच | भोपतपुर (सोलर) | विश्व बैंक बैच-1 | 191.74 |
| 546 | बहराइच | गलेरिआ | विश्व बैंक बैच-1 | 179.99 |
| 547 | बलिया | खनवर | विश्व बैंक बैच-1 | 175.82 |
| 548 | बलिया | खराहतर | विश्व बैंक बैच-1 | 112.66 |
| 549 | बलिया | कहरुआँ | विश्व बैंक बैच-1 | 197.88 |
| 550 | बलिया | मिथुवार | विश्व बैंक बैच-1 | 152.47 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 551 | बलिया | नागपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 225.20 |
| 552 | बलिया | नसीरपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 102.27 |
| 553 | बलिया | ओझवलिया | विश्व बैंक बैच-1 | 131.78 |
| 554 | बस्ती | अशोकपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 175.55 |
| 555 | बस्ती | बडोखर | विश्व बैंक बैच-1 | 124.50 |
| 556 | बस्ती | चौरी | विश्व बैंक बैच-1 | 112.78 |
| 557 | बस्ती | धिरौली बाबू | विश्व बैंक बैच-1 | 124.62 |
| 558 | बस्ती | गण | विश्व बैंक बैच-1 | 88.34 |
| 559 | बस्ती | कोहराये | विश्व बैंक बैच-1 | 118.14 |
| 560 | बस्ती | महुअर | विश्व बैंक बैच-1 | 130.41 |
| 561 | बस्ती | नारियाँ | विश्व बैंक बैच-1 | 175.42 |
| 562 | बस्ती | सेखपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 121.96 |
| 563 | बस्ती | सिकंदरपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 163.79 |
| 564 | बस्ती | विक्रमजोत | विश्व बैंक बैच-1 | 100.43 |
| 565 | बस्ती | वोदावल | विश्व बैंक बैच-1 | 349.50 |
| 566 | देवरिया | बौरडीह | विश्व बैंक बैच-1 | 114.60 |
| 567 | देवरिया | भुजौली | विश्व बैंक बैच-1 | 157.03 |
| 568 | देवरिया | महे बाबू | विश्व बैंक बैच-1 | 147.29 |
| 569 | गाज़ीपुर | असवार | विश्व बैंक बैच-1 | 296.40 |
| 570 | गाज़ीपुर | गोरसरा | विश्व बैंक बैच-1 | 179.49 |
| 571 | गाज़ीपुर | महेन्द | विश्व बैंक बैच-1 | 317.17 |
| 572 | गाज़ीपुर | मोहद कुसुम | विश्व बैंक बैच-1 | 312.48 |
| 573 | गाज़ीपुर | पखनपुरा | विश्व बैंक बैच-1 | 211.43 |
| 574 | गाज़ीपुर | रामगढ़ | विश्व बैंक बैच-1 | 196.96 |
| 575 | गाज़ीपुर | शहाबुद्दीनपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 388.19 |
| 576 | गोंडा | बिहरि (पूरे हरा) | विश्व बैंक बैच-1 | 337.45 |
| 577 | गोंडा | कूड़ासन | विश्व बैंक बैच-1 | 189.78 |
| 578 | गोंडा | मछली गोअन नानकर | विश्व बैंक बैच-1 | 196.57 |
| 579 | गोंडा | माधौगंज | विश्व बैंक बैच-1 | 224.67 |
| 580 | गोंडा | मोहनपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 107.24 |
| 581 | गोंडा | पचपूति जगतपुर (जैदावा) | विश्व बैंक बैच-1 | 280.19 |
| 582 | गोरखपुर | भौरमल | विश्व बैंक बैच-1 | 171.80 |
| 583 | गोरखपुर | इंदरपुर | विश्व बैंक बैच-1 | 354.50 |
| 584 | गोरखपुर | जंगल धूसर | विश्व बैंक बैच-1 | 812.89 |
| 585 | गोरखपुर | केवल चक | विश्व बैंक बैच-1 | 114.80 |
| 586 | गोरखपुर | पिपरहेमा | विश्व बैंक बैच-1 | 184.43 |
| 587 | कुशीनगर | कंठी छपरा | विश्व बैंक बैच-1 | 196.53 |
| 588 | कुशीनगर | खैरी | विश्व बैंक बैच-1 | 164.00 |
| 589 | कुशीनगर | करहवा | विश्व बैंक बैच-1 | 188.27 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 590 | कुशीनगर | महवा बुजुर्ग | विश्व बैंक बैच-1 | 324.47 |
| 591 | कुशीनगर | रामपुर महारथ | विश्व बैंक बैच-1 | 173.54 |
| 592 | कुशीनगर | शेखपुरवा | विश्व बैंक बैच-1 | 170.35 |
| 593 | कुशीनगर | सोमाली | विश्व बैंक बैच-1 | 178.56 |
| 594 | कुशीनगर | टेकुआटार | विश्व बैंक बैच-1 | 497.09 |
| 595 | बलरामपुर | बौडिहार | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 315.43 |
| 596 | बलरामपुर | गुलरिया हिसामपुर | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 497.03 |
| 597 | बलरामपुर | खाखादेई | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 161.73 |
| 598 | बलरामपुर | खम्हरिया | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 334.13 |
| 599 | बाराबंकी | दादरा | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 364.94 |
| 600 | बाराबंकी | मिलारायगंज | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 265.96 |
| 601 | बरेली | जाम सावंत शुमाली | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 114.31 |
| 602 | बरेली | दाह प्यारी नवादा | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 128.83 |
| 603 | बुलन्दशहर | हाजीपुर | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 197.84 |
| 604 | मेरठ | रसूलपुर औरंगाबाद | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 235.46 |
| 605 | पीलीभीत | बरादनवा | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 225.43 |
| 606 | पीलीभीत | बावनपुरी भागीरथ | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 257.68 |
| 607 | पीलीभीत | जादोपुर महोलिया | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 231.03 |
| 608 | पीलीभीत | केसरपुर कला पेयजल | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 364.54 |
| 609 | पीलीभीत | सुकटिया | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 214.21 |
| 610 | सहारनपुर | बूढ़ाखेड़ा | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 353.59 |
| 611 | सहारनपुर | घाना खण्डी | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 209.15 |
| 612 | संतकबीरनगर | सई बुजुर्ग | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 149.69 |
| 613 | शामली | अकबरपुर सुनैठी | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 171.98 |
| 614 | सिद्धार्थनगर | बयारा | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 309.94 |
| 615 | सिद्धार्थनगर | कपिया सेमरा | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 295.93 |
| 616 | सिद्धार्थनगर | मधुबनी ग्रान्ट | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 295.44 |
| 617 | सिद्धार्थनगर | वासा चक रहमतुल्लाह | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 318.82 |
| 618 | बलरामपुर | आई टी आई विशुनपुर पीपीवाई एवं | बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम | 685.11 |
| 619 | पीलीभीत | बूदीभूड एवं बंदरभोज | बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम | 248.35 |
| 620 | पीलीभीत | महाराजपुर पीपीवाई | बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम | 213.58 |
| 621 | पीलीभीत | नौजहला पीपीवाई | बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम | 249.48 |
| 622 | श्रावस्ती | मसहा कलां पीपीवाई | बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम | 290.90 |
| 623 | श्रावस्ती | पटना पीपीवाई | बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम | 204.25 |

**विधान सभा के द्वितीय सत्र-2019 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित सुश्री अदिति सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-01 की अनुपूरक सामग्री**

- भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम' के अन्तर्गत विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं का वित्त पोषण भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से किया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का फण्डिंग पैटर्न 50:50 है। भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष आधी धनराशि राज्य सरकार द्वारा सम्मिलित करते हुए परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु धनराशि अवमुक्त की जाती है।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती पेयजल समस्या एवं भूमिगत जल की अशुद्धियों के कारण सरकार द्वारा मीठे तथा अच्छे जलस्रोत वाले स्थल पर ट्यूबवेल तथा ओवर हेड वाटर टैंक स्थापित कराकर पाइप्ड जलापूर्ति कराये जाने हेतु वर्ष 2017-18 में कुल 659 पाइप पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कराया गया है।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती पेयजल समस्या एवं भूमिगत जल की अशुद्धियों के कारण सरकार द्वारा मीठे तथा अच्छे जलस्रोत वाले स्थल पर ट्यूबवेल तथा ओवर हेड वाटर टैंक स्थापित कराकर पाइप्ड जलापूर्ति कराये जाने हेतु वर्ष 2018-19 (05 अप्रैल, 2019 तक) में कुल 623 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण किया गया है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम**-वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में कुल 1601 पाइप पेयजल परियोजनायें निर्माणाधीन रहीं, जिसके सापेक्ष वर्ष में 439 पाइप पेयजल परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये गये। इनमें से ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित ग्रामों के आच्छादन हेतु निर्माणाधीन 343 परियोजनाओं के सापेक्ष 83 पाइप पेयजल परियोजनाओं तथा आर्सेनिक/फलोराइड से प्रभावित ग्रामों में स्वच्छ पेयजल हेतु निर्माणाधीन 212 में से 103 पाइप पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है।
- उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में कुल 1149 पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन रहीं तथा वर्ष में अद्यतन सामान्य एवं गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में 104 नई परियोजनाओं के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 1253 परियोजनायें निर्माणाधीन थीं। वर्ष 2018-19 में 320 पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च, 2019 तक 512 योजनाएं पूर्ण की गईं। इनमें से ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित ग्रामों के आच्छादन हेतु निर्माणाधीन 263 (3 नई) परियोजनाओं के सापेक्ष 155 पाइप पेयजल परियोजनाओं तथा आर्सेनिक/फलोराइड से प्रभावित ग्रामों में स्वच्छ पेयजल हेतु निर्माणाधीन 109 में से 61 पाइप पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है।
- **राज्य ग्रामीण पेयजल योजना**-राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से 2016-17 में ''राज्य ग्रामीण पेयजल योजना'' प्रारम्भ की गयी। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश में

160 पाइप पेयजल योजनाएं/टी0टी0एस0पी0 प्रारम्भ की गयी थी। वर्ष 2017-18 में 01 परियोजना पूर्ण की गई थी। वर्ष 2018-19 में जनपद एटा में टी0टी0एस0पी0 की स्थापना हेतु एक नई परियोजना स्वीकृत की गई है तथा त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 अधूरी एवं बुन्देलखण्ड विशेष योजना की 2 परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए कुल 171 परियोजनायें निर्माणाधीन थीं। निर्माणाधीन परियोजनाओं में से माह मार्च, 2019 तक 22 परियोजनाऐं पूर्ण की जा चुकी हैं।

- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम**-(पूर्व नाम एम0एस0डी0पी0) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्ष 2017-18 तक कुल 243 परियोजनायें स्वीकृत की गई है। इनमें से 5 परियोजनाओं पर भूमि अनुपलब्धता अथवा ग्रामों के अन्य कार्यक्रम की पाइप पेयजल योजना में सम्मिलित होने के कारण समर्पित की गई हैं। मार्च, 2018 तक कुल 38 परियोजनायें पूर्ण की गईं। वर्ष 2018-19 में स्वीकृत 14 नई परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए 214 परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। निर्माणाधीन परियोजनाओं में से माह मार्च, 2019 तक 23 परियोजनाऐं पूर्ण की जा चुकी हैं।

- **बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज**-बुन्देलखण्ड पैकेज के द्वितीय चरण के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को 26 परियोजनायें निर्माणाधीन थीं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 21 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये गये। वर्ष 2018-19 में जनपद महोबा की बरखेड़ा तथा जनपद-ललितपुर की पावा ग्राम पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल 7 परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं।

- **विश्व बैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना**-इस योजना के बैच-1 में 9 जनपदों में 233 पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन थीं। वर्ष 2017-18 में 161 परियोजनायें पूर्ण की गईं। वर्ष 2018-19 में द्वितीय चरण के अन्तर्गत 379 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में 451 परियोजनायें निर्माणाधीन रहीं। वर्ष 2018-19 में प्रथम चरण की 60 परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण किया गया।

- **बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र तथ गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना**-वर्ष 2018-19 में प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 'बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना' प्रारम्भ की गयी है।

- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 07 जनपद**-यथा झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन एवं महोबा तथा विन्ध्य क्षेत्र के 02 जनपद यथा-मिर्जापुर एवं सोनभद्र के कुल 7628 ग्रामों में से 1908 ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं।

- उक्त योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र के अवशेष 5720 ग्रामों हेतु शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र में कुल 441 भूमिगत/सतही स्रोतों पर आधारित योजनाएं बनायी जानी हैं, जिससे 77.65 लाख आबादी लाभान्वित होगी। उक्त पर कुल 15722.89 करोड़ व्यय होने का अनुमान है।
- 441 योजनाओं हेतु डी0पी0आर0 के विरचन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। संदर्भित प्रकरण में पी0एम0सी0 (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेन्ट) के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- उक्त योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में आर्सोनिक/फलोराइड/जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित 3227 बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

**नत्थी 'ख'**

(देखिये नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न सं0-03 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर)

**मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सर्वेक्षित परिवारों की जनपदवार संख्या**

| क्र0 | जनपद का नाम | अन्य वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | जनपद के डेटा | कुष्ठ रोग से प्रभावित | राज्य (योग) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) |
| | | 2435 | 1290 | 172 | 56666 | 3897 | 60563 |
| 1 | आगरा | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | अलीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 1818 |
| 3 | इलाहाबाद | 141 | 66 | 6 | 2573 | 213 | 2786 |
| 4 | अम्बेडकर नगर | 8 | 6 | - | 348 | 14 | 362 |
| 5 | अमेठी | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
| 6 | अमरोहा | 3 | 0 | - | 9 | 3 | 12 |
| 7 | औरैया | 0 | 0 | - | 75 | 0 | 75 |
| 8 | आजमगढ़ | 117 | 66 | - | 2647 | 183 | 2830 |
| 9 | बहराइच | 158 | 40 | - | 181 | 198 | 379 |
| 10 | बलिया | 115 | 26 | 2 | 724 | 143 | 867 |
| 11 | बलरामपुर | 6 | 3 | - | 305 | 9 | 314 |
| 12 | बांदा | 18 | 0 | 3 | 142 | 21 | 163 |
| 13 | बाराबंकी | 53 | 25 | - | 993 | 78 | 1071 |
| 14 | बरेली | 2 | 2 | - | 29 | 4 | 33 |
| 15 | बस्ती | 26 | 11 | - | 392 | 37 | 429 |
| 16 | बिजनौर | 0 | 0 | - | 32 | 0 | 32 |
| 17 | बदायूं | 0 | 0 | - | 280 | 0 | 280 |
| 18 | बुलन्दशहर | 1 | 1 | - | 14 | 2 | 16 |
| 19 | चन्दौली | 62 | 72 | - | 2859 | 134 | 2993 |
| 20 | चित्रकूट | 13 | 4 | - | 192 | 17 | 209 |
| 21 | देवरिया | 0 | 0 | - | 1011 | 0 | 1011 |
| 22 | एटा | 5 | 5 | - | 261 | 10 | 271 |
| 23 | इटावा | 2 | 0 | - | 415 | 2 | 417 |
| 24 | फैजाबाद | 0 | 0 | - | 165 | 0 | 165 |
| 25 | फर्रुखाबाद | 0 | 0 | - | 192 | 0 | 192 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | फतेहपुर | 155 | 68 | - | 1057 | 223 | 1280 |
| 27 | फिरोजाबाद | 0 | 0 | - | 54 | 0 | 54 |
| 28 | गाजीपुर | 61 | 27 | - | 3487 | 88 | 3575 |
| 29 | गोण्डा | 66 | 18 | - | 1444 | 84 | 1528 |
| 30 | गोरखपुर | 56 | 27 | - | 2618 | 83 | 2701 |
| 31 | हरदोई | 27 | 17 | - | 20 | 44 | 64 |
| 32 | हाथरस | 0 | 0 | - | 23 | 0 | 23 |
| 33 | जालौन | 0 | 0 | - | 56 | 0 | 56 |
| 34 | जौनपुर | 75 | 56 | - | 5905 | 131 | 6036 |
| 35 | झांसी | 45 | 26 | - | - | 71 | 71 |
| 36 | कन्नौज | 0 | 0 | - | 125 | 0 | 125 |
| 37 | कानपुर देहात | 19 | 19 | - | 55 | 38 | 93 |
| 38 | कानपुर नगर | 7 | 3 | - | 1 | 10 | 11 |
| 39 | कासगंज | 0 | 0 | - | 82 | 0 | 82 |
| 40 | कौशाम्बी | 3 | 3 | - | 125 | 6 | 131 |
| 41 | कुशीनगर | 58 | 26 | - | 3389 | 84 | 3473 |
| 42 | खीरी | 270 | 128 | - | 848 | 398 | 1246 |
| 43 | ललितपुर | 46 | 12 | 4 | 0 | 62 | 62 |
| 44 | लखनऊ | 11 | 11 | - | 37 | 22 | 59 |
| 45 | महाराजगंज | 48 | 11 | - | 4444 | 59 | 4503 |
| 46 | महोबा | 0 | 0 | - | 498 | 0 | 498 |
| 47 | मैनपुरी | 16 | 3 | - | 57 | 19 | 76 |
| 48 | मथुरा | 0 | 0 | - | 94 | 0 | 94 |
| 49 | मऊ | 33 | 11 | - | 976 | 44 | 1020 |
| 50 | मेरठ | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 |
| 51 | मीरजापुर | 45 | 18 | - | 2440 | 63 | 2503 |
| 52 | मुरादाबाद | 17 | 4 | - | 11 | 21 | 32 |
| 53 | मुजफ्फरनगर | 0 | 0 | - | 98 | 0 | 98 |
| 54 | पीलीभीत | 52 | 9 | - | 483 | 61 | 544 |
| 55 | प्रतापगढ़ | 54 | 95 | - | 924 | 149 | 1073 |
| 56 | रायबरेली | 64 | 31 | - | 969 | 95 | 1064 |
| 57 | रामपुर | 3 | 0 | - | 44 | 3 | 47 |
| 58 | सहारनपुर | 0 | 0 | - | 300 | 0 | 300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | सम्भल | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 4 |
| 60 | संत कबीर नगर | 0 | 0 | – | 122 | 0 | 122 |
| 61 | संत रविदास नगर | 12 | 10 | – | 2404 | 22 | 2426 |
| 62 | शाहजहांपुर | 0 | 0 | – | 37 | 0 | 37 |
| 63 | शामली | 0 | 0 | – | 9 | 0 | 9 |
| 64 | श्रावस्ती | 25 | 7 | – | 693 | 32 | 725 |
| 65 | सिद्धार्थनगर | 31 | 11 | – | 675 | 42 | 717 |
| 66 | सीतापुर | 104 | 106 | 6 | 244 | 216 | 460 |
| 67 | सोनभद्र | 209 | 139 | 151 | 838 | 499 | 1337 |
| 68 | सुल्तानपुर | 46 | 27 | – | 1585 | 73 | 1658 |
| 69 | उन्नाव | 47 | 27 | – | 90 | 74 | 164 |
| 70 | वाराणसी | 0 | 12 | – | 3016 | 12 | 3028 |
| | **योग** | **2435** | **1290** | **172** | **56666** | **3897** | **60563** |

## नत्थी 'ग'

(देखिये नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न सं0-12 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 21 पर)

**विधान सभा के द्वितीय सत्र 2019 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्रीमती सुषमा पटेल, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-12 का संलग्नकः-**

विश्वविद्यालयवार प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अन्य शैक्षिक संवर्ग के पदों का विवरण-

| क्रमांक | पदनाम | कुल स्वीकृत पद | कुल भरे पद | अन्य पिछड़ा वर्ग के भरे पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 7 | 1 | 0 |
| ब | एशोसिएट प्रोफेसर | 21 | 14 | 0 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 41 | 35 | 04 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 19 | 04 | 00 |
| ब | एशोसिएट प्रोफेसर | 34 | 24 | 07 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 124 | 84 | 21 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 00 | 00 | 00 |
| **3** | **डॉ0 भीम राव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 14 | 5 | 0 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 20 | 4 | 1 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 62 | 41 | 9 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 00 | 0 | 0 |
| **4** | **जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 10 | 00 | 00 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 20 | 00 | 00 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 40 | 00 | 00 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 00 | 00 | 00 |
| **5** | **डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 9 | 02 | 01 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 18 | 07 | 01 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 38 | 36 | 07 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 00 | 00 | 00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | **प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 23 | 00 | 00 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 23 | 00 | 00 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 46 | 00 | 00 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 00 | 00 | 00 |
| **7** | **छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 07 | 01 | 00 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 09 | 07 | 03 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 12 | 08 | 02 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 00 | 00 | 00 |
| **8** | **दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 35 | 13 | 00 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 78 | 35 | 10 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 252 | 220 | 54 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 00 | 00 | 00 |
| **9** | **ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 10 | 04 | 00 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 19 | 06 | 02 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 45 | 18 | 07 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 00 | 00 | 00 |
| **10** | **बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 08 | 01 | 01 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 16 | 08 | 03 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 32 | 25 | 07 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 01 | 01 | 01 |
| **11** | **सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 25 | 00 | 00 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 28 | 1 | 00 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 56 | 4 | 00 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 00 | 00 | 00 |
| **12** | **चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 15 | 11 | 00 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 28 | 22 | 01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 41 | 35 | 12 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 00 | 00 | 00 |
| **13** | **उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 12 | 06 | 00 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 08 | 03 | 00 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 15 | 13 | 00 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 03 | 01 | 00 |
| **14** | **लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 59 | 24 | 00 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 135 | 75 | 17 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 322 | 256 | 44 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 00 | 00 | 00 |
| **15** | **डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 11 | 00 | 00 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 11 | 04 | 00 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 34 | 28 | 08 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 4 | 1 | 00 |
| **16** | **वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 15 | 01 | 00 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 30 | 07 | 02 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 59 | 32 | 10 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 00 | 00 | 00 |
| **17** | **संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी** | | | |
| अ | प्रोफेसर | 15 | 04 | 00 |
| ब | एसोसिएट प्रोफेसर | 09 | 03 | 00 |
| स | असिस्टेंट प्रोफेसर | 88 | 27 | 02 |
| द | अन्य शैक्षणिक पद | 00 | 00 | 00 |
| | **कुल योग** | **2116** | **1162** | **237** |

**नत्थी 'घ'**

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-14 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 33 पर)

| **धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता वर्ष 2019 के निर्णित वादों की सूची** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | वाद संख्या | मौजा | नाम फरीकेन | आदेश दिनांक | निस्तारण की सूची |
| 01 | T201901010400247 | कराही | महेन्द्र सिंह बनाम सरकार | 23.01.2019 | गाटा संख्या 114 रकबा 17310 हे0 में से रकबा 0.1730 हे0 आबादी घोषित की गयी |
| 02 | T201901010400248 | कराही | कन्हैया आदि बनाम सरकार | 23.01.2019 | गाटा संख्या 114 रकबा 17410 हे0 में से रकबा 0.2300 हे0 आबादी घोषित की गयी |
| 03 | T201901010400296 | रुनकता | के0आर0 पनवारी बनाम सरकार | 23.01.2019 | गाटा संख्या 246 व कुल रकबा 10,000 आबादी घोषित की गयी |
| 04 | T201901010400350 | भडकौल | राजकुमार बनाम सरकार | 28.01.2019 | गाटा संख्या 531 रकबा 0.1350 हे0 में से रकबा 0.426 हे0 आबादी घोषित की गयी |
| 05 | T201901010400349 | भडकौल | गनपत रिसोर्ट राजकुमार बनाम सरकार | 28.01.2019 | गाटा संख्या 380 रकबा 0.580 हे0 आबादी घोषित की गयी |
| 06 | T201901010400361 | चेकोरा | हाकिम सिंह बनाम सरकार | 12.02.2019 | गाटा संख्या 648/1 व 548/2 कुल रकबा 0.0163 हे0 में से रकबा 0.2526 हे0 आबादी घोषित की गयी |
| 07 | T201901010400362 | रुनकता | राना प्रताप बनाम सरकार | 16.02.2019 | गाटा संख्या 173 रकबा 0.5599 हे0 में से रकबा 0.2705 हे0 आबादी घोषित की गयी |
| 08 | T201901010400363 | रायमा | मयंक चतुर्वेदी बनाम सरकार | 04.02.2019 | गाटा संख्या 641/14 कुल रकबा 0.1840 हे0 आबादी घोषित की गयी |
| 09 | T201901010400521 | भडकौल | स्टोनमैन प्रा0 लि0 अंकित शर्मा बनाम सरकार | 15.02.2019 | गाटा संख्या 396 व रकबा 1.0720 हे0 व 432अ व 432ब में से कुल रकबा 0.9490 हे0 आबादी घोषित की गयी |
| 10 | T201901010400522 | भगूरा | सुशील सिंह बनाम सरकार | 15.02.2019 | गाटा संख्या 704/414 रकबा 0.11500 हे0 आबादी घोषित की गयी |
| 11 | T201901010400557 | रायमा | यदी0 राम प्रकाश मैमोरियल ईश्वरी प्रसाद बनाम सरकार | 01.02.2019 | गाटा संख्या 1910 व रकबा 0.0900 हे0 आबादी घोषित की गयी |
| 12 | T201901010400592 | रुनकता | श्रीबीना गुप्ता बनाम सरकार | 23.02.2019 | गाटा संख्या 1307/1 व 1308, 1299, 1310, 1305 कुल रकबा 0.3720 हे0 आबादी घोषित की गयी |
| 13 | T201901010400612 | सिंकरबाद | संग्राम सिंह बनाम सरकार | 25.02.2019 | गाटा संख्या 446 व रकबा 0.230 हे0 आबादी घोषित की गयी |

| धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता वर्ष 2018 के निर्णित वादों की सूची | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | वाद संख्या | मौजा | नाम फरीकेन | आदेश दिनांक | निस्तारण की सूची |
| 01 | T201801010401866 | दूरी | रामजीलाल पुत्र रामलाल बनाम सरकार | 04.07.2018 | गाटा संख्या 533 रकबा 0.1520 हे0 आबादी घोषित की गयी है। |
| 02 | T201801010402058 | बरौदी | छित्रपाल सिंह पुत्र जवाहर सिंह बनाम सरकार | 15.07.2018 | गाटा संख्या 93 रकबा 1.2530 हे0 में से 0.2070 हे0 आबादी घोषित की गयी है। |
| 03 | T201801010402059 | खैगास | चौ0 बदना सिंह उ0मा0वि0 प्रबंधक गंगा देवी पत्नी दया राम बनाम सरकार | 18.07.2018 | गाटा संख्या 906अ, 906ब रकबा 1.046 हे0 में से 0.2000 आबादी घोषित की गयी है। |
| 04 | T201801010402132 | दिघापुर | अमर सिंह बनाम सरकार | 27.07.2018 | गाटा संख्या 23/40 रकबा 0.2190 हे0 में से 0.1095 हे0 आबादी घोषित की गयी है। |
| 05 | T201801010402319 | अकबरा | गंगा गौगा पुत्र भरत गौगा बनाम सरकार | 08.08.2018 | गाटा संख्या 1676 रकबा 0.3444 हे0 आबादी घोषित की गयी है। |
| 06 | T201801010402334 | अगेदौपुरा | श्रीमती भूदेवी बनाम सरकार | 08.08.2018 | गाटा संख्या 246 रकबा 0.9100 हे0 इसमें से प्रार्थी के हिस्से में से 0.465 हे0 में से रकबा 0.230 हे0 आबादी घोषित की गयी है। |
| 07 | T201801010402815 | गुड की मंडी | श्रीमती सीमा पत्नी राकेश कुमार बनाम सरकार | 08.09.2018 | गाटा संख्या 171 रकबा 4.7820 हे0 में से 1.0972 हे0 आबादी घोषित की गयी है। |
| 08 | T201801010402657 | भीमरौत जाट | श्रीमती रामदेवी पत्नी सुभाष चन्द्र बनाम सरकार | 11.09.2018 | गाटा संख्या 766अ, 766ब रकबा 1.898 हे0 में से 0.230 हे0 आबादी घोषित की गयी है। |
| 09 | T201801010402685 | अटूरा | वीरेन्द्र कुमार छोकर पुत्र मदन लाल बनाम सरकार | 12.09.2018 | गाटा संख्या 328 रकबा 3.29 हे0 में से 0.7883 हे0 आबादी घोषित की गयी है। |
| 10 | T201801010403110 | सहाई | सुरेश बनाम सरकार | 11.11.2018 | गाटा संख्या 412, 417 कुल रकबा 0.4080 हे0 आबादी घोषित की गयी है। |
| 11 | T201801010402772 | प्यूस | स्टोनमैन अंकित शर्मा पुत्र अनिल कुमार शर्मा बनाम सरकार | 15.09.2018 | गाटा संख्या 413 रकबा 1.1000 हे0 आबादी घोषित की गयी है। |
| 12 | T201801010402774 | मंगूरा | स्टोनमैन अंकित शर्मा पुत्र अनिल कुमार शर्मा बनाम सरकार | 15.09.2018 | गाटा संख्या 409, 411 कुल रकबा 2.2810 हे0 आबादी घोषित की गयी है। |
| 13 | T201801010402686 | पुरामना | भुरी सिंह पुत्र बहादुर सिंह बनाम सरकार | 20.09.2018 | गाटा संख्या 432 रकबा 0.8260 हे0 में से 0.213 हे0 में 450 रकबा 0.6040 हे0 में 480 रकबा 0.5940 हे0 में से प्रार्थी को भाग रकबा 0.2932 हे0 भाग घोषित किया जाता है। |
| 14 | T201801010404197 | गोपऊ | टनिल कुमार बनाम सरकार | 29.12.2018 | गाटा संख्या 470 रकबा 1.2100 हे0 में से 0.0470 हे0 आबादी घोषित की गयी है। |
| 15 | T201801010404198 | गोपऊ | सुनील कुमार बनाम सरकार | 29.12.2018 | गाटा संख्या 530 कुल रकबा 0.1870 हे0 में से रकबा 0.0635 आबादी घोषित की गयी है। |

**नत्थी 'ङ'**

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-25 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 38-39 पर)

**मा0 विधायक 131-कटरा द्वारा विधान सभा में पूछे गये प्रश्न के अनुपालन में तहसील-कलान, जनपद-शाहजहांपुर**

| क्रम सं0 | खातेदार का नाम | पिता/पति का नाम | निवास स्थान | ब्लाक | गाटा सं0 | रकबा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | रूम सिंह | शिवनाथ | कुन्डरिया | कलान | 1ग | 3.700 |
| 2 | सतेन्द्र पाल सिंह | मानबहादुर सिंह | | | | |
| 3 | हरिश्चन्द्र सिंह | मानबहादुर सिंह | | | | |
| 4 | रामसिंह | जानुकी | | | | |
| 5 | रामपाल सिंह | जानुकी | | | | |
| 6 | रामप्रकाश | रामदीन | कुन्डरिया | कलान | 1ड | 0.280 |
| 7 | सत्यप्रकाश | रामदीन | | | | |
| 8 | मंगूलाल | रामदीन | | | | |
| 9 | हरिनरायन | रामदीन | | | | |
| 10 | श्रीनिवास | धर्मजीत | कुन्डरिया | कलान | 1ड | 0.800 |
| 11 | रामचन्द्र | धर्मजीत | | | | |
| 12 | अंगदराम | धर्मजीत | | | | |
| 13 | मुन्ना गिरि | नरायन गिरि | कुन्डरिया | कलान | 1ड | 0.220 |
| 14 | रिशीपाल सिंह | निर्भय सिंह | कुन्डरिया | कलान | 1क | 0.470 |
| 15 | अमरीक खां | लल्ला खां उर्फ लल्लू खां | बोझी | कलान | 1ख | 0.460 |
| 16 | सत्यवती | शिवसहाय | रतेनगला बदायूं | कलान | 1च | 0.100 |
| 17 | राजाराम | तिलकराम | कुन्डरिया | कलान | 1छ | 0.370 |
| 18 | रामनाथ | जानुकी | कुन्डरिया | कलान | 1क्ष | 0.700 |
| 19 | रामभरोसे | जानुकी | | | | |
| 20 | रामस्वरूप | जानुकी | | | | |
| 21 | रामसिंह | जानुकी | | | | |
| 22 | रामपाल सिंह | जानुकी | | | | |
| 23 | रामभजन | गंगाराम | | | | |
| 24 | जोगराज | गंगाराम | | | | |
| 25 | रामेश्वर | नत्थू | | | | |
| 26 | सरदार | नत्थू | | | | |
| 27 | मुशीगिरी | नरायन गिरि | कुन्डरिया | कलान | 1य | 0.430 |
| 28 | पृथ्वीराज | गनेश | कुन्डरिया | कलान | 1व | 0.370 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | महेश | प्रहलाद | कुन्डरिया | कलान | 1द | 0.320 |
| 30 | नरेश | प्रहलाद | | | | |
| 31 | पिस्सु | प्रहलाद | | | | |
| 32 | ओमकार | प्रहलाद | | | | |
| 33 | उमराय | गोविन्द | | | | |
| 34 | दिला | गोविन्द | | | | |
| 35 | सोनपाल | गिरवर | | | | |
| 36 | खुशीराम | गिरवर | | | | |
| 37 | मुन्नालाल | गिरवर | | | | |
| 38 | सत्यपाल | खुशाल | कुन्डरिया | कलान | 1क/1 | 0.480 |
| 39 | साधू | खुशाल | | | | |
| 40 | सुन्दरलाल | वावूराम | कुन्डरिया | कलान | 1घ | 0.400 |
| 41 | शिवचरन | रामस्वरूप | | | | |
| 42 | सत्यपाल | वावूराम | | | | |
| 43 | सन्तकुमार | रामविलास | | | | |
| 44 | रामेवर | जयलाल | | | | |
| 45 | रूम सिंह | शिवना सिंह | कुन्डरिया | कलान | 2च | 1.200 |
| 46 | सतेन्द्रपाल सिंह | मानवहादुर सिंह | | | | |
| 47 | हरिशचन्द्र | मानवहादुर सिंह | | | | |
| 48 | रामसिंह | जानकी | | | | |
| 49 | रामपाल सिंह | जानकी | | | | |
| 50 | मुन्नागिरी | नरायन गिरी | कुन्डरिया | कलान | 2क | 0.650 |
| 51 | अरेन्द्रपाल सिंह | रूम सिंह | कुन्डरिया | कलान | 2घ | 0.200 |
| 52 | धीरेन्द्रपाल | रूम सिंह | | | | |
| 53 | भीकम आदि | | | | | |
| 54 | राजाराम | तिलकराम | कुन्डरिया | कलान | 2ढ | 0.290 |
| 55 | राजेन्द्र सिंह | सूबेदार | कुन्डरिया | कलान | 2घ | 0.800 |
| 56 | सत्यपाल | सूबेदार | | | | |
| 57 | मोरपाल | सूबेदार | | | | |
| 58 | लिख्मी | इन्द्र | कुन्डरिया | कलान | 2ट | 0.135 |
| 59 | रामचन्द्र | | कुन्डरिया | कलान | 2श | 0.190 |
| 60 | सुखपाल | | कुन्डरिया | कलान | 2घ | 0.200 |
| 61 | रामनाथ आदि | | कुन्डरिया | कलान | 2श | 0.500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | चेतराम | जगन्नाथ | कुन्डरिया | कलान | 3ख | 0.730 |
| 63 | राजेन्द्र | जगन्नाथ | | | | |
| 64 | नन्हेलाल | जगन्नाथ | | | | |
| 65 | हरिशचन्द्र | द्वारिका | कुन्डरिया | कलान | 3ख | 0.730 |
| 66 | रामवेटी | श्यामपाल | कुन्डरिया | कलान | 3च | 0.456 |
| 67 | लीलावती | आदि | | | | |
| 68 | ओमकार आदि | | कुन्डरिया | कलान | 3झ | 0.700 |
| 69 | सुन्दरलाल आदि | | कुन्डरिया | कलान | 3ट | 0.370 |
| 70 | मुरादअली शाह आदि | शौकिन शाह | कुन्डरिया | कलान | 3ग | 0.200 |
| 71 | वेनी | तिलकराम | कुन्डरिया | कलान | 3म | 0.200 |
| 72 | सिरदार आदि | | कुन्डरिया | कलान | 3ट | 0.200 |
| 73 | जगदीश | | कुन्डरिया | कलान | 3न | 0.200 |
| 74 | भोले | | कुन्डरिया | कलान | 3प | 0.200 |
| 75 | रामनाथ | जानुकी | कुन्डरिया | कलान | 3फ | 0.200 |
| 76 | श्रीमती राकली | | कुन्डरिया | कलान | 3ड | 0.435 |
| 77 | इश्वरी | प्रहलाद | कुन्डरिया | कलान | 3र | 0.200 |
| 78 | मंगली आदि | नन्हकू | कुन्डरिया | कलान | 3य | 0.530 |
| 79 | रामनाथ आदि | जानुकी | कुन्डरिया | कलान | 496क | 1.070 |
| 80 | श्रीनिवास | धर्मजीत | कुन्डरिया | कलान | 496ख | 1.850 |
| 81 | रामचन्द्र | | | | | |
| 82 | रामप्रकाश | रामवीर | कुन्डरिया | कलान | 496ग | 0.110 |
| 83 | हरिनरायन | रामवीर | | | | |
| 84 | अमरीक | | वाहर | कलान | 496घ | 0.110 |
| 85 | केदार सिंह | | कुन्डरिया | कलान | 496च | 0.400 |
| 86 | रामभजन | गंगाराम | कुन्डरिया | कलान | 496छ | 0.470 |
| 87 | मुन्नागिरि | नरायन गिरि | कुन्डरिया | कलान | 496ज | 1.695 |
| 88 | राजाराम | तिलकराम | कुन्डरिया | कलान | 496झ | 0.500 |
| 89 | सतेन्द्रपाल सिंह आदि | मानवहादुर सिंह | कुन्डरिया | कलान | 496ड | 5.015 |
| 90 | कमरूद्दीन | | वाहर | कलान | 496ठ | 0.760 |
| 91 | रामपाल सिंह | जानुकी | कुन्डरिया | कलान | 496ड | 0.600 |
| 92 | मुलायम सिंह | सामल सिंह | कुन्डरिया | कलान | 496ण | 0.730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | रामदीन | त्रिमल | कुन्डरिया | कलान | 496ट | 0.350 |
| 94 | चन्द्रपाल आदि | | | | | |
| 95 | रामपाल सिंह | मिजा सिंह | कुन्डरिया | कलान | 496थ | 0.400 |
| 96 | रतीपाल | मिजा सिंह | | | | |
| 97 | वुधपाल | | वाहर | कलान | 496घ | 0.500 |
| 98 | रामपाल | | कुन्डरिया | कलान | 496न | 0.182 |
| 99 | तोताराम | हीरावन | कुन्डरिया | कलान | 496प | 0.420 |
| 100 | श्यामस्वरूप | | कुन्डरिया | कलान | 496व | 0.910 |
| 101 | टीकम सिंह | सतेन्द्रपाल सिंह | कुन्डरिया | कलान | 496य | 0.430 |
| 102 | मुकेश | | कुन्डरिया | कलान | 496ज/3 | 0.750 |
| 103 | दिनेश | | कुन्डरिया | | | |
| 104 | फकीरचन्द्र | वैनी | कुन्डरिया | कलान | 496श | 0.200 |
| 105 | राजेन्द्र सिंह | सूवेदार सिह | कुन्डरिया | कलान | 496ह | 0.500 |
| 106 | रामनिवास | हुलास | कुन्डरिया | कलान | 496क्ष | 0.400 |
| 107 | सत्यपाल | खुशाल | कुन्डरिया | कलान | 496ज्ञ | 0.460 |
| 108 | साधू | खुशाल | | | | |
| 109 | शंकर गिरि | तुलसी गिरि | कुन्डरिया | कलान | 496ग/1 | 0.290 |
| 110 | झव्वू गिरि | रामगिरि | कुन्डरिया | कलान | 496च/1 | 1.503 |
| 111 | आरेन्द्रपाल | रूम सिंह | कुन्डरिया | कलान | 496ज/1 | 0.460 |
| 112 | पृथ्वीराज | गनेश | कुन्डरिया | कलान | 496द/1 | 0.601 |
| 113 | निसार अहमद | जंगी | कुन्डरिया | कलान | 496ध/1 | 0.490 |
| 114 | रामलाल | रेहन | कुन्डरिया | कलान | 496ध/1 | 0.400 |
| 115 | त्रिलोक सिंह | ठकुरी | कुन्डरिया | कलान | 496प/1 | 0.360 |
| 116 | रामप्रकाश | रामदीन | कुन्डरिया | कलान | 496फ/1 | 0.150 |
| 117 | हरनरायन | रामदीन | | | | |
| 118 | रामनाथ | डोरी | कुन्डरिया | कलान | 496व/1 | 0.550 |
| 119 | सोनपाल | डोरी | | | | |
| 120 | रामप्रकाश | रामदीन | कुन्डरिया | कलान | 496य/1 | 1.670 |
| 121 | रामाधार | श्रीपाल | कुन्डरिया | कलान | 496स/1 | 3.450 |
| 122 | श्रीमती जन्नत | हवीव | कुन्डरिया | कलान | 496ज/1 | 1.900 |
| 123 | मुंशी | होरी | कुन्डरिया | कलान | 496ज/2 | 0.470 |
| 124 | सुलेमान खां | होरी | | | | |
| 125 | श्रीमती हंसमुखी | रामचन्द्र | कुन्डरिया | कलान | 496ज/2 | 0.600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | रामकली | रूम सिंह | कुन्डरिया | कलान | 496न/2 | 2.000 |
| 127 | हाकिम सिंह | वुधपाल | कुन्डरिया | कलान | 496प/2 | 1.667 |
| 128 | श्रीपाल सिंह | रामनाथ | कुन्डरिया | कलान | 496फ/2 | 0.510 |
| 129 | ठाकुरपाल | रामेश्वर दयाल | कुन्डरिया | कलान | 496व/2 | 0.360 |
| 130 | हरिओम | रामेश्वर दयाल | | | | |
| 131 | राजेन्द्र सिंह | रामगोपाल | कुन्डरिया | कलान | 496र/2 | 0.400 |
| 132 | केदार सिंह | मैकू | कुन्डरिया | कलान | 496ल/2 | 1.000 |
| 133 | सिकन्दर | मैकू | | | | |
| 134 | इशरा अली | ज्मैदी | कुन्डरिया | कलान | 496ज/3 | 1.200 |
| 135 | रामचन्द्र | | कुन्डरिया | कलान | 496ट/3 | 0.900 |
| 136 | जगदीश | | | | | |
| 137 | वुधपाल | | कुन्डरिया | कलान | 496ण/3 | 0.670 |
| 138 | विश्राम | दरवारी | कुन्डरिया | कलान | 401ध | 0.200 |
| 139 | नूरवानो | राजखां | कुन्डरिया | कलान | 401ख | 0.200 |
| 140 | महेदी हसन | मुरली | कुन्डरिया | कलान | 401ग | 0.200 |
| 141 | विलकीश | नन्दराम | कुन्डरिया | कलान | 401घ | 0.200 |
| 142 | मुनव्वर खां | नवाव खां | कुन्डरिया | कलान | 401ड | 0.200 |
| 143 | राजाराम | परमेश्वरी | कुन्डरिया | कलान | 401च | 0.200 |
| 144 | कल्यान | मजिस्टर | कुन्डरिया | कलान | 401छ | 1.120 |
| 145 | गिरीश | | | | | |
| 146 | लंकुश | सुमेरवन | कुन्डरिया | कलान | 401ज | 0.200 |
| 147 | राजेन्द्र सिंह आदि | रामगोपाल | कुन्डरिया | कलान | 401झ | 4.400 |
| 148 | नरेश पाल | तार सिंह | | | | |
| 149 | इसरार अली | मंसूर अली | कुन्डरिया | कलान | 401अ | 1.240 |
| 150 | नोखे | फान सहाय | कुन्डरिया | कलान | 401ढ | 0.210 |
| 151 | रागेश्वर | चिम्मन | कुन्डरिया | कलान | 401ण | 0.200 |
| 152 | अभयप्रताप | आदि | कुन्डरिया | कलान | 401ट | 0.130 |
| 153 | होरी | गनेश | कुन्डरिया | कलान | 401थ | 0.120 |
| 154 | रामप्रकाश आदि | रामदीन | कुन्डरिया | कलान | 401न | 0.380 |
| 155 | रामप्रकाश | रामदीन | कुन्डरिया | कलान | 401प | 0.350 |
| 156 | झम्मन | नरायन | कुन्डरिया | कलान | 401भ | 0.200 |
| 157 | नवीन | नरायन | कुन्डरिया | कलान | 401य | 0.200 |
| 158 | मुन्ने खां | शकिर | कुन्डरिया | कलान | 401र | 0.200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | रामलाल | रोहन | कुन्डरिया | कलान | 401ल | 0.200 |
| 160 | वावूराम | वल्देव | कुन्डरिया | कलान | 401स | 1.170 |
| 161 | विद्यावती कल्यान सिंह | गिरवर | कुन्डरिया | कलान | 401क्ष | 1.120 |
| 162 | कृष्ण देवी | हरद्वारी | कुन्डरिया | कलान | 401ज | 0.420 |
| 163 | शकूर खां आदि | | कुन्डरिया | कलान | 401ज्ञ | 0.600 |
| 164 | राजेन्द्र सिंह | मलिखान | कुन्डरिया | कलान | 402ड | 4.950 |
| | | | | | **कुल भूमि** | **78.624 हे0** |
| | | | | | (194.13 एकड़ लगभग) | |

**नत्थी 'च'**

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-84 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 76 पर)

जनपद शाहजहांपुर 23 थाने एवं 42 अस्थाई चौकियां हैं। जिनकी रंगाई, पुताई एवं छोटे मरम्मत कार्यों के लिए थानों को धनराशि आवंटित की गयी है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित थाना प्रभारी के माध्यम से प्राप्त बिलों का भुगतान सम्बन्धित फर्म के खाते में किया गया। थानावार आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

| क्र0सं0 | नाम थाना | अस्थाई चौकियों का नाम | दिनांक 01.04.17 से 10.02.19 तक आवंटित धनराशि व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | कोतवाली | 1- कोतवाली चौकी | 50,000/- 12.09.2017 |
| | | 2- राजघाट | 40,000/- 17.09.2018 |
| | | 3- बेरी | |
| | | 4- पाकड़ | |
| | | 5- अजीजगंज | |
| | | 6- अस्पताल चौकी | |
| | | 7- आशा ज्योति केन्द्र, महिला जिला अस्पताल, शाह0 (रिपोर्टिंग चौकी) | |
| 2 | सदर बाजार | 8- सदर बाजार चौकी | 40,000/- 17.09.2018 |
| | | 9- अशफाक नगर | |
| | | 10- कैण्ट | |
| | | 11- शाहबाजनगर | |
| | | 12- हद्दफ | |
| | | 13- उस्मान बाग | |
| | | 14- बहादुरगंज | |
| | | 15- अंजान | |
| | | 16- कचहरी | |
| | | 17- जेल | |
| 3 | रामचन्द्र मिशन | 18- सराय काईयों | 40,000/- 17.09.2018 |
| | | 19- फत्तेपुर | |
| 4 | महिला थाना | - | 40,000/- 17.09.2018 |
| 5 | रौजा | 20- लोधीपुर | 40,000/- 17.09.2018 |
| | | 21- मण्डी | |
| | | 22- गुर्री | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6 | कॉठ | 23- पिपरौला | 80,355/- 12.09.2017 |
| | | 24- कुर्रियां कलां | 29,991/- 12.10.2017 |
| | | | 40,000/- 17.09.2018 |
| 7 | मदनापुर | 25- बरूआ | 40,000/- 17.09.2018 |
| 8 | निगोही | 26- टिकरी | 40,000/- 17.09.2018 |
| 9 | सेहरामऊ दक्षिणी | - | 40,000/- 17.09.2018 |
| | | | 80,000/- 06.02.2019 |
| 10 | जलालाबाद | 27- खण्डहर | 30,000/- 12.09.2017 |
| | | | 40,000/- 17.09.2018 |
| 11 | कलान | 28- बाराकलां | 26,750/- 12.09.2017 |
| | | | 30,000/- 17.09.2018 |
| 12 | परौर | - | 50,000/- 12.09.2017 |
| | | | 30,000/- 17.09.2018 |
| 13 | मिर्जापुर | - | 40,000/- 17.09.2018 |
| | | | 82,000/- 06.02.2019 |
| 14 | अल्हागंज | - | 50,000/- 12.09.2017 |
| | | | 40,000/- 17.09.2018 |
| | | | 80,000/- 06.02.2019 |
| 15 | तिलहर | 29- बिरियागंज | 50,000/- 12.09.2017 |
| | | 30- मौजमपुर | 40,000/- 17.09.2018 |
| | | 31- चौहटिया | |
| | | 32- विरसिनपुर | |
| | | 33- नगरिया मोड़ | |
| | | 34- रूहेलखण्ड चौकी | |
| 16 | कटरा | 35- कस्बा कटरा | 49,987/- 12.09.2017 |
| | | | 40,000/- 17.09.2018 |
| 17 | जैतीपुर | 36- नवादा मोड़ | 49,972/- 12.09.2017 |
| | | | 30,000/- 17.09.2018 |
| 18 | खुदागंज | - | 29,645/- 12.09.2017 |
| | | | 40,000/- 17.09.2018 |
| 19 | गढ़िया रंगीन | - | 50,000/- 12.09.2017 |
| | | | 30,000/- 17.09.2018 |
| 20 | पुवायां | 37- पुवायां चौकी | 50,000/- 12.09.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 38- बड़ा गांव | 40,000/- 17.09.2018 |
| 21 | सिंधौली | 39- कोरोकुईया | 40,000/- 17.09.2018 |
| | | 40- बिलन्दापुर | |
| | | 41- महासिर | |
| 22 | खुटार | 42- कहमरिया | 50,000/- 12.09.2017<br>40,000/- 17.09.2018 |
| 23 | बण्डा | - | 50,000/- 12.09.2017<br>40,000/- 17.09.2018 |

**नत्थी 'छ'**

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-151 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 113 पर)

**निर्माणाधीन वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्र/गौवंश वन्य विहार का विवरण जनपद व स्थान सहित**

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | केन्द्र का पता (तहसील) | क्र0सं0 | जनपद का नाम | केन्द्र का पता (तहसील) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | आगरा | खेरागढ़ | 41 | औरैया | दिव्यापुर |
| 2 | मथुरा | गोवर्धन | 42 | लखनऊ | बिजनौर |
| 3 | मैनपुरी | घिरौर | 43 | उन्नाव | सदर |
| 4 | फिरोजाबाद | टूण्डला | 44 | रायबरेली | लालगंज |
| 5 | अलीगढ़ | गभाना | 45 | हरदोई | बिलग्राम |
| 6 | कासगंज | सहावर | 46 | सीतापुर | बिसवां |
| 7 | एटा | सदर | 47 | खीरी | सदर |
| 8 | हाथरस | सिकन्दराराऊ | 48 | मेरठ | सरधना |
| 9 | प्रयागराज | मेजा | 49 | बागपत | बड़ौत |
| 10 | कौशाम्बी | मंझनपुर | 50 | गाजियाबाद | भोजपुर |
| 11 | फतेहपुर | बिन्दकी | 51 | हापुड़ | धौलाना |
| 12 | प्रतापगढ़ | रानीगंज | 52 | जी0बी0 नगर | जेवर |
| 13 | आजमगढ़ | मार्टिनगंज | 53 | बुलन्दशहर | डिबाई |
| 14 | मऊ | सदर | 54 | मिर्जापुर | सदर |
| 15 | बलिया | सीयर | 55 | सोनभद्र | रावट्र्सगंज |
| 16 | बरेली | मीरगंज | 56 | भदोही | भदोही |
| 17 | बदायूं | सदर | 57 | मुरादाबाद | कांठ |
| 18 | शाहजहांपुर | भावलखेड़ा | 58 | अमरोहा | हसनपुर |
| 19 | पीलीभीत | अमरिया | 59 | संभल | कुवांसा |
| 20 | बस्ती | दुबौलिया बाजार | 60 | रामपुर | शाहबाद |
| 21 | सन्तकबीरनगर | सेंमरियॉवा | 61 | बिजनौर | सदर |
| 22 | सिद्धार्थनगर | नौगढ़ | 62 | सहारनपुर | नकुड़ |
| 23 | अयोध्या | मिल्कीपुर | 63 | शामली | शामली |
| 24 | अम्बेडकरनगर | अकबरपुर | 64 | मुजफ्फरनगर | बुढ़ाना |
| 25 | अमेठी | मुसाफिर खाना | 65 | वाराणसी | पिण्डरा |
| 26 | सुल्तानपुर | सदर | 66 | जौनपुर | मछलीशहर |
| 27 | बाराबंकी | निबलेट | 67 | गाजीपुर | बाराचौवर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | गोण्डा | मनकापुर | 68 | चन्दौली | नरैनी |
| 29 | बलरामपुर | तुलसीपुर | 69 | बांदा | नरवल |
| 30 | बहराइच | केसरगंज | 70 | महोबा | कवरई |
| 31 | श्रावस्ती | इकौना | 71 | चित्रकूट | छीबो रामनगर |
| 32 | गोरखपुर | गोला | 72 | हमीरपुर | जखेड़ी |
| 33 | महराजगंज | इकौना | 73 | झांसी | सुकवा, झांसी |
| 34 | देवरिया | पिपरा चन्द्रभान, सदर | 74 | ललितपुर | अमझरा, पाली |
| 35 | कुशीनगर | खड्डा | 75 | जालौन | एवरा, कौंच |
| 36 | कानपुर नगर | नरवल | | | |
| 37 | कानपुर देहात | सिकन्दरा | | | |
| 38 | फर्रुखाबाद | सदर | | | |
| 39 | इटावा | परौली रसायन, बसरेहर | | | |
| 40 | कन्नौज | सदर | | | |

**नत्थी 'ज'**

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-165 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 120-121 पर)

| **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत मिर्रीकलां विकास खण्ड असोहा, जनपद-उन्नाव** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | विकास खण्ड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | लाभार्थी का नाम | पिता/पति का नाम | जारी धनराशि (रुपये में) | आवास की स्थिति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | असोहा | मिर्रीकलां | मुकेश | मुन्नीलाल | 120000 | पूर्ण |
| 2 | असोहा | मिर्रीकलां | अनीता | शिवलाल | 120000 | पूर्ण |
| 3 | असोहा | मिर्रीकलां | राम खेलावन | मैकू | 120000 | पूर्ण |
| 4 | असोहा | मिर्रीकलां | मंजू | सरजू | 120000 | पूर्ण |
| 5 | असोहा | मिर्रीकलां | जगराना | मोहन | 120000 | पूर्ण |
| 6 | असोहा | मिर्रीकलां | चन्दकला | सन्तोष | 120000 | पूर्ण |
| 7 | असोहा | मिर्रीकलां | सुमित्रा | राम गुलाम | 120000 | पूर्ण |
| 8 | असोहा | मिर्रीकलां | मेहदी | | 120000 | पूर्ण |
| 9 | असोहा | मिर्रीकलां | सुरज | पूती | 120000 | पूर्ण |
| 10 | असोहा | मिर्रीकलां | मैकू | सन्दर | 120000 | पूर्ण |
| 11 | असोहा | मिर्रीकलां | चन्द्रकुमार | केशव | 120000 | पूर्ण |
| 12 | असोहा | मिर्रीकलां | जहूर | चन्दा | 120000 | पूर्ण |
| 13 | असोहा | मिर्रीकलां | रामवती | विलेश्वर | 120000 | पूर्ण |
| 14 | असोहा | मिर्रीकलां | हीरालाल | रामचरन | 120000 | पूर्ण |
| 15 | असोहा | मिर्रीकलां | बिन्देश्वरी | दुर्गा | 120000 | पूर्ण |
| 16 | असोहा | मिर्रीकलां | विशुन कुमारी | जगन्नाथ | 120000 | पूर्ण |
| 17 | असोहा | मिर्रीकलां | सरोज | राम स्वरूप | 120000 | पूर्ण |
| 18 | असोहा | मिर्रीकलां | दिनेश | शिवबालक | 120000 | पूर्ण |
| 19 | असोहा | मिर्रीकलां | सुमन | कृपाशंकर | 120000 | पूर्ण |
| 20 | असोहा | मिर्रीकलां | रज्जा | नन्कऊ | 120000 | पूर्ण |
| 21 | असोहा | मिर्रीकलां | शान्ती | जगन्नाथ | 120000 | पूर्ण |
| 22 | असोहा | मिर्रीकलां | देवीचरन | सुरजू | 120000 | पूर्ण |
| 23 | असोहा | मिर्रीकलां | सुरेश | शिवमंगल | 120000 | पूर्ण |
| 24 | असोहा | मिर्रीकलां | कमलेश | जगन्नाथ | 120000 | पूर्ण |
| 25 | असोहा | मिर्रीकलां | जयचन्द्र | पूत्तीलाल | 120000 | पूर्ण |
| 26 | असोहा | मिर्रीकलां | राजदुलारी | छोटेलाल | 120000 | पूर्ण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | असोहा | मिर्रीकलां | सुमाता | अन्नतु | 120000 | पूर्ण |
| 28 | असोहा | मिर्रीकलां | बब्ली | अवसान | 120000 | पूर्ण |
| 29 | असोहा | मिर्रीकलां | नन्दनी देवी | मंगल | 120000 | पूर्ण |
| 30 | असोहा | मिर्रीकलां | इन्दाना | नन्हू | 120000 | पूर्ण |
| 31 | असोहा | मिर्रीकलां | महावीर | दुलारे | 120000 | पूर्ण |
| 32 | असोहा | मिर्रीकलां | जयसार | बसीर | 120000 | पूर्ण |
| 33 | असोहा | मिर्रीकलां | श्रीकान्त | चन्दी | 120000 | पूर्ण |
| 34 | असोहा | मिर्रीकलां | अगनू | कल्लू | 120000 | पूर्ण |
| 35 | असोहा | मिर्रीकलां | लालता प्रसाद | पुन्ती लाल | 120000 | पूर्ण |
| | | | | | | |

**मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थी की सूची ग्राम पंचायत मिर्रीकलां विकास खण्ड असोहा, जनपद-उन्नाव**

| क्र01सं0 | विकास खण्ड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | लाभार्थी का नाम | पिता/पति का नाम | जारी धनराशि (रुपये में) | आवास की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | असोहा | मिर्रीकलां | ग्याना | रामेश्वर | 120000 | पूर्ण |

पी0एस0यू0पी0-एल0 316 विधान सभा (529)-24-2-2020-631 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।